दशम माला, खंड 40, अंक 25

मंगलवार, 9 मई, 1995

19 बैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 9 मई, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
9	19 नीचे से 7 और 15	डा॰जी॰एल॰कनौजिया	डा॰जी॰एल॰कनौजिया
"	2, 11 और 20		
58	नीचे से 14	4896	4986
73	12	डा॰ महादीपक सिंह शाक्य	डा॰ महादीपक सिंह शाक्य
83	5	श्री मनोरंज भक्त	श्री मनोरंजन भक्त
89	20	श्री प्रभू दयाल कोठारिया	श्री प्रभु दयाल कठेरिया
169	नीचे से 2	(क)	(क) और (ख)
171	नीचे से 11	5101	5102
198	नीचे से 3	श्री महेश कनोडिया	श्री महेश कनोड्या
202	8	श्री अजीत सिंह	श्री अ[illegible]त सिंह
203	नीचे से दूसरी	श्रीमती बासवराजेश्वरी	श्री बासवराजेश्वरी
228	3	श्री रमेश चेन्नितला	श्री रमेश चेन्नित्तला
235	नीचे से 17	सूखे के पश्चात "से" पढ़िए ।	
270	1	(क) से (च)	(घ) से (च)
289	12	(ग) भाग के पश्चात (घ) यह कार्यक्रम भारत के लिए किस हद तक उपयोगी साबित होगा; जोड़े	
290	13	श्री एम॰वी॰एस॰मूर्ति	श्री एम॰वी॰वी॰एस॰मूर्ति
327	नीचे से 6टी	समावेत हुई	समवेत हुई
388	नीचे से पहली	झांझापुर	झंझापुर

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

दशम माला, खंड 40, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 25, मंगलवार, 9 मई, 1995/19 बैशाख, 1917 (शक)

विषय			कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			**1-25**
*तारांकित प्रश्न संख्या :		481-483	1-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			**25-313**
तारांकित प्रश्न संख्या :		484-500	25-57
अतारांकित प्रश्न संख्या :		4985-5036 और 5038-5214	58-313
सभा पटल पर रखे गये पत्र			**314-320**
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति			**321**
अठाईसवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	321
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति			**321**
उन्नीसवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	321
संचार संबंधी स्थायी समिति			**322**
पंद्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवदेन तथा कार्यवाही सारांश	–	प्रस्तुत	322
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति			**322**
नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन	–	प्रस्तुत	322
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति			**323**
तेरहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया			323

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय कालम

नियम 377 के अधीन मामले 323-327

(एक) छत्तीसगढ़ क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

– श्री पवन दीवान 323

(दो) राजस्थान में पेयजल की कमी वाले गांवों विशेषकर लूणकरणसर, कोलायत, नोखा तहसीलों में पेयजल उपलब्ध किये जाने के लिए ठोस योजना बनाए जाने की आवश्यकता

– श्री मनफूल सिंह 323-324

(तीन) मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप एक हवाई पट्टी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

– श्री मोहनलाल झिकराम 324

(चार) राजस्थान में अजमेर जिले के तारागढ़ में उच्च शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

– प्रो. रासा सिंह रावत 324-325

(पांच) उत्तर प्रदेश के केसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बड़े कस्बों में रसोई गैस एजेन्सी और पेट्रोल पम्प खोले जाने की आवश्यकता

– श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी 325

(छः) बिहार के सीतामढ़ी जिले को सघन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता

– श्री नवल किशोर राय 325-326

(सात) सिक्किम में स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

– श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी 326-327

(आठ) राजस्थान के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

– श्री बीरबल 327

सामान्य बजट, 1995-96-अनुदानों की मांगें 327-416

रक्षा मंत्रालय

श्रीमती गिरिजा देवी 328-335

श्री इन्द्रजीत गुप्त 335-345

श्री पवन कुमार बंसल 345-351

विषय	कालम
श्री जगत बीर सिंह द्रोण	351-359
मेजर जनरल आर.जी. विलियम्स	359-365
श्री जार्ज फर्नांडीज	365-371
श्री राजागोपाल नायडू रामासामी	371-377
श्री उमराव सिंह	377-381
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	381-388
श्री मल्लिकार्जुन	388-413
श्री प्रमथेश मुखर्जी	413-416

लोक सभा

मंगलवार, 9 मई 1995/19 बैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज फासिज्म पर विजय की 50वीं वर्षगांठ है। अध्यक्षपीठ को इसका उल्लेख करना चाहिये, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।

अध्यक्ष महोदय : आप नेताओं से बात कर लें और उसके बाद बतायें। तब हम देंखेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है, लेकिन इस तरह नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। सभी इसका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यह होगा कि आप सभी को विश्वास में ले लें। ...(व्यवधान)

11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का समर्थन मूल्य

*481. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 में विभिन्न खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं और चावल के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 की रबी फसलों, अर्थात गेहूं, जौ, चना, तोरिया/सरसों और कुसुम, जिनकी बिक्री 1995-96 के मौसम में की जानी है, के लिए पहले घोषित किए जा चुके न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। 1995-96 की खरीफ फसलों, अर्थात धान, मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों, कपास तथा तम्बाकू संबंधी मूल्य नीति पर सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री राम पूजन पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की यह नीति रही है कि कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्यों का निर्णय करने से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार तथा उन सभी संगत कारकों, जो सरकार की राय में समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण हैं, पर विचार करती है। परंतु इसमें मैं देखता हूं कि जबकि उर्वरक का, बीज का, बिजली का, पानी का भाव बढ़ गया, उसके बावजूद गेहूं के समर्थन मूल्य में केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई। 1993-94 में गेहूं का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल था और 1994-95 में जो घोषित किया गया है और जो 1995-96 में समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं खरीदा जाएगा, उसका भाव केवल 360 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह मूल्य निर्धारित करते समय जो उर्वरक की कीमत बढ़ी है, जो किसान उसमें मेहनत करता है, इन सब चीजों को भी शामिल करके तभी उसकी कीमत दस रुपये बढ़ायी गयी है या उसको बिना देखे हुए, नजरंदाज करते हुए आपने सोचा कि दस रुपया किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया जाए तो वह पर्याप्त होगा, क्योंकि किसान आंदोलन नहीं कर सकता है। मैं चाहूंगा कि इसका विस्तृत तौर से अध्ययन करके आप बताइए।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन मुद्दों को उठाया है कि उर्वरक, बिजली और पानी के मूल्य बढ़े हैं, उस पर कृषि मूल्य आयोग विचार करता है और तभी कृषि उपज के मूल्यों को बढ़ाने की सिफारिश करता है, जिस पर बाद में भारत सरकार और राज्य सरकारें विचार करके एक निर्णय पर पहुंचती हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि कृषि मूल्य आयोग इन मुद्दों पर बिल्कुल विचार नहीं करता।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को ज्ञात हो, तो पहले भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत बार दिया जा चुका है और मैंने पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि किन-किन चीजों को लेकर कितना किया जाता है। अगर कहें तो आपकी आज्ञा से मैं सारा विस्तारपूर्वक कह दूं, जिससे कभी भी इनको गलतफहमी न रहे। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी गई है, जिसका उसमें विचार किया जाना जरूरी है। किसान का जो भी खर्च लगता है, जमीन का, बीज का, पानी का, बिजली का, मजदूरी का, इनसैक्टिसाइड्ज का, उनकी डैप्रिसिएशन का, कोई भी चीज उसमें विचार करते समय छोड़ी नहीं गई है। फिर विचार किया जाता है और आपको ध्यान होना चाहिए कि जितना इन तीन वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए किया है और उनके हितों के लिए प्राइसेज का किया है उसका आप अंदाजा लगाइये कि पिछले तीन सालों में हमने दिया है, वह 135 रुपये रेट्स दिया है। ज्वार, बाजरा, रागे का 100 रुपया दिया है। मक्का का 110 रुपया दिया है, पल्सेज में मूंग, उड़द का 280

रुपये दिया है, सनफ्लावर शीड का 300 रुपये, सोयाबीन का 250 रुपये, कॉटन का 450 रुपया दिया है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**

यह लागत के हिसाब से दिया गया है। आप क्या बात करते हैं, किसी ने आज तक ऐसा किया है? आज तक देखा किसी ने?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : बिजली, पानी, खाद और मजदूरी में तीन साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

श्री बलराम जाखड़ : जो कुछ किया गया है वह अद्वितीय है और इससे ज्यादा न कभी हुआ और न होगा। ...**(व्यवधान)** ए से जैड तक सारे काम इसमें लिए गए हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राम पूजन पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही भावावेश में यह बात कही है कि न ऐसा किसी ने किया है और न ऐसा कोई करेगा। ऐसा नहीं है, धरती पर एक से बढ़कर एक लोगों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अच्छे-अच्छे काम किए हैं। 1991-92 में जो गेहूं का समर्थन मूल्य 275 रुपया था।

श्री बलराम जाखड़ : 215 रुपया।

श्री राम पूजन पटेल : 1991-92 में 275 रुपया आपने दिखाया है और इसके बाद उसमें उर्वरक की कीमत क्या थी, उसका भी आप अंदाज लगा लीजिए। उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने 60-70 रुपये बढ़ा दिए उसकी तो आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन जिस अनुपात से सारी चीजों के दाम बढ़ाये गए हैं, उस अनुपात में गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया गया और किसानों की मेहनत को जोड़ दिया जाये तो आपने जो आंकड़े बताए हैं और आप कहते हैं कि सब तरह से विवेचना करके मैं दाम बढ़ाता हूं, तो वह गलत सिद्ध होता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप किसानों की मेहनत को नहीं जोड़ते हैं। आप उसमें बीज का कितना लगा व अन्य खर्चे कितने लगे यह तो जोड़ लेते हैं। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी कम से कम 1500 रुपया तनख्वाह पाता है और 6 महीने कोई आदमी काम करता है तो खेती का आप जोड़ लीजिए उसका कितना हिसाब होता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कृषि इस देश की रीढ़ है उस पर आप विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि आप कृषि के मामले में विशेषज्ञ हैं। आप विशेषज्ञ होकर हम लोगों को चैलेंज देंगे कि कोई कर ही नहीं सकता तो देश के सब किसान बेकार हो जायेंगे, हम सब लोग बेकार हो जायेंगे। अच्छा होगा कि आप हमको अच्छा काम करके दिखायें। मैं निवेदन करूंगा कि जो कृषि पर छूट देते थे, चाहे यंत्र हो या उर्वरक हो, उसको आप सुनिश्चित कीजिए कि पहले जैसे 1991-92 में छूट थी वैसे ही यहां लागू करेंगे तो मैं समझूं कि आपने जो चैलेंज किया है वह सही है।

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, पुरानी कहावत है कि "जिस तन लागे सो ही तन जाने"। आपको पता है कि क्या होता है। पसीना कैसे आता है, काम कैसे होता है, खेती कैसे होती है, सूखा-बाढ़, गर्मी-सर्दी कैसे बीतती है और उसी के हिसाब से किया जाता है। मैंने देखकर किया है। पानी का भी देखकर किया है, उर्वरक की कीमत को भी देखकर किया है ...**(व्यवधान)** आप बीच में क्यों बोलते हैं? शिष्टाचार के नाते आप पहले सुन तो लीजिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : तीन साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है?

श्री बलराम जाखड़ : आप पहले सुन लीजिए। सुनने से पहले बोलना अच्छा नहीं होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सारा काम के हिसाब से किया जाता है और जो यंत्रों के बारे में आपने कहा है तो मैं वह भी चाहता हूं और आपको करके दिखाऊंगा। जितने भी यंत्रों की बात है उसमें बीज के मुतल्लिक है वह मैं चाहता हूं और उसके लिए मैं पूर्णरूपेण चेष्टा करता हूं।

श्री उमराव सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी यह बताएंगे कि पिछले साल पंजाब में पैडी की सुपरफाइन क्वालिटी पर किसानों को पूरी कीमत नहीं मिली। क्या गवर्नमेंट उनको देने का विचार कर रही है? अब जो गेहूं की फसल आई है वह मण्डियों में उठाई नहीं जा रही है और ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। सारे स्टोर पहले से ही भरे पड़े हैं। क्या यह मंत्रीजी के नोटिस में है कि किसान इस वजह से परेशान हो रहे हैं और गेहूं की फसल उठाई नहीं जा रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मूल्यों का प्रश्न है न कि भण्डारण का।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यह सवाल जो किया है इसका क्या जवाब दूं?

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर रांव वाड्डे : मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा उत्पादन लागत की गणना करते समय बाढ़ों, सूखे, तूफान, ओलावृष्टि, कीटों तथा रोगों के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार फसल बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यह सच है कि

पिछले तीन या चार वर्षों से कुछ अच्छे मूल्य दिये जा रहे हैं, जिसका कारण पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान फार्मूले में किये गये कुछ परिवर्तन हैं। मुझे इसकी खुशी है, लेकिन इस जोखिम तत्व का जो ध्यान नहीं रखा जाता है, यह किसानों के लिए ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे यह प्रश्न पूछें कि क्या मूल्य निर्धारित करते समय इस जोखिम तत्व का ध्यान रखा जाता है या नहीं अन्यथा यह टेढ़ा प्रश्न हो जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि औद्योगिक उत्पादों के मामले में परिवहन लागत का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि कृषि उत्पादन के मामले में आवश्यक सामग्री को खेतों तक ले जाने और कृषि उत्पादन को बाजार तक ले जाने पर जो खर्च होता है, इस पहलू को भी ध्यान नहीं रखा जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन चीजों का ध्यान रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने प्रश्न पूछा है। कृपया बैठ जायें और उत्तर सुनें। जोखिम तत्व और परिवहन लागत को शामिल करने के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

श्री बलराम जाखड़ : जीवन के हर पहलू में खतरा है। उर्दू में कहावत है :

[हिन्दी]

"जिन्दगी कशमकशों का हजूम है,

जिन्दगी है तो ...(**व्यवधान**)"

[अनुवाद]

हम एक नया फार्मूला तैयार कर रहे हैं। हमने 10,000 रुपये तक की एक बीमा नीति बनाई है। हम एक नई नीति लागू करने जा रहे हैं जो जीवन के अन्य पहलूओं की भांति सभी फसलों के लिए व्यापक होगी।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आप पिछले दो वर्षों से यह कह रहे हैं। लेकिन इसको किसी तरह अमल में नहीं लाया जा रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : यह व्यवहार्य होनी चाहिए। हम ऐसी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कोई खामी न हो। मैं सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों, किसानों और बीमा विभाग के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने और उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी यह मंत्रिमंडल समिति के पास है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया यदि आप बुरा न मानें तो इसके दो तत्व हैं—जोखिम तत्व और परिवहन लागत। क्या लागत निर्धारित करते समय इनका ध्यान रखा जायेगा?

श्री बलराम जाखड़ : जैसा कि मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में बताया है, हम इसके सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : इन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मंत्री जी का उत्तर है कि जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वह लागत से अधिक होता है। लागत में सभी तत्वों का ध्यान रखा जाता है और बाद में कुछ प्रतिशत लाभ की भी गणना की जाती है।

मुझे इस उत्तर पर वास्तव में कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनको शामिल करने की किसान तथा कृषि वैज्ञानिक निरन्तर मांग कर रहे हैं। एक ऐसा तत्व यह है कि यदि आप फसल पैटर्न में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको फसलों के तुलनात्मक मूल्य बदलने होंगे। क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं? यह पहली बात है क्योंकि एक ओर खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होने के बावजूद हमारे खाद्यान्न भण्डार बढ़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है।

दूसरे, इस बात की निरन्तर मांग की जा रही है कि कृषि और उद्योग में व्यापार की शर्तें बदलनी चाहियें और इसलिए न केवल लागत अपितु औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में निर्वाह लागत का भी मूल्य ढांचे में ध्यान रखा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा किया जाता है।

तीसरी बात यह है कि जब आपने लागत की बात की तो आपने केवल परिव्यय का उल्लेख किया। लेकिन आप मूल्य प्रति यूनिट अर्थात प्रति टन या प्रति किलोग्राम के रूप में निर्धारित करते हैं और इसका अर्थ यह है कि आप यह मान कर चलते हैं कि कितना उत्पादन होगा। अन्यथा इस परिव्यय के आधार पर मूल्य निर्धारित करने का कोई अर्थ नहीं है। क्या इस बात का भी ध्यान रखा जाता है?

अन्त में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या निर्गम मूल्यों और समर्थन मूल्यों में कोई संबंध रहता है।

श्री बलराम जाखड़ : माननीय सदस्य, काफी विवेकशील हैं। उन्हें जो सामग्री दी गई है उसका अध्ययन करने पर उन्हें स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। मैं समझता हूं दी गई सामग्री से उन्हें स्पष्ट हो जायेगा कि किसानों को प्रोत्साहन देने से ही तिलहनों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। यदि हम किसानों को प्रोत्साहन नहीं देते तो वे इतना अधिक उत्पादन नहीं करते।

हम किसानों को भविष्य में भी प्रोत्साहन देंगे।

दूसरे, हमने व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखा है। मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है।

तीसरे, हमने विभिन्न फसलों का उत्पादन करने और उत्पादन लागत से अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारी नई नीति है जिसका हम आगे पालन करेंगे। हम खाद्यान्न को केवल कच्चा माल ही मान कर नहीं चलेंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में विपणन का अभाव हमारी सबसे बड़ी त्रुटि है। इससे बिचौलियों को लाभ होता है। हम इस मामले में कुछ करने का प्रयास करने जा रहे हैं। हमने कुछ नये पैटर्न भी बनाए हैं, ताकि हमें अपनी फसलों के लिए लागत से अधिक दाम मिल सकें और इन्हें पहले की भांति फलों, सब्जियों आदि की तरह कच्चे माल के रूप में न बेचना पड़े जो खराब हो जाने वाली चीजें हैं और हम उन्हें अधिक देर तक नहीं रख सकते और उनसे अन्य चीजें तैयार नहीं कर सकते। उनके मामले में 20-30 प्रतिशत का नुकसान होता है। अतः हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का नुकसान न हो।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसमें निर्वाह लागत भी शामिल है।

श्री बलराम जाखड़ : इसमें सब कुछ शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि किसानों को प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह खाद्यान्नों के मूल्य का सवाल है और हमेशा यह चर्चा आती है कि भारत किसानों का देश है और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। यह मामला गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है। मैं आज तक इन सवालों का उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं कर पाया कि हम एक किसान परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं कि किसान जो गेहूं या धान पैदा करता है, सरकार यह वायदा करती है कि किसान को खुशहाल रखने के लिए सरकार उनके द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य में बढ़ोतरी करती रहती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से कारण हैं कि आज हिन्दुस्तान का किसान गरीब होता जा रहा है, जबकि उससे कम श्रम करने वाले लोग जो कारखानों में सामान बनाते हैं, जो किसानों की आवश्यक आवश्यकताओं की चीजें बनाते हैं, उनके जो मूल्य निर्धारित होते हैं वे किस नीति के तहत होते हैं। उनका प्रतिशत मूल्य हमेशा कृषि उत्पाद के मूल्यों की तुलना में ज्यादा बढ़ता है और किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न के मूल्य हमेशा कारखानों में पैदा की जाने वाली वस्तुओं की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी कम होती है, ऐसा क्यों है?

श्री बलराम जाखड़ : महामना, दरअसल बात यह है कि ये जो समर्थन मूल्य हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि किसान को मजबूर होकर अपना सामान न बेचना पड़े और उस पर कोई यह बंदिश नहीं है कि वह उसी भाव पर अपने उत्पादन को बेचे। यदि निर्धारित मूल्य से ज्यादा भाव मिलता है, तो वह उस पर बेचे और यदि उससे कम मिलता है, तो वह उस भाव पर उस अन्न को सरकार को बेचे। आज स्थिति यह है कि तकरीबन सभी फसलों में, एक-दो को छोड़कर, उसे ज्यादा दाम बाजार में मिलते हैं। जैसे कपास है, समर्थन मूल्य से डेढ़ से दो गुने ज्यादा दाम मिल रहे हैं। उसी प्रकार से सरसों का तेल और मूंगफली के तेल की स्थिति है। किसान पर कोई बंदिश नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : किसानों के द्वारा पैदा किए हुए अनाज के मूल्य क्यों कम बढ़ते हैं और क्यों कारखानों में पैदा हुए सामान के भाव ज्यादा बढ़ते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि कारखाने में कम चीजें पैदा होती हैं और किसान का सामान ज्यादा पैदा होता है।

...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि इस सदन में इस प्रकार की चर्चा होगी, तो इस देश के किसान का क्या भला होगा और किसानों को बचाया नहीं जा सकता है।

श्री बलराम जाखड़ : अगर सरकार यह न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करे तो भाव कम हो जायेगा, किसान की पिटाई हो जायेगी इसलिए उसको रखना जरूरी है। बाकी वह ऊपर से फायदा लें।

श्री विजय एन. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल है और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इसका जवाब हां में देंगे। आपने तीन साल की बात जो कही कि हमने गेहूं और चावल के उत्पादन को इतना बढ़ाया या उतना बढ़ाया तो मेरा सीधा सवाल है कि 1965 में...

अध्यक्ष महोदय : आपके सारे सवाल सीधे ही होते हैं।

...(व्यवधान)...

श्री विजय एन. पाटिल : गेहूं और चावल के भाव सींचित रहे। उसमें आज सिर्फ 3 गुणा ही बढ़ोतरी हो पाई है। हालांकि 1965 में फसल के लिए जो लागत वस्तुएं थीं, चाहे लेबर हो, इलैक्ट्रीसिटी हो, उर्वरक हो, उनके दामों में 5 गुणा, 10 गुणा या

20 गुणा बढ़ोतरी हुई है यानी फसल की लागत से 15 गुणा बढ़ोतरी हुई है और फसल की कीमत में सिर्फ 3 गुणा बढ़ोतरी हुई है। इसका क्या कारण है?

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब तो जलेबी की तरह सीधा है...**(व्यवधान)** ठीक है, उसके अनुपात से आप कह सकते हैं कि फलां चीज की कीमत ज्यादा बढ़ी और फलां की नहीं बढ़ी, लेकिन आप प्रोडेक्शन भी तो देखिये कि प्रति एकड़ कितना बढ़ा है। यह उसी अनुपात से दिया जाता है।...**(व्यवधान)**

श्री विजय एन. पाटिल : 15 साल से हरित क्रांति के बाद कोई दूसरी क्रांति नहीं आई है।

श्री बलराम जाखड़ : क्रांति कैसे नहीं आई? क्रांति आई है और यह सारे का सारा बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम 10 गुणा बढ़ा देंगे तो फिर हाहाकार मच जायेगा। फिर आपके खाने वाले क्या कहेंगे?

श्री विजन एन. पाटिल : वही बात है कि किसान मारा जाता है।

श्री बलराम जाखड़ : ऐसी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**

डा. जी.एल. कनोजिया : अध्यक्ष महोदय, आपकी यह बात गलत है कि आप हमें बोलने नहीं देते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम बाहर निकल जायेंगे, लेकिन यह क्या है कि जो आगे बैठे हैं, आप उन्हीं को बोलने का मौका देते हैं। आप हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसका जवाब मैं देता हूं। पहली बार मुझे आज इस सेशन में बोलने का मौका मिला है। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिये। ...**(व्यवधान)**

डा. जी.एल. कनोजिया : आप खुद ही निकलवाकर देख लीजिये। हम भी तो एम.पी. चुनकर आये हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में बात मत कीजिये। आप बैठ जाइये।

...**(व्यवधान)**...

डा. जी.एल. कनोजिया : आप हमें सदन से निकलवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको निकाल भी दूंगा। आप ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सवाल में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि गेहूं और चावल के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? कुछ अच्छे किस्म के चावल, जिनकी उत्पादन लागत ज्यादा है, पर उनका मूल्य कम होता है। जब बाजार मूल्य कम होता है तो उस पर उत्पादन लागत ज्यादा पड़ती है। बहुत से ऐसे चावल हैं, जो विदेशों में भी सप्लाई किये जाते हैं जैसे बासमती है, परमल है या और कई किस्म के चावल हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इनके उत्पादन में किसानों को कुछ सबसिडी देने का आपका विचार है जिससे कि इनका उत्पादन बढ़ सके और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता इसकी कोई आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : यह तो सारा सोच समझकर किया जाता है।...

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो सोचकर पूछिए।...

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अगर वह रेलीवेंट है तो पूछिये।

डा. जी.एल. कनोजिया : हम वही पूछ रहे हैं। मंत्री जी ने जो अभी बोला है। आप हमारे माननीय स्पीकर थे। आप हंसकर पूरी बात टाल देते हो। आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्री जी मैंने आंकड़ें देखे हैं कि 5 एकड़ जमीन की लागत कितनी है, मजदूरी कितनी लगती है, उर्वरक कितना लगता है, उन सबका हिसाब लगाकर मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं। आपने जो लागत लगाई है, वह एक तिहाई भी नहीं है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं वह आंकड़ें आपके पास लेकर आ जाऊंगा। आप जो आंकड़े दे रहे हैं, वह गुमराह करने वाले हैं।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिये। प्रश्न संगत होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसे प्राइस कमीशन देखता है, मंत्री जी नहीं देखते।

...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले इसे समझिये।

[हिन्दी]

डा. जी.एल. कनोजिया : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो समर्थन मूल्य बनाया है, वह कम है या ज्यादा है? क्या वह पूरा मिल रहा है? हमारे संसदीय क्षेत्र में समर्थन मूल्य से 20-24 रुपये कम पर गेहूं बिक रहा है। क्या आपको इस विषय में जानकारी है और यदि नहीं तो उसका क्या कारण है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही होता है जब मैडीसन जानने वाले एग्रीकल्चर पर सवाल पूछ लेते हैं।

...(व्यवधान)...

डा. जी.एल. कनोजिया : ऐसी बात नहीं है। आपने बहुत कम दाम बढ़ाए हैं और जो बढ़ाए हैं, उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। आप इसकी इन्क्वारी करवाकर बताइए। हमारे चार जिलों शाहजहांपुर, सीतापुर ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है। आप सही प्रश्न पर नहीं आयेंगे तो मैं प्रश्न नहीं पूछने दूंगा।

[हिन्दी]

टा. जी.एल. कनोजिया : जो खाद सप्लाई हो रही है, उसमें नमक लगा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जो खाद दी जा रही है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं नहीं समझता यह प्रश्न संगत है। फिर भी आप उत्तर दीजिये।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूं कि वे इतना गुस्सा न करें, शान्त रहें, गुस्से में तो सवाल ही खत्म हो गया।

आपने जो चिन्ता व्यक्त की है कि भाव कम हो रहा है, वीरेन्द्र सिंह जी ने जो सवाल किया था, यह उसका जवाब है। यदि समर्थन मूल्य न हो तो भाव कम मिलता है। यहां हमारे अजीत सिंह जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि उसका पूरा प्रबन्ध करें, ताकि यह शिकायत न आए कि गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। ... (व्यवधान)

प्रो. प्रेम धूमल : क्या कैबिनेट मंत्री दूसरे साथी को सदन में ऐसा आदेश दे सकते हैं?

श्री बलराम जाखड़ : मैं आदेश नहीं दे रहा हूं।... (व्यवधान) आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं?

प्रो. प्रेम धूमल : मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, बहुत रैलेवैन्ट सवाल उठा रहा हूं। आप तो स्पीकर रहे हैं, आपको जानना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : आप अपना दायित्व ऐवॉयड कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महामना, आप तो न्यायाधीश रहे हैं, आप भी यह बात करते हैं। ...(व्यवधान) ऐसी बात नहीं है। एफ. सी.आई. खरीदती है इसलिए मैं इनसे विनती कर रहा हूं कि ये जांच करवाएं। खाद के बारे में भी हम देखेंगे कि निश्चित तौर पर उसकी इन्क्वारी की जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को आधा घंटा हो गया है, यह तो हाफ-एन-आवर डिस्कशन हो गया है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अभी मंत्री जी ने जो कहा कि हमने 30 वर्षों में एग्रीकल्चर पर सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया, वह सही बात है। मंत्री जी भी किसान हैं। किसान का सारा उत्पादन एक साथ मंडी में आता है तो उसे जो सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, उससे नीचे जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री अपना चार्ट रोज बनाती हैं, रोज उत्पादन करती है।

कभी-कभी कम करके ज्यादा दाम ले लेते हैं, लेकिन किसान यह काम नहीं करता है। किसान का सारा उत्पाद, चाहे वह गेहूं हो, चाहे तिलहन हो, चाहे कपास हो, वह एक साथ बाजार में लाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने इस देश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता प्राइस इण्डैक्स के साथ जोड़ा हुआ है, क्या आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर इण्डैक्स प्राइस जोड़ सकते हैं, ताकि किसान को ओटोमैटिक जैसे ही किसी चीज का दाम बढ़े, उसका ओटोमैटिक प्राइस उसको मिल जाय? मैं माननीय मंत्री जी से किसान की ओर से पूछना चाहता हूं कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ इण्डैक्स प्राइस जोड़ देंगे, जैसे खाद का है, बीज का है? अगर यह आप जोड़ देंगे तो किसान को उसका लाभ मिल सकता है, मैं यह जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय : सारा का सारा गवर्नमेंट खरीदती है तो हो सकता है।

श्री बलराम जाखड़ : उसी में सारा कुछ है, हर एक चीज उसी में है। जब उसका दाम फिक्स किया है तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको शुगर के मामले में पूछने दीजिए।

... (व्यवधान) ...

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोकोनट का सवाल नहीं है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : गेहूं और चावल में इसके भीतर जो आशा है, वह लाभकारी मूल्य की है। जो समर्थन मूल्य आपने दिया है, इससे लाभकारी मूल्य किसान को नहीं मिलता। प्रोडक्शन में जो इनपुट्स खेती में लगती है, भूमि की तैयारी से लेकर उसके खलिहान तक आने और खलिहान से बाजार तक आने के लिए, इसमें जो प्रोडक्शन कास्ट आती है...

अध्यक्ष महोदय : यह रावत जी ने पूछ लिया है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : और आपने जो समर्थन मूल्य दिया है तो इस वर्ष आपने अपने वैज्ञानिकों से किस प्रकार से यह काउण्ट कराया है कि आप इस वर्ष जो मूल्य किसान को दे रहे हो, वह लाभकारी है या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : लाभकारी भी है। बिना लाभकारी के तो कोई अर्थ ही नहीं रहता है। समर्थन मूल्य, लाभकारी समर्थन मूल्य है। वह हर चीज का विचार करके तय किया जाता है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य और लाभकारी मूल्य में अन्तर है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

*482. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले संगठनों के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) का कार्यान्वयन दिसम्बर 1994 में आरंभ ही किया गया है। इसलिए इस कार्यक्रम की अभी समीक्षा करना जल्दबाजी होगी। तथापि शुरू किए गए कार्यक्रम की शैली की समीक्षा की गई। सामान्यतया यह संतोषप्रद पाई गई थी।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूं, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन शुरू हुआ है, वह दिसम्बर, 1994 में हुआ है। उसमें आपने कहा है कि अगर उसकी समीक्षा अभी करेंगे तो जल्दबाजी होगी, अभी हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने यह भी कहा है कि शुरू किये गये कार्यक्रम की शैली की समीक्षा की गई है।

हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई बेरोजगारी है। बेरोजगारी की शुरुआत प्रांथमिक शिक्षा से शुरू होती है। हमारे बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन वह पेपर पर ही होते हैं, उन पर अमलवारी नहीं होती है। इसके बारे में मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कितने राज्य हैं, जिनमें इसकी समीक्षा आपने की है, वह कितने राज्यों में शुरू हुआ है और यह कार्यक्रम कितने जिलों में शुरू किया गया है।

कुमारी शैलजा : यह पूरा जो DPAP है, यह तो अभी हमने फर्स्ट फेज में 43 डिस्ट्रिक्ट्स में ही शुरू किया है। इसकी समीक्षा हमने सब जगह ही ली थी कि उसमें सोसायटीज फोर्म कर ली गई हैं या नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है, वह बनाया गया है या नहीं। इसको हम प्रिलिमिनरी तरह का सुपरवीजन समझ सकते हैं। वह सब जगह किया गया है और आगे भी हम इसको लेते रहेंगे। साल में चार बार इसका सुपरवीजन किया जायेगा।

श्रीमती भावना चिखलिया : राज्य का?

कुमारी शैलजा : यह 43 डिस्ट्रिक्ट्स सात स्टेट्स में ही है।

श्रीमती भावना चिखलिया : कौन-से जिले हैं?

अध्यक्ष महोदय : वह बाद में लिख लीजिए।

श्रीमती भावना चिखलिया : इसमें गुजरात है या नहीं, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूं?

अध्यक्ष महोदय : पूछना चाहती हैं तो ऐसे प्रश्न रिटिन में पूछ सकती हैं।

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मानती हूं। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें गुजरात है या नहीं, यह मेरे पहले प्रश्न के पार्ट 'बी' में है?

मैं दूसरा सप्लीमेंटरी यह पूछना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा लोग गांवों में बसते हैं और गांवों में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचा है। उसके कारण बच्चे अच्छी तरह से

नहीं पढ़ सकते हैं। जहां स्कूल हैं, वहां बच्चे नहीं हैं और जहां बच्चे हैं, वहां स्कूल नहीं हैं। इसके कारण प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आपने विश्व बैंक से कार्यक्रमों को लागू करने के लिये कोई सहायत मांगी है? अगर मांगी है तो कितना उस पर खर्चा हुआ है?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले माननीय सदस्या को 7 स्टेट्स के नाम बताना चाहती हूं। ये स्टेट्स हैं - असम, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसमें 43 डिस्ट्रिक्ट्स है। इसमें गुजरात नहीं है। माननीय सदस्या की यह बात सही है कि प्राइमरी एजुकेशन में हमें प्राबलम्स आई हैं। इसलिये हमारा फोकस ऐलीमैंट्री एजुकेशन पर हो गया है। इसी के तहत हम प्राथमिक एजेकुशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। इनके तहत डी.पी.ई.पी. प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें वर्ल्ड बैंक से सहायता ली गई है।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी शिक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। एक तरफ पब्लिक स्कूल बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल जो कि गांवों में चल रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। 60 परसैंट प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां घर से विद्यार्थी टाट-पट्टी लाते हैं। 40 परसैंट प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जहां अध्यापक के बैठने के लिये कुर्सी और लिखने के लिये श्यामपट्ट नहीं है। 45 परसैंट स्कूल ऐसे है, जहां पांचवीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल दो अध्यापक हैं। एक तरफ 70 परसैंट ऐसे स्कूल हैं, जहां भवन नहीं हैं। गांवों में इनकी हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आ जायें। आपका क्या प्रश्न है?

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : मैं प्रश्न कर रहा हूं। साक्षरता का रेशो हिन्दुस्तान में 47 परसैंट और केवल उत्तर प्रदेश में 27 परसैंट है। यह बस्ती जिले में 11 परसैंट है। मेरा सवाल यह है कि पब्लिक स्कूलों में फीस 4 रुपये से लेकर 44 रुपये तक है। आपने जब विकास शुल्क नहीं लगाया था और निःशुल्क शिक्षा हो रही थी तब साक्षरता जिलों में 11 परसैंट तक थी। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकारी प्राइमरी स्कूलों को पब्लिक स्कूलों से आगे खड़ा करने के लिये कोई योजना लागू की जा रही है, यदि हां तो इसके लिये आपने कौन-सा आधार अपनाया है? 7 स्टेट्स विश्व बैंक की योजना में और 43 जिले डी.पी.ई.पी. योजना में लिये हैं। इसमें आपने कौन-सा मानक अपनाया है? मेरा तीसरा सवाल यह है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सवाल ज्यादा जायेंगे तो जवाब नहीं आयेगा और आप नाराज हो जायेंगे।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : साक्षरता को दूर करने की जिस प्रकार की योजना आपने बनायी हुई है, उन सब को मिला कर क्या कोई बेसिक एजुकेशन कमीशन गठित करेंगे, जिससे प्राइमरी एजुकेशन ठीक तरह और व्यवस्थित ढंग से चल सके और लोग उसके प्रति आकर्षित हो सकें। गांवों में लोग प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यदि आप नहीं बैठे।

...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया इसे न लिखें।

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो दूसरों को समय नहीं मिलेगा और आपके प्रश्न का जवाब नहीं आयेगा। यह ठीक बात नहीं है।

कुमारी शैलजा : महोदय, इसके साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका उत्तर उनके प्रश्न की तरह लम्बा नहीं होना चाहिये।

कुमारी शैलजा : मैं नहीं जानती कि उन्होंने कहां से आंकड़े लिये हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि प्राथमिक शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा देश में मुफ्त दी जाती है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

मैंने अपने पहले प्रश्न के जवाब में यह कहा कि हम ऐलीमैंट्री एजुकेशन पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं और डी.पी.ई.पी. के प्रोग्राम 7 स्टेट्स के 43 जिलों में शुरू किये हैं जिसमें ऐक्सटर्नल मदद भी हमें मिल रही है। इन्होंने कुछ इ.ध्वपमैंट्स की बात कही। इसी के तहत हम चाहते हैं कि इन जिलों में प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत किया जाये। हम इसे फेज्ड मैनर में आगे ले जायेंगे। इसके लिये विलेज एजुकेशन कमेटियां बनायी जा रही हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कई छोटी-छोटी चीजें नहीं मिलती हैं, जैसे कि चॉक नहीं मिलता, वहां कुर्सी नहीं है। हम इसके लिये पैसा देंगे, और इसमें सबका इनवाल्वमैंट होगा। जहां टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जायेगी।

विलेज एजुकेशन कमेटीज हैं, उनकी भी इन्वाल्वमेंट है। उनको बताया जाएगा कि किस तरह से इस का अच्छी तरह से

फायदा उठा सकते हैं। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, लोगों के इन्वाल्वमेंट की कमी है। मैं आज यह अपॉर्चुनिटी लेते हुए सबसे अपील करूंगी कि इसमें सभी लोग अपना योगदान दें, पूरा सहयोग दें, ताकि इसमें इन्वाल्वमेंट लोगों का आ जाए, तभी हम इस कार्यक्रम को सक्सैसफुल बना पायेंगे।

[अनुवाद]

डा. आर. मल्लू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर के अनुसार केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है लेकिन फिर भी इसे जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन जिलों के चयन का क्या मापदण्ड है। क्या साक्षरता दर के आधार पर जिलों का चयन किया जाता है अथवा यदि कोई व्यक्ति अनुरोध करता है तो उनके अनुरोध पर जिलों को कार्यक्रम मे सम्मिलित किया जाता है।

कुमारी शैलजा : इन जिलों का चयन करने के लिए मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। पहले, महिला साक्षरता की औसत दर किसी राज्य में राष्ट्रीय औसत से कम हो, तो उस जिले को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। दूसरे, जिन जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत समुचित गति आ जाती है उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाता है।

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य सभी को प्रारम्भिक शिक्षा देना, देश के सभी लोगों को अथवा हमारे देश के सभी जिलों को साक्षर बनाना और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा देने का प्रयास करना है। हमारे जिले में स्थिति यह है कि जिला प्राधिकारियों को पूर्णतया स्वयंसेवकों के प्रयासों पर निर्भर रहना पड़ता है। आरम्भ में स्वयंसेवकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और बहुत काम किया। लेकिन आजकल स्वयंसेवक पहले की तरह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन स्वयंसेवकों को कोई प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ताकि उन्हें पहले की तरह इस काम में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जा सके।

कुमारी शैलजा : महोदय, इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों की सहायता नहीं ली जा रही है।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि आजादी के 48 वर्ष बाद भी सरकार निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। अब चूंकि सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होना चाहिये और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होना चाहिये। न केवल शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित किया जाना चाहिये अपितु, अच्छी किस्म की शिक्षा सभी को देने का भी प्रयास करना चाहिये। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त कदम उठाये गये हैं। यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कारगर शिक्षण उपाय किये गये हैं तथा क्या उन्हें कार्यान्वित किया गया है।

कुमारी शैलजा : महोदय, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का यही उद्देश्य है अर्थात शिक्षा के स्तर में सुधार करना, अध्यापकों को समुचित प्रशिक्षण देना तथा स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना ताकि प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार हो और हम स्थानीय स्तर पर आवश्यक उपाय कर सकें।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

*483. **श्री [1]जार्ज फर्नांडीज :**
डा. चिंता मोहन :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को स्वदेश और विदेशों में केवल इस कारण से घाटा हो रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाली वस्तुओं का बिक्री मूल्य लाभप्रद न होकर कम होता है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न-वार प्रति क्विंटल कितना-कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस नीति को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के लिए किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार द्वारा इक्नामिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्गम मूल्य के बीच अन्तर की भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। खुले बाजार के कोई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए इक्नामिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये बिक्री एवं खुली बिक्री से प्राप्ति के बीच प्रति क्विंटल औसत अन्तर गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 163.5 रुपये तथा 125.8 रुपये बैठता है।

(ग) खाद्य सुरक्षा पर सुविचारित नीति के मामले के रूप में केन्द्रीय सरकार उपभोक्ताओं से पूरी इक्नामिक लागत वसूल नहीं करती है। इस नीति का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न की आपूर्ति करना है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी है, अपने लिखित उत्तर में, कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विदेशी बाजार में नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न कुछ और था और उत्तर भी कुछ और ही आया, मगर उस पर मैं विवाद नहीं करना चाहता हूं।

एक अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ हम लोग इस बात को गर्व से कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भण्डार में बहुत अनाज पड़ा है और दूसरी तरफ हम उस अनाज को किस तरह से बेचें, इसके लिए बेचैन हैं। अभी-अभी सरकार ने फिर 25 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल दुनिया में जहां भी बेचा जा सकता है, वहां बेचने का निर्णय लिया है।

पिछले 1-2 सालों में इस प्रकार से अपने भंडार से अनाज को बेचने का प्रयास हो रहा है, जबकि हम लोगों के अनाज को देश के बाहर बेचना लगभग आज नामुमकिन है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज जिसको हम लोग इकोनोमिक प्राइस मानते हैं उस दाम से भी आप अपने भंडार का अनाज खुले बाजार में नहीं बेच सकते हो और विदेश में भी नहीं बेच सकते हो, क्योंकि आपका खुद का यह मानना है इकोनोमिक सर्वे में, अभी 1 महीने पहले जो रिपोर्ट पेश हुई, उसमें आपने यह कहा है।

[अनुवाद]

यह पहली बार है कि भारतीय चावल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं टिक सका है।

[हिन्दी]

उसके अगले वाक्य में आपने कहा है :

[अनुवाद]

"गेहूं का निर्यात भी संभव नहीं लगता। भारत में हल्की गेहूं पैदा होती है जिसका निर्यात मूल्य केवल 100 डालर या 3100 रुपये प्रति टन है, जबकि सख्त गेहूं विश्व में 130 से 160 डालर प्रति टन बिकती है। अतः गेहूं के निर्यात के मामले में भी हम नहीं टिक सकते। गेहूं कि निर्यात के लिए हमें भी सख्त गेहूं का उत्पादन करना चाहिये।"

[हिन्दी]

मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि अगर आज के दाम में भी बाहर बेचना संभव नहीं है, आप मानते हैं कि इकोनोमिक प्राइस पर भी बाहर बेचना संभव नहीं, इसको भी आप मानते हैं तो फिर यह जो नयी आर्थिक नीति और ग्लोबलाइजेशन का प्रतिदिन हम लोगों को और देश को जो सुनाया जा रहा है, जो किसानों को बताया जा रहा है कि सारी दुनिया तुम्हारे लिये अब खुल रही है, केवल तुम्हें इस नीति को स्वीकार करना जरूरी है तो कहां और किस दाम में कब आप इन चीजों को बेचने की सोच रहे हैं? इसका हमें जरा जवाब दें।

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो माननीय सदस्य ने कहा कि जो आपने जवाब दिया है वह मेरा सवाल नहीं था। सवाल यह था,

[अनुवाद]

"क्या भारतीय खाद्य निगम को स्वदेश और विदेशों में केवल इस कारण से घाटा हो रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित होने वाली वस्तुओं का बिक्री मूल्य लाभप्रद न होकर कम होता है।"

[हिन्दी]

इसी के जवाब में मैंने कहा था कि पीडीएस बाहर नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसको उन्होंने छोड़ दिया है।

...(व्यवधान)...

श्री अजित सिंह : इनका मुख्य सवाल यह है कि जो आज चीनी, चावल और गेहूं के दुनिया में दाम हैं, क्या हम उसमें बेचने में सक्षम होंगे या नहीं? पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि चावल के बारे में हमारे पास बहुत इनक्वायरीस आई हैं, एक्सपोर्टर की तरफ से बहुत एप्लीकेशंस बेचने के लिए आई हैं। गेहूं के दाम भी अभी हमने पिछले हफ्ते ही बाहर बेचने के लिए तय किए हैं और उसके लिए हम आशा करते हैं कि आज जो दुनिया में गेहूं के उत्पादन की स्थिति है उसके अनुसार हम गेहूं बेच पाएं, बाकी देश के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यह जरूरी है कि जिस तरह का बफर स्टाक हमारे पास है और जिस तरह का प्रोक्यूरमेंट हम रबी में करने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए यह कोशिश करना बहुत उचित है। माननीय सदस्य जो सवाल आगे पूछने वाले हैं, उसका भी मैं थोड़ा जवाब दे दूं। यह जो इकोनोमिक कास्ट की बात कर रहे हैं, यहां जो स्टोरेज कास्ट और जो उसके फाइनेंस चार्जेज हैं, अगर उसको ध्यान में रखें तो यह उचित होगा कि जो दाम आज इंटरनेशनल हैं उस पर बेचने की कोशिश करें।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया। यह समूचे व्यवहार में आपका कितना घाटा हो रहा है, आप जो

बाहर बेच रहे हैं, इसका उत्तर तो नहीं आया। अध्यक्ष जी, हो सकता है जैसे इन्होंने एंटीसिपेट करके हमको उत्तर दे दिया है। अभी इस प्रश्न के आने के बाद मंत्री जी पहले प्रश्न का भी जवाब देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप विश्वास रखते हैं मैं मानता हूं कि उसमें 1991 से लेकर 1995 तक प्रतिवर्ष जो अनाज आप रिलीज कर रहे हैं उसमें कमी है और रिलीज करने के बाद जो संस्थाएं लेती हैं, उनमें भी कमी आई है। 1991 में लगभग 21 मिलियन टन यानी 2 करोड़ 8 लाख टन, 1992 में 1 करोड़ 88 लाख टन, 1993 में 1 करोड़ 64 लाख टन, 1994 में 1 करोड़ 41 लाख टन अनाज रिलीज किया गया और मुझे लग रहा है कि इस साल यह घट कर 1 करोड़ 20 लाख टन रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से पिछले 4 सालों में लगभग 80 प्रतिशत की इसमें कमी आई है, जबकि पिछले 4 सालों में लगभग 8 करोड़ आबादी बढ़ी है। एक तो आपके द्वारा रिलीज किए गए अनाज में कमी होती जा रही है, दूसरी ओर रिलीज किया हुआ अनाज बाजार में नहीं जा रहा है, इसके क्या कारण हैं? क्या वह अनाज बहुत पुराना है, जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता, लोग बाजार में मिलने वाले अनाज को खरीदना पसंद करते हैं या पीडीएस को समाप्त करने की कोई रणनीति तैयार की जा रही है, अनाज का कम रिलीज करना, इशू प्राइज बढ़ाते जाना, सब्सिडी खत्म करने के बाहरी दबाव, तो क्या पीडीएस समाप्त करने की कोई रणनीति तैयार की जा रही है या देश में इतनी गरीबी बढ़ रही है कि आप जिस भाव पर अनाज बेच रहे हैं, उस भाव पर गरीब आदमी खरीद नहीं सकता है और भूखा मर रहा है।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का यह कहना कि अनाज को रिलीज करने में 80 प्रतिशत की कमी आई है, यह ठीक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : इसमें मुझसे कहने में गलती हो गई है, 80 प्रतिशत नहीं, करीब 35-40 प्रतिशत कमी आई है।

श्री अजित सिंह : कमी जरूर आई है, लेकिन 20 प्रतिशत के लगभग कमी आई है। दूसरी बात यह है कि हमने अनाज रिलीज करने में कमी नहीं की है, बल्कि राज्यों को उनकी मांग के अनुसार हम अनाज रिलीज करते हैं। इसके अलावा उत्पादन बढ़ने से ओपन मार्केट में भी दामों में कमी आई है, जिसकी वजह से लोग ओपन मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं। जहां तक पीडीएस समाप्त करने की बात की गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो एक आरपीडीएस, रीवेंप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके तहत पीडीएस से 50 रुपये प्रति क्विंटल कम कीमत पर गेहूं-चावल सप्लाई किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल मैं लखनऊ में था। वहां पर मुझे इस तरह की शिकायत मिली कि बड़ी मात्रा में गेहूं बाजार में आ रहा है, पर सरकार किसान से नहीं खरीद रही है और बिचौलिए किसान से सस्ते दाम पर खरीद कर शाम को महंगे दाम पर सरकार को दे रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। किसान से खरीदे जाने वाले गेहूं के दामों में और मुनाफाखोरों द्वारा सरकार को दिए जाने वाले गेहूं के दामों में भारी अंतर है। किसान घाटे में रह रहा है। मंत्री महोदय, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या इस व्यथा की कथा से परिचित हैं?

श्री अजित सिंह : माननीय अटल बिहारी जी जब भी लखनऊ जाते हैं, उनको कोई न कोई समस्या मिल जाती है। जो बात उन्होंने कही है, मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। इसी तरह से पिछले हफ्ते जोशी जी ने कोटा के बारे में सवाल उठाया था। मैंने वहां से फौरन जानकारी प्राप्त की और निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी तरह से शाहजहांपुर और सीतापुर के बारे में भी एक माननीय सदस्य ने कहा। हमारे पास जहां से भी शिकायत आएगी, हम तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस मामले की भी जांच की जाएगी कि किसानों से सही दाम पर गेहूं खरीदा जा रहा है या नहीं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा : अध्यक्ष महोदय जी, अभी जवाब दिया गया कि इकोनोमिक कोस्ट में स्टोरेज कोस्ट और हैंडलिंग कोस्ट जोड़ किया जाता है और वाजपेयी जी ने भी कहा कि प्रक्योरमेंट का सीजन चल रहा है और किसान को दाम कम मिल रहे हैं, तो क्या कृषि मंत्री जी इकोनोमिक कॉस्ट को घटाने की सोच रहे हैं। प्रक्योरमेंट न होने का कारण भारतीय खाद्य निगम के पास स्टोरेज की जगह नहीं है और स्टोरेज वे किराए पर लेते हैं। क्या सरकार यह सोच रही है कि अक्टूबर में किसान से गेहूं ले लें और जो स्टोरेज पर कॉस्ट आती है 20-30 रुपये क्विंटल वह किसान को दे दें, जिससे दो बार हैंडलिंग चार्जिज भारतीय खाद्य निगम को न देना पड़े। क्या ऐसी कोई बात यह सोच रहे हैं?

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य का प्रश्न प्रशंसनीय है और यह विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस का अर्थ यह है कि यह एक आश्वासन है।

श्री श्रीकांत जेना : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि चीनी उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है? क्या यह सही है कि फिर भी आपने अधिक लागत पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से पांच लाख टन और चीनी का आयात करने का फैसला किया है?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध है।

श्री श्रीकांत जेना : इसका संबंध उसी मंत्रालय से है और उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : जैसा आपने कहा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है जो पूछा गया है ...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो क्यों चीनी मंगा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। इसे मैं आप पर छोड़ता हूं, यह संगत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बाजार में सस्ता है, लेकिन एक स्थिति यह भी आयेगी कि बाजार में गेहूं महंगा हो जाएगा। मैं मंत्री जी से उसकी क्वालिटी के बारे में पूछना चाहता हूं। आपके यहां से लोग गेहूं क्यों नहीं खरीदते हैं। उसका कारण यह है कि जब आप किसान से खरीदते हैं तो साफ गेहूं खरीदते हैं, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाता है तो उसमें कंकर और पत्थर शामिल हो जाते हैं। आपके भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में ये कैसे शामिल हो जाते हैं। क्या इस पर आप निगरानी रख रहे हैं।

श्री अजित सिंह : हम तो चैक करके देते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों के ऊपर है।

श्री उमराव सिंह : मंत्री जी बता रहे थे कि स्टोरेज चार्जिज बहुत हैं और स्टोरेज के लिए जगह भी नहीं है। अगर किसान अपने स्टोरेज में रखना चाहें तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि किसानों की जो फसल है उस पर बैंक लोन दे दे, ताकि किसान अपने ही स्टोर में काफी चीजें रख सके।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब शायद आपने अभी दिया है।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष जी, इसका जवाब अभी मैंने दिया है।

श्री छेदी पासवान : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां पर्याप्त अन्न का भंडार है और उसको बेचने के लिए बाजार की तलाश भी की जा रही है। बिहार का गेहूं और चावल का जो मासिक कोटा मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर बिहार को प्रति माह लगभग 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं और 40 हजार मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता है, लेकिन 58 हजार 800 मीट्रिक टन गेहूं और 31,800 मीट्रिक टन चावल की ही आपूर्ति की जा रही है। वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में लोग चावल बहुत खाना पसंद करते हैं जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में अर्वा चावल की आपूर्ति की जाती है। इस समस्या की ओर भारत सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित किया जाता रहा है लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाया है। गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं उनको पर्याप्त अनाज नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो बिहार का मासिक आबंटन है, उसका ठीक ढंग से आबंटन कब तक करने जा रहे हैं।

12.00 मध्याह्न

श्री अजित सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हम बिहार और प्रदेश सरकारों को जितना गेहूं-चावल वे मांगती हैं, देते हैं। बिहार सरकार जितनी मांग करती है, उतना फिर उठाती नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार बिहार की सुनती नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, भण्डारण और दुलाई में एक प्रतिशत नुकसान की छूट दी जाती है। सामान्यतया वास्तव में कितना नुकसान हुआ इसका अनुमान नहीं लगाया जाता है। इससे भारतीय खाद्य निगम को नुकसान होता है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या भविष्य में वास्तव में होने वाले नुकसान, जो एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, का हिसाब लगाया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष जी, मुझे सवाल पूरी तरह समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे भी नहीं आया।

श्री अजित सिंह : बिहार के जो माननीय सदस्य नाराज हो गये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह केवल बिहार ही नहीं,

अन्य राज्यों की भी समस्या है। मैंने सिर्फ बिहार के लिए नहीं कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न दोहरायें।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल है। प्रायः भण्डारण और दुलाई में एक प्रतिशत नुकसान होने का अनुमान रहता है लेकिन वास्तव में कितना नुकसान होता है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में नुकसान एक प्रतिशत से अधिक नहीं होने दिया जायेगा और वास्तव में जो नुकसान होगा उसे ही बट्टेखाने में डाला जायेगा, ताकि भारतीय खाद्य निगम को लाभ हो।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : स्टोरेज और ट्रांजिट में जितना लॉस हुआ है, वह मैं बताना चाहता हूं। 1991-92 में 1.49 प्रतिशत था, 1992-93 में 1.48 प्रतिशत था।

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं 8 प्रतिशत अलाऊ है, उससे कम हुआ है तो क्या उतना ही ध्यान में लायेंगे, इससे एफसीआई को बचत हो जायेगी।

श्री अजित सिंह : अब .95 प्रतिशत है, पिछले साल इससे ज्यादा था। इसको हम देखेंगे कि कितना कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भू-कटाव

*484. **श्री पारसनाथ भारद्वाज :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में भू-कटाव के कारण प्रति वर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत कृषि उत्पादों की हानि हुई है और इसके कारण कौन-कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भू-कटाव के कारण फसलों को हानि होने वाली क्षति से बचाने हेतु अब तक क्या उपाय किए गए हैं। और ये उपाय कृषि उत्पादों को बचाने में कहां तक सफल हुए हैं, और

(ग) भू-संरक्षण की वर्तमान विधि में क्या खामियां हैं और देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में पैदावार में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक तरीके अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड) : (क) मृदा क्षरण के कारण कृषि उत्पाद को हानि के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मृदा क्षरण से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान।

(ख) सरकार निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिनमें वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही योजनाएं भी सम्मिलित हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ मृदा क्षरण रोकने और मृदा तथा फसल की उत्पादकता सुधारने में सहायक हैं :

(1) नदी घाटी परियाजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध।

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

(4) उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।

(5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(6) मरु भूमि विकास कार्यक्रम।

(7) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।

लेकिन फिर भी, मृदा संरक्षण के लिए किए गए उपायों तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के बीच मात्रात्मक अनुपात का आकलन नहीं किया गया है।

(ग) विगत समय में कार्यान्वित की गई विभिन्न मृदा संरक्षण योजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मृदा संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांन्तों में संशोधन किए हैं, जो इस प्रकार हैं :

(1) सभी प्रकार की भूमि, अर्थात् कृष्य वन और बंजर भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनिंदा पनधाराओं के शोधन के लिए एक प्रक्षेपित दृष्टिकोण अपनाना।

(2) वानस्पतिक बाधाओं के इस्तेमाल, वर्षा जल के संरक्षण के लिए स्थानीय स्थितियों के अनुसार खेती के समुचित तरीकों को अपनाना और जल के पुनः प्रयोग के लिए उसे पुनः इकट्ठा करने पर जोर देना।

(3) परियोजनाओं अर्थात योजना बनाते समय, उसके

कार्यान्वयन के समय प्रबंधन के बाद सभी स्तरों पर लोगों/लाभार्थियों का शामिल होना।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालयों में लंबित मामले

*485. **डा. साक्षीजी :**
श्री एम.जी. रेड्डी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार राष्ट्रीय आयोग और विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों के पास कुल कितने मामले लंबित हैं,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार आयोग/न्यायालयों द्वारा कुल कितने मामले निपटाए गए,

(ग) एक मामले को निपटाने में आयोग/न्यायालयों द्वारा औसतन कितना समय लिया जा रहा है,

(घ) क्या सरकार का विचार इस निपटान समय में कमी करने हेतु इस आयोग/न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सरल बनाने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ऐसी सूचना तिमाही आधार पर संकलित करता है। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर एक विवरण तैयार किया गया है, जो अनुबंध पर दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में ऐसे मामले का, जिनमें किसी प्रयोगशाला परीक्षण विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, 3 महीने के भीतर और जिनमें परीक्षण या विश्लेषण की आवश्यकता है उनका ५ महीने के भीतर निर्णय करने की व्यवस्था की गई है। संलग्न विवरण में राज्य आयोग/जिला मंचों द्वारा 90/150 दिन के भीतर निर्णीत मामलों के बारे में भी सूचना दी गई है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कार्यभार के आधार पर किसी एक जिले में अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की व्यवस्था है। तथापि, ऐसे अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रक्रिया पहले ही बहुत सरल है। शिकायत एक सादे कागज पर लिखी जा सकती है और प्रतितोष मंच को डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग: शिकायतों की संख्या: शुरुआत से दायर किए गए	शुरुआत से निपटाए गए	लंबित मामले	90/150 दिन के भीतर निर्णीत	राज्य आयोग: अपीलों की संख्या: शुरुआत से दायर किए गए	शुरुआत से निपटाए गए	लंबित मामले	90/150 दिन के भीतर निर्णीत	जिला मंच: शुरुआत से दायर किए गए	शुरुआत से निपटाए गए	लंबित मामले	90/150 दिन के भीतर निर्णीत	निम्नलिखित को की समाप्त अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	1119	333	786	127	3493	2826	667	841	64186	51442	12744	24755	31.12.94
अरुणाचल प्रदेश	5	0	5	0	5	0	5	0	60	56	4	56	31.12.94
असम	357	128	229	3	178	73	69	5	2268	964	1304	403	31.12.94
बिहार	707	408	301	196	1293	554	739	177	18593	10370	8223	425	30.9.94
गोवा	105	102	3	38	228	188	40	43	1234	791	443	86	31.12.94
गुजरात	1500	866	634	270	1177	842	335	697	29896	15751	14145	9127	31.3.94
हरियाणा	266	218	48	122	2155	1291	864	1125	25439	18613	6826	12141	31.12.94
हिमाचल प्रदेश	247	92	155	92	810	69	741	69	5485	4237	1248	2577	31.12.94
जम्मू व कश्मीर	41	9	32	-	10	0	10	-	5019	4782	237	-	31.12.94
कर्नाटक	1038	838	200	253	1947	958	989	199	10773	6205	4568	3100	30.9.94
केरल	1254	853	401	99	3068	1578	1490	645	52812	42808	10004	15500	31.12.94
मध्य प्रदेश	414	284	130	97	1702	1221	481	386	28006	16613	11393	9876	31.12.94
महाराष्ट्र	2117	1239	878	405	3932	1715	2217	517	45627	32051	13576	18364	31.12.94
मणिपुर	3	1	2	1	22	4	18	4	506	505	1	505	31.12.94
मेघालय	4	3	1	-	1	1	0	-	4	2	2	2	30.6.94
मिजोरम	0	0	0	1	0	0	0	-	131	113	18	112	31.12.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नागालैंड	4	0	4	-	0	0	0	-	13	6	7	-	30.9.94
उड़ीसा	1270	759	511	158	1099	331	768	76	10907	6948	3959	3849	30.9.94
पंजाब	382	262	120	67	410	403	7	168	10855	6996	3859	3490	30.9.94
राजस्थान	3623	787	2836	242	3571	1453	2118	436	55800	42511	13289	23841	31.12.94
सिक्किम	1	1	0	-	0	0	0	-	43	15	28	3	31.12.94
तमिलनाडु	1632	1392	240	846	2813	2119	694	1344	27998	18620	9378	4562	31.12.94
त्रिपुरा	41	38	3	64	56	36	20	27	538	390	148	225	30.9.94
उत्तर प्रदेश	1534	691	843	45	8034	2369	5665	64	86249	49742	36507	9994	30.9.94
पश्चिम बंगाल	2414	500	1914	200	660	364	296	93	17905	3761	14144	1002	31.12.94
अंडमान व निको.	9	5	4	--	8	4	4	-	87	77	10	-	31.12.94
चंडीगढ़	537	301	236	6	295	224	71	12	5874	2980	2894	144	31.12.94
दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	-	19	10	9	7	31.12.94
दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	-	32	16	16	-	30.9.94
दिल्ली	2296	1406	890	600	1838	1237	601	400	26099	17283	8816	3871	31.12.94
लक्षद्वीप	1	1	0	-	0	0	0	-	18	15	3	2	31.12.94
पांडिचेरी	46	40	6	22	177	169	8	103	831	656	175	531	31.12.94
योग	22967	11555	11412	3954	38980	20029	18951	7431	533307	355329	177978	148550	

राष्ट्रीय आयोग में 31.3.95 की स्थिति के अनुसार 2282 मामले लंबित पड़े हैं।

अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आयोग द्वारा कुल 2863 मामले निपटाए गए हैं।

[अनुवाद]

औषधीय जड़ी बूटियां

***486. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधीय जड़ी बूटियों का ब्यौरा क्या है, जिनके निर्यात पर उनकी दुर्लभता के कारण प्रतिबंध लगा हुआ है,

(ख) क्या करोड़ों रुपए के मूल्य की इन दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों का इनके स्थानीय नाम से अवैध रूप से निर्यात किया गया है,

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है,

(घ) क्या केंद्रीय सरकार को औषधीय जड़ी बूटियों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु तत्संबद्ध कानूनों में संशोधन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) केंद्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 46 पादप प्रजातियों के निर्यात की मनाही है। इनमें से 40 प्रजातियां औषधीय महत्व की हैं। इन पादपों की सूची दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल, 1994 को जब प्रतिबंध लगाया गया था तब से औषधीय पादपों, जो अपने स्थानीय नामों से भी जाने जाते हैं, के निर्यात परेषणों की नौ-भार पूर्व जांच सीमा शुल्क और वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध 6 प्रजातियों के निर्यात पर पहले प्रतिबंध लगाया हुआ था। नौ-भार पूर्व निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि केवल अनुज्ञात प्रजातियों का ही निर्यात किया जाता है और समस्त आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। वन संरक्षण अधिनियम और औषधीय जड़ी बूटियों के अवैध आवाजाही को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम का संशोधन किए जाने के लिए भारतीय औषधि प्रणाली, दिल्ली के अखिल भारतीय डाक्टर्स संघ से एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है।

(च) भारतीय वन अधिनियम, 1927 पहले ही उन औषधीय पादपों के संग्रहण और ढुलाई को विनियमित करता है, जो अधिनियम के तहत देश के वन क्षेत्रों से वनोपज के रूप में वर्गीकृत हैं। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से केवल वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के अंतरण के मसले पर कार्रवाई की जाती है।

विवरण

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 47 (पी एन) 92-97

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च, 1994

टिप्पणी : कृपया नीति के पैरा 158 भाग 1 (8) को देखें।

निर्यात और आयात नीति, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1994) के निर्यात निषेधक सूची अध्याय 16 की मद सं. 3, भाग 1 पैरा 158 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. विदेश व्यापार महानिदेशक निम्नलिखित पादपों, पादप अंगों और उनसे निर्मित वस्तुओं के निर्यात का निषेध करते हैं :

1. एकोनिटम एस.पी.पी.
2. ए ट्रोप्पा एस.पी.पी.
3. एरिस्टोलोचिवा एस.पी.पी.
4. एंगियोप्टरिस एस.पी.पी.
5. अरुंदीनेरिया जॉन्सारेन्सिया
6. बलानोफोरा एस.पी.पी.
7. काल्चीकम ल्यूटियम (हिरणतूतिया)
8. कामीफोरा ब्हिटी
9. काप्टीस एस.पी.पी.
10. स्याशियाजिजेंटी
11. डिस्कोरी डेल्टायडी
12. ड्रासेरा एस.पी.पी.
13. जेन्टियाना कुरू (कुरू, कुटकी)
14. ग्लोरिसा सुपर्वा
15. नेटम एस.पी.एस.
16. इफिग्निया इण्डिका
17. मैकनोप्सिस वेटनिसिफोलिया
18. नार्डोस्टेचिस एस.पी.पी. (जटामांसी)
19. आस्मुण्डा एस.पी.पी.
20. दावल्यिया एस.पी.पी. (सर्पागंधा)

21. रोडोडेन्ड्रम एस.पी.पी.

22. पोडोफिलम हेक्सन्ड्रम

23. फिसोचतेना प्राल्टा (बजरबंग)

24. प्राल्टीया सरपम्लीया

25. रेयम इमोडी (डोलू)

26. बरबेरिस एरिस्टाटा (भारतीय बारवेरी रसवत)

27. एकोरस एस.पी.पी.

28. आर्टीमिसिया एस.पी.पी.

29. कासिनियम फनस्ट्रेटम (मूलंबा काष्ठ)

30. कास्टस स्पेसिमोसस (किऊ, कुश्ठ)

31. डीडीमोकार्पस पीडिसिलाटा

32. डोलोमिया पीडिसिलाटा

33. इफेड्रा एस.पी.पी.

34. जीनोकार्डिया ओडोराटा (चॉलमोंग्री)

35. हिडनोकार्पस एस.पी.पी.

36. होसियस नाइजर (ब्रांसवडं)

37. स्ट्राचपनॉस पोटाटोरम (निर्मली)

38. स्वार्टिया चिराता (चिरायत)

39. हेक्सस बक्काटा (येवू, जर्म)

40. अर्जिनिया एस.पी.पी.

41. वेड्डोमस सिकेड (सिकस बेड्डोयी)

42. ब्लू वंडा (वंडारुलिया)

43. कूठ (ससूरिया लाप्पा)

44. लोजीज स्लिपर आर्विड (पाफियोपेडिलियम एस.पी. पी.)

45. पिचर पादप (नेपेन्थीस खसियाना)

46. रेड वंडा (रेनानधेरा इम्कूरियाना)

3. यह जनहित में जारी किया जाता है।

ह./-

(डा. पी.एल. संजीव रेड्डी)

विदेश व्यापार महानिदेशक

बकाया धनराशि

*487. **श्री अंकुशराव टोपे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ढुलाई-भाड़े की वह राशि अभी वसूल की जानी है जो देश के विभिन्न भागों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों को रेल द्वारा ढोए गए कोयले और अन्य संबंधित माल के लिए कई राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 28.2.95 को राज्य बिजली बोर्डों और ताप बिजलीघरों पर बकाया राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्ड/ बिजलीघरों के नाम	28.2.95 को बकाश राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	0.81
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	3.95
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	11.09
4.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	93.81
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	36.37
6	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	84.41
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.16
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	28.89
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	3.60
10.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	-
11.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	11.20
12.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	2.86
13.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	4.34
14.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	58.40
15.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	26.83

1	2	3
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	663.75
17.	निजी बिजलीघर-साबरमती	1.58
	जोड़	1032.05

(ग) राज्य बिजली बोर्डों और अन्य बिजलीघरों से बार-बार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने 308.05 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय योजना सहायता से वसूल करने का निर्णय किया है। (दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को छोड़कर) गुजरात तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्डों के बिजलीघरों को भी मालभाड़े का अनिवार्य रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया है।

इसके अलावा, राज्य बिजली बोर्डों को "भाड़ा देय" के आधार पर कोयला परेषण बुक करने हेतु हतोत्साहित करने के लिए अधिभार को 15.01.95 से और बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया है।

इसके अलावा बकाया राशि कम करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्षण बिलों के अंतर्गत भी समायोजन किया जा रहा है।

वन्य पशु

*488. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन्य पशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो मतगणना के अनुसार प्रत्येक प्रमुख प्रजाति के पशुओं की कुल संख्या कितनी कितनी थी और राज्य-वार इनमें किस दर से वृद्धि हुई;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रजातियों को बचाने तथा इनकी संख्या में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केंद्र सरकार समस्त वन्य जीवों की आबादी के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखती है। राज्यों द्वारा कुछ प्रमुख संकटापन्न प्रजातियों की चार साल में एक बार गणना की जाती है और कहीं-कहीं संरक्षित क्षेत्रों में इन प्रजातियों की गणना दो वर्षों में एक बार की जाती है। ऐसे कुछ प्रमुख वन्य जीवों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कुछ वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि प्रभावी सुरक्षा उपायों और व्यवस्थित वास स्थल की स्थितियों के कारण हुई है, जबकि कुछ प्रजातियों की आबादी में कमी अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और वास स्थल की कमी के कारण होती है।

(घ) वन्य जीवों की आबादी की सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं : राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना; बाघ, हाथी, गैंडा, आदि जैसी संकटापन्न प्रजातियों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं क्रियान्वित करना; स्थान बाह्य परीक्षण करना तथा वन में प्रजातियों का पुनर्वास, अवैध शिकार तथा वन्यजीव आदि के अवैध व्यापार को नियंत्रित करना।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघ		हाथी		शेर		गैंडे		तेंदुए		भ्रमृगश्रृंग
		1989	1993	1989	1993	1985	1990	1989	1993	1989	1993	
1.	आंध्र प्रदेश	235	197	-	46	-	-	-		301	152	-
2.	दादरा व नागर हवेली	-	-	-		-	-	-	-	10	15	-
3.	गोवा	2	3	-		-	-	-		18	31	-
4.	बिहार	157	137	335	500-600	-	-	-		134	203	-
5.	मिजोरम	18	28	-		-	-	-		38	49	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-		-	-	-		199	821	-
7.	उड़ीसा	243	226		1500-2000	-	-	-		279	378	-
8.	राजस्थान	99	64	-		-	-	-		461	475	-
9.	गुजरात	9	5	-		239	284	-		702	772	-
10.	महाराष्ट्र	417	276	-		-	-	-		580	417	-
11.	कर्नाटक	257	305		5000-6000	-	-	-		283	455	-
12.	हरियाणा	-	-	-		-	-	-		19	25	-
13.	मेघालय	34	53	-	2500-3000	-	-	-		-	-	-
14.	उत्तर प्रदेश	735	465		750-1000	-	-	9	12	1095	711	-
15.	अरुणाचल प्रदेश	135	180		2000-3000	-	-	-		121	98	-
16.	मध्य प्रदेश	985	912	-		-	-	-		2036	1700	-
17.	केरल	45	57		3000-4000	-	-	-		27	16	-
18.	तमिलनाडु	95	97		2300-2500	-	-	-		95	138	-

19.	पश्चिम बंगाल	353	335		155-200	-	-	39	44	108	108	
20.	असम	376	325		5000-6000	-		1543	1440	123	246	-
21.	त्रिपुरा	-	-	-		-		-	-	37	18	-
22.	नागालैंड	104	83	-	-	-	-	-		72	-	-
23.	सिक्किम	4	2	-	-	-				1		-
24.	मणिपुर	31	-	-	-	-	-	-		62	152	-
25.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-

कीटों पर जैविक विधि से नियंत्रण

*489. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कीटों पर जैविक विधि से नियंत्रण पाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ किए गए अनुसंधान कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) सरकार द्वारा किसानों को कीटों पर जैविक विधि से नियंत्रण पाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) श्रीमान, अनेक प्रभावी जैव-नियंत्रक कारकों का पता लगाया गया है और प्रमुख जैव-नियंत्रक कारकों, अर्थात् ट्राइकोग्रामा, क्रिसोपा, ट्राइकोडर्मा, न्युक्लियर पॉलि हाइड्रोसिस वाइरस आदि के बड़े पैमाने पर बहुलीकरण के लिये प्रौद्योगिकी स्थापित की जा चुकी है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जैविक नियंत्रण अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :

1992-93	78.33 लाख रुपये
1993-94	121.61 लाख रुपये

(ग) कृमियों के जैविक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(i) वर्तमान जैव-नियंत्रक उत्पादन केन्द्रों तथा केन्द्रीय निगरानी केन्द्रों को 26 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबन्ध केन्द्रों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसे चार नये केन्द्र चालू हो जायेंगे।

(ii) आठवीं योजना अवधि के दौरा राज्य जैव-नियंत्रक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान देना।

(iii) बायोसाइड बैसोलस थुरिंजोनसिस (वी.टी.) तथा नीम पर आधारित कृमि नाशियों का पंजीकरण।

(iv) कृषकों के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध (आई.पी. एम.) संबंधी क्षेत्रीय स्कूल खोलना।

(v) समेकित कृमि प्रबन्ध (आई.पी.एस.) प्रदर्शनों का आयोजन।

(vi) कृषकों के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध (आई.पी. एम.) क्षेत्रीय स्कूलों तथा समेकित कृमि प्रबन्ध (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों के तहत जैव-नियंत्रक कारकों को खरीद के लिये धन मुहैया किया गया है।

भारत और तुर्की के बीच समझौता

*490. **डा. के. वी. आर. चौधरी** :
श्री केशरी लाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे क्षेत्र में वर्तमान सहयोग को और बढ़ाने के लिए तुर्की के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर समझौता किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी;

(घ) क्या भारतीय रेलवे निर्माण कंपनी (इरकोन) को तुर्की रेलवे से कोई परियोजना प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) (क) जी हां।

(ख) से (ङ) दोनों पक्षों ने रेलवे क्षेत्र में अधिक से अधिक रचनात्मक आपसी सहयोग और इस सहयोग को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की। भारतीय पक्ष ने तुर्की में अन्य विद्युतीकरण, सिगनल एवं रेलपथ नवीकरण कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। इजमीर उपनगरीय खंड के विद्युतीकरण संबंधी विशिष्ट परियोजना का उल्लेख किया गया था जिसके लिए तुर्की पक्ष तुर्की रेलों और इरकॉन के बीच परियोजना के संबंध में बातचीत करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमत हो गया। इस परियोजना के प्रस्ताव और लागत के लिए विस्तृत ब्यौरे के बारे में तुर्की रेलों के साथ अभी बातचीत की जानी है। बहरहाल, मोटे तौर पर लगभग 33.0 मिलियन अमरीकी डालर की लागत आने का अनुमान लगाया गया है जिसमें लगभग 11 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा की आय होगी।

स्क्रैप सामग्री

*491. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में स्क्रैप सामग्री के निपटान की निगरानी हेतु कोई स्क्रैप प्रबंधन ग्रुप गठित किया गया है;

(ख) क्या रेलवे ने अपने स्क्रैप सामग्री की बिक्री द्वारा अपनी आय में भारी वृद्धि की है;

(ग) यदि हां तो गत वर्षों के दौरान जोन-वार अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्क्रैप निपटान से प्राप्त राजस्व आमदनी इस प्रकार है :

(करोड़ों रुपयों में)

रेलवे	1992-93	1993-94	1994-95
मध्य	101.72	110.52	115.72
पूर्व	89.03	95.65	117.10
उत्तर	117.56	134.63	180.21
पूर्वोत्तर	21.44	32.12	42.68
पूर्वोत्तर सीमा	14.02	21.86	25.61
दक्षिण	57.37	97.36	135.31
दक्षिण मध्य	75.35	103.66	116.37
दक्षिण पूर्व	87.02	106.33	120.89
पश्चिम	90.16	109.81	121.10
जोड़	653.67	811.94	974.99
उत्पादन इकाइयां	25.27	37.74	42.76
कुल जोड़	678.94	849.68	1017.75

खाद्य तेल

*492. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**
श्री गुरुदास कामत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कुल कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल जारी किए गए;

(ख) क्या हाल ही में इन तेलों की सप्लाई में भारी कटौती की गई है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में इन तेलों की अत्यधिक कमी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन तेलों की सप्लाई में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा खाद्य तेलों की बिक्री का ब्यौरा निम्नवत है :

वित्त वर्ष	धारा तेल	आयातित तेल
1992-93	76,817	12,884
1993-94	57,239	12,868
1994-95	49,425	65,620
कुल	1,83,481	91,381

(ख) और (ग) अप्रैल 1995 के पूर्वार्द्ध में गुजरात सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के खाद्य तेलों का स्टाक जब्त कर लेने के कारण 4 अप्रैल से 18 अप्रैल, 1995 तक धारा तेलों के उत्पादन और सप्लाई में बाधा आई। अब खाद्य तेल की जब्ती से संबंधित विवाद का निपटारा हो गया है तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने धारा तेल की सप्लाई लगभग सामान्य होने की सूचना दी है।

(घ) नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक विवरण मंत्रालय ने बताया है कि खुले बाजार में स्वदेशी खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। नारियल तेल, पाम गिरी, आर.बी.डी. पाम आयल और आर.बी.डी. पाम स्टियरिंग को छोड़कर 1.3.95 से खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन सभी खाद्य तेलों का आयात करने को अनुमति दी गई है तथा आयात शुल्क पिछले 65 प्रतिशत से कम करके 30 प्रतिशत कर दिया गया है। 1995-96 के दौरान 1.5 लाख मीटरी टन पामोलीन का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया गया है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों के अधीन खाद्य तेलों सहित अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा बाजार में खाद्य तेल के मूल्यों को यथाशीघ्र स्थिर करने की दृष्टि से 1994-95 के दौरान 20 प्रतिशत रियायती आयात शुल्क पर 1.5 लाख मीटरी टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनुमति दी गई है।

मूर्तियों की तस्करी

*493. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों तथा अन्य भवनों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के प्राचीन मंदिरों और स्मारकों से प्राचीन मूर्तियों तथा अत्यधिक महत्व की कलाकृतियों की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किन किन मंदिरों और स्मारकों से मूर्तियों की चोरी की गई और विदेशों में चोरी छिपे ले जाई गई मूर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितनी मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं; और

(ङ) सरकार ने प्राचीन मूर्तियों की चोरी और तस्करी को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए हैं और चोरी तथा तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। इन स्मारकों के महत्व और आवश्यकता के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन इन स्मारकों के लिए सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

(ख) जी हां; किंतु बड़े पैमाने पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्मारकों से मूर्तियां चुराई गई हैं, उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सरकार को जांच एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरकार को यह जानकारी नहीं है कि चुराई गई मूर्तियों की तस्करी कर उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है।

(घ) छह मूर्तियां ढूंढ ली गई हैं।

(ङ) पुरावशेषों की चोरी तथा उनकी तस्करी रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरावशेष तथा बाहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ सावधानीपूर्वक चौकसी बरतने तथा सीमा शुल्क निकास केंद्रों की गहन जांच-पड़ताल करने के कदम उठाए गए हैं। चुनिंदा स्मारकों तथा मूर्ति शेडों पर सशस्त्र पुलिस गार्ड तैनात किए गए हैं।

विवरण

जिन मंदिरों एवं स्मारकों से मूर्तियां चुराई गई हैं, उनके नाम, उनका विस्तृत विवरण और हर मामले की स्थिति।

क्रम सं.	राज्य का नाम	मन्दिर/स्मारकों और जिले का नाम	चुराई गई वस्तु का ब्यौरा	चोरी की तारीख	मामले की की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	महादेव मन्दिर, राजगीर जिला नालंदा	पत्थर की एक वस्तु (पादांग)		जांच एजेंसी के तहत् जांच की जा रही है
2.	मध्य प्रदेश	1. विष्णु वराह मंदिर, करोतलाई जिला जबलपुर	तीन प्रतिमाएं		ढूंढ ली गईं।
		2. विराटेश्वर मंदिर, सोहागपुर जिला शहडोल	अप्सरा की एक प्रतिमा	14-15 मार्च, 1994	जांच एजेंसी के तहत जांच की जा रही है।
		3. –यथोपरि–	एक शिवलिंग	12 मार्च, 1993	-यथोपरि-
3.	राजस्थान	1. कल्याण रायजी का मंदिर, जिला टोंक	गणेश की पत्थर की मूर्ति	10 मार्च, 1992	-यथोपरि-
		2. सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ जिला डूंगरपुर	दो प्रस्तर प्रतिमाएं : (1) अप्सरा (2) कोष्ठक मूर्ति	जुलाई, 1993	-यथोपरि-

1	2	3	4	5	6
4.	तमिलनाडु	1. शिव मंदिर, इरुम्बनाडु जिला पुदुक्कोट्टै	दो सिंह प्रतिमाएं	6-7 जुलाई, 1993	-यथोपरि-
		2. धर्मेश्वर मंदिर, मणिमंगलम जिला चेंगलपट्टु एम.जी.आर.	स्कन्द	17-18 दिसंबर, 1993	-यथोपरि-
		3. राजगीर किला गिजी जिला विल्लुपुरम-रामास्वामी, पदुयाचीयार	पत्थर की गणेश प्रतिमा	29 दिसंबर, 1993	-यथोपरि-
		4. मदरापत्ती में ग्रामीण तालाब का बांध, जिला पुदुक्कोट्टै	तीन प्रस्तर प्रतिमाएं	6 नवंबर, 1994	-यथोपरि-
		5. धर्मेश्वर मंदिर, मणिमंगलम जिला चेंगलपट्टु	नटराज, शिवकामी, और गणेश		दो ढूंढ ली गई अर्थात (नटराज और शिवकामी)
5.	उत्तर प्रदेश	1. वराह मंदिर, देवगढ़ जिला ललितपुर	पत्थर की एक वराह प्रतिमा	24-25 अगस्त 1993	ढूंढ ली गई।
		2. मॉडल रूम रेजिडेंसी लखनऊ	एक लिथोग्राफ	27 मई, 1994	जांच एजेंसी के तहत जांच की जा रही है।
		3. कलिंजर किला, कलिंजर जिला बांदा	दो प्रस्तर प्रतिमाएं (देवियों की आवक्ष प्रतिमा)	3 अक्तूबर, 1993	-यथोपरि-

समेकित खेल-कूद संबंधी नीति और आयोजन

*494. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि खेल-कूद के क्षेत्र में समुचित आयोजना का अभाव है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय/एशियाई स्तरों पर खेल-कूद में देश के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) क्या सरकार ने खिलाड़ियों के विज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण के लिए कोई समेकित खेल-कूद संबंधी नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खेल-कूद और एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कोई दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। मुख्य खेल प्रतियोगिताओं में उच्च स्तरीय प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन योजना के महत्व के बारे में समाचार पत्र की रिपोर्ट में उक्रेनियन प्रशिक्षण पद्धति के विशेषज्ञों के विचार की ओर ध्यान दिलाया गया था। यह भी सही उल्लेख किया गया है कि हाल ही के वर्षों में भारत में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खिलाड़ियों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कम आयु के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाया जाता है और उन्हें प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके भोजन एवं आवास, शैक्षिक फीस, खेल, उपस्कर और किट से संबंधित संपूर्ण लागत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वहन की जाती है।

(ङ) जी, हां।

(च) भारतीय खेल प्राधिकरण और विभिन्न खेल विधाओं के राष्ट्रीय संघों के परामर्श से लघुकालीन और दीर्घकालीन विकास योजनाएं और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सभी संबंधित एजेंसियों

द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वनों का विकास

*495. **श्री उपेंद्र नाथ वर्मा :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 से 1990 की अवधि के बीच भारत में 3,39,000 हैक्टे. से भी अधिक भूमि में वनों की कटाई हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष वनों की कटाई के कारण राज्यवार कितने क्षेत्रफल भूमि बंजर हो गई;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1995-96 के आबंटन में वानिकी और वन्यजीव गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(छ) देश में वनों की कटाई कम करने के लिए राज्यवार कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं अथवा की जाएंगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) (ख) और (घ) भारत में 1991-93 की अवधि के लिए वन आवरण का पहला मूल्यांकन भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1987 द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इस संबंध में 1989-91 की अवधि से संबंधित अंतिम रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित की गई थी। इस अवधि के दौरान वन आवरण में 1,93,400 हैक्टे. की कमी हुई। वननाशन/वन कटाई के मुख्य कारण घरेलू और औद्योगिक खपत और अवैध कब्जों के लिए वृक्षों की अवैध कटाई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) व (च) भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के लिए वर्ष 1995-96 हेतु निधियों के आबंटन में केवल मामूली वृद्धि की गई है। वर्ष 1995-96 के लिए वानिकी और वन्यजीव गतिविधियों के लिए 211.50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है जबकि गत वर्ष के दौरान इसके लिए 201.95 लाख रुपये का आबंटन किया गया था। भारत सरकार की स्कीमों के लिए निधियों के राज्यवार आवंटन का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

(छ) वन कटाई को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित स्कीमें निम्नलिखित हैं :

1. समेकित वनरोपण और पारि-विकास स्कीम।
2. क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम।
3. हवाई बीजरोपण।
4. काष्ठ इतर वन उत्पाद और औषधीय पादप स्कीम।

विवरण

वन आवरण की तुलनात्मक स्थिति 1993 तथा 1991 का मूल्यांकन (वर्ग कि.मी.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991 का मूल्यांकन	1993 का मूल्यांकन	1993 में परिवर्तन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	47290	47256	-34
2.	अरुणाचल प्रदेश	68757	68661	-96
3.	असम	24751	24508	-243
4.	बिहार	26668	26587	-81
5.	गौआ (दमन व दीव)	1225	1250	-05
6.	गुजरात	11907	12044	+137
7.	हरियाणा	513	513	-
8.	हिमाचल प्रदेश	11780	12502	+722
9.	जम्मू व कश्मीर	20064	20643	+379
10.	कर्नाटक	32199	32343	+144
11.	केरल	10292	10336	+44
12.	मध्य प्रदेश	135785	135396	-389
13.	महाराष्ट्र	44044	43859	-185
14.	मणिपुर	17685	17621	-64
15.	मेघालय	15875	15769	-106
16.	मिजोरम	18853	18697	-156
17.	नागालैंड	14321	14348	+27
18.	उड़ीसा	47205	47145	-60

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	1343	1343	-
20.	राजस्थान	12835	13099	+264
21.	सिक्किम	3033	3119	+86
22.	तमिलनाडु	17713	17726	+13
23.	त्रिपुरा	5535	5538	+3
24.	उत्तर प्रदेश	33609	33961	+352
25.	पश्चिम बंगाल	8015	8186	+171
26.	अंडमान व निकोबार	7622	7624	+2
27.	चंडीगढ़	5	5	-
28.	दादर व नगर हवेली	206	206	-
29.	दिल्ली	22	22	-
30.	लक्षद्वीप	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-
	कुल	639182	640107	+925

[अनुवाद]

ओजोन क्षरण पदार्थ

*496. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **पर्यावरण वन मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या मांट्रियल प्रोटोकोल के अंतर्गत ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या भारत ने ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने हेतु बनाए गए कार्यक्रम के लिए गठित मांट्रियल प्रोटोकोल कोष में से केवल 11 मिलियन डालर निकाले हैं, जबकि इसके लिए 2 मिलियन डालर निर्धारित किए गए हैं।

(घ) यदि हां तो इस कोष का इतना कम उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को उन कंपनियों द्वारा बनाए गए भारतीय उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका है, जो ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों को समाप्त करने हेतु अपनी प्रौद्योगिकी में संशोधन करने में असफल रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से अपेक्षित है कि वह 1998 तक क्लोरोफ्लूरोकार्बनों, हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफार्म की अपनी खपत के स्तर को वर्ष 1995-97 में इन पदार्थों के औसत खपत स्तर तक कम करें। इन पदार्थों के प्रयोग को वर्ष 2010 तक चरणों में पूर्णतः समाप्त किया जाना है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए उद्योग की सक्रिय भागीदारी से 1993 में एक कंट्री कार्यक्रम बनाया गया था।

(ग) और (घ) मांट्रियल प्रोटोकोल निधि भारत के लिए लगभग 11.4 मिलियन डालर की कुल 30 परियोजनाएं और गतिविधियां अनुमोदित की गई हैं। लगभग 3.3 मिलियन की अन्य परियोजनाएं अनुमोदन के लिए उक्त निधि के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। यह निधि देश के आधार पर निधियां निर्धारित नहीं करती हैं। यह परियोजना दर परियोजना आधार पर निधियां रिलीज करती हैं।

(ङ) विकसित देशों से हैलांस को 1994 तक और शेष ओजोन क्षयकारी पदार्थों को 1996 तक समाप्त करने की अपेक्षा है। ये देश इस अवधि के पश्चात ओजोन क्षयकारी पदार्थों वाले उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देंगे।

(च) सरकार उद्योग से बातचीत कर रही है और इसके साथ समस्त संबद्ध जानकारी का आदान-प्रदान कर रही है। ओ.डी.एस. समाप्त करने संबंधी परियोजनाओं के निर्माण में आवश्यक सहायता दी जा रही है। उक्त निधि द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित पूंजीगत सामान पर सरकार ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान की पूरी छूट भी दी है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन

*497. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बर्लिन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में एक भारतीय शिष्टमंडल ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ और इसमें क्या-क्या संकल्प स्वीकृत हुए; और

(ग) "ग्रीन हाउस गैसों" के उपयोग को सीमित करने के मामले में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में रखने संबंधी जर्मनी के प्रस्ताव पर भारतीय शिष्टमंडल ने इस सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण अपनाया था?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कंवेशन के पक्षकारों के सम्मेलन में प्रौद्योगिकी अंतरण पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित गतिविधियों के मानदंडों, कंवेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विकसित देश पक्षकारों की प्रतिबद्धताओं की पर्याप्तता, कंवेशन द्वारा स्थापित सहायक निकायों की भूमिका और कंवेशन के स्थायी सचिवालय हेतु स्थान की तलाश के बारे में चर्चा की गई और निर्णय लिए गए।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ग्रीन हाऊस और उत्सर्जनों को सीमित करने में भारत को विकसित देशों के वर्ग में रखे जाने बारे में जर्मन प्रस्ताव का सफलतापूर्वक विरोध किया।

खेल-कूद गतिविधियां

*498. **श्री हरिन पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में खेल-कूद और पाठ्येत्तर गतिविधियां उचित प्रकार से कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र इन गतिविधियों से संबंधित प्रतियोगिताओं में पूरी तरह से भाग लेते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय विद्यालयों में इन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में खेलों और पाठ्येत्तर गतिविधियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। छात्रों को राष्ट्रीय स्कूल खेलों सहित विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल मैदानों और सुविधाओं, खेल होस्टलों, प्रशिक्षण सुविधाओं और जन-सहभागिता कार्यक्रमों को और प्रोत्साहित कर रहा है।

सुपर बाजार

*499. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार से अपने कार्याकरण में योजनाबद्ध तरीके से सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इसमें कोई स्पष्ट परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सुपर बाजार से अपनी माल खरीदने की प्रणाली में भी सुधार करने के लिए कहा गया है;

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(छ) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिनकी बिक्री कम हो रही है और उनकी खरीद बंद कर दी गई है; और

(ज) सुपर बाजार में इन वस्तुओं की बिक्री कब शुरू की गई थी?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सुपर बाजार एक सहकारी समिति है, जिसका प्रबंधन और कार्य दिल्ली सहकारी सोसायटी अधिनियम और उसके तहत तैयार की गई नियमावली के अंतर्गत विधिवत गठित प्रबंध समिति द्वारा देखे जाते हैं। यह मंत्रालय भी सुपर बाजार के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा करता है तथा जहां भी आवश्यकता होती है, सुपर बाजार की प्रबंध समिति को अपनी सलाह देता है। यह देखा गया है कि गत कुछ वर्षों के दौरान सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, इसने अपने अंशधारियों को अधिक लाभांश का भुगतान किया है, अपने कर्मचारियों को अधिक बोनस दिया है, अपनी परिसम्पत्तियों में पर्याप्त वृद्धि की है तथा अपनी लाभकारिता में और अधिक सुधार किया है। इसकी बिक्री 1991-92 के 9784.01 लाख से बढ़कर 1993-94 में 11520.34 लाख रुपये हो गई है तथा इसका निवल लाभ वर्ष 1991-92 के 9.33 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 41.65 लाख रुपये हो गया है।

(ङ) और (च) जब कभी भी आवश्यक होता है, सुपर बाजार की प्रबंध समिति, माल की अधिप्राप्ति की प्रणाली सहित अपनी व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करती है, ताकि इसे उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों के विषय में अधिक उत्तरदायी

बनाया जा सके और सम्पूर्ण कार्यकारी ढांचे में अधिक खुलापन लाया जा सके। सुपर बाजार की प्रबंध समिति ने हाल ही में शाखाओं को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मदों की सीधी आपूर्ति को बन्द करने का निर्णय लिया है। अब सभी मदें क्षेत्रीय वितरण केद्रों के जरिए होकर जाती हैं।

(छ) और (ज) गत 2 वर्षों के दौरान धीमी गति से बिकने वाली लगभग 500 मदों जैसे अगरबत्ती, धूप, साबुन, रेजर ब्लेड, टूथब्रश, काजल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, केश तेल, नारियल का तेल, वनस्पति, शुद्ध घी आदि के कुछ ब्रांडों की सीधी आपूर्ति बंद कर दी गई है। इन मदों की बिक्री सुपर बाजार में गत चार वर्षों के दौरान शुरू की गई थी।

महिला साक्षरता के बारे में एन सी ई आर टी का अध्ययन

*500. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने हाल ही में बालिका शिक्षा और इसका समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से संतानोत्पत्ति और जनसंख्या नियंत्रण पर बालिका शिक्षा के प्रभाव के संबंध में किये गये अध्ययन के निष्कर्षों का गहन अध्ययन किया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें की गई टिप्पणियों पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत में ग्रामीण बालिकाओं के लिए सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा के नाम से किए गए अध्ययन में शैक्षिक आंकड़ों के संबंध में किए गए पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1986 को मुख्य रूप से स्रोत माना गया है, इसमें महिला साक्षरता और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बीच आपसी संबंध को दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इसकी कार्य-योजना (पी.ओ.ए.) की वर्ष 1992 में समीक्षा की गई और इसमें पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1986 सहित सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखा गया। कार्य-योजना, 1992 विशेष रूप से महिलाओं की समानता के लिए महिला शिक्षा हेतु कार्य नीतियों का प्रतिपादन करती है। अद्यतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसकी कार्य योजना को क्रमशः 7.5.92 और 19.8.92 को लोकसभा में रख दिया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को तैयार करने में इस अध्ययन को भी ध्यान में रखा गया था।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

4985. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड और घोंड के बीच कई रेलवे स्टेशनों पर पूर्णकालिक टिकट काउन्टर और पेयजल, प्लेटफार्मों पर शैड आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर, सभी रेलवे स्टेशनों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) मनमाड तथा घोंड खंड पर स्थित अहमदनगर तथा बेलापुर स्टेशनों पर पूर्णकालिक टिकट काउंटर हैं। अन्य स्टेशनों पर, सम्हाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा की दृष्टि से पूर्णकालिक बुकिंग काउंटरों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता।

सभी स्टेशनों पर मूलभूत यात्री सुविधाओं से संबंधित कमियों को अब दूर कर दिया गया है। घोंड-मनमाड खंड के सभी स्टेशनों पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहां तक प्लेटफार्म सायबानों का संबंध है, यह अहमदनगर, बिलाड, बेलापुर तथा कोपरगांव स्टेशनों पर ये पहले ही उपलब्ध हैं। अन्य रेलवे स्टेशनों पर सायबानों में वृद्धि तथा व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाएगा, यदि यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसा करना आवश्यक होगा, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो तथा विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताएं हों।

[अनुवाद]

शिक्षण का माध्यम

4896. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण आरम्भ करने के बारे में कुछ निदेश तैयार किए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा के माध्यम के संबंध में, सरकार की नीति को, संविधान के अनुच्छेद 350 ए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निर्धारित किया गया है। यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी निर्णय से प्रभावित नहीं है।

[हिन्दी]

"प्योर लाइन पॉल्ट्री ब्रीडिंग प्रोग्रोम"

4987. **श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "प्योर लाइन पॉल्ट्री ब्रीडिंग प्रोग्रोम" को देश में विशेषकर गुजरात में आरंभ किया गया है;

(ख) इसके अंतर्गत राज्यवार उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विशुद्ध कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्ता कुक्कुट प्रजनन भण्डार को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बम्बई, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ में क्षेत्रीय आधार पर चार केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप बम्बई, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों के द्वारा क्रमशः बी.एच.-78, एच.एच.-260, कलिंग ब्राउन तथा चब्रो नामक गुणवत्ता वाले संकर कुक्कुट नस्लें विकसित की गई हैं। कुक्कुटों के इस भण्डार को विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराया जा रहा है। कुक्कुटों के इस भण्डार को बनाए रखने तथा उनके निष्पादन में और सुधार करने के लिए चयन तथा प्रजनन कार्यक्रमों को जारी रखा गया है।

[अनुवाद]

सर्प उद्यान

4988. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा के निकट एक सर्प उद्यान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है; और

(ग) इस सर्प उद्यान की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) राज्य वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राजस्थान में कोटा के निकट ऐसा कोई सर्प उद्यान स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में मछली पत्तन

4989. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन मछली पत्तनों का ब्यौरा क्या है, जिन पर निर्माण कार्य निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी पूरा नहीं किया जा सका है;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इन परियोजनाओं पर लागत वृद्धि का कितना प्रभाव पड़ा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उन मछली पत्तनों, जो प्रारंभिक रूप से निर्धारित अवधि के भीतर पूरे नहीं किए गये हैं, के ब्यौरे तथा विलम्ब के कारण संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

केन्द्रीय सरकार पत्तनों के निर्माण, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, की स्वीकृत अनुमानित लागत का, 50 प्रतिशत अनुदान के तौर पर मुहैया करती है।

(ग) और (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

विवरण-I

मछली पत्तन का नाम	मंजूरी की तारीख	समाप्ति की मूल रूप से निर्धारित तारीख	विलम्ब के कारण
1. विझिंजम	फरवरी, 1987	फरवरी, 1990	भूमि अधिप्राप्ति, स्टाफ की कमी तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर अनुकूल अनुदान का आबंटन न करना।
2. पुथियप्पा	जनवरी, 1988	सितम्बर, 1992	- तदैव -
3. मुनामबम	अक्तूबर, 1988	अक्तूबर, 1993	- तदैव -
4. थंगासेरी	अक्तूबर, 1988	जनवरी, 1993	चरण-II की की मंजूरी, - तदैव -

विवरण-II

मछली पत्तन का नाम	वर्ष जब तक परियोजना के पूरी होने की संभावना है	प्रारंभिक लागत का अनुमान	प्रत्याशित संशोधित लागत अनुमान (रुपये लाख में)
1. विझींजम	मार्च, 1997	704.00	1100.00
2. पुथियप्पा	दिसम्बर, 95	527.00	1045.00
3. मुनामबम	दिसम्बर, 95	710.00	1244.00
4. थंगासेरी	मार्च, 97	1980.50	

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा सहायता

4990. **श्रीमती सरोज दुबे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पुस्तकों के प्रकाशनार्थ निजी प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशकों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) आर्थिक सहायता प्राप्त पुस्तकों के प्रकाशन की योजना के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पाठ्य-पुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत् तीन वर्षों में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 11,65,150.00 रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन

4991. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं, जिनके लिये सर्वेक्षण कार्य वित्त वर्ष 1993-94 से चल रहा है अथवा वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान कराये जाने का विचार है; और

(ख) यह सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए क्या तिथि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में उन नई रेलवे लाइनों के नाम, जिनका 1993-94 से सर्वेक्षण कार्य चल रहा है अथवा 1995-96 के दौरान शुरू किये जाने का प्रस्ताव है, उनके पूरा करने की लक्ष्य तारीख इस प्रकार है :

क्र. सं.	लाइनों के नाम	सर्वेक्षण कार्य निम्नानुसार पूरा होने की आशा है
1.	सीतापुर-नानपाड़ा	1995-96
2.	सीतापुर-बहराइच	1995-96
3.	हस्तिनापुर के रास्ते दौराला-बिजनौर	1996-97
4.	पलवल-रेवाड़ी (कुछ भाग उ.प्र. में) के रास्ते खुर्जा-रोहतक से क्षेत्रीय बाई पास लाइन	1995-96
5.	अलीगढ़-पलवल (कुछ भाग उ.प्र. में) के रास्ते कोडर्मा से मानिकपुरा	1996-97
6.	पानीपत-मेरठ (कुछ भाग उ.प्र. में)	1996-97
7.	आगरा-बाह-इटावा	1995-96

[अनुवाद]

विधि शिक्षा

4992. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विधि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तीन वर्षीय पाठ्यक्रम को पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई शहरी विकास परियोजना

4993. **श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1994 में मुम्बई का दौरा करने वाले विश्व बैंक मिशन ने मुम्बई शहरी विकास परियोजना-दो (वीयूडीपी-दो) के बारे में संशोधित आयोजना का सुझाव दिया है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने महानगर परिवहन योजना के लिए महानगर रेल प्राधिकरण बनाने का भी सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) विश्व बैंक सुझावों पर विचार करने और इनका कार्यान्वयन करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) विश्व बैंक मिशन ने बंबई शहर, परिवहन परियोजना-II (बीयूटीपी-II), जिसमें बंबई के लिए उपनगरीय रेल, सड़क यातायात तथा जल परिवहन शामिल हैं, की रूपरेखा तैयार करने हेतु राज्य सरकार तथा रेलों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त, 1994 में बंबई का दौरा किया था।

परियोजना की रूपरेखा बनाने के पहले कदम के रूप में, विश्व बैंक की सहायता से, परियोजना की आवश्यकताओं, लागत तथा प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा आवश्यक रूप से होने वाले संस्थागत परिवर्तनों सहित संपूर्ण परियोजना के वित्तीय प्रभावों का पता लगाने के लिए रेलों से संबंधित निम्नलिखित पांच अध्ययन करने पर सहमति हुई थी :

i) वित्तीय एवं संस्थागत अध्ययन।

ii) प्रणाली योजना अध्ययन तथा सिमुलेशन प्रतिदर्श का विकास।

iii) ईएमयू के पुनर्निमाण के लिए विशिष्टयों का विकास करने हेतु अध्ययन।

iv) बंबई में डी.सी. का ए.सी. में परिवर्तन करने के लिए अध्ययन।

v) प्रमुख निवेशकों के लिए तकनीकी, आर्थिक अध्ययनों तथा विस्तृत अभिकल्पों का समूह।

विश्व बैंक ने, महानगर रेल प्राधिकरण की स्थापना करके उप-नगरीय रेल नेटवर्क की योजना, वित्त तथा प्रबंधन को अलग करने का सुझाव दिया था। क्र.सं. (i) पर उल्लिखित अध्ययन की शर्तों में उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने के मामले में, आवश्यक रूप से होने वाले संस्थागत परिवर्तनों सहित वित्तीय प्रभावों का पता लगाने के लिए इस पहलू को शामिल किया गया था। विश्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं से हाल ही में बोलियां आमंत्रित की गई हैं तथा संविदा दिए जाने के बाद यह अध्ययन पूरा होने में लगभग नौ महीने का समय लगेगा।

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

4994. **श्री जे. चोक्का राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन संबंधी अपने लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों से पीछे हट रहे हैं और संयुक्त जांच योजनाओं के बहाने अपना दायित्व विकासशील देशों पर डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण परियोजना के लिए कोई सहयोग करार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों को कम करने संबंधी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी ढांचा कन्वेंशन के अनुलग्नक-I में सम्मिलित देश कन्वेंशन में उपबंधित संयुक्त कार्यान्वयन का रास्ता अपना रहे हैं। 22 मार्च से 7 अप्रैल, 1995 तक बर्लिन में होने वाले जलवायु परिवर्तन संबंधी कन्वेंशन के पक्षकार देशों के प्रथम सम्मेलन में संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों के लिए पक्षकारों के सम्मेलन में एक "प्रायोगिक चरण" की स्थापना करने पर सहमति हो गई थी। इस चरण में विकासशील की प्रतिभागिता स्वैच्छिक है और प्रायोगिक चरण के लिए सम्मेलन द्वारा निर्धारित पैरामीटरों से विकासशील देशों के महत्वपूर्ण हितों की पर्याप्त रक्षा होती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कन्वेंशन के सचिवालय को अभी प्रायोगिक चरण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने हैं।

चंडीगढ़ में प्राथमिक शिक्षा

4995. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में छात्राओं की उपस्थिति वजीफा, अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग, मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें तथा वर्दी एवं प्राथमिक कक्षा के छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रोत्साहन के अन्तर्गत शामिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या तथा उस पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुपर बाजार के सप्लायर

4996. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार अतिरिक्त डिस्काउंट देने वाले सप्लायरों को भुगतान 3-4 दिनों में कर रहा है, जबकि अन्य सप्लायरों को जो अतिरिक्त डिस्काउंट नहीं देते हैं, उन्हें देरी से भुगतान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवहार से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियन के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त डिस्काउंट न देने वाले सप्लायरों को उनके भुगतान देय तिथियों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन महीनों के दौरान कितने सप्लायरों के भुगतान देने में विलम्ब हुआ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) सुपर बाजार निधि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आपूर्तिकर्ताओं को यथासंभव आपूर्ति संबंधी निबंधन और शर्तों के अनुसार भुगतान कर रहा है। आपूर्ति की सम्मत निबंधन और शर्तों के अंतर्गत, कुछ आपूर्तिकर्ताओं के लिए, जो अतिरिक्त डिस्काउंट का प्रस्ताव करते हैं, पहले भुगतान की अनुमति दी गई है। यह इस बात को सुनिश्चित करते हुए किया जाता है कि अन्य आपूर्तिकर्ताओं की भुगतान अनुसूची पर इसका प्रभाव न पड़े। यह स्कीम किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता के लिए खुली है, जो इसका लाभ उठाने की इच्छा रखता है और यह एक सामान्य व्यापारिक व्यवहार है तथा इससे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता है।

डेयरी और तिलहन सहकारी संस्थाओं की मांग

4997. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी नियमों को उदार बनाने और डेयरी उत्पाद तथा खाद्य तेलों के आयात हेतु ओपन जनरल लाइसेंस को नियंत्रित करने तथा रोकने के बारे में डेयरी और तिलहन सहकारी संस्थाओं से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो डेयरी और तिलहन सहकारी संस्थाओं द्वारा किए गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रमिक विद्यापीठ

4998. **श्री धर्मभिक्षम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कार्यरत श्रमिक विद्यापीठों का आंध्रप्रदेश के विशेष संदर्भ के साथ ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन विद्यापीठों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस समय देश में 47 श्रमिक विद्यापीठें कार्य कर रही हैं। आंध्र प्रदेश में छः श्रमिक विद्यापीठें कार्य कर रही हैं। सभी श्रमिक विद्यापीठों की सूची दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) सभी श्रमिक विद्यापीठों पर खर्च की गई वर्षवार राशि निम्नवत् है :

वर्ष	राशि (लाख रुपयों में)
1992-93	191.76
1993-94	276.75
1994-95	385.00

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	श्रमिक विद्यापीठों की संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6	गुंटूर, हैदराबाद, हैदराबाद (रंगा रेड्डी), विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, काकीनाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	1	सिल्चर
4.	बिहार	1	जमशेदपुर

1	2	3	4
5.	गोवा	-	-
6.	गुजरात	3	अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा
7.	हरियाणा	1	फरीदाबाद
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1	जम्मू
10.	कर्नाटक	4	बंगलौर, मैसूर, टुमकूर, कारवाड
11.	केरल	1	त्रिवेंद्रम
12.	मध्य प्रदेश	4	इंदौर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर
13.	महाराष्ट्र	7	औरंगाबाद, बम्बई (धारावी) बम्बई (वरली), नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नासिक
14.	मणिपुर	-	-
15.	मेघालय	-	-
16.	मिजोरम	-	-
17.	नागालैंड	-	-
18.	उड़ीसा	2	कटक, राउरकेला
19.	पंजाब	-	-
20.	राजस्थान	4	अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा
21.	सिक्किम	-	-
22.	तमिलनाडु	4	कोयम्बटूर, मद्रास, मदुरै, त्रिची
23.	त्रिपुरा	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	4	गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद
25.	पश्चिम बंगाल	2	कलकत्ता, नरेन्द्रपुर

क्र.सं.	केन्द्र शासित	श्रमिक विद्यापीठों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-
2.	चंडीगढ़	1
3.	दादरा व नागर हवेली	-
4.	दमन और दीव	-
5.	दिल्ली	1
6.	लक्षद्वीप	-
7.	पांडिचेरी	-
	कुल श्रमिक विद्यापीठों की संख्या	47

नारियल के लाभकारी मूल्य

4999. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री पी.सी. थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में न्यूनतम मूल्य पर गिरी की खरीद करने अथवा अन्य किसी योजना के द्वारा कोई सहायता प्रदान की है; यदि हां तो किस तरह और यदि नहीं तो क्यों;

(ख) किसानों को गत दस वर्षों के दौरान मिले औसत मूल्य संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) किसानों को नारियल के लाभकारी मूल्य देने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) पिछले दस वर्षों के दौरान नारियल की खेती की लागत में वृद्धि की दर कितनी थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) सरकार द्वारा नियत किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कोपरा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिली है।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान कुछ चयनित केन्द्रों पर कोपरा के वार्षिक औसत थोक मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोपरा उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. जो एक शीर्षस्थ एजेंसी है, बाजार मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम हो जाने की स्थिति में मूल्य समर्थन क्रियाकलाप करता है। सरकार उत्पादकों के लाभ के लिये प्रत्येक वर्ष कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करती रही है।

(घ) नारियल उत्पादन के लागत से संबंधित सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह कृषि मंत्रालय की खेती की लागत संबंधी वृहत्त योजना में शामिल नहीं है।

विवरण

देश के चयनित केन्द्रों पर कोपरा के वार्षिक औसत (माह के अन्त में) थोक मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	केरल		कर्नाटक	महाराष्ट्र
	कोचीन	कोझीकोड	मंगलौर	बम्बई
1985	1270	1258	1339	1433
1986	1429	1464	1395	1563
1987	2012	2013	1892	2129
1988	2089	2113	2015	2283
1989	1561	1665	1743	1800
1990	1812	1931	1724	2031
1991	2697	2641	2608	2960
1992	2970	3078	3081	3648
1993	2525	2640	2648	3165
1994	2170	2185	2074	2600

खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर कमीशन

5000. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में खाद्य वस्तुओं और शीतल पेय पदार्थों की बिक्री पर वेंडरों को दिए जाने वाले कमीशन में 1956 से संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान इन खाद्य वस्तुओं की बिक्री दरें अनेक बार बढ़ाई जा चुकी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा नागपुर डिवीजन में वेंडरों की इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा कमीशन की दर की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वेंडरों को कमीशन खाद्य पदार्थों और शीतल पेय के बिक्री मूल्य पर दी जाती है और कमीशन की राशि भी बिक्री मूल्य में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है। वेंडरों को देय कमीशन की दर 6 से 12 प्रतिशत के बीच होती है और मध्य रेलवे के सभी मंडलों पर यह एक-समान है।

कलकत्ता की मेट्रो रेल

5001. **श्री निर्मल कांति चटर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हावड़ा में मेट्रो रेल हेतु चार और प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से एक प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब शुरू होगा; और

(ग) क्या साल्ट लेक को राम राजाटोला के साथ जोड़ने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडर हेतु कोई प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) दो सर्वेक्षणों, अर्थात (i) मेट्रो रेलवे को टालीगंज से न्यू गढ़िया तक विस्तार के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं अंतिम स्थान सर्वेक्षण तथा (ii) दमदम से बैरकपुर तक विस्तार के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को 1995-96 के लिए रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस कार्य को शुरू करना, सर्वेक्षण के परिणामों तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) जी नहीं।

बंगलौर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण

5002. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए बंगलौर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार और आयोजन समिति द्वारा आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए बंगलौर में खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि मजदूरों को पेंशन

5003. **श्री के. प्रधानी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव कृषि मजदूरों को

वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी;

(घ) क्या योजना पूर्णतः केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित की जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण संबंधी उपायों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। पर्याप्त विचार-विमर्शों के बाद, उक्त दल ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिए एक संक्षिप्त योजना तैयार करने के लिए एक उप-दल का गठन किया। उप-दल ने प्रथम चरण में कृषि मजदूरों, ग्रामीण कास्तकारों, लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रस्तावित लाभ-भोगियों के रूप में तथा दूसरे चरण में अन्य श्रेणियों को लाभ पहुंचाये जाने के लिए अभिज्ञात किया। विचाराधीन सामाजिक सुरक्षा पैकेज में जीवन बीमा, 60 वर्ष की उम्र से ऊपर वाले अभिज्ञात लाभ भोगियों को वृद्धावस्था पेंशन तथा चिकित्सा सहायता व मातृत्व लाभ शामिल है। उप-दल ने पैकेज को धन देने, जागरूकता पैदा करने के तरीकों तथा भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के व्यवहार्य स्रोतों पर विचार-विमर्श भी किया है। उपरोक्त प्रस्तुत की गई आदर्श योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

योजना में सदस्यों (लाभ भोगियों), वित्त मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा निधि से राज सहायता (एल.आई.सी. के माध्यम से संचालित) और नोडल एजेंसियों को केन्द्रीय/राज्य सहायता के योगदान से धन दिए जाने का प्रस्ताव है। रूपरेखा संबंधी योजना का सरकार की सिफारिश के लिए कार्यदल द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है।

सामान की खरीददारी की केन्द्रीकृत प्रणाली

5004. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में खरीददारी हेतु एक केन्द्रीयकृत प्रणाली बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर खरीद मूल्य जोनल रेलवे द्वारा की गई खरीद मूल्यों से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सीमित स्रोतों की सप्लाई अथवा अन्य विशेष प्रकार की अधिक मूल्य वाली मदें खरीद के लिए रेलवे बोर्ड में केन्द्रीकृत की गई हैं। इससे रेलों/उत्पादन इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थोक में खरीद करने से मूल्य निर्धारण का लाभ प्राप्त करने में सहायता भी मिलती है तथा खरीद अधिक प्रभावी रूप से की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजना

5005. **श्री पी.सी. थामस :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड को हाल ही में सिविल इंजीनियरी में तंजावा रेलवे कारपोरेशन हैंड्स आन ट्रेनिंग की एक बड़ी परियोजना का कार्य मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना को कब से और किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा;

(घ) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड ने अन्य देशों में भी ये कार्य शुरू किए हैं;

(ङ) क्या रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड को इस प्रकार के अन्य प्रमुख कार्य भी सौंपे जायेंगे;

(च) ऐसी मांगों से निपटने हेतु क्या कार्य योजना बनाने का विचार है; और

(छ) क्या सरकार का विचार रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानोमिक सर्विसेज लिमिटेड को उपकरणों से सुसज्जित तथा इसका आधुनिकीकरण करने का है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना में तंजानिया और भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और आयोजित करने सहित तंजानिया रेलवे कार्पोरेशन के रेलपथ निरीक्षकों (पीडब्ल्यूआई) की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का विशलेषण करना शामिल है।

(ग) परियोजना के जून, 1995 तक शुरू होने और जनवरी, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है। परियोजना का निष्पादन तंजानियां में राइट्स के विशेषज्ञ तैनात करके और भारत में स्थानीय कार्यालय की सहायता से किया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) राइट्स इसी तरह के कार्य करने की स्थिति में है, क्योंकि उसने संसाधनों में लचीलेपन का विकास कर लिया है और देश में प्रतिष्ठित संगठनों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ संपर्क प्रबंध कर लिए हैं। इस तरह की भावी मांगों को इन संसाधनों का उपयोग करके कारगर ढंग से पूरा किया जा सकता है।

(छ) राइट्स को उपकरणों से सुसज्जित करना और उसका आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग

5006. **डा. महादीपक सिंह शक्य :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चट्टोपाध्याय और रियाज अहमद आयोगों की सिफारिशें पूरी तरह स्वीकार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ये सिफारिशें कब तक लागू की जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल लाइन संबंधी समिति

5007. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रही रेल लाइनों के संबंध में डा. डी.एम. नंजुदप्पा की अध्यक्षता में गठित समिति की समीक्षा रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार में राज्य सरकारों को इन रेल लाइनों पर हुए राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार के इस घाटे की भरपाई के क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) डा. डी.एस. नांजुदप्पा की अध्यक्षता में गठित रेल किराया और मालभाड़ा समिति में अन्य बातों के साथ-साथ चुनिंदा आधार पर अलाभप्रद शाखा लाइनों को बंद करने की सिफारिश की है। अंततः संबंधित राज्य सरकारों को इन लाइनों के परिचालन पर होने वाला घाटा वहन करना चाहिए। इस संबंध में रेलों का दृष्टिकोण इस सिफारिश के अनुरूप पहले से ही है। अब तक ऐसी 15 लाइनें बंद की गई हैं।

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में हुई हानि क्रमशः 123.04 करोड़ रुपये, 133.84 करोड़ रुपये और 145.84 करोड़ रुपये।

(घ) जी हां।

(ङ) अधिकांश राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही है।

(च) हानि को कम करने के लिए ऐसी लाइनों पर संचालन व्यय में कमी करने हेतु किए गए उपायों में अलाभप्रद स्टेशनों को बंद करना/उन्हें हाल्टों में बदलना, मिली-जुली (यात्री और माल) गाड़ियां चलाना, केवल एक इंजन की प्रणाली शुरू करना, कर्मचारी कम करना, बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करना शामिल है।

[अनुवाद]

महिला समृद्धि योजना

5008. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :**
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला समृद्धि योजना आशा से अधिक सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के द्वारा कितनी राशियां जमा हुई हैं और मूल आंकलनों की तुलना में अब तक राज्यवार कितनी धनराशि जमा की गई है, और

(ग) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) ग्रामीण महिलाओं ने महिला समृद्धि योजना का स्वागत किया है।

(ख) 31 मार्च, 1995 तक देश के विभिन्न राज्यों में 85,29,308 खाते खोले गए, जिनमें 78,55,03,325 रु. की राशि जमा है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिवार कोई सूचना अलग से नहीं रखी जाती। तथापि, 31 मार्च 1995 तक देश के जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा 6,47,41,430 रुपये की धनराशि से 9,86,147 महिला समृद्धि योजना खाते खोले गए।

विवरण

महिला समृद्धि योजना के उपलब्धियों का प्रतिशत/उपलब्धियों/लक्ष्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1.50 करोड़ खातों में आनुपातिक अंश के आधार पर प्रत्येक राज्य का 31.3.95 तक लक्ष्य (लाखों में)	मार्च, 1995 तक खोले गए खाते (लाखों में)	लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों का प्रतिशत	मार्च 1995 तक जमा राशि	प्रति खाता औसत जमा	राज्यवार संवीक्षा समिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.600	15.50541	133.66	150955844	97	हां
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.180	0.00667	3.71	113258	170	नहीं
3.	असम	4.754	6.40836	134.79	32173528	50	हां
4.	बिहार	17.899	2.164	12.09	21729545	100	नहीं
5.	दिल्ली	0.226	0.03891	17.18	704435	181	हां
6.	गोवा	0.165	0.18321	111.29	2722112	149	हां
7.	गुजरात	6.457	1.46521	22.69	30344265	207	हां
8.	हरियाणा	2.961	1.54344	52.13	27535542	178	हां
9.	हिमाचल प्रदेश	1.127	0.70135	62.25	16018168	228	हां
10.	जम्मू और कश्मीर	1.403	0.17915	12.77	2849133	159	हां
11.	कर्नाटक	7.413	6.80837	91.85	78879549	116	हां
12.	केरल*	5.110	3.51803	68.84	34380444	98	हां
13.	मध्य प्रदेश	12.130	9.04301	74.55	56241794	62	हां
14.	महाराष्ट्र	11.547	3.83165	33.18	63157660	165	हां
15.	मणिपुर	0.318	0.0645	20.30	316610	49	हां
16.	मेघालय	0.345	0.01447	4.20	69140	48	हां
17.	मिजोरम	0.089	0.0459	51.71	633718	138	हां
18.	नागालैंड	0.239	0.00769	3.22	158752	206	हां
19.	उड़ीसा	6.543	2.75114	42.04	34718456	126	हां
20.	पंजाब	3.409	2.68903	78.88	30976769	115	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	राजस्थान	8.097	1.47003	18.15	23885823	162	हां
22.	सिक्किम	0.088	0.02232	25.35	81076	36	नहीं
23.	तमिलनाडु	8.776	16.95135	193.16	60616274	36	नहीं
24.	त्रिपुरा	0.557	0.14315	25.70	1504064	105	हां
25.	उत्तर प्रदेश	26.604	9.09838	34.20	110006993	121	हां
26.	पश्चिम बंगाल**	11.779	1.76547	14.99	3665374	21	हां
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप***	0.049	0.02596	52.82	216824	84	हां
28.	चंड़ीगढ़	0.016	0.05746	364.89	271521	47	हां
29.	दादर व नागर हवेली	0.030	0.01418	46.80	117010	121	नहीं
30.	दमन और दीव	0.013	0.00369	28.64	72952	198	नहीं
31.	लक्षद्वीप	0.005	0	0.00	-	-	नहीं
32.	पांडिचेरी	0.069	0.14231	204.97	549516	39	नहीं
	कुल	150.000	85.29308	56.86	785503325	92	24

*लक्षद्वीप के आंकड़े शामिल हैं।

**फरवरी, 1995 के आंकड़ों में कलकत्ता क्षेत्र के मार्च 1995 के आंकड़े शामिल हैं।

***फरवरी, 1995 के आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई है।

[हिन्दी]

ईंधन उत्प्रेरक का उत्पादन

5009. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री राम पाल सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर वाहनों के ईंधन उत्प्रेरक का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप ऊर्जा की कितनी मात्रा की बचत होगी; और

(घ) इससे प्रदूषण कितना कम होगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बच्चों का अधिकार

5010. श्री बीर सिंह महतो :
श्री मंजय लाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों के अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुकूल एक नया विधान बनाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) और (ख) भारत ने बाल अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की

2-12-1992 को अभिपुष्टि की तथा रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारण के बारे में धारा 32, 2 (क) के प्रावधान पर सहमति नहीं दी।

केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों से कहा गया है कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बच्चों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करे तथा यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन करे ताकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके।

[हिन्दी]

जैव-उर्वरकों का विकास

5011. **श्री राम टहल चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जैव-उर्वरकों के विकास हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1995 को उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें यह जैव उर्वरक की आपूर्ति की गई है; और

(ग) अन्य उर्वरकों के साथ इस जैव-उर्वरक के उचित मात्रा में उपयोग हेतु किसानों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण का क्या ब्यौरा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग "जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर एक राष्ट्रीय परियोजना" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के अधीन किसानों में 21,76,478 पैकेट (प्रत्येक 200 ग्राम) वितरित किए गए। प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा विभिन्न माध्यमों के जरिए प्रचार किया गया है। इसके अलावा दो वर्षों की अवधि के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में केंद्रीय सहायता से 8 जैव उर्वरक उत्पादन एककों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों में बी.जी.ए. के उत्पादन और आर्द्र भूमि में इसके उपयोग के लिए नीले हरे शैवाल उपकेंद्रों को सुदृढ़ बनाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा विकसित/उत्पादित जैव उर्वरकों का उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, उत्तर पूर्वी राज्यों, महाराष्ट्र और गोवा के किसानों में वितरण किया गया है।

(ग) जैव उर्वरक पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय/क्षेत्रीय केंद्रों ने जैव उर्वरक के उपयोग के लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने तथा सृजित करने के लिए क्षेत्रगत प्रदर्शनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवधि के दौरान 134 क्षेत्रगत प्रदर्शन किए गए हैं तथा 127 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

[अनुवाद]

"केटालिटिक कन्वर्टर्स"

5012. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार महानगरों में कितने चौपहिए, तीन पहिया और दुपहिया वाहन जिनमें केटालिटिक कन्वर्टर्स नहीं हैं और न ही उनमें ये कन्वर्टर्स लगाए जा सकते हैं और जो प्रदूषण स्तर को न्यूनतम करने हेतु सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग कर सकते हैं, पंजीकृत किए जा चुके हैं, और

(ख) सरकार द्वारा पहले से ही लाइसेंस प्रदत्त पुराने वाहनों, जो धुएं में सीसे की अधिक मात्रा छोड़ते हैं: जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं, में प्रदूषण के स्तर को न्यूनतम करने हेतु किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 31, मार्च 1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के चार प्रमुख महानगरों में पंजीकृत पेट्रोल वाहनों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

महानगर	कुल पेट्रोल वाहन
दिल्ली	1,8,12,967
बम्बई	62,5456
कलकत्ता	4,75,032
मद्रास	5,44,278

सरकार ने 1.4.1995 से उन चार महानगरों में केवल उन नए चार पहिए वाले पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है जिन पर उत्प्रेरक प्रवर्तक लगे हुए हैं और जिनका डिजाइन सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग करने के लिए तैयार किया गया है। देश में सड़क पर चल रहे मौजूदा वाहनों की संख्या मालूम करने के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किए गए हैं, जिन पर सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के लिए उत्प्रेरक प्रवर्तक लगाए जा सकते हैं, किंतु कुल मिलाकर भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुराने वाहनों में उत्प्रेरक परवर्तक लगाना तकनीकी रूप से व्यवहार्य और किफायती नहीं समझा गया है।

(ख) सड़क पर चल रहे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे और प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. राज्य परिवहन प्राधिकारियों को सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने के लिए कहा गया है।

2. दिसंबर 1996 तक देश भर में सप्लाई किए जाने वाले पेट्रलो में सीसे के स्तर को घटाकर 0.15 ग्राम प्रति लीटर तक किए जाने की योजना है।

3. यानी प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों से संबद्ध सांविधिक दण्डात्मक प्रावधानों तथा उत्सर्जन स्तरों को अल्प रखने के उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली सहित शहरों के परिवहन विभागों द्वारा गहन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

4. विभिन्न सरकारी विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्राधीन के वाहनों की नियमित जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा गया है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

5. देश के प्रमुख शहरों और नगरों के मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक बृहद सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग प्रमुख शहरों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने में किया गया है।

6. नगर नियोजकों को अपनी योजना में परिवहन की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को समाविष्ट करने के लिए कहा गया है।

7. कुछ शहरों में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के प्रयोग हेतु कदम उठाए गए हैं।

अधिकतम मूल्य अंकित नहीं किया जाना

5013. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वह कई कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों पर अधिकतम मूल्य अंकित किए बिना ही खाद्य वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए इन उत्पादों पर अधिकतम मूल्य मुद्रित किया जाए?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 और उसके तहत बनाए गए बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अंतर्गत पहले से पैक की हुई वस्तु पर, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा करना एक अनिवार्य अपेक्षा है। इस अपेक्षा का उल्लंघन करने पर नियमों के तहत निर्धारित दाण्डिक उपबंध लागू होते हैं जिसमें पहली बार अधिकतम 5000 रु. तक का दण्ड दिया जा सकता है।

(ख) दोषी व्यक्तियों पर उक्त अधिनियम व नियमों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रवर्तन विभाग द्वारा अभियोजन चलाया जाता है।

[हिन्दी]

हिन्दी पुस्तकें

5014. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी पुस्तकों के पाठकों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिंदी पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्य इसका एक कारण हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिंदी को बढ़ावा देने की दृष्टि से हिंदी पुस्तकों के बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने हिंदी भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां आयोजित कीं और यह पाया कि वहां हिंदी पुस्तकें पढ़ने वालों की बड़ी संख्या है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग), (घ) एवं (ङ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास उचित मूल्यों पर पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है जिसमें बच्चों के लिए पुस्तकें तथा नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता पठन सामग्री शामिल है। साहित्य अकादमी की पुस्तकों के मूल्य भी कम ही रखे जाते हैं क्योंकि उनके निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

हिंदी की प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को भी मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

सामुदायिक पालिटेक्निक

5015. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक भेज देगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। सामुदायिक पालिटेक्निक योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय प्रबंध संघ के पूर्व महानिदेशक श्री एम. एस. लूथर की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1995 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

रेलवे स्टेशन

5016. **प्रो उम्मारेड्डि वेंकटस्वरलु : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेवले के विजयवाड़ा डिवीजन के रेलवे स्टेशनों का सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रदान की गई आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा सफाई की स्थिति भी असंतोषजनक है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य यातायात आवश्यकताओं के आधार पर अपेक्षित होने पर शुरू किया जाता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो और ऐसा करते समय विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तदनुसार 1994-95 में अनापारती, अन्नतुरम्, गुंटूर, नरसापुर, काकीवाड़ा टाउन, वेटापालेम, अकोविडु, केकालुर, ओंगोल, नेल्लोर और राजामुन्द्री रेवले स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार वृद्धि से संबंधित कार्य पूरे कर दिए गए हैं।

इसके अलावा नेल्लोर, तेनाली, कापाली, राजामुंद्री, गुंटूर, निद्दुवोलु, अनकापल्ले, तूनी, ओंगोल, चिन्ना, गंजम, चिराला, विजयवाड़ा, भीमावरम् टाउन निद्दुवोलु, मोदुकुरु नरसीपटनम रोड और गडीवाडा रेलवे स्टेशनों पर भी निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं या फिर किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) हाल ही में विजयवाड़ा मंडल सहित सभी स्टेशनों पर आधारभूत यात्री सुविधाओं में कमी को दूर कर दिया गया है। विजयवाड़ा मंडल के स्टेशनों सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर सफाई के स्तर में सुधार करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे को अनुदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

मुंबई के लिए रेलगाड़ी

5017. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई-दाउन्द-मनमद पैसेंजर रेलगाड़ी गत कई वर्षों से स्थगित है;

(ख) क्या इस समय मनमद तथा दाउन्द के बीच पड़ने वाले शहरों से बांबे के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहमदनगर तथा बांबे के बीच, उस क्षेत्र के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कोई रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। लेकिन 1321/1322 बंबई-पुणे-दौंड-मनमाड पैसेंजर गाड़ियों का 1.5.88 से केवल बंबई पुणे खंड पर चालन बंद किया गया है।

(ख) जी हां, तथापि, अहमदनगर-मनमाड के रास्ते दौंड और बंबई के बीच एक थ्रू सवारी डिब्बा उपलब्ध है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

अकादमियों को सहायता

5018. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**
डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों की विभिन्न परिषदों/अकादमियों को केंद्रीय अनुदान के रूप में मंजूर किए जाने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो अब तक मंजूर की गई राशि क्या है तथा उपरोक्त अविध के दौरान वस्तुतः कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केंद्रीय सरकार का संस्कृति विभाग राज्य सरकारों की किसी अकादमी/परिषद को कोई अनुदान प्रदान नहीं करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

5019. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री मुही राम सैकिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारियों और शिक्षकों को उपलब्ध हो सकने वाली चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महानगरों में सेवारत केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है और वह भारत सरकार के चिकित्सा परिचर्या नियमों का अनुसरण करता है, जिनमें प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा इलाज किए जाने और चिकित्सा व्यय इत्यादि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था है। संगठन के कर्मचारी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा में शामिल किए जाने के लिए स्वतः पात्र नहीं हैं।

तथापि बंबई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में रहने वाले कुछ केंद्रीय विद्यालयों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं दी गई हैं।

[अनुवाद]

चीनी का आयात

5020. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए चीनी के उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर चीनी का आयात किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप गत वर्ष के दौरान चीनी का भारी मात्रा में आयात करना पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी का आयात मौसम के शुरू में पूर्वाशिष्ट स्टॉक, अनुमानित उत्पादन, घरेलू खपत के लिए चीनी की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। चीनी उत्पादन के आंकड़े चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त निवेश, चीनी उद्योग की शीर्ष निकायों द्वारा दिए गए अनुमान, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, कृषि मंत्रालय द्वारा बताया गया अनुमानित क्षेत्र तथा गन्ना उत्पादन आदि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मौसम के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके आगे चीनी मौसम 1994-95 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए चालू मौसम के लिए चीनी उत्पादन का अनुमान लगाने हेतु एक अंतर मंत्रालय समूह बनाया गया है, जिसमें नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा खाद्य मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं।

(ख) और (ग) पिछले वर्ष के दौरान चीनी का आयात 1993-94 मौसम के दौरान चीनी उत्पादन में आई कमी के कारण करना पड़ा जो मुख्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ना/चीनी उत्पादन में गिरावट और गन्ने का गुड़ व खांडसारी क्षेत्रों की ओर अधिक झुकाव के कारण हुई थी।

चीते की मौत

5021. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1995 में दिल्ली चिड़ियाघर में देश में जीवित बचे एक मात्र चीते की मृत्यु हो गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीतों के लिए रक्षित (कैप्टिव) प्रजनन परियोजना समाप्त हो गई है;

(ग) क्या सरकार ने चीते की मौत के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश में एक मात्र जीवित बचे चीते की 11.1.1995 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में मृत्यु हो गई।

(ख) अफ्रीकी चीते के बंदी प्रजनन के लिए कोई परियोजना नहीं थी।

(ग) और (घ) मृत जानवर की शव परीक्षा से पता चला कि उसकी मृत्यु सल्मोनेला टाइफिमुरिया के कारण हुई। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में चीते की मृत्यु के कारणों की जांच करने के लिए डा. जे.वी. चीरां को नियुक्त किया था। उनसे रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

पौध संरक्षण/संगरोधन निदेशालय

5022. **श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में पौध संरक्षण, संगरोधन और भंडारण निदेशालय को एक शाखा कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक खोल दिया जाएगा;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि राज्य सरकार को दे दी गई है;

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा कुल खर्च में से अनुमानतः कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है; और

(ङ) प्रस्तावित कार्यालय के लिए वार्षिक आवर्ती और अनावर्ती व्यय कितना किया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना के दौरान बंगलौर में पादप संगरोध और धूमीकरण केंद्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) राज्य सरकार को अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है;

(घ) और (ङ) वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 11.00 लाख रुपए आंका गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

[हिन्दी]

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

5023. **प्रो. प्रेम धूमल :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में बहुमूल्य पुस्तकों की चोरी और उनकी हालत खराब होने के संबंध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण ग्रंथालय को कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार को उक्त नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय से काई अनुरोध मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि देने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हाल्ट स्टेशन

5024. **मेजर डी.डी. खनोरिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिंदर नगर सेक्शन पर पट्टी (हिमाचल प्रदेश) में हाल्ट स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा और स्टेशन कब से चालू हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पट्टी स्टेशन पर प्रस्तावित हाल्ट का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू करने की आशा है और यह स्टेशन निर्माण कार्य और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद चालू हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश

5025. **डा. सुधीर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों-सिविलियन और सेना कर्मचारियों के सभी योग्य बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता है जबकि वे प्रवेश पाने के लिए आवेदन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में मांग और स्थान उपलब्धता में संतुलन को सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपाय करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिलों के लिए आवेदन करने वाले केंद्रीय सरकार के असैनिक और रक्षा कार्मिक दोनों प्रकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की संख्या हमेशा उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक होती है।

(ख) दाखिले की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 1993-1998 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष 20 तक नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति दी है। इसके अलावा जहां भी संभव होता है वर्तमान कक्षाओं में और सेक्शन भी बनाए जाते हैं।

[हिन्दी]

नकली सीमेंट

5026. **श्री राम पाल सिंह :**

श्री प्रभू दयाल कोठारिया :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई कारखाने घटिया सीमेंट का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कार्रवाई गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसा मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

अरंडी का तेल

5027. **श्री फूल चंद वर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अरंडी बीजों का कितना उत्पादन हुआ और कितनी मात्रा में अरंडी के तेल का निर्यात किया गया;

(ख) किन-किन देशों को अरंडी के तेल का निर्यात किया गया, देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में विदेशों में भारतीय अरंडी के तेल की मांग में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो मांग में कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशों में अरंडी के तेल की मांग में भारी वृद्धि ने देश में विशेषतः पश्चिमी क्षेत्रों में अरंडी बीजों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और घरेलू तेल बाजार में अन्य तेल के बीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित अरण्डी के बीज की मात्रा तथा निर्यात किए गए अरण्डी के तेल की मात्रा इस प्रकार है :

आंकड़े लाख मीटरी टन में

वर्ष	अरण्डी के बीज का उत्पादन	अरण्डी के तेल का निर्यात
1991-92	5.80	0.91
1992-93	6.20	0.68
1993-94	7.40	1.24

(ख) अरण्डी के तेल के निर्यात का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही के वर्षों में विदेशों में भारतीय अरण्डी के तेल की मांग बढ़ी है जिसका मुख्य कारण है देश में अरण्डी के बीज के उत्पादन में वृद्धि जो स्वदेशी आवश्यकता से अधिक है। साथ ही, ब्राजील और चीन में अरण्डी की फसल नष्ट हो जाने के कारण भारतीय अरण्डी के तेल की मांग बढ़ी है।

(ङ) और (च) विदेशों में भारतीय अरण्डी के तेल की मांग बढ़ने से हमारे देश के अरण्डी के बीज के उत्पादकों को लाभ हुआ है तथा किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य मिल रहा है। इससे स्वदेशी अर्थव्यवस्था में पूरे तिलहन क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

विवरण- एक

1991-92 में निर्यात किए गए अरण्डी के तेल का देशवार ब्यौरा

देश	मात्रा मी.टन में	मूल्य लाख रुपये में
1	2	3
अरण्डी का तेल	90846723	13976.110
आस्ट्रेलिया	185601	24.25
बंगलादेश	7150	1.32
बेल्जियम	35550	8.52
चीनी ताईपेय	23000	4.30
साइप्रेस		
चिकोस्लोवाई	11371361	1934.16
इजिप्ट	14000	3.01
फ्रांस	34920120	4925.06
जर्मन ज. गणतन्त्र	529640	125.71
इटली	2089600	497.83
जापान	4369860	745.53
केनिया		
कोरिया ग.	114550	25.21
कुवैत	48000	8.89
लैसोथो		
मलेशिया	5679	3.25
मारीशस	9000	2.01
नीदरलैंड	4779304	698.00
न्यूजीलैंड	51061	11.36
नाइजीरिया	59000	17.00
पाकिस्तान	84000	17.36
फिलीपीन्स	36000	5.80
कतार	1310	0.60
रियूनियन	60	0.05
सऊदी अरब	84560	18.73
सिंगापुर	243000	49.12
स्पेन	184400	39.71
श्रीलंका	4000	1.01
सीरिया		
तंजानिया ग.		
टुकोल द्वीप		
संयुक्त अरब अमीरात	196390	44.41
यू.के.	442500	86.25
यू.एस.ए.	6980720	1186.80
सी.आई.एस.	24056500	3484.95

विवरण-दो

1992-93 में निर्यात किए गए अरण्डी के तेल का देशवार ब्यौरा

देश	मात्रा कि.ग्रा. में	मूल्य लाख रुपये में
1	2	3
अरण्डी का तेल और उसके अंश		
आस्ट्रेलिया	190500	4181259
बंगलादेश	60860	1168052
चीनी ताईपेय	16000	362981
साइप्रेस	300000	424846
चिकोस्लोवाई	1001000	18080500
फ्रांस	16211000	256187344
जर्मन ज. गणतन्त्र	2227700	37915612
इटली	1153800	20502522
जापान	2588740	44122469
केनिया	2000	56325
कोरिया ग.	144000	3064503

1	2	3
कुवैत	144000	2994297
लैसोथो	61020	1347712
मलेशिया	7413	282000
मारीशस	16000	413347
नीदरलैंड	20175119	341772939
सऊदी अरब	56000	1438734
सिंगापुर	87500	1976579
श्रीलंका	4000	117283
सीरिया	375	9161
तंजानिया ग.	16000	393726
संयुक्त अरब अमीरात	53400	991223
यू.एस.ए.	15391000	261689212

विवरण-तीन

1993-94 में निर्यात किए गए अरण्डी के तेल का देशवार ब्यौरा

देश	मात्रा कि.ग्रा. में	मूल्य लाख रुपये में
1	2	3
अरण्डी का तेल और उसके अंश	131391134	24916936200
आस्ट्रेलिया	190100	4991959
बहरीन द्वीप	700	14853
बेल्जियम	35840	866418
ब्राजील	15804740	283123482
कनाडा	210	6568
चीनी ताईपेय	198900	3311988
चैक गणराज्य	9534000	210680890
इजिप्ट	14000	398542

1	2	3
फ्रांस	23112890	447926422
इटली	533000	12423311
जापान	213802	40219910
जोर्डन	100	4375
कोरिया ग.	828000	20716256
कुवैत	224000	5300766
लेबनान	11000	380610
मलेशिया	35230	965283
मारीशस	17000	473853
नीदरलैंड	33904828	682663393
न्यूजीलैंड	12000	347100
रूस	10510000	253417347
सऊदी अरब	35600	1278249
सिंगापुर	433000	10815284
साउथ अफ्रीका	42000	1244545
स्पेन	816000	16387960
श्रीलंका	7000	189338
थाइलैंड	491000	9983522
टर्की	176500	4153939
संयुक्त अरब अमीरात	279000	8331978

सम्मेलन तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना

5028. **श्री मंजय लाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय द्वारा कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों को आयोजित करने की कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए ऐसे सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों की क्या संख्या है; और

(घ) भविष्य में इस संबंध में सरकार की योजना क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन कृषि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना के प्रसार एवं आदान प्रदान के साधनों में से एक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनियां

क्र. सं.	विषय	स्थान	तारीख
1.	आपदा शमन पर सार्क सम्मेलन	नई दिल्ली	30 मार्च से 2 अप्रैल 1994
2.	प्राकृतिक आपदा शमन के अंतरराष्ट्रीय दशक पर वैज्ञानिक और तकनीकी समिति का चौथा सत्र	नई दिल्ली	1-5 फरवरी, 1993
3.	एग्रो एक्सपो	नई दिल्ली	8 से 14 मार्च, 1995

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली

5029. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ गोदामों में खाद्यान्न उतारने के लिए ठेका प्रणाली की प्रथा है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में प्रचलित ठेका प्रणाली के कारण भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रणाली के परिणामस्वरूप होने वाले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के पास 31.3.1995 को स्थिति के अनुसार ठेका (हैंडलिंग और ढुलाई) दिए जाने में हुई अनियमितताओं से संबंधित तेरह मामले लंबित थे। इन मामलों की अंचलवार संख्या नीचे दी गई है :

उत्तरी अंचल	5
पूर्वी अंचल	3
उत्तर-पूर्वी अंचल	4
दक्षिण अंचल	1
योग	13

ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने संबंधी मामलों में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने के लिए निवारक और दण्डात्मक दोनों तरह के उपाय किए जाते हैं। निवारक उपाय में आकस्मिक/नियमित जांच शामिल है। यदि किसी सरकारी पदाधारी अथवा ठेकेदार के विरुद्ध बदनीयती/भ्रष्टाचार का मामला सिद्ध हो जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

संकर खाद्यान्न फसल

5030. **श्री अमल दत्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में चावल की संकर किस्म तथा अन्य संकर खाद्यान्न फसलों की खेती करने और इन्हें बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : चावल की संकर किस्मों तथा अन्य खाद्यान्नों की संकर किस्मों की खेती करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) संकर किस्मों की प्रौद्योगिकी सहित उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में कृषकों तथा विस्तार कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना;

(ख) उन्नत फसल कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में कृषकों के जोतों पर क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करना;

(ग) खाद्यान्नों की संकर किस्मों के बीज़ मिनीकिटों का वितरण।

[हिन्दी]

अंतर्नगरीय रेलगाड़ियां

5031. **श्री दत्ता मेघे** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में और अधिक अंतर्नगरीय रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) अंतर्नगरीय गाड़ियों सहित नई गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

1995-96 के दौरान तिरुपति-कुड्डावाह, एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम, जयपुर, दिल्ली और कानपुर-फर्रूखाबाद खंडों पर दिन के समय की अंतर्नगरीय गाड़ियां पहले ही चला दी गई हैं। बीकानेर-जयपुर और अहमदाबाद-भावनगर खंडों पर इसी प्रकार की गाड़ियां (शताब्दी को छोड़कर) चलाए जाने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय समिति की धनराशि का आवंटन

5032. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालय समिति के लिए आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का समुचित और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना का मूल्यांकन

5033. **श्री बलराज पासी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान ने शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) सरकार सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत मीडिया उपयोग संबंधी पहलू पर एक मूल्यांकन किया था।

(ख) मूल्यांकन की मुख्य सिफारिशों की रूप-रेखाएं निम्नलिखित हैं :

1. जिन स्कूलों में रेडियो व कैसिट प्लेयर और कलर टेलीविजन हैं, उन स्कूलों की समय सारिणी में शैक्षिक प्रसारणों को सुनना तथा देखना शामिल करना; और
2. कलर टेलीविजनों/रेडियो व कैसिट प्लेयरों का उपयोग स्कूलों के निरीक्षण में एक आवश्यक मद के रूप में होना।

(ग) इन सिफारिशों को आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिया गया है। इसी तरह उपर्युक्त अध्ययन के अनुसरण में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) के पर्यवेक्षण में एक वाह्य एजेंसी द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे पास

5034. **श्री लाल बाबू राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए जारी किए गए रेलवे पासों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान अब तक ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) इन पासों का दुरुपयोग रोकने हेतु कहां तक सफलता मिली है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केले का उत्पादन

5035. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केले का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केले का कुल उत्पादन क्रमशः 8523.2 और 9241.5 हजार मीटरी टन था। वर्ष 1994-95 के लिए राज्यों से अनुमान प्राप्त होने का अभी समय नहीं हुआ है।

गन्ने का उत्पादन

5036. श्री अमर पाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्य-वार गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) यदि कोई कमी पाई गई तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को, विशेषतः उत्तर प्रदेश के किसानों को अधिक तकनीकी जानकारी देने संबंधी कोई कार्यक्रम तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए गन्ना उत्पादन के लिए निर्धारित राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1994-95 के लिए गन्ना उत्पादन के अंतिम प्राक्कलन राज्यों से प्राप्त होने का अभी समय नहीं हुआ है। तथापि, राज्यों से उपलब्ध आकलन के अनुसार 1994-95 के दौरान देश में गन्ने का कुल उत्पादन लगभग 250.21 मिलियन मी. टन होने की संभावना है, जो इस वर्ष के लिए निर्धारित 250.0 मिलियन मी. टन के लक्ष्य से अधिक है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में गन्ना से संबंधित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों, फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों तथा महिलाओं को नव विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन, गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन तथा उन्नत उपस्करों के वितरण आदि पर बल देने का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के लिए विभिन्न राज्य में गन्ने के लक्ष्य को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	लक्ष्य
1	2
आंध्र प्रदेश	1350
असम	2000
बिहार	8500
गुजरात	10500
हरियाणा	8500
हिमाचल प्रदेश	-
जम्मू और कश्मीर	-
कर्नाटक	20500
केरल	600
मध्य प्रदेश	2200
महाराष्ट्र	35000
उड़ीसा	5000
पंजाब	8000
राजस्थान	1300
तमिलनाडु	25000
उत्तर प्रदेश	107200
पश्चिम बंगाल	1200
अन्य	1000
अखिल भारत	250000

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5038. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रायपुर से धमनतारी के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 मार्च, 1995 तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रायपुर-धमनतारी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण 1995-96 में शुरू किया जा रहा है। परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही संभव हो सकेगा।

रेलवे लाइन

5039. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के विलासपुर प्रमंडल में विलासपुर-चंपा-तिहरी रेल लाइन पर चल रहे निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या उपरोक्त मार्ग चंपा तक ही जाएगा या इसे और आगे बढ़ाया जाएगा और यदि हां, तो इसे आगे कहां तक बढ़ाया जाएगा; और

(ग) मार्ग पर चल रहा निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इस पर क्या लागत आएगी?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शैक्षिक सर्वेक्षण

5040. **श्रीमती कृष्णेंद्र कौर (दीपा)** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है,

(ख) यदि नहीं तो, इसे कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) सर्वेक्षण के अब तक के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं।

(ख) छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय समय सूची के अुनसार दिनांक 31.7.96 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारिता के बारे में समिति

5041. **श्री मोहन रावले :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता सहकारिता सोसायटियों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के गठन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन और इसके विचारणीय विषय का ब्यौरा संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

(ग) जी, हां। समिति ने 10 अप्रैल, 1995 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) और (ङ) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं

1. अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और परिणामस्वरूप सदस्यों की सहभागिता में कमी;
2. ढांचागत अपर्याप्तता, कारगर क्रय नीति और वस्तु सूची प्रबंधन का न होना तथा साथ ही व्यावसायिक प्रबंधन का अभाव; और
3. देश में उपभोक्ता सहकारिताओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित योजना को बहाल करना। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

विवरण-I

समिति का गठन

भारत सरकार के नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिनांक 12 नवंबर, 1993 की अपनी अधिसूचना सं. जी 20011/7/93-सी पी डी द्वारा निम्नवत एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी :

क्र.सं.	नाम	पद
1	2	3
1.	श्री जी.के. शर्मा क्षेत्रीय निदेशक इन्टरनेशनल कोऑपरेटिव एलायन्स	अध्यक्ष
2.	श्री के. उप्पीलियाप्पन, आयुक्त सह सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, केरल सरकार	सदस्य
3.	श्री बी.डी. पवार, विपणन निदेशक महाराष्ट्र सरकार, पुणे	सदस्य
4.	श्री बी.सी. माथुर मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य

1	2	3
5.	श्री पी.ए. काम्बली, महाप्रबंधक, अपना बाजार, बम्बई	सदस्य
6.	श्री एल.एन. सूरी, महाप्रबंधक, केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री के.एन. कुट्टी (इनके स्थान पर 1.6.1994 से श्री वाई. झा ने कार्य भार संभाला) अपर मुख्य परामर्शदाता परामर्शदात्री एवं प्रोत्साहन सहकारी संघ नई दिल्ली।	सदस्य
8.	श्री एम.के. चक्रवर्ती भतपूर्व निदेशक (सहकारिता) नागरिक पूर्ति मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

विवरण-दो

समिति के विचारणीय विषय

1. देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों की रुग्णता की सीमा का पता लगाने के लिए भी राज्यों में सभी स्तरों अर्थात राज्य स्तर, जिला/केंद्रीय स्तर तथा प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण का अध्ययन करना;

2. भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं सहकारी संगठनों की रुग्णता के लिए जिम्मेदार बाधाओं और अड़चनों का पता लगाना;

3. संसाधित और फास्ट फूड एककों और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के एककों तथा विभिन्न आकारों के थोक व खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना के जरिए उपभोक्ता गतिविधियों के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण पर सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के प्रभाव का अध्ययन करना तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों को पर्याप्त मजबूत बनाने हेतु उपायों का सुझाव देना ताकि वे न केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें बल्कि वे बाजार मूल्य क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं को निरंतर अदा कर सकें।

4. देश के दूर-दूर फैले तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के शहरी क्षेत्रों में कालोनियों और शहरी गंदी बस्तियों में बसने वाले गरीब तथा कमजोर वर्गों की सहायता के लिए अपनाई जाने वाली नीति के बारे में अध्ययन करना एवं सुझाव देना;

5. इन समितियों के कार्यकरण में आने वाली बाधाओं तथा कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना और सारे देश में उपभोक्ता सहकारी आंदोलन को पुनरुज्जीवित करने के लिए उपायों की सिफारिश करना; और

6. केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योजना तैयार करना।

रासायनिक उर्वरक

5042. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस पर तथा नाइट्रोजन उर्वरक के असंतुलित उपयोग पर कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) देश के किसानों को रासायनिक उर्वरक के उपयोग के ऋणात्मक पहलू पर शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या ब्यौरा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा बरकरार रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आवश्यक है। यह आवश्यक है कि यदि पोषक तत्वों की कोई कमी हो तो उसे दूर करने के लिए अन्य सूक्ष्म तत्वों

गौण पोषक तत्वों के साथ-साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश का संतुलित उपयोग किया जाये।

(ग) और (घ) जी हां। फसल प्रणाली अनुसंधान, मृदा जांच फसल अनुक्रिया, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण, कार्बनिक छीजनों का सूक्ष्मजीवी अपघटन सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा दीर्घावधि-उर्वरक के उपयोग संबंधी विभिन्न अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के अंतातित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उर्वरक संबंधी अनेक परीक्षण किये हैं। इन परीक्षणों के परिणामों ने यह दर्शाया है कि जैविक खाद तथा जैव-उर्वरकों के संयोग से संतुलित उर्वरकों के समाकलित उपयोग द्वारा फसल की पैदावार को बरकरार रखा गया है। देश में मृदा जांच प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के जरिए इन जांचों के परिणामों का बेहतर उपयोग हुआ है।

(ङ) कृषि तथा सहकारिता विभाग का उर्वरक प्रभाग निम्न ते केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है : (1) उर्वरकों का संतुलित तथा समाकलित उपयोग (2) कम खपत वाले बारानी क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास तथा एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना (राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास एवं उपयोग प्रायोजना)। इन योजनाओं के द्वारा कार्बनिक तथा जैव उर्वरकों के उपयोग को किसानों के बीच बढ़ावा दिया जा रहा है। इन योजनाओं का एक प्रमुख अंग कम्पोस्ट तथा कार्बनिक छीजन के पुनर्चक्रण आदि पर किसानों को शिक्षित करना है।

चीनी मिलें

5043. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विचाराधीन सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों के प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये कब तक स्वीकृत हो जाएंगे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार, सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों के निर्माण के लिए ऋण देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवधिक ऋण देने वाले संस्थान इस संबंध में चीनी मिलों की कैसे सहायता करेंगे?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) 31.1.95 तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए विचाराधीन आवेदनों की राज्यवार संख्या निम्न प्रकार है :

1.	महाराष्ट्र	11
2.	कर्नाटक	1
3.	मध्य प्रदेश	1
	कुल	13

(ख) 31.1.95 तक महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय से 16 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाएगा जब चीनी उद्योग के लिए लाइसेंसिंग नीति पर समीक्षा पूरी हो जाएगी।

(ग) से (ङ) भारत सरकार सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियों को स्थापना हेतु कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि ऐसे ऋण वित्तीय संस्थानों द्वारा सीधे उपक्रमों को उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) भी राज्य सरकारों को सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की शेयर पूंजी के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराती है।

चारे की नई क़िस्में

5044. **श्री शिव शरण शर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा विकसित की गई चारे की नई किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के प्रत्येक गांव में किसानों को चारे की ये किस्में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए जायेंगे?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा विभिन्न चारों और पर्वतीय चरागाह फसलों की विकसित किस्मों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) यह संस्थान विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों तथा राज्यों के कृषि विभागों की प्रजनक बीजों की मांग को पूरा कर रहा है। राज्यों के इन कृषि विभागों पर किसानों की उन्नत बीज संबंधी मांग को पूरा करने का दायित्व है।

(ग) संस्थान, बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों की मांग के अनुसार जारी की गयी किस्मों के प्रजनक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करता रहेगा।

विवरण

भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा विभिन्न चारों एवं पर्वतीय चरागाह फसलों की विकसित किस्मों का ब्यौरा

फसल	किस्म	क्षेत्र जहां अपनाया गया
बरसीम	1. वार्डन	सम्पूर्ण देश में।
	2. जे.एच.बी.-89-4	पहाड़ी क्षेत्रों में।
जई	1. बुन्देल जई-822	सम्पूर्ण भारत में।
	2. बुन्देल शीट जई-810	पहाड़ी क्षेत्रों में।
लोबिया	1. बुन्देल लोबिया-1	सम्पूर्ण भारत में।
	2. बुन्देल लोबिया-2	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र।
ग्वार	1. बुन्देल ग्वार-1	अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र में।
	2. बुन्देल ग्वार-2	अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के लिए दोहरी उपयोगिता।
नेपियर-बाजरा		
संकर	1. आई.जी.एफ.आर.आई-6	सम्पूर्ण भारत में।
	2. आई.जी.एफ.आर.आई.-7	-तदैव-
	3. आई.जी.एफ.आर.आई.-10	-तदैव-
अंजन घास		
	1. बुन्देल अंजन	अर्द्ध-शुष्क क्षेत्र।
दीनानाथ	1. बुन्देल दीनानाथ-1	सम्पूर्ण भारत में।
घास	2. बुन्देल दीनानाथ-2	-तदैव-

गन्ना पेराई क्षमता

5045. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाने तथा उपभोक्ता उन्मुख आत्मनिर्भरता की नीति बनाने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है?

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी गन्ना पेराई क्षमता स्थापित/स्वीकृत की गयी अथवा स्थापित की जायेगी;

(घ) अगले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी अतिरिक्त क्षमता स्थापित किए जाने का विचार है और इसके लिए कितना पूंजी निवेश किया जायेगा; और

(ङ) रुग्ण एककों की कुल राज्य-वार संख्या और क्षमता कितनी है और इन एककों को फिर से चालू करने के लिए क्या कार्य-योजना बनायी गयी है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए बनाई गई समिति द्वारा निर्धारित 8वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 1996-97 के अंत तक 198.67 लाख टन लाइसेंसशुदा क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 205.5573 लाख टन क्षमता 31.1.95 तक पहले ही लाइसेंसशुदा कर दी गई है।

(ग) चालू चीनी वर्ष 1994-95 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 31.3.95 तक 2.3688 लाख टन कुल वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता की 7 नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित की जा चुकी हैं।

राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	राज्य	उत्पादन शुरू करने वाली चीनी फैक्ट्रियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	2
2.	पंजाब	3
3.	महाराष्ट्र	1
4.	मध्य प्रदेश	1
		7

वर्तमान संकेतों के अनुसार इस मौसम के शेष अवधि में कोई नई चीनी फैक्ट्री स्थापित होने की आशा नहीं है।

चालू चीनी वर्ष 1994-95 के दौरान 31.1.95 तक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना के लिए कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया है।

(घ) अगले दो चीनी वर्षों में स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का अभी से अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे कंपनियां जो रुग्ण हो जाती हैं उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये प्रावधान सरकारी कम्पनियों पर भी लागू होते हैं। बीआईएफआर ने सूचित किया है कि 28.2.95 तक, उनके पास ऐसी 13 रुग्ण चीनी कम्पनियों के मामले पंजीकृत थे। बीआईएफआर द्वारा प्रस्तुत ऐसी रुग्ण चीनी कंपनियों की राज्यवार सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28.2.1995 को बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत रूग्ण चीनी कंपनियों की राज्यवार सूची दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/कम्पनी	संस्थापित क्षमता (टी.सी.डी.)
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	चल्लापल्ली शुगर	2500
	बिहार	
2.	चम्पारन शुगर	1600
	कर्नाटक	
3.	दावणगरे शुगर कंपनी	1250
4.	सालारजंग शुगर	1016
5.	गंगावती शुगर	2500
	मध्य प्रदेश	
6.	जीवाजी राव शुगर	559
	पंजाब	
7.	भगवानपुरा चीनी मिल्स	2500
	राजस्थान	
8.	मेवाड़ शुगर	1500
	उत्तर प्रदेश	
9.	लक्ष्मी शुगर मिल्स	1700
10.	*कानपुर शुगर वर्क्स लि.	1000
11.	*शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि.	1270
[illegible]	*स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यु. कं. लि.	1219
	पश्चिम बंगाल	
13.	रामनुगेर केन (खितान एग्रो काम्पलेक्स)	1219

*बी.आई.एफ.आर. द्वारा जांचाधीन

[हिन्दी]

"दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"

5046. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1995 के "नवभारत टाइम्स" में "दिल्ली में प्रदूषण बोर्ड बनाने की मंजूरी नहीं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गठन हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 (4) और वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 6 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित नहीं किया जाएगा और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारों का उपयोग करेगा और उसके कार्यों का निष्पादन करेगा। तथापि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी शक्तियों और कार्यों को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिसको केन्द्र सरकार निर्दिष्ट करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त अपनी सभी शक्तियां और कार्य राजपत्र अधिसूचना सं.सा. का. 198 (ई) दिनांक 15.3.1991 के तहत एक समिति को प्रत्यायोजित कर दी है, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण विभाग के सचिव हैं।

[अनुवाद]

आयल पाम की खेती

5047. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार कुल कितने क्षेत्रफल में आयल पाम की खेती की जाती है;

(ख) क्या इन राज्यों में प्रसंस्करण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किसानों को इनकी कमी के कारण हानि न होने देने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या आगामी वर्ष में कई राज्यों में आयल पाम की खेती में वृद्धि करने संबंधी कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को किन-किन राज्यों में शुरू किया जायेगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय देश में आयल पाम की खेती के तहत कुल लगभग 24,000 हैक्टेयर क्षेत्र है। राज्यवार क्षेत्र इस प्रकार हैं :

	राज्य	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	केरल	3,700
2.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1,593
3.	महाराष्ट्र	1,000
4.	आन्ध्र प्रदेश	9,219
5.	कर्नाटक	4,025
6.	तमिलनाडु	3,883
7.	गोवा	410
8.	गुजरात	250
9.	त्रिपुरा	72
10.	उड़ीसा	248
	कुल	(अनन्तिम) 24,400

(ख) और (ग) केरल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के जिन क्षेत्रों में फल की पैदावार आरम्भ हो गई है, उनमें प्रसंस्करण की सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। जिन इलाकों में बागान लगाने का कार्य चल रहा है, वहां संयुक्त क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र/प्राइवेट क्षेत्र में आयल पाम प्रसंस्करण मिलें लगाई जा रही हैं।

(घ और (ङ) आठवीं योजना (1992-97) में करीब 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र में आयल पाम की खेती शुरू करने के लिये आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा तथा असम राज्यों में ऑयल पाम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार तथा संबंधित राज्यों के बीच 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर चलाई जा रही है।

गुजरात में व्यावसायिक पाठ्यक्रम

5048. **श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को राज्य में उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) शेष धनराशि कब तक दे दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, 1994-95 के दौरान गुजरात में प्रथम डिग्री शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए 96.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी (27.00 लाख रुपये विश्वविद्यालयों के लिए तथा 69.00 लाख रु. कॉलेजों के लिए)। इसमें से 91.00 लाख रु. की राशि पहले ही दी जा चुकी है। आशा है कि शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दे दी जाएगी।

इन्द्रयाणी एक्सप्रैस का दुर्घटनाग्रस्त होना

5049. **श्री राम कापसे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 दिसम्बर 1994 को इन्द्रयाणी एक्सप्रैस के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) इस आयोग के निष्कर्षों, सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाओं को न होने देने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गये हैं अथवा किए जायेंगे?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य क्षेत्र ने 1 दिसम्बर, 1994 को हुई 1022 अप-पुणे-बंबई बीटी इन्द्रयाणी एक्सप्रैस की दुर्घटना से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) (i) अपने निष्कर्ष में रेल संरक्षा आयुक्त ने, रेल इंजन में आग लगने, जो कि कम्प्रेशन फटने तथा उसके बाद कम्प्रेशन मीटर के आर्मेचर द्वारा कार्य करने के कारण लगी थी, के तुरंत बाद रेल कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त रूप से ब्रेक न लगाकर गाड़ी की सुरक्षा न करने के कारण

गाड़ी के अनियंत्रित संचलन (नीचे की ओर लुढ़कने) की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

(ii) सवारी डिब्बे में आग, चिंगारियों तथा लपटों के कारण लगी थी जो ब्रेक गियरों से निकल रही थी तथा जब गाड़ी घाटों की ओर लुढ़क रही थी तो ये सवारी डिब्बों के फर्श को छू रही थी।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा आयुक्त के निष्कर्षों के आधार पर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन और अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है।

(ङ) रेलों में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) 10 वर्ष से कम सक्रिय ड्राइविंग सेवा वाले लगभग 17000 ड्राइवरों तथा 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की विशेष स्क्रीनिंग की गई है तथा उन्हें क्रैश प्रशिक्षण दिया गया है।

(ii) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों को नियमित परामर्श दिया जाता है।

(iii) दो उच्च स्तरीय संरक्षा दल, क्षेत्र संस्थापनाओं तथा परिचालन अभ्यासों की मौके पर गहन जांच तथा निरीक्षण कर रहे हैं।

(iv) गंभीर गाड़ी दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदाई कर्मचारियों पर सेवा से बर्खास्तगी/अथवा सेवा से हटाए जाने की सीमा तक कड़ी शास्ति लगाई जाती है।

(v) घाट खंड पर चलने वाली गाड़ियों में काम करने वाले ड्राइवरों को विशेष रूप से परामर्श दिया जा रहा है तथा उनकी निगरानी की जा रही है।

(vi) आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश तथा उन्हें ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया गया है।

(vii) वात ब्रेक वाली गाड़ियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को वात ब्रेक प्रणाली में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(viii) सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर रेल पथ नवीकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों, निरीक्षकों तथा पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों द्वारा नियमों तथा प्रक्रियाओं का सही तरह से पालन हो रहा है।

(x) संरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा विभिन्न दुर्घटना जांच रिपोर्टों की सिफारिशों के आधार पर नए उपाय अपनाएं जाते हैं।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन

5050. **डा. लाल बहादुर रावल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन को तथा इसके आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं तथा रेलवे स्टेशन को सुन्दर बनाने के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) यह कार्य कब आरंभ किया जायेगा और कब पूरा होगा;

(घ) क्या हाथरस जंक्शन रेलवे क्रासिंग पर उपरि-पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, नहीं। इस समय सौन्दर्यीकरण के लिए इस स्टेशन की पहचान नहीं की गई है क्योंकि स्टेशन तथा परिसरों के अनुरक्षण का वर्तमान स्तर संतोषजनक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रेलवे ने राज्य सरकार से प्रस्ताव को प्रायोजित करने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

प्रौढ़ शिक्षा

5051. **श्री एन. डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इनके क्या परिणाम निकले; और

(ग) देश में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1988 में आरंभ किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) निरक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाएं, संपूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियान।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना।

(iii) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं।

(iv) उत्तर साक्षरता तथा सतत् शिक्षा।

अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत अभी तक 8.10 करोड़ व्यक्तियों को नामांकित किया गया है तथा 4.478 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1997 तक संपूर्ण देश में 15-35 आयु वर्ग के 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का दायित्व सौंपा गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीति संपूर्ण साक्षरता अभियान है जो कि क्षेत्र विशिष्ट, स्वयंसेवक आधारित, समयबद्ध, लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी है। आठवीं योजना के अन्त तक 345 जिलों को शामिल करने का लक्ष्य है। अब तक 19 राज्यों तथा 4 संघशासित क्षेत्रों के 336 जिलों में (पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शामिल करके) पूर्ण साक्षरता अनुमोदित किए गए हैं।

[हिन्दी]

फुटबाल खेल

5052. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी विश्व कप टूर्नामेंटों में फुटबॉल को शामिल करने के लिए किक्रेट की तरह इसे मान्यता प्रदान कर इस खेल को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए एक योजना तैयार की है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए उजबेकिस्तान से एक फुटबाल कोच को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित शिविर और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षकों की शिक्षा

5053. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम में शिक्षकों को शिक्षा हेतु कोई योजना प्रायोजित की है और बी.एड. कालेजों का दर्जा बढ़ाने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों की संख्या कितनी है, इनके नाम क्या हैं और प्रत्येक कालेज को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, 7 माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों (एस.टी.ई.आई.) को शिक्षक शिक्षा कालेजों (सी.टी.ई.) में स्तरोन्नत किया गया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक जारी की गई निधियों का 60 प्रतिशत भाग प्रयुक्त किया जा चुका है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह निधियों का पूर्ण उपयोग यथाशीघ्र करें।

विवरण

क्र.सं.	शिक्षक शिक्षा कालेजों में स्तरोन्नत माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों के नाम	31.3.95 तक जारी की गई अनावर्ती केन्द्रीय सहायता की राशि
		(रु. लाखों में)
1.	शिक्षा विभाग, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़	52.00
2.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेज, जोरहाट	47.00
3.	राजकीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कालेज, कोकराझार	48.00
4.	राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण कालेज गोलपारा, गोलपारा	22.34
5.	शिक्षण प्रशिक्षण कालेज, सिल्चर	23.02
6.	शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, तेजपुर	22.95
7.	शिक्षक प्रशिक्षण कालेज, मैगलदई	25.95

[हिन्दी]

रेलवे परियोजनाएं

5054. **श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गुजरात में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और क्या प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने की संशोधित अवधि क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को संशोधित अवधि में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"गिरि शेर परियोजनाएं"

5055. **श्री महेश कनोडिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिर शेर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत कितने वन्य-पशु हैं;

(ख) इस परियोजना के विकास से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कुछ लोगों ने इस क्षेत्र को अनधिकृत तरीके से खनन कार्य करके नष्ट कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्ष 1990 में की गई पिछली गणना के दौरान गिर शेर परियोजना के तहत पशुओं की संख्या, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई, इस प्रकार है :

शेर	284
चीतल	27600
सांभर	1764
नीलगाय	1524
चौसिंग मृग	427
चिंकारा	972

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात (राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास; और (2) सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास नामक स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को प्रदान की गई राशि और उनके द्वारा खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास गिरि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान	0.05	12.85	2.00 (उपयोग की रिपोर्ट अभी नहीं दी गई है।
2.	संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिविकास गिरि राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य	5.90	10.588	-

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे की भूमि

5056. **श्री राम निहोर राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार और रेल प्रशासन के रिकार्डों/कागजात में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट, अनपारा में रेलवे की वास्तविक रूप से कितनी भूमि (एकड़ों में) है;

(ख) रेलवे के कब्जे में इस भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है और कितना अनधिकृत कब्जे में है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रिकार्डों के अनुसार रेणुकूट स्टेशन और अनपारा स्टेशन पर रेलों से संबंधित भूमि क्रमशः 128.30 एकड़ और 89.50 एकड़ है। ये क्षेत्र रेणुकूट स्टेशन पर 2.07 एकड़ और अनपारा स्टेशन पर 0.44 एकड़ भूमि को छोड़कर जिस पर अनधिकृत कब्जा है, यह भूमि रेलों के कब्जे में है। अतिक्रमण के सभी मामलों में बेदखली संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तीन मामलों को छोड़कर सभी मामलों में बेदखली आदेश जारी कर दिए गए हैं।

ओ.बी.सी. कोटा

5057. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भर्ती बोर्ड ने अन्य पिछड़ी जातियों के कोटे को भरने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के अनुदेश जनवरी, 1994 में जारी किए गए थे। रेलों पर भर्ती की सिफारिश करते समय, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

किसानों हेतु कार्यक्रम

5058. **श्री नुरुल इस्लाम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसानों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें "कार्य-अनुभव" शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "कार्य-अनुभव" संबंधी कार्यक्रम से कितने किसान लाभान्वित हुए; और

(घ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) देश में स्थित 242 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा कृषि में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों में किसान कार्य-अनुभव के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा 232731 किसान लाभान्वित हुए हैं।

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्धारित राशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	राज्य का नाम	बजट (रु. लाख में)	
		1994-95	1995-96
1.	अरुणाचल प्रदेश	30.21	11.95
2.	असम	69.08	114.36
3.	मणिपुर	23.29	11.95
4.	मेघालय	23.59	56.68
5.	मिजोरम	13.89	56.28
6.	नागालैण्ड	10.29	11.95
7.	सिक्किम	27.29	11.95
8.	त्रिपुरा	54.51	66.48

परीक्षा प्रणाली में सुधार

5059. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधारों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या योजना तैयार की है;

(ग) 1995-96 के शैक्षिक वर्ष में क्या परिवर्तन लाए जाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 में परीक्षा सुधार संबंधी आवश्यकता पर बल दिया गया है। 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय नीति, 1986 में परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ कार्यात्मक उपायों को अपनाने की मांग की गई है।

जहां तक स्कूल प्रणाली का संबंध है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुशंसित सभी कार्यात्मक उपायों को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों और विभिन्न स्कूल, शिक्षा बोर्डों के पास भेज दिया गया है और उनसे इन कार्यात्मक उपायों को कार्यान्वित करने का आग्रह किया गया है। इन उपायों को कार्यान्वित करने की बुनियादी जिम्मेदारी उन बोर्डों की है जिनसे स्कूल प्रणाली संबद्ध है।

उच्च शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार के संबंध में कुछ कार्य नीतियां तैयार कर हैं जिनको विश्वविद्यालयों के पास भेज दिया गया है।

इन परीक्षा सुधारों का कार्यान्वयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

चीनी उत्पादन

5060. **डा. पी. बल्लभ पेरूमान** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार विशेषतः चालू वर्ष में, तमिलनाडु, में चीनी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस समय तमिलनाडु चीनी उद्योग भंडारण के लिए स्थान की अनुपलब्धता के कारण गंभीर संकटों का सामना कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य में चीनी के भंडारण के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) चीनी मौसम 1991-92 से 1993-94 के दौरान चीनी उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) तमिलनाडु तथा अन्य मुख्य चीनी उत्पादक राज्यों में चीनी उत्पादन के बढ़ते हुए रुख को देखते हुए सरकार ने भंडारण की जगह की समस्या से निपटने के लिए चीनी की मासिक रिलीज को बढ़ा दिया है।

विवरण

चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) 1991-92 से 1993-94 के दौरान चीनी उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

लाख टन

क्रम सं.	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94 अनंतिम
1.	पंजाब	3.84	4.09	3.11
2.	हरियाणा	4.89	3.45	3.08
3.	राजस्थान	0.38	0.24	0.16
4.	उत्तर प्रदेश	36.53	28.57	27.15
5.	मध्य प्रदेश	1.28	0.60	0.37
6.	गुजरात	7.53	7.51	8.26
7.	महाराष्ट्र	42.19	33.60	27.34
8.	बिहार	4.62	3.27	2.21
9.	असम	0.09	0.08	0.04
10.	उड़ीसा	0.37	0.33	0.24
11.	पश्चिम बंगाल	0.06	0.04	0.05
12.	नागालैंड	0.04	0.03	0.01
13.	आन्ध्र प्रदेश	8.43	5.40	6.47
14.	कर्नाटक	10.32	8.48	8.31
15.	तमिलनाडु	12.64	9.76	10.85
16.	पांडिचेरी	0.63	0.45	0.37
17.	केरल	0.09	0.06	0.02
18.	गोवा	0.18	0.13	0.08
अखिल भारत		134.11	106.09	98.12

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

5061. **श्री पी.पी. कालियापेरूमल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि में से कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में कितनी व्यावसायिक कक्षाओं की मंजूरी दी गई और कितनी कक्षाएं शुरू हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार को 1406.70 लाख रु. की राशि की संस्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार ने अब तक इसमें से 567.75 लाख रुपये खर्च किये हैं। वर्ष 1994-95 के लिए संस्वीकृत निधियां चालू वर्ष में उपयोग में लाई जायेगी।

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, तमिलनाडु राज्य में 700 स्कूलों में अब तक संस्वीकृत 2140 व्यावसायिक सेक्शन में से 500 स्कूलों में 1540 सेक्शन चालू गये हैं। वर्ष 1993-94 और 1994-95 में 200 स्कूलों में संस्वीकृत 600 सेक्शन को चलाने के लिए कार्यशालाओं के निर्माण जैसी प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति पर है।

शीतागार

5062. **श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को राज्य में शीतगार की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार को इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार से कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(घ) केन्द्र सरकार ने उन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड से 31.1.95 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें गणदेवी (बुलसार जिला), जूनागढ़ तथा प्रनजोत (साबरकांठा जिला), प्रत्येक स्थल पर तीन पूर्व प्रशीतन एककों तथा तीन शीत भण्डागारों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान के रूप में सहायता की मांग की गई थी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पूर्व प्रशीतन एककों तथा शीत भण्डागारों की स्थापना के लिये सहायक अनुदान के रूप में सहायता प्रदान नहीं करता है, बल्कि उदार ऋण के रूप में सहायता प्रदान करता है। निगम को इसके अनुसार सलाह दी गई थी तथा निर्धारित प्रपत्र पर विस्तृत परियोजना प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके उनसे प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

सहकारिता आन्दोलन में सुधार

5063. **डा. जी.एल. कनौजिया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 नवम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेंटर स्टेट्स रैपड फार स्टाइमिंग कोओपरेटिव्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता आंदोलन को फिर से शुरू करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) भारत में सहकारिता की स्थिति (1993-94) के संबंध में सहकारी उपक्रमण पैनल के एक प्रकाशन के संबंध में "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 10.11.1994 के अंक में समाचार प्रकाशित हुआ है। सहकारी उपक्रमण पैनल ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा सहकारी विकास संघ, हैदराबाद द्वारा प्रायोजित सहकारी उपक्रमण परियोजना का काम शुरू किया है। इस परियोजना के तहत लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सहकारी उपक्रमण पैनल कार्यशालायें आयोजित करता है। सर्व श्री मोहन धारिया, एल.सी. जैन तथा डा. वी. कुरियन सहकारी उपक्रमण पैनल के सदस्य हैं।

सहकारी वर्ष 1993-94 के लिए अपनी रिपोर्ट में सहकारी उपक्रमण पैनल ने भारत में सहकारिता के लिए अनुकूल विधिक माहौल पैदा करने की आवश्यकता की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। इसके लिए इसने चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सहकारी नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता पर बल दिया है तथा राज्यों द्वारा उनके नियमों में संशोधन की दिशा में धीमी प्रगति के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। कुछ राज्यों के मामले में जहां संशोधन कर दिए गए हैं, यह दिखावटी परिवर्तनों के अपेक्षाकृत ठोस परिवर्तनों पर बल देता है। कुछ सहकारी चीनी मिलों के निजीकरण पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार सरकारी नियंत्रण को कम करने तथा सहकारी समितियों के लोकतांत्रीकरण के लिए सुझाव दिए गए हैं। ऐसे कुछ सुझावों

में सहकारी समितियों से सरकारी अधिकारियों को अलग करना, पंजीकरण तथा परिसमापन के लिए रजिस्टर के अधिकारों को प्रतिबंधित करना, बोर्ड तथा प्रबंध समितियों से सरकारी नामित व्यक्तियों को अलग करना तथा सहकारी समितियों के लिए लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

सहकारी नियमों तथा विनियमों मे सहायक परिवर्तनों तथा सहकारी नियमों के संबंध में अध्ययन को कारगर बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कहा गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने आधारभूत स्तर पर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए हाल ही में बहुत से उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में व्यापार विकास नियोजन की प्रक्रिया शुरू करना;

(ii) प्राथमिक सहकारी समितियों के संबंध में संघीय सहकारी समितियों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना;

(iii) सहकारी समितियों के स्वयं-सहायता संबंधी, प्रयासों में मदद करना;

(iv) चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(v) सहकारी समितियों के व्यवसाय तथा उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सहकारी कार्मिकों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना।

[हिन्दी]

"पर्यावरणीय परियोजनाएं"

5064. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण और वन की रक्षा के लिए केन्द्रीय और विदेशी सहायता से कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक परियोजना-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में केन्द्रीय और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार की निधिकरण की मात्रा	स्थिति	पिछले तीन सालों के दौरान उपलब्धि 1992-93 1993-94 1994-95 (वित्तीय)	(भौतिक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राज्यों को सहायता देना	100 प्रतिशत	चालू	316.21	27 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
2.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	52.07	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
3.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास रहन वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	55.53	4 राष्ट्रीय उद्यान शामिल
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना।	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	348.41	3 बाघ रिजर्व शामिल
5.	बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास	बाघ रिजर्वों के आस-पासपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100 प्रतिशत अनावर्ती 50 प्रतिशत आवर्ती	चालू	37.84	3 बाघ रिजर्व शामिल
6.	बाघ परियोजना क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आदिवासी ग्रामीणों के लिए लाभभोगी उन्मुख स्कीम	पुनर्वास योजना के तहत आदिवासियों तथा अन्य परिवारों का पुनर्वास करना	100 प्रतिशत	चालू	13.98	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
7.	समन्वित वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा देना	100 प्रतिशत	चालू	1711.74	34020 हे. क्षेत्र शामिल

8.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम	ईंधन की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार करना	50 प्रतिशत	चालू	737.50	23745 हे. क्षेत्र शामिल
9.	बीज विकास स्कीम	उन्नत किस्म के बीजों के लिए अवसंरचना का विकास करना	100 प्रतिशत	चालू	18.98	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
10.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	100 प्रतिशत	चालू	150.53	3455 हे. क्षेत्र शामिल
11.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग	जैव समूह संसाधन आधार का सुधार करने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का संबद्ध करना	100 प्रतिशत	चालू	55.07	354 हे. क्षेत्र शामिल
12.	भोज नमभूमि का संरक्षण और प्रबंध	नमभूमियों के संरक्षण के लिए उचित नीतियां बनाना	100 प्रतिशत	चालू	155.81*	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
13.	आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति	वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल नियंत्रण	100 प्रतिशत	चालू	90.95	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में नियत
14.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघर के पशुओं के रख-रखाव और प्रबंध के लिए असंरचना के सुधार हेतु चिड़ियाघरों को सहायता प्रदान करना	100 प्रतिशत	चालू	26.55	3 चिड़ियाघर शामिल
15.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	100 प्रतिशत	चालू	3.99	14 जिलों में गठित
16.	हवाई बीज बुआई	कठिन एवं अगम्य क्षेत्रों में पुनः वनस्पति उगाना	100 प्रशित	चालू	10.00	3820 हे. क्षेत्र शामिल है
17.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	खान, क्षिप्रा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, वाणगंगा और चम्बल नदियों के प्रदूषण का उपशमन	50 प्रतिशत	खान, क्षिप्रदा, ताप्ती, बेतवा, नर्मदा, बाणगंगा और चम्बल नदियों को 106.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। इस योजना को सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।		

1	2	3	4	5	6	7
विदेशी सहायता प्राप्त						
18.	विश्व बैंक की सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सुदृढ़ीकरण परियोजना	परियोजना के तहत 4 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की गई। यह परियोजना 1995-2001 के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।			
19.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना-विश्व बैंक की सहायता प्राप्त	वन आवरण और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने तथा जैवीय विविधता को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन में सुधार करना।	परियोजना वर्ष 1995-96 के दौरान शुरू की गई परियोजना समझौते पर 58 मिलियन अमरीकी डालर के आईडीए ऋण के लिए अप्रैल, 1995 में हस्ताक्षर किए गए।			

*आंकड़े वर्ष 1992-93, 1993-94 से संबंधित हैं।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

5065. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्य सरकारों को विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें सड़क निर्माण कार्य, विद्युत पारेषण लाईन, जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाना आदि परियोजनाओं को पूर्व स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजने से हुए अत्यधिक विलंब के कारण इन परियोजनाओं को शुरू नहीं कर सकती है;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया के कारण होने वाले विलंब के फलस्वरूप लागत में वृद्धि की वजह से राज्य सरकारों को वित्तीय बोझ वहन करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विकास परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों को इसकी शक्ति प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन शक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (च) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल के लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी जरूरी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए शीघ्रता से जांच की जाती है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच की और अधिक विकेन्द्रित और कारगर बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा 25.10.92 को संशोधित समेकित दिशा-निदेश जारी किए गए थे। इन दिशा-निदेशों में अन्य बातों के अलावा अवैध कब्जों के नियमितीकरण और खनन के प्रस्तावों को छोड़कर 5 हे. तक वन भूमि के इस्तेमाल वाले प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों वाले राज्य सलाहकार दलों के परामर्श से 20 हे. तक की वन भूमि के इस्तेमाल वाले सभी प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच करने के लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों की शक्तियां प्रत्यायोजित करना भी शामिल है।

प्रयोगशालाओं को सहायता-अनुदान

5066. **श्री सुरेशानंद स्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रसायन प्रयोगशालाओं के रख-रखाव हेतु विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सहायता-अनुदान पर्याप्त होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो रसायन प्रयोगशालाओं को स्तर-उन्नयन के लिए सहायता-अनुदानों में वृद्धि करने के संबंध में सरकार क्या कदम उठाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाम आयल केन्द्र

5067. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में तथा विशेषरूप से असम राज्य में पाम आयल केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनका स्थानवार क्या ब्यौरा है; और

(ग) कब तक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) आठवीं योजना के दौरान 94.55 करोड़ रुपये (भारत सरकार का अंश) के परिव्यय के साथ 80,000 हैक्टेयर क्षेत्र में आयल पाम उगाने के लिए भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच 75 : 25 के अनुसार खर्च वहन करने के आधार पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में आयल पाम विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

असम में, आयल पाम विकास कार्यक्रम राज्य के मृदा संरक्षण विभाग द्वारा असम बागान फसल विकास निगम लि. के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आयल पाम की एक नर्सरी कार्बी-आंगलांग जिले में हरमोती नामक स्थान पर लगाई जा रही है। आठवीं योजना में असम में 5000 हैक्टेयर क्षेत्र आयल पाम की खेती के तहत लाया जाएगा।

असम सहित सभी राज्यों में संयुक्त क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र/सहाकारी क्षेत्र/प्राइवेट क्षेत्र में पाम आयल प्रसंस्करण मिलें लगाई जा रही हैं।

आमान परिवर्तन

5068. **श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के बजट में उत्तर-पूर्व रेलवे के गोरखपुर-आनंदनगर-गोंडा और आनंदनगर-नाटानवा परियोजना के लिए लाइन बिछाने संबंधी कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) क्या रेल बोर्ड ने स्वयं ही उक्त परियोजना को स्थगित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर-पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने इस परियोजना के चरणवार कार्यान्वयन का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा पर इस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में इस कार्य को स्थगित करने के क्या कारण है; और मंत्रालय द्वारा इस परियोजना पर कार्य कब तक आरंभ कर दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह कार्य आमान परिवर्तन चरण-1 की कार्य योजना में शामिल किया गया है और इसके 9वीं योजनावधि में शुरू किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

उर्वरक

5069. डा. असीम बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उर्वरकों के उपयोग में क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करने तथा इनकी खपत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जिन उपायों की योजना बनाई गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग का वर्तमान हिस्सा कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) उर्वरक की खपत में वृद्धि करने तथा क्षेत्रीय असंतुलन को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम के पहले क्षेत्रीय उर्वरक सम्मेलन के दौरान उर्वरक की खपत की समीक्षा की जाती है तथा निम्न खपत वाले राज्यों को उर्वरक की खपत बढ़ाने की सलाह दी गई है।

(ii) निम्न खपत और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग की वृद्धि पर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित योजना के अधीन उर्वरकों के छोटे बैग की सप्लाई हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है।

(iii) उर्वरकों के संतुलित और समेकित उपयोग से संबंधित योजना के अधीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(iv) फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए नियंत्रण रहित उर्वरकों की रियायती बिक्री से संबंधित योजना भी 1994-95 के दौरान जारी रखी जा रही है।

(ख) कृषि क्षेत्र में उर्वरक का अनुमानित उपयोग 13.83 मिलियन मीटरी टन पोषक तत्व है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

5070. **श्री पी. कुमारासामी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजना/प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पास लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों की शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1993-94 और 1994-95 के दौरान तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

तमिलनाडु के संबंध में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मंजूरी की स्थिति को दर्शाते हुए परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्यकलाप	1993-94				1994-95				अभियुक्ति
		मंजूरी		लंबित मंजूरी		मंजूरी		लंबित मंजूरी		
		सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	
1.	चीनी	2	1210.00	-	-	-	-	1	834.86	अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
2.	कताई मिल	1	33.50	-	-	3	143.23	-	-	-
3.	हथकरघा	4	12.235	-	-	1	3.75	-	-	-
4.	डेयरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	बागानी फसलें	5	444.80	-	-	-	-	-	376.00	जांच के अधीन
6.	भंडारण	35	71.76	-	-	1	7.125	-	-	राज्य सरकार के अनुरोध पर सारी रकम की मंजूरी रद्द कर दी गई
7.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम	1	967.68	-	-	1	1061.94	-	-	-
8.	विपणन और आदान	1	95.00	-	-	-	-	-	-	-
9.	शीत भंडारण	1	52.25	-	-	-	-	-	-	-
10.	नारियल जटा	-	-	-	-	-	-	1	1671.10	मंजूरी पत्र जारी किया जा रहा है।
	कुल	50	2887.225	-	-	6	1216.045	3	2881.96	

विवरण-ii

महाराष्ट्र से संबंधत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई मंजूरी की स्थिति को दर्शाते हुए परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्यकलाप	1993-94				1994-95				अस्वीकृत	अभ्युक्ति
		मंजूरी		लम्बित मंजूरी		मंजूरी		लम्बित मंजूरी		प्रस्ताव	
		सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि	सं.	धनराशि		
1.	वस्त्र उपभोक्ता निगम	8	1.20	-	-	11	1.65	-	-		
2.	कंप्यूटर के लिए सहायता	1	29.80	-	-	2	185.733	5*	उ.न.		*व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3.	कुक्कुट पालन	31	2650.50	-	-	5	277.40	-	-		-
4.	चीनी	6	3799.53	-	-	14	8079.20	7*	8410.94		* एक प्रस्ताव जांच के अधीन है, 6 प्रस्तावों के लिए सूचना मांगी गई है।
5.	कताई मिल	1	317.50	-	-	7	1770.55	-	-		* जांच के अधीन
6.	हथकरघा	1	3.87	-	-	5	302.817	1*	225.00		*राज्य सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा है।
7.	पावरलूम	-	-	-	-	1	34.47	5*	482.253	2**	* राज्य सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा है। **(1) वर्तमान यूनिटों में निम्न खपत का उपयोग (2) नामंजूर कर दिया गया क्योंकि समिति ने क्षेत्र का विस्तार कर दिया। (54.53 लाख रुपये)
8.	पार्टिकल बोर्ड	-	-	4*	6945.00	-	-	-	-		*1992-93 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ तथा अभी भी कार्यवाही की जा रही है।

9. कागज/स्टेशनरी यूनिट	1	65.[illegible]	-	-	-	-	-			
10. मात्स्यिकी	61	461.691	-	-	81	704.326	-	-		
11. एफ.एंड वी.	40	596.45	-	-	27	601.97	2*	233.00	1**	*अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। **अव्यवहार्य पाया गया।
12. विपणन और आदान	19	75.00	-	-	3	43.65	-	-	10* (93-94) 5* (94-95)	*अव्यवहार्य पाया (1410.70 लाख रुपये) *अव्यहार्य पाया गया
13. खाद्यान्न	-	-	-	-	-	-	-	-	1*	*उच्च लागत निवेश (900 लाख रुपये)
कुल	169	8000.51	4	8945.00	156	12001.766	20	9353.193		

[हिन्दी]

स्ट्राबेरी और खुम्भी

5071. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्ट्राबेरी और खुम्भी की खेती के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन दो प्रगतिशील कृषि उत्पादों के विकास हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कृषि उत्पादों के विकास और संवर्द्धन हेतु कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इन फसलों से संबंधित अनुसंधान तथा विकास में निम्नलिखित प्रगति की गई है :

1. **अनुसंधान :** पूसा अर्ली ड्वार्फ नामक स्ट्राबेरी की एक किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई है। खेती संबंधी पद्धतियों की कुछ जानकारी भी प्राप्त की गई है। हाल के वर्षों के दौरान चान्दलर, पाजारो, सेल्वो आदि जैसी विदेशी किस्में महाराष्ट्र में शुरू की गई हैं। दौरान चपन्दलर, पाजारो, सेल्वो आदि जैसी विदेशी किस्में महाराष्ट्र में शुरू की गई हैं।

   जहां तक खुम्भी का संबंध है, व्हाइट बटन खुम्भी की उच्च उपज वाली पांच किस्में खेती हेतु अभिज्ञात की गई हैं। सम्मिश्रण अवधि 28 दिनों से कम करके 16-20 दिन कर दी गई हैं। तापमान सहिष्णु व्हाइट बटन की ग्रीष्म खेती के लिए प्रक्रियाओं के पैकेज का मानकीकरण कर दिया गया हे। बटन खुम्भी की एक नई उच्च उपज वाली किस्म अभिज्ञात की गई है, जिसकी इस खुम्भी की पिछली सर्वाधिक मांग से अधिक पैदावार हुई है। स्पॉन मिलाने से पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। खुम्भी की खेती के विकास तथा प्रोत्साहन के लिए वैज्ञानिकों, विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

2. **विकास :** स्ट्राबेरी - हाल ही तक स्ट्राबेरी की खेती के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर होती है। हाल ही में पर्वतीय तथा मैदानी, दोनों क्षेत्रों में इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ विदेशी किस्मों का उपयोग किया गया है।

   खुम्भी—केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए विकासात्मक प्रयासों की वजह से खुम्भी का उत्पादन 1970 के 100 मीटरी टन से बढ़कर 1993 में 25,000 मीटरी टन हो गया है।

(ख) **हिसालू (स्ट्राबेरी)** कश्मीर, उत्तर प्रदेश के नैनीताल व देहरादून, हिमाचल प्रदेश के शिमला तथा तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में उगाया जाता है। महाराष्ट्र में यह महाबलेश्वर में उगाया जाता है। यह तक कि अब महाराष्ट्र (नासिक, पुणे, सतारा तथा अहमदनगर) के मैदान खुम्भी की खेती के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं।

मुख्य खुम्भी उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में खुम्भी उत्पादन शुरू किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार आठवीं योजनावधि के दौरान 10.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से खुम्भी की खेती पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित कर रही है। शुरू किए गए कार्यक्रमों में स्पॉन उत्पादन इकाइयों की स्थापना व पॉस्चुराइज्ड कम्पोस्ट इकाइयां और किसानों को प्रशिक्षण शामिल है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास खुम्भी तथा स्ट्राबेरी के उत्पादन व विपणन में लगी समेकित इकाइयों को सहायता प्रदान करने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

असम में रेल परियोजनाएं

5072. **श्री प्रवीन डेका :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में चालू रेल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) किन-किन स्थानों पर इन रेल परियोजनाओं का कार्य चल रहा है; और

(घ) कब तक इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	कार्य का नाम	आबंटित धन राशि 1995-96 (करोड़ रु. में)	स्थान	पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1.	जोगीघोपा से गुवाहाटी (142.15 कि.मी.) ब.ला. सहित जोगीघापा में ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा-गुवाहाटी रेल एवम् सड़क पुल	30.50	जोगीघोपा (जिला गोलपाड़ा)	मार्च 1997
2.	दुधनोई-देपा-नई बड़ी बड़ी लाईन (17.50 कि.मी.)	5.00	(गोलपाड़ा जिला असम में 10.6 कि.मी.)	1997-98
3.	लमडिंग डिब्रूगढ़ आमान परिवर्तन संपर्क शाखाओं सहित	17.00	लामडिंग (जिला नवगांव) से डिब्रूगढ़। तिनसुकिया	
	(1) लामडिंग-दीमापुर		मई 95	
	(2) दीमापुर-फरकाटिंग		दिसम्बर 95	
	(3) फरकाटिंग-रियानी		सितम्बर 96	
	(4) मरियानी-तिनसुकिया-लीडो		दिसम्बर 96	

कर्मचारियों को पुनः तैनात करना

5073. **डा. राम चन्द्र डोम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुरहाट लोको शेड के कितने कर्मचारियों की अब तक पुनः तैनाती की जा चुकी है; और

(ख) इस लोको शेड के शेष कर्मचारियों को पुनः तैनात करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 80 अदद।

(ख) शेष कर्मचारियों को पुनः तैनात करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

शेर/बाघ

5074. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच जंगली शेरों को संरक्षण देने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) क्या अंतरर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ ने इस समझौते की कुछ बातों का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) जी, हां। 2 मार्च, 1995 को बिजिंग में बाघ संरक्षण संबंधी एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) जी, हां। उक्त प्रोटोकॉल में "अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा संघ" के कुछ सदस्यों ने "प्रजाति के सतत विकास" एवं "जंगल में छोड़ने की दृष्टि से इस प्रजाति के बंदी प्रजनन" शब्दों के प्रयोग पर आशंका जाहिर की है।

(घ) इन व्यक्तियों के अनुसार ये वाक्यांश बाघों के जंगल में संरक्षण की दृष्टि से युक्ति-युक्त नहीं हैं। तथापि, सरकार इन दृष्टिकोणों से सहमत नहीं है, क्योंकि सतत विकास हमारी सरकार की नीति का एक स्वीकृत सिद्धांत है तथा "सतत" शब्द को अनावश्यक रूप से उपभोग के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटोकॉल में वर्णित बंदी प्रजनन गतिविधियां प्रायोगिक चरण के लिए हैं तथा ये परिणाम जाने बिना बड़े पैमाने पर की जाने वाली गतिविधि के रूप में प्रस्तावित नहीं है और इनका लक्ष्य संरक्षण है उपभोग नहीं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीवन संरक्षण के उच्च आदर्शों पर समझौता किए बिना अन्य अनेक संकटापन्न प्रजातियों के मामले में भी ऐसी ही विधियां अपनाई गई हैं। फिर भी, वैज्ञानिकों को बिना पर्याप्त अध्ययन एवं परीक्षणों के संभावित निष्कर्षों संबंधी अपने विकल्प बंद नहीं कर देने चाहिए।

आमान-परिवर्तन

5075. **श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में छोटी रेल लाइनों और मीटर गेज रेल लाइनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी लाइन को सरकार के एक समान गेज कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) पश्चिम बंगाल में स्थित मीटर लाइनें तथा छोटी लाइनों के नाम इस प्रकार हैं :

मीटर लाइनें

(एक) न्यूजलपाईगुड़ी-सिलिगुड़ी

(दो) अलीपुरद्वार जंक्शन-सिलिगुड़ी

(तीन) अलीपुरद्वार-न्यूकूचबिहार-गितलदह

(चार) दलकोल्हा-सिलिगुड़ी

(पांच) वासोई-राधिकापुर

छोटी लाइनें

(एक) वर्धमान-कटवा-अहमदपुर

(दो) शांतिपुर-नवद्वीपघाट

(तीन) वांकुरा-राजनगर

(चार) सिलिगुड़ी-दार्जिलिंग

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) न्यूबोंगईगांव-अलीपुरद्वार-जलपाईगुड़ी के आमान परिवर्तन कार्य को नौवीं योजनाअवधि में शुरू करने की योजना है।

आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं

5076. **श्री सुधीर सावंत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सिन्धुदुर्ग तथा रत्नागिरी जिलों में अब तक मंजूर की गई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की क्या संख्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ग) राज्य के अन्य जिलों में मंजूर की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवा राजेश्वरी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग तथा रत्नागिरी नामक दो जिलों में अब तक स्वीकृत की गई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या क्रमशः चार तथा तीन है। नई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के लिए ब्लॉकों का चुनाव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित विस्तार दर के अनुसार, वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 100 नई आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का आनुपातिक हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

खेल-कूद छात्रावास योजना

5077. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल-कूद छात्रावास योजना के अंतर्गत कितने होस्टलों का निर्माण किया गया है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या ऐसे होस्टलों का कई राज्यों में निर्माण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) अलवर, भोपाल, कटक, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, गांधीनगर, गोवा, कांदीवली, कालीकट, मद्रास, सिकन्दराबाद, बंगलौर, भिवानी, बिलासपुर, चण्डीगढ़, दीमापुर, इम्फाल और गोवहाटी में 18 खेल छात्रावास स्थापित किए गए हैं।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल छात्रावास योजना के अंतर्गत खेल छात्रावास स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह या तो निर्माण करे या पहले से निर्मित भवन उपलब्ध कराए। ऐसे छात्रावास 17 राज्यों में स्थापित किए गए हैं।

(ग) कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश के पास अपने खेल छात्रावास हैं, जबकि कुछ राज्य ऐसे छात्रावासों की योजना बना रहे हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

5078. **श्री पीयूष तीरकी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत अलीपुरद्वार जंक्शन को बड़ी लाइन से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लाइन पर कार्य कब से शुरू हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) न्यूबोंगईगांव-अलीपुरद्वार-जलपाईगुड़ी के बीच दोहरी लाइन बिछाने की व्यवस्था करने के लिए इनके आमान परिवर्तन का कार्य 9 वीं योजनावधि से जुड़ जाएगा। अभी भी अलीपुरद्वार की जनता अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से बड़ी लाइन सेवाओं का लाभ उठा सकती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नई रेलगाड़ियां

5079. **श्री धर्मण्णा मोंड़य्या सादुल : क्या रेल मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कराए गए बढ़ते यात्री यातायात के आकलन और 1995-96 के दौरान शुरू की गई नई रेलगाड़ियों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई रेलगाड़ियां शुरू करने हेतु सेक्शनों का चयन करने के लिए किन-किन तथ्यों का ध्यान रखा गया, और

(ग) क्या ये नई रेलगाड़ियां चरणों में शुरू की जाएंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) नई यात्री गाड़ियां रेल सेवा की उपलब्धता में सुधार करने की समग्र उद्देश्य के एक भाग के रूप में चलाई जाती हैं।

(ख) नई गाड़ियां चलाने के लिए यात्री यातायात का औचित्य, जनता की मांग, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा वाणिज्यिक अर्थक्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) तिरुपति-कुउडायाह, एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम, कानपुर-फर्रूखाबाद तथा जयपुर-दिल्ली खंडों पर 4 जोड़ी अंतर्नगरीय एक्सप्रेस गाड़ियां पहले ही चलाई जा चुकी हैं। शेष गाड़ियां वर्ष के दौरान चलाई जाएंगी, बशर्ते कि ऐसा करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक हो तथा संसाधन उपलब्ध हों।

नेशनल प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट

5080. **श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नेशनल प्लांटेशन मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री

5081. **श्री पी.सी. चाको : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा 9 से 13 वर्ष के बीच तथा 14 से 17 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए कोई ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से केरल में कोई संग्रहालय स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय ने बच्चों के लिए 16.5.95 से 17.5.95 तक आयोजित होने वाले निम्नलिखित ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को समाचार पत्रों में अधिसूचित किया है :

कार्यक्रम का नाम	पात्र आयु समूह	
पर्यावरण की खोज (एक्सप्लोरिंग द एन्वायरमेंट)	14 से 17 वर्ष	
जीव जन्तु और पादप माडलिंग सीखें (लर्न एनिमल एंड प्लांट माडलिंग)	8 से 13 वर्ष	अंतिम चयन लाटरी निकालकर किया जाना है।
नेचर पेंटिंग सीखें (लर्न नेचर पेंटिंग)	8 से 13 वर्ष	

(ग) से (ङ) भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मैसूर के क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के बाह्य गतिविधियों में केरल राज्य को भी शामिल करने का इरादा है।

केरल में मालाबार विश्वविद्यालय

5082. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार का मालाबार विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार केरल सरकार ने उत्तरी मालाबार में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कार्य दल की रिपोर्ट, परामर्श हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी है। उपर्युक्त कार्य दल द्वारा निर्धारित प्रस्तावित विश्वविद्यालय की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. कासरगोड-कन्नूर व उत्तरी वायनाड जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित विश्वविद्यालय बहु संकाय विश्वविद्यालय होगा तथा करीब 30-40 संबद्ध कालेजों के साथ इसके कई परिसर होंगे।
2. मुख्य बल सामान्य वाद्यसंगीत केन्द्रों व एक केन्द्रीय संगणक सुविधा के साथ विज्ञान व प्रौद्योगिकी में अध्ययन व शोध एवं अंतर्विषयक अध्ययन पर दिया जाएगा।
3. नए विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कालीकट विश्वविद्यालय के साथ अधिक संख्या में कालेजों के संबद्ध होने की वजह से होने वाले कार्यभार को कम करना है। आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि पूर्व-डिग्री शिक्षा, प्रस्तावित पूर्व-डिग्री/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र

5083. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में गैर-सरकारी पूंजी निवेश कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) जी, नहीं। "भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत के अध्ययन की वृहत योजना" के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि खेती का निवल लाभ बहुत आकर्षक है। कुछ राज्यों में चुनिन्दा फसलों के निवल लाभ को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह लाभ संबंधित वर्ष के दौरान फसल की अवधि से संबंधित है।

विवरण

विभिन्न फसलों के राज्यवार निवल आय तथा खेती की लागत में निवल लाभ की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

फसल	राज्य	वर्ष	खेती की लागत (सी-2) (रुपये/हैक्टे.)	निवल आय (रुपये हैक्टे.)	खेती की लागत में निवल लाभ की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
धान	बिहार	1987-88	3483.68	601.73	15.65
	हरियाणा	1991-92	10251.86	6677.21	65.13
	मध्य प्रदेश	1991-92	5150.47	392.21	7.62
	कर्नाटक	1989-90	6321.55	2025.7	32.04
	उड़ीसा	1990-91	5379.49	1090.8	20.27

1	2	3	4	5	6
	पंजाब	1991-92	10390.80	2531.28	24.36
	उत्तर प्रदेश	1989-90	5942.86	828.12	13.93
	प. बंगाल	1991-92	9697.95	2324.13	23.96
तोरिया व सरसों	हरियाणा	1991-92	5493.48	5029.15	91.55
	पंजाब	1991-92	6044.61	1779.21	29.43
	राजस्थान	1989-90	3115.58	2944.87	94.52
मूंगफली	गुजरात	1989-90	4804.71	1236.53	25.73
	कर्नाटक	1989-90	5400.39	2129.04	39.52
	महाराष्ट्र	1989-90	4948.51	1589.11	32.11
	उड़ीसा	1990-91	6961.27	3911.27	56.19
कपास	गुजरात	1989-90	6164.34	1582.52	25.67
	हरियाणा	1990-91	6808.26	3718.88	54.62
	कर्नाटक	1987-88	4118.37	3246.84	78.84
	महाराष्ट्र	1987-88	3267.38	789.29	24.06
	पंजाब	1991-92	12447.50	7855.16	63.01
	मध्य प्रदेश	1988-89	4883.89	558.26	1.49
गन्ना	आंध्र प्रदेश	1990-91	19458.50	3496.64	17.97
	हरियाणा	1990-91	12642.36	9678.09	16.55
	महाराष्ट्र	1990-91	17623.31	5864.73	33.28
	उत्तर प्रदेश	1990-91	10965.10	7115.93	64.90
	तमिलनाडु	1987-88	13204.42	8146.31	61.69
गेहूं	हरियाणा	1991-92	7617.69	5590.67	73.39
	मध्य प्रदेश	1991-92	6247.49	1611.72	25.80
	पंजाब	1991-92	9274.96	3171.16	34.19
	उत्तर प्रदेश	1990-91	7157.29	1006.20	14.90
	राजस्थान	1989-90	5434.80	2559.81	47.10

फार्म पम्पिंग सिस्टम

5084. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी प्रबंध संस्थान अहमदाबाद और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए एक दस्तावेज के अनुसार यदि भारत आगामी पांच से दस वर्ष के दौरान वर्तमान पंपिंग प्रणालियों में से 50 प्रतिशत को सुधार ले तो भारत प्रतिवर्ष 650 मिलियन डालर की बचत कर सकता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने खेती में काम आने वाले पम्पसेटों की विद्युत आवश्यकताओं को कम करने के लिए किसी तकनीक या उपकरणों का विकास और उनका व्यावहारिक स्थितियों में प्रयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो खेती में काम आने वाली पम्पिंग प्रणालियों

में विद्युत की अत्याधिक खपत में कमी लाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

अपारंपिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विभिन्न संगठनों ने यह अनुमान लगाया है कि वर्तमान जल निष्कासन (पम्पिंग) प्रणालियों पर 10 से 50 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत क्षमता विद्यमान है, जिसे विभिन्न प्रकार के सुधार/समंजन करके प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) और (ग) विकृत एवं खराब कुओं, निम्न घर्षण वाले फुट वाल्व, सख्त पी.वी.सी. पाइप ट्यूबवैलों के जीर्णोद्धार तथा ट्यूबवैल डिजाइन पैरामीटरों के इष्टतम प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी और उपस्कर विकसित किए गए हैं। सरकार ने, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से खराब फुट वाल्वों, सेक्शन और डिलीवरी चूषण पाइपों के स्थान पर ईंधन बचाने वाले आई. एस.आई. मार्क वाले उपकरण लगाकर डीजल पम्पसैटों के समंजन का कार्य शुरू किया है तथा कुशल डीजल सिंचाई पम्पों हेतु प्रदर्शन केन्द्र भी स्थापित किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा बचाने वाले पम्पसैटों के कार्यनिष्पादन के प्रदर्शन के लिए हाल ही में एक परियोजना को मंजूरी दी है। सिंचाई पम्पसैटों के कुशल उपयोग हेतु प्रशिक्षण और विस्तार सहायता भी दी गई है।

पी.ई.टी. बोतलें

5085. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां पुनः प्रयोज्य बनाने के लिए भारत में "पेंट" बोतलों का ढेर लगा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान भारत में कितने "पेंट" का ढेर लगा दिया गया है;

(घ) इस ढेर लगाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस काम में लगी कंपनियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हैंडलिंग) नियम, 1989 के अंतर्गत इस देश में विषाक्त अपशिष्टों के आयात पर कड़ा प्रतिबंध है। प्रत्येक प्रस्ताव की जांच के पश्चात् अपशिष्टों का केवल कच्चे माल के रूप में आगे प्रसंस्करण के लिए आयात की अनुमति दी जाती है। संशोधित आयात-निर्यात नीति (1992-97) के अनुसार 'पेंट' बोतल, खुले आम लाइसेंस (ओपन जनरल लाइसेंस) के तहत अनुज्ञेय है। विषाक्त "पेंट" बोतलों के डम्पिंग के बारे में कोई निश्चित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग

5086. **श्री सैयद शहाबुदीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों के संबंध में रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1.1.1992 से 31.3.1993 तक की अवधि की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने निष्कर्ष दिया है कि महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षोपायों के बावजूद हमारे देश में घरों के अन्दर तथा बाहर महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अक्षुण्य रूप से जारी हैं।

इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

1. जहां कहीं भी जिला स्तर पर प्रबोधन निकाय मौजूद है, उन्हें अधिक शक्तियां, उचित स्तर, वित्तीय सहायता तथा स्टाफ उपलब्ध कराकर और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए।
2. उन राज्यों में, जहां जिला स्तर पर कोई तन्त्र मौजूद नहीं है, शीघ्र उपयुक्त निकायों का सृजन किया जाए।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेष स्कीम शुरू की जाए जिसके अंतर्गत महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
4. पुलिस, अभियोजकों, मजिस्ट्रेटों, न्यायालयीन तथा चिकित्सीकीय कानूनी कार्मिकों व न्यायाधीशों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रति संचेतना माड्यूल को शामिल किया जाए।
5. दहेज-मृत्यु के हर मामले में दोषी पक्ष (पति/ससुराल वालों) की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए जाएं।
6. सती-हत्या के अपराध तथा उसके गुणगान को भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय

साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया जाए (पैरा 2.4.17)।

7. आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198 (1), जो शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को प्रतिबंधित करती है, समाप्त कर दिया जाए। धारा 198 (1) के खण्ड (ग) को भी समाप्त कर दिया जाए (पैरा 2.4.25)।

8. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 (11) (ग) के अंतर्गत मिरगी रोग को तलाक का आधार माना गया है; इसे भी समाप्त कर दिया जाए (पैरा 2.5.2) ।

(ग) आयोग की सिफारिशें उपयुक्त प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा जहां आवश्यक है अन्तर-मंत्रालयीन परामर्श के लिए उठाई गई हैं। अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। उदाहरणार्थ, विभाग ने पुलिस कर्मियों में महिलाओं के प्रति संचेतना उत्पन्न करना पहले से ही शुरू कर दिया है और उसके विस्तार के प्रयास जारी हैं। इसी प्रकार, 12 राज्यों में क्राईम अंगेस्ट वीमेन सैल स्थापित किए गए हैं तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे भी इसी प्रकार कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन

5087. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन-किन प्रमुख स्टेशनों का विस्तार और विकास किया जा रहा है;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक स्टेशन पर किए जाने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पहले ही किए जा चुके व्यय का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्टेशन पर कार्य पूरा होने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) ब्यौरा इस प्रकार है :

स्टेशन	खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि	पहले से खर्च की गई राशि	अंतिम लक्ष्य
		(लाख रुपयों में)	
1	2	3	4
मऊ	64.00	कुछ नहीं	1997-98
बलिया	13.00	1.50	1996-97
गोंडा	25.96	8.00	1995-96
देवरिया सदर	10.50	कुछ नहीं	1996-97
बस्ती	7.00	कुछ नहीं	1995-96
काठगोदाम	4.00	कुछ नहीं	1995-96
लखनऊ (पूर्वोत्तर रेलवे)	4.00	कुछ नहीं	1995-96
गोरखपुर	4.00	कुछ नहीं	1995-96
मुगलसराय	3.18	0.20	1995-96
मथुरा	131.91	27.08	1996-97
चित्रकूट धाम	13.90	0.60	1995-96
आगरा कैंट	19.84	1.20	1996-97
बांदा	3.00	कुछ नहीं	1995-96
झांसी	614.20	159.47	1996-97
आगरा फोर्ट	3.00	1.00	1995-96
इलाहाबाद	85.42	20.97	1995-96
अलीगढ़	10.92	0.65	1995-96
बरेली	20.00	14.00	1995-96
प्रतापगढ़	13.70	11.01	1995-96
हरिद्वार	59.92	9.00	1995-96
मुरादाबाद	6.50	4.00	1995-96
टूण्डला	27.74	7.27	1995-96
फिरोजाबाद	14.93	2.26	1995-96
कानपुर	152.41	61.09	1997-98
लखनऊ (उत्तर)	221.05	74.55	1997-98
वाराणसी	105.94	69.19	1995-96
गाजियाबाद	1141.00	943.00	1995-96

[अनुवाद]

उपनगरीय रेलवे यात्री यातायात

5088. **श्री गोपी नाथ गजपति : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में उपनगरीय (रेलवे) यात्री यातायात में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोई उपनगरीय रेलवे प्रणाली नहीं है। बहरहाल, पैसेंजर और डी.एम.यू. पुश पुल गाडियां अधिकांशतः कम दूरी के यात्रियों की आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा कर रही है।

अनधिकृत यात्री

5089. **श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे को स्लीपर डिब्बों में बिना स्लीपर टिकट वाले अनाधिकृत व्यक्तियों को यात्रा न करने देने के संबंध में निदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं कि अनाधिकृत व्यक्ति स्लीपर डिब्बों में यात्रा न करें; और

(घ) रेलवे के उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जायेंगे, जो जानबूझकर स्लीपर डिब्बों में अनाधिकृत व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति देते हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) याचिका के बारे में निर्णय लेते समय, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आदेश दिया था कि रेलों को गैर-गलियारेदार शयनयान सवारी डिब्बों के संबंध में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक सवारी डिब्बे में एक चल टिकट परीक्षक/संचालक होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रा के लिए वैद्य दूसरे दर्जे के शयनयान टिकटधारी यात्रियों के अलावा किसी व्यक्ति को सवारी डिब्बे में प्रवेश करने या रहने की अनुमति न हो।

(ग) और (घ) रेलों को अनुदेश जारी किए गए थे कि निर्धारित मापदंड के अनुसार शयनयान दर्जे के सवारी डिब्बों में चल टिकट परीक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके अलावा, अनधिकृत प्रवेश की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1) मासिक सीजन टिकट-धारकों सहित कम दूरी के यात्रियों को लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने से वंचित रखा गया है।

2) रा.रे.पु./रे.सु.ब. की सहायता से अचानक जांच की जाती है और अप्राधिकृत यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिन्हें गाड़ी से उतार दिया जाता है और रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना किया जाता है।

3) आरक्षित सवारी डिब्बों में कर्मचारियों की संख्या में सुधार करने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों की रिक्तियां भरी जा रही हैं।

4) दूसरे दर्जे के टिकटधारी यात्रियों को शयनयान दर्जे में यात्रा करते पाए जाने पर उन्हें उच्च दर्जे में यात्रा करते हुए माना जाता है और उच्च दंड लगाया जाता है।

5) मिली-भगत के सिद्ध मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

किशोरियों हेतु योजना

5090. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और अन्य राज्यों में किशोरियों हेतु योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार ने क्षेत्रों का चयन किया है और इस हेतु उसे विशेष हस्तक्षेप करने की सलाह दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने ब्लाकों (खंडों) को शामिल किया गया है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितनी बालिकाओं को लाभ पहुंचा है; और

(ङ) योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी) : (क) और (ख) किशोर बालिका स्कीम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सन् 1991-92 के दौरान 507 समेकित बाल विकास सेवा ब्लॉकों में एक विशेष कार्रवाई के रूप में शुरू की गई। केरल में यह स्कीम 3 जिलों में मंजूर की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के 13 ब्लॉक आते हैं। यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में 11-18 वर्ष की आयु-वर्ग की

किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य, पोषाहार, मनोरंजन, जागरूकता, विकास और कौशल सुधार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा अवसंचरना के माध्यम से संस्थानिक एक विशेष कार्रवाई है।

(ग) और (घ) स्वीकृत ब्लॉकों की राज्यवार संख्या और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आबंटन 1.10 लाख रुपये प्रति किशोर बालिका ब्लॉक की दर से स्कीम के मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

किशोर बालिका स्कीम (स्कीम-I और II) के अंतर्गत स्वीकृत ब्लॉकों की राज्यवार संख्या और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(30 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ब्लॉकों की कुल संख्या	उपलब्धियां (स्कीम-I)	उपलब्धियां (स्कीम-II)	लाभ प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	37(14)*	55410	12400	67810
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	-
3.	असम	10	-	-	-
4.	बिहार	74	5578	0	5578
5.	गोवा	1	250	166	416
6.	गुजरात	15	34269	8604	42873
7.	हरियाणा	4	2075	558	2633
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2228	1141	3369
9.	जम्मू और कश्मीर	2	-	-	-
10.	कर्नाटक	23	13305	4980	18285
11.	केरल	13	11828	3719	15547
12.	मध्य प्रदेश	48	54217	10929	65146
13.	महाराष्ट्र	39	20208	0	20208
14.	मणिपुर	1	-	-	-
15.	मेघालय	1	300	0	300
16.	मिजोरम	1	381	213	594
17.	नागालैंड	1	-	-	-
18.	उड़ीसा	24(14)*	42464	150	42614
19.	पंजाब	3	1017	0	1017

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	24	3934	0	3934
21.	सिक्किम	1	115	125	240
22.	तमिलनाडु	33	12321	10920	23241
23.	त्रिपुरा	1	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	99	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	41	21599	7789	29388
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	25	75	100
27.	चण्डीगढ़	1	41	60	101
28.	दादर और नागर हवेली	1	300	200	500
29.	दमन और दीव	1	272	175	447
30.	दिल्ली	3	2982	1968	4950
31.	लक्षद्वीप	1	-	-	-
32.	पांडिचेरी	1	1788	0	1788
	जोड़	507	286907	64172	351079

*विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को दर्शाता है।

ब्लॉक-स.बा.वि.से.	-	479
वि.परि.	-	28
जोड	-	507

नैफेड द्वारा बाजार में हस्तक्षेप

5091. **श्री मुल्लांपल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैफेड ने 1995 के मौसम के लिए खोपरा की खरीद के लिए बाजार में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो नैफेड ने कितनी मात्रा में खोपरा एकत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) उसी वर्ष के लिए प्रति क्विंटल खोपरा का प्रस्तावित मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने, मूल्य समर्थन योजना के तहत खोपरा की खरीद करने के लिए नैफेड को केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

1995 मौसम के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत, नैफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं अन्य तथ्यों के आधार पर, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से खोपरा की खरीद की जाएगी।

रेलवे स्टेशन का पुनः नामकरण

5092. **श्री धर्मभिक्षम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण मध्य रेलवे में रायगिरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर श्रीयादगिरी लक्ष्मी नरसिंहस्वामी मंदिर रखने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अनुसार, रेलवे स्टेशन के मौजूदा नाम

में कोई भी परिवर्तन गृह मंत्रालय, भारत सरकार की विधिवत सहमति से संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर किया जा सकता है। इस मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

अधिक पैदावार वाली धान परियोजना

5093. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के सहयोग से वर्षा सिंचित/शुष्क क्षेत्रों में खेती करने हेतु अधिक पैदावार वाली धान की किस्म का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अप्रैल, 1995 में शुष्क और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उक्त अधिक पैदावार वाली धान की किस्म की कोई विशेष पायलट परियोजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में धान के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु धान की उक्त किस्म का प्रयोग धान पैदा करने वाले अन्य राज्यों के वर्षा सिंचित/शुष्क क्षेत्रों में करने का है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां। उड़ीसा के बारानी शुष्क क्षेत्रों के लिए धान की अन्नडा, कालिंगा-3, वनप्रभा, हीरा, पठारा, सुभद्रा जैसी उच्च उपजशील किस्में अभी हाल ही में विकसित की गयी हैं। इसी प्रकार की स्थितियों के लिए दो और किस्में उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई हैं, जो शीघ्र ही जारी होने वाली हैं।

(ख) सभी उपरोक्त किस्में जल्दी पकने वाली और सूखे के प्रति बहुत सहनशील हैं। इनमें से अन्नडा और हीरा किस्में ब्लास्ट रोग की प्रतिरोधी हैं। कालिंग-3 और हीरा किस्में लगभग 100 दिनों में पक कर तैयार हो जाती हैं।

(ग) और (घ) उक्त किस्मों के प्रसार के लिए अप्रैल, 1995 के दौरान उड़ीसा में कोई भी विशेष मार्गदर्शी प्रयोजना नहीं चलाई गयी। फिर भी, चावल आधारित फसल प्रणालियों में समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम पर चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के माध्यम से किसानों को क्षेत्रीय प्रोत्साहन देकर इस प्रकार की किस्मों के प्रमाणित बीज इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विभाग एवं उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पारस्परिक सहयोग से उड़ीसा राज्य में उपराऊ बारानी क्षेत्रों में सिफारिश किए गए कृषि कार्यों के साथ-साथ उच्च उपजशील किस्मों के कम्पैक्ट ब्लाक अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं।

(ङ) इन किस्मों में से अधिकांश किस्मों का पहले ही से असम, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों की व्यावसायिक खेती में उपयोग हो रहा है। इससे देश में धान का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सुपर बाजार

5094. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** 25 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 हेतु सुपर बाजार की वार्षिक रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सुपर बाजार की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इन रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने संबंधी कोई प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टों में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जैसे स्टाक में कमियां होना, पुराने बकाया शेष होना, उधार की सीमा का नियतन, स्थायी परिसम्पत्तियों का रिकार्ड आदि। सुपर बाजार के प्रबंधकों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में सुरक्षा तथा सतर्कता तंत्र को मजबूत करना, स्टाक की अनुमत कमियों के मानदंडों में कमी करना और कमियों को घटाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना शामिल हैं। पुराने बकाया शेषों को कम करने के लिए, उधार बिक्री विभाग का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है और एक उधार वसूली कक्ष स्थापित किया गया है तथा कुछ बहुत पुराने ऋणों का परिसमापन कर दिया गया है। ऋण सीमा को नियत करने के बारे में पंजीयक सहकारी सोसाइटीज, दिल्ली से पहले ही संपर्क किया जा चुका है। सुपर बाजार ने स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर रखने शुरू कर दिए हैं।

(ग) सुपर बाजार की वार्षिक रिपोर्ट हर वर्ष दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। वर्ष 1992-93 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के

पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास खाद्य तेल भंडार

5095. **मेज़र जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास कच्छ, राजकोट और खेड़ा स्थित गोदामों में लगभग 72 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 40,000 मीट्रिक टन खाद्य तेल का अप्राधिकृत भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो भण्डारण करने और बाजार हस्तक्षेप के संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा भण्डारण को विनियमित करने के संबंध में कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह के मानदंडों के उल्लंघन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) खाद्य तिलहनों तथा खाद्य तेलों के लिए भण्डारण नियंत्रण आदेश, 1977 का संशोधन करके, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने, राज्यों के सभी निगमों और केन्द्रीय सरकार एवं सांविधिक बोर्ड तथा राज्य और केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियों को, दलहन, खाद्य तिलहन तथा खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 के तहत लगाई गई भण्डारण सीमाओं से छूट दे दी है।

सुपर बाजार में कार्यरत कार्यकारी अधिकारी

5096. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार में बिक्री सहायक से लेकर उपमहाप्रबंधक स्तर तक कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित-जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों की संख्या सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप है; और

(ग) सुपर बाजार द्वारा इनमें से प्रत्येक श्रेणी के बकाया पदों को भरने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार में आज की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्गों से संबंधित कनिष्ठ बिक्री सहायक और उससे ऊपर के स्तर के बासठ कर्मचारी काम कर रहे हैं। सुपर बाजार, दिल्ली सहकारी सोसायटीज अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है और इसके अपनी प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित अपने भर्ती नियम हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

(ग) अधिक कर्मचारियों के कारण प्रबंध समिति ने गत पांच वर्षों से कुछ तकनीकी श्रेणियों को छोड़कर भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्यान्न

5097. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के गोदामों से कितना खाद्यान्न खाद्यान्नवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटा गया, भारत में खुले बाजार में बेचा गया तथा 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान निर्यात किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय पूल से निर्यात किए गए चावल और गेहूं की मात्रा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की गई चावल और गेहूं की मात्रा और इनकी खुले बाजार में हुई बिक्री की मात्रा नीचे दी गई है :

(लाख मीटरी टन में)

	1993-94 (अनन्तिम)		1994-95 (अनन्तिम)	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली	88.84	58.63	79.76	48.28
खुले बाजार में बिक्री	0.17	28.56	4.39	50.91
निर्यात	0.40*	0.00	0.02	0.00

* बाढ़-राहत के रूप में नेपाल को अनुदान के रूप में दी गई 10,000 मीटरी टन की मात्रा सहित।

एजुकेशन कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड

5098. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर-सरकारी कॉलेजों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड (इ.डी.आई.एल.), नई दिल्ली की सेवाएं ली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, सातवीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कालेज विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोग ने निजी/गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान की उपयोगिता के मूल्यांकन हेतु ऐजुकेशनल कन्सल्टेन्ट इण्डिया लिमिटेड की सेवाएं ली थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ठेके पर खेती

5099. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ठेके पर की जाने वाली खेती के विस्तार हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और कृषि क्षेत्र के भविष्य के परिप्रेक्ष्य में ठेके पर खेती के फायदे/प्रतिकूल प्रभावों का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या सरकार ने निर्यात के लिए ठेके पर खेती संबंधी समूचे मामले पर भी पर्याप्त सोच-विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण उद्योग के लिए बिक्री से पहले की सुविधाएं सुदृढ़ बनाने की एक योजना चला रहा है, ताकि किसानों और उद्योग को अनुबंधात्मक कृषि के ढांचे तले लाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके और प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा पूर्व-निर्धारित मूल्य पर कच्चा माल खरीदा जाना सुनिश्चित हो सके। इस योजना में तीन वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये प्रति इकाई/संगठन की अधिकतम सीमा तक, खरीद मूल्य के 5 प्रतिशत की वित्तीय सहायता देने की बात सम्मिलित है। नई इकाइयों के मामले में, वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम दो वर्षों में प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता विस्तार-लागत के 50 प्रतिशत तक होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) अनुबंधात्मक कृषि, किसानों और उद्योग के बीच एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा उद्योग किसानों के उत्पादन के लिए मंडी सुनिश्चित करता है तथा यदि आवश्यक हो तो किसानों को आदान मुहैया कराता है, ताकि किसान उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की प्रसंस्करण योग्य किस्म उगा सकें। यह योजना बागवानी क्षेत्र के विकास में सहायक होगी, कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देगी और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में मदद करेगी। इस योजना से खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्रभावित नहीं होगी।

(ङ) और (च) इस योजना से उन प्रसंस्करण यूनिटों को कच्चे माल की सुनिश्चित सप्लाई प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो बागवानी/पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात कार्य में लगे हुए हैं और इससे इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

खाद्यान्नों पर राजसहायता

5100. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चावल पर राजसहायता बढ़ाकर गेहूं पर दी जा रही राजसहायता के बराबर करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्यान्नों की "इक्नामिक" लागत और इसके निर्गम मूल्यों में जो अंतर होता है, उसका भुगतान भारतीय खाद्य निगम को उपभोक्ता सब्सिडी के रूप में किया जाता है। इक्नामिक लागत में प्राप्ति लागत और वितरण लागत शामिल होती है। सामान्यतया, खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य प्राप्ति लागत को

"कवर" करते हैं और इसमें वितरण लागत शामिल नहीं होती है जिसका भुगतान भारतीय खाद्य निगम को सब्सिडी के रूप में किया जाता है। अतः गेहूं और चावल पर सब्सिडी की मात्रा वितरण लागत पर निर्भर करती है। क्योंकि चावल के मामले में वितरण लागत गेहूं से कम है, इसलिए चावल पर सब्सिडी को गेहूं पर दी जा रही सब्सिडी के बराबर नही बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

रेलवे समय-सारणी

5101. **श्री सत्य देव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री महेश कनोडिया :
श्री बलराज पासी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे समय-सारणी को अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) जी हां। समय-सारणी के अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरों की योजना बनाने तथा उनका एक साथ प्रकाशित करना सुनिश्चित करने के अनुदेश क्षेत्रीय रेलों को जारी कर दिए गए हैं, ताकि दोनों ही बाजार में समय पर उपलब्ध हो सकें।

[अनुवाद]

मत्स्य पालन विकास एजेंसियां

5101. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीठे जल और खारे जल में मत्स्य पालन संबंधी राज्यवार स्थापित की गई मत्स्य पालन विकास एजेंसियों की संख्या कितनी-कितनी है तथा कितनी और एजेंसियां स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इनकी स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(घ) इस सहायता के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) ताजा जल और खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) तालाबों और पोखरों तथा खारे जल वाली भूमि को मछली/झींगा पालन के लिए इस्तेमाल करना,

(2) मछली/झींगा पालन के तहत लाए गए क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना,

(3) मछली/झींगा पालकों में जल कृषि की प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का एक संवर्ग तैयार करना,

(4) रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करना और तेजी से ग्रामीण विकास करना और

(5) हैचरियां स्थापित करके मछली पालकों को मछली/झींगा के अच्छी क्वालिटी के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।

(ग) विवरण-II संलग्न है।

(घ) राज्यों को ताजा जल/खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों के माध्यम से ताजा जल/खारा जल मछली पालन विकास के लिए केन्द्रीय सहायता उन योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों के भौतिक और वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर दी जाती है।

विवरण-I

मछली पालक विकास एजेंसियों तथा खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियों की राज्यवार स्थापना

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	म.पा.वि.ए. की संख्या	खा.ज.म. पा.वि.ए. की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-
3.	असम	23	-
4.	बिहार	49	-
5.	गोवा	1	1

1	2	3	4
6.	गुजरात	17	3
7.	हरियाणा	16	-
8.	हिमाचल प्रदेश	2	-
9.	जम्मू और कश्मीर	22	-
10.	कर्नाटक	18	2
11.	केरल	14	6
12.	मध्य प्रदेश	45	-
13.	महाराष्ट्र	29	4
14.	मणिपुर	8	-
15.	मेघालय	1	-
16.	मिजोरम	5	-
17.	नागालैण्ड	8	-
18.	उड़ीसा	27	7
19.	पंजाब	14	-
20.	राजस्थान	15	-
21.	सिक्किम	1	-
22.	तमिलनाडु	17	5
23.	त्रिपुरा	3	-
24.	उत्तर प्रदेश	56	-
25.	पश्चिम बंगाल	18	3
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	1
27.	पाण्डिचेरी	1	-
	कुल	414	38

म.पा.वि.ए. = मछली पालक विकास एजेंसियां

खा.ज.म.पा.वि.ए.=खारा जल मछली पालक विकास एजेंसियां

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान खारा जल विकास एजेंसियों को दी गई राज्यवार केन्द्रीय सहायता।

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	95.12	48.00	78.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	13.00	22.00
3.	असम	12.00	82.00	23.00
4.	बिहार	39.00	59.00	49.00
5.	गोवा	-	2.00	1.00
6.	गुजरात	26.50	53.16	23.00
7.	हरियाणा	21.00	36.00	24.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	7.00	2.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2.00	7.00	2.00
10.	कर्नाटक	11.00	13.00	47.10
11.	केरल	14.00	75.00	51.50
12.	मध्य प्रदेश	34.00	120.00	97.50
13.	महाराष्ट्र	-	4.00	54.19
14.	मणिपुर	9.00	7.00	5.00
15.	मेघालय	1.00	1.00	-
16.	मिजोरम	5.00	8.00	14.00
17.	नागालैण्ड	4.00	2.00	18.00
18.	उड़ीसा	100.50	147.53	72.90
19.	पंजाब	31.00	27.00	26.00
20.	राजस्थान	16.00	15.00	18.00
21.	सिक्किम	2.00	1.00	3.00
22.	तमिलनाडु	77.00	23.00	18.00
23.	त्रिपुरा	13.00	16.00	48.50

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	111.00	161.0	170.00
25.	पश्चिम बंगाल	79.00	143.00	275.94
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	-	5.00	-
27.	पाण्डिचेरी	1.00	1.00	-

लेवी चीनी के लाभ

5103. **श्री अंकुशराव टोपे : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेवी चीनी के फैक्ट्री-द्वार मूल्य में हुई वृद्धि से उपभोक्ताओं को प्रभवित किए जाने का निर्णय अभी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जाएगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को इस समय 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम पर ही रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

डेरी विकास परियोजनाएं

5104. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री पवन दीवान :
डा. वसंत पवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक देश में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहायता से चलाई जा रही डेरी विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्यवार कुल कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी और परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना हेतु राज्यवार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और प्रत्येक मामले में कितना व्यय होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से चलाई जा रही आपरेशन फ्लड-3 परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) विगत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्यों को दी गई कुल सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित परियोजनाओं के अलावा, चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों में नई डेयरी विकास परियोजनाएं स्थापित किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

विवरण-I

31.3.95 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से चलाई जा रही आपरेशन फ्लड-3 परियोजनाओं का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अनन्तिम प्रसंस्करण क्षमता (हजार लीटर प्रति दिन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1912.00
2.	असम	60.00
3.	बिहार	416.00
4.	दिल्ली	1150.00
5.	गोवा	75.00
6.	गुजरात	4555.00
7.	हरियाणा	350.00
8.	हिमाचल प्रदेश	30.00
9.	जम्मू और कश्मीर	10.00
10.	कर्नाटक	1510.00
11.	केरल	386.00
12.	मध्य प्रदेश	1030.00
13.	महाराष्ट्र	3715.00
14.	उड़ीसा	125.00
15.	पाण्डिचेरी	30.00

1	2	3
16.	पंजाब	1410.00
17.	राजस्थान	900.00
18.	सिक्किम	15.00
19.	तमिलनाडु	1666.00
20.	त्रिपुरा	10.00
21.	उत्तर प्रदेश	780.00
22.	पश्चिम बंगाल	910.00
	योग	21045.00

विवरण-II

वर्ष 1992-93, 93-94 तथा 94-95 के आपरेशन फ्लड-3 परियोजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई कुल सहायता को दर्शाने वाले राज्य संघ/शासित क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.	संस्थान	वर्ष 1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.44	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	703.36	994.78	359.34
3.	असम	2.99	0.21	0.09
4.	बिहार	191.92	191.73	114.53
5.	दिल्ली	182.39	89.27	279.48
6.	गोवा	37.11	55.76	24.24
7.	गुजरात	3,479.42	14,014.86	7,764.27
8.	हरियाणा	479.92	557.62	360.53
9.	हिमाचल प्रदेश	17.39	6.51	5.17
10.	कर्नाटक	2,082.42	1,097.67	518.20
11.	केरल	416.06	327.09	234.06
12.	जम्मू तथा कश्मीर	8.46	4.02	0.02
13.	मध्य प्रदेश	59.37	46.64	29.40
14.	महाराष्ट्र	102.90	46.87	131.46
15.	मणिपुर	(0.03)	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.44	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	0.53	0.91
18.	उड़ीसा	76.01	45.56	60.68
19.	पाण्डिचेरी	4.13	13.01	0.95
20.	पंजाब	431.81	273.74	168.00
21.	राजस्थान	938.53	642.43	456.98
22.	सिक्किम	0.27	0.72	0.00
23.	तमिलनाडु	1,058.80	1,754.29	522.13
24.	त्रिपुरा	0.00	0.60	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	701.28	1,219.67	1,872.42
26.	पश्चिम बंगाल	312.31	1,707.90	2,475.14
	राज्यों की कुल निर्मुक्ति	11,286.72	23,092.36	15,414.00

[अनुवाद]

आपरेशन ब्लैकबोर्ड

5105. **श्री चेतन पी.एस. चौहान** : क्या **मानव संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बाह्य एजेंसियों की सहायता से आपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधी संवर्ती आकलन प्रणाली को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक लागू कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1995-96 के दौरान स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा समवर्ती मूल्यांकन आरंभ कर दिया जाएगा।

बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे

5106. **डा. के.वी.आर. चौधरी :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री रामपाल सिंह :
श्री महेश कनोडिया :
श्री राजेश कुमार :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री अमरपाल सिंह :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मुद्दे पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में, विशेषरूप से आंध्र प्रदेश के संदर्भ में अपनाई जाने वाली नीति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का महत्वपूर्ण घटक स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इसे राष्ट्रीय नीति, 1986 में उच्च प्राथमिकता दी गई है। 4.4.95 को शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस मद को विशिष्ट रूप से उठाया गया और विशेषतया लड़कियों और साधनविहीन वर्गों के छात्रों की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की संख्या को कम करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने का संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली में प्रदूषण

5107. **कुमारी उमा भारती :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में यातायात से भरी सड़कों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों और दम घोंटू वातावरण वाले फैक्ट्री क्षेत्रों का कोई प्रदूषण निगरानी और विशेष सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) वाहनों द्वारा प्रतिदिन औसतन कितनी मात्रा में धुआं छोड़ा जाता है;

(घ) भारत और विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों की सूची में दिल्ली का कौन-सा स्थान है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के प्रमुख यातायात चौराहों, घने बसे क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता का सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन के आक्साइडों के सांद्रण कुल मिलाकर निर्धारित मानकों के अंदर हैं। परन्तु इनके वृद्धि होने का पता चलता है। कई बार निलंबित धूलकणों के स्तर निर्धारित सीमाओं से अधिक होते हैं; इसका कारण औद्योगिक और स्थानीय उत्सर्जन और प्राकृतिक धूलभरी अवस्थाएं हैं।

(ग) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन वाहनों से 1280 मीट्रिक टन प्रदूषण तत्व उत्सर्जित होते हैं।

(घ) विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1992 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के अत्यधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान सल्फर डाई आक्साइड के मामले में 14 वां, निलंबित धूल कणों के मामले में 6 वां और नाइट्रोजन के आक्साइडों के मामले में 10 वां है। भारत के अत्यंत प्रदूषित शहरों में सल्फर डाई आक्साइड और निलंबित धूलकणों के संबंध में दिल्ली का स्थान दूसरा और नाइट्रोजन के आक्साइडों के संबंध में पहला है।

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

1) बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

2) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

3) उद्योगों को समय-बद्ध आधार पर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश किया गया है तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

4) 1 अप्रैल 1995 से पेट्रोल से चलने वाले उत्प्रेरक

परिवर्तक लगी कारों के लिए सीसा रहित पेट्रोल बेचा जा रहा है।

5) दिल्ली में पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण पर व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 3 अगस्त, 1994 को प्रस्तुत कर दी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सिद्धांत रूप में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को मान लिया है और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति गठित की गई है।

6) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के विनिर्माण और प्रयोग दोनों स्तरों पर उत्सर्जन के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के प्रभावी अनुपालन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। विनिर्माण स्तर पर वाहनों के लिए 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी होने वाले सख्त मानक अधिसूचित किए गए हैं।

7) उद्योगों के स्थल चयन और प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

8) उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

9) सांविधिक दण्डात्मक उपबंधों तथा यानीय प्रदूषण से संबद्ध स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण

5108. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की सभी मीटर गेज रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1995-96 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्यक्रम पर भी विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, कार्य योजना के पहले चरण में आमान परिवर्तन के लिए आंध्र प्रदेश में केवल निम्नलिखित लाइनों की पहचान की गई है :

(i) गुंटूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लूरू (458 कि.मी.)

(ii) गुंतकल-होसपेट (115 कि.मी.)

(iii) बोलारम-सिकंदराबाद-द्रोणाचलम (298 कि.मी.)

(iv) मुदखेड़-सिकंदराबाद (249 कि.मी.)

(v) काटपाड़ि-पाकला-तिरुपति (104 कि.मी.) (कुछ भाग आंध्र प्रदेश में)

(vi) गुदखेड़-आदिलाबाद (162 कि.मी.)

(ख) और (ग) चूंकि विद्युतीकरण परियोजनाओं पर भारी पूंजी लगानी पड़ती है, इसलिए फिलहाल उच्च घनत्व यातायात वाले बड़ी लाइनों के मार्गों का ही निवेश पर प्रतिफल की दर के आधार पर विद्युतीकरण किया जाता है।

बोलाराम-सिकंदराबादं-द्रोणाचलम, गुंटूर-गुंतकल, तिरुपति, काटपाडि और मुदखेड़-आदिलाबाद खंडों के आमान परिवर्तन का काम पहले से ही चालू है। शेष खंडों का आमान परिवर्तन कार्य आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

बड़ी लाइन में बदले जाने और इन मानदंडों को पूरा करने पर लाइनों के विद्युतीकरण पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

पश्चिमी घाट परियोजना

5109. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ.डी.ए.) सहायता प्राप्त 94.2 करोड़ रुपये की पश्चिमी घाट परियोजना कर्नाटक में लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अंतर्गत कौन-कौन से जिले शामिल किए जाएंगे;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत कितनी भूमि में पौधे लगाए जाएंगे;

(ङ) क्या ओ.डी.ए. दल ने प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए कर्नाटक का दौरा किया है;

(च) यदि हां, तो कब तथा दल की प्रतिक्रिया क्या रही;

(छ) क्या कर्नाटक में और अधिक जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) पश्चिमी घाट परियोजना, ओवरसीज डेवलपमैंट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से 84.20 करोड़ रुपये की लागत से 1992-93 तक 16.98 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई और 10,397 हे. क्षेत्र शामिल किया गया है।

(ङ) व (च) ओ.डी.ए. के एक दल ने कर्नाटक का दौरा किया और फरवरी, 1995 में परियोजना की मध्यावधि पुनरीक्षा की। दल ने एक स्मरणपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह बताया गया था कि परियोजना ने जे.एफ.एम. प्रशिक्षण, ग्राम वन समितियों की स्थापना और सूक्ष्म योजनाएं तैयार करने जैसे कई क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। दल ने प्रभावी प्रबंधन प्रणालियां, प्रचालन योजना और निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

(छ) और (ज) इस परियोजना को शिमोगा वन परिमंडल में लागू करने का प्रस्ताव है, जिसमें शिमोगा और चिकमंगलूर के दो जिलों के हिस्सों को शामिल किया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में दोपहर को भोजन

5110. **डा. सुधीर राय :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री के. प्रधानी :
श्री राम पाल सिंह :
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समूचे देश में विद्यालयों में विशेष रूप से केन्द्रीय विद्यालयों में दोपहर का भोजन की व्यवस्था संबंधी योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं और यह योजना किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जायेगी;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तरीके निकालने के संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ङ) इस योजना को शुरू करने में अनुमानतः कितना खर्च आयेगा और यह खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच किस तरह से बांटा जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही मध्याह्न भोजन योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार में सहभागिता का निर्णय लिया है। योजना प्रणाली की रूपरेखा तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

संख्या एफ 17--14/95-पी.एन.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल, 1995

आदेश

विषय : मध्याह्न भोजन संबंधी समिति का गठन

वर्ष 1995-96 के बजट भाषण में एक समिति स्थापित करने के लिए वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में स्कूली बच्चों के लिए कुछ राज्य सरकारों द्वारा आरंभ की जा रही मध्याह्न भोजन योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार में केन्द्रीय सरकार की सहभागिता की पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करनी है, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्कूल पोषाहार कार्यक्रम के चरणबद्ध कार्यान्वयन की प्रविधियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

2. इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे।

1.	केन्द्रीय शिक्षा सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
4.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग	सदस्य
6.	योजना आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद	सदस्य
8.	शिक्षा सचिव, (स्कूल) तमिलनाडु सरकार	सदस्य

9. शिक्षा सचिव, (स्कूल)
गुजरात सरकार — सदस्य

10. शिक्षा सचिव, (स्कूल)
उड़ीसा सरकार — सदस्य

11. शिक्षा सचिव, (स्कूल)
उत्तर प्रदेश सरकार — सदस्य

12. संयुक्त सचिव, (आयोजना)
शिक्षा विभाग — सदस्य सचिव

3. समिति का विचारार्थ विषय केन्द्रीय सरकार के निर्णय को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करनी होगी, इसके साथ ही साथ मध्याह्न भोजन योजनाओं के चरणबद्ध विस्तार में सहभागिता के लिए निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देना होगा :

- सम्मिलित किए जाने वालों की संख्या
- लक्षित वर्ग की पहचान
- कार्यान्वयन की पद्धतियां
- कार्यान्वयन एजेंसियां
- राज्य सरकारों का योगदान
- स्थानीय निकायों की भूमिका
- समुदाय की भूमिका
- समन्वित बाल विकास योजना जैसे अन्य कार्यक्रमों से संबंध
- स्कूल स्तर पर स्टाफ व्यवस्था सहित मूल भूत आवश्यकताओं का सहयोग
- प्रभावशीलता, स्थायित्व तथा व्यावहारिकता के आधार पर वित्तीय व्यवस्था के मापदंड
- चरणबद्ध विस्तार, तथा
- अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के तंत्र

4. समिति अपनी रिपोर्ट अपनी पहली बैठक के चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगी। यदि समिति वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना आवश्यक समझती है तो राज्यों का भी निरीक्षण कर सकती है।

5. समिति अपनी कार्यपद्धति तथा कार्यप्रणाली की योजना तैयार करेगी।

6. समिति आयोजना तथा अनुवीक्षण प्रभाग (प्लानिंग एण्ड मानीटरिंग डिवीजन) (पी एन । अनुभाग) शिक्षा विभाग से सचिवालय सहायता प्राप्त करेगी।

(टी.सी. जेम्स)

अवर सचिव, भारत सरकार

1. समिति के सभी सदस्य।
2. मंत्रीमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय (ध्यानाकर्षण : श्री एन.के. सिंहा, संयुक्त सचिव)।
4. तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव।
5. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव/उपमंत्री के निजी सचिव।
6. शिक्षा सचिव के निजी सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।
7. सभी ब्यूरो अध्यक्ष।
8. ई-1/केन्द्रीय रजिस्ट्री/सेवा एवं आपूर्ति/आंतरिक वित्त प्रभाग।
9. गार्ड फाइल।

नई रेल लाइनें

5111. **श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कुल कितनी कि.मी. लम्बी नई रेल लाइन बिछाई गयी तथा कुल कितने कि.मी. लम्बी पुरानी रेल पटरियों की मरम्मत की गयी;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा इस कार्य हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1993-94 के दौरान 211 कि.मी. लंबी नई लाइनें बिछाई गईं और 2814 कि.मी. लंबे रेलपथ का नवीकरण किया गया।

(ख) 1993-94 के दौरान नई लाइनों पर 239.29 करोड़ रुपये और रेलपथ नवीकरण पर 1301.41 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

(ग) 1995-96 के दौरान 697 कि.मी. लंबी नई लाइनें चालू करने की योजना है और 2600 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं के लिए लाभ

5112. **डा. चिन्ता मोहन :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री राम नाईक :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने उद्योगों ने उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ उठाने के बावजूद भी अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाया है कि इन वस्तुओं के मूल्य वास्तव में कम किए जायें और ये रियायतें उपभोक्ताओं को मिलें; और

(घ) यदि हां, तो इस तंत्र का स्वरूप कैसा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मंत्रालय द्वारा उत्पादन शुल्क रियायतों के बावजूद अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने वाले उद्योगों के बारे में सूचना संकलित नहीं की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय जन दुर्भिक्ष न्यास

5113. **श्री मंजय लाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन दुर्भिक्ष न्यास का गठन कब हुआ था तथा इसका उद्देश्य क्या है;

(ख) इस न्यास के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस न्यास द्वारा दुर्भिक्ष के संबंध में कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) दुर्भिक्ष से प्रभावित विभिन्न श्रेणियों के लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए जुलाई, 1990 में भारतीय जन दुर्भिक्ष न्यास का गठन किया गया था। इस न्यास का बाद में नाम बदलकर भारतीय जन प्राकृतिक आपदा न्यास कर दिया गया। न्यास के वर्तमान उद्देश्यों में बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता देना है, जो अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करते तथा प्राकृतिक आपदा निवारण, तत्परता, उपशमन तथा कमी हेतु अनुसंधान, अध्ययन तथा प्रलेखन संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना है।

(ख) न्यास के प्रबंध मण्डल का वर्तमान स्वरूप निम्न प्रकार है :

1.	कृषि मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त चार व्यक्ति	सदस्य
3.	राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त पांच व्यक्ति क्रमानुसार लिए गए	सदस्य
4.	कोई व्यक्ति जो आजीवन सदस्य हो।	सदस्य
5.	कृषि व सहकारिता विभाग, भारत सरकार का राहत आयुक्त।	अवैतनिक संयुक्त सचिव
6.	मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार	अवैतनिक संयुक्त सचिव

(ग) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान न्यास से क्रमशः 10.20 लाख रुपये तथा 2.10 लाख के रुपये के अनुदान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को दिए गये।

[अनुवाद]

खेल-कूद प्रतिभा

5114. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतिभा प्रतियोगिता और क्षेत्रीय खेलकूद विकास योजनाओं के बावजूद भी ग्रामीण जनजातीय और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों की जबरदस्त खेलकूद क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण, जनजातीय तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों से राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, विशेष क्षेत्रीय खेल, खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) तथा खेल छात्रावास योजना

के अंतर्गत पर्याप्त प्रतिभाशालियों का पता लगाया गया है तथा प्रोत्साहित किए गए हैं। फिर भी, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों से विशाल प्रोत्साहन का पूरी तरह से दोहन संभव नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में प्रदूषण

5115. **श्री दत्ता मेघे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, नासिक और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तर में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों में प्रदूषण का स्तर क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रदूषणों के स्तर में कमी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) बम्बई नगर निगम पिछले 15 वर्षों से बम्बई नगर की परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। इस निगरानी के आंकडे के अनुसार सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड तथा निलम्बित धूल कणों का स्तर निर्धारित मानकों के भीतर है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पुणे, नासिक, नागपुर, डोम्बीवली, अम्बरनाथ तथा औरंगाबाद में सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड तथा निलम्बित धूल-कणों की निगरानी कर रहा है। निगरानी आंकड़े दर्शाते हैं कि ये सभी पैरामीटर निर्धारित मानकों के भीतर हैं, हालांकि वाहनों से हाने वाले प्रदूषण के कारण कुछ क्षेत्रों में नाइट्रोजन के आक्साइड के स्तर में वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बम्बई में विभिन्न स्थानों में ध्वनि स्तर का भी सर्वेक्षण किया था। संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनि के स्तर निर्धारित से थोड़े से अधिक पाए गए।

महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधन प्रणाली की निगरानी के अंतर्गत, 39 जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्र हैं। निगरानी परिणाम दर्शाते हैं कि गोदावरी नदी की जल गुणवत्ता नासिक से नान्देड़, सहायक नदी मंजिरा में लातुर से महाराष्ट्र राज्य की सीमा तक तथा सहायक नदी वर्धा के पेनगंगा के साथ संगम स्थल सिरपुर से नीचे की ओर बहती धारा मलजल तथा अशोधित/आंशिक रूप से शोधित औद्योगिक बहिस्रावों के विसर्जन के कारण बिगड़ गई है।

(ग) महाराष्ट्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने निम्न उपाय किए हैं :

(i) प्रदूषण फैलाने वाले बड़ी श्रेणियों के उद्योगों के लिए बहिस्राव एवं उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। परिवेशी शोर मानकों सहित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक भी अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) उद्योगों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश दिया गया है और दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(iii) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत, पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, के अंतर्गत वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर अधिसूचित किए गए हैं जो अप्रैल, 1996 से लागू होंगे।

(iv) प्रदूषण के परिणामों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(v) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

(vi) प्रदूषण नियंत्रण निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा व उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है।

(vii) बम्बई में उत्प्रेरक परिवर्तक लगी हुई कारों के प्रयोग के लिए 1.4.1995 से सीसा मुक्त पैट्रोल चालू किया गया है।

(viii) उद्योगों के स्थान-निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(ix) अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय महामारी रोग वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा वैज्ञानिक और आयुर्विज्ञान संस्थानों को प्रायोजित किया गया है।

(x) महाराष्ट्र सरकार के मेरीन आउटफाल के जरिए अपशिष्ट जल के निपटान के लिए बम्बई मलजल निपटान परियोजना का प्रस्ताव रखा है।

(xi) ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आचार संहिता

विकसित की गई है तथा क्रियान्वयन के लिए राज्यों को सूचित किया गया है।

(xii) सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना भी तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र के 4 शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है। ये हैं, गोदावरी बेसिन में नासिक और नान्देड तथा कृष्णा बेसिन में सांगली और कराड।

[अनुवाद]

न्यूनतम ज्ञान अर्जन स्तर

5116. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम ज्ञान अर्जन स्तर की कार्यान्वयन दक्षता की जांच करने के लिए किए गए अध्ययनों के परिणामों का मूल्यांकन करने हेतु एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विचार-गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) रा.शै.अनु. व प्र. परिषद ने 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए अध्ययनों की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर किए गए अध्ययनों में से एक अध्ययन से यह पता चलता है कि अध्ययन में शामिल किए गए 46 जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण स्तर सामान्यतः काफी निम्न हैं।

अध्ययन उपलब्धियों, समेकित शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षक प्रशिक्षण तथा बहुआयामी अध्यापन आवश्यकताओं पर आधारित मामलों के लिए सही तथा व्यावहारिक कार्यनीतियां तैयार करने में सहायक सिद्ध हुई।

वृद्ध व्यक्तियों को रियायत

5117. **श्री सी. श्रीनिवासन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 65 वर्ष से अधिक की आयु वाले नागरिकों को किराये में दी जाने वाली रियायत के संबंध में सरकार के निर्णय में कुछ परिवर्तन आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास अपने गृह-राज्य से बाहर के स्थानों पर रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दो वर्ष में एक बार निःशुल्क यात्रा रियायत प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) परिचालनों की बढ़ती लागत तथा संसाधनों की तंगी के कारण रेलों का रियायतों का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता आन्दोलन

5118. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों सहित, देश में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इनमें से कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संगठनों के गठन को बढ़ावा देना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाने हेतु काम करने वाले उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए तरजीह देना;

(iii) सरकारी-पत्रिका "उपभोक्ता जागरण" का ब्लाक स्तरों तक पुस्तकालयों में वितरण करना;

(iv) आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों से साप्ताहिक कार्यक्रम "अपने अधिकार" का प्रसारण करना तथा दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रम दिखाना;

(v) उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्रयोजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले उपभोक्ता संगठनों को तरजीह देना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना

5119. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना पर अब तक कुल कितना खर्च हुआ है;

(ख) इस परियोजना के क्या-क्या लाभ हैं;

(ग) क्या वह परियोजना उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993-94 तक राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत हुआ कुल खर्च 3824.00 लाख रुपये था जबकि 1994-95 के लिए आबंटन 4619.33 लाख रुपये था।

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत राज्यों को बीजों के उत्पादन और वितरण, छिड़काव यंत्रों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, दाल प्रसंस्करण-यंत्रों, प्रदर्शनों आदि के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 में दलहनों की उत्पादकता 584 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर थी, जबकि इसके मुकाबले 1991-92 में यह 533 किलोग्राम थी।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

5120. **श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(ख) इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या ये केन्द्र उन कार्यक्रमों और योजनाओं, जिनके लिए इन्हें स्थापित किया गया था, को सफलतापूर्वक चला रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश में पटियाला, कलकत्ता, तंजावुर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर और नागपुर में स्थित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी;

- विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के सृजनात्मक विकास को प्रोन्नत करना और देश में सांस्कृतिक सशक्तता की भावना का निर्माण करना;
- सहभागी राज्यों की संस्कृति के रूपों और शैलियों के अनोखेपन तथा वृहत्तर सामाजिक भारतीय संस्कृति के भाग के रूप में एक-दूसरे के साथ उनके संबंधों को प्रदर्शित करना;
- लोक और जनजातीय कलाओं की परंपराओं के विशेष संदर्भ में, प्रदर्शनकारी कलाओं, ग्राफिक कलाओं और प्राचीन काल से वर्तमान तक सर्जनात्मकता के संपूर्ण परिदृश्य के सर्जनात्मक विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्र प्रादेशिक और भाषायी सीमाओं से परे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रति वर्ष अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की शुरूआत के बाद केन्द्र के कार्यकलापों को और प्रेरक शक्ति प्राप्त हुई, जिसके अधीन कलाकारों, विद्वानों युवा समूहों, शिल्पियों, कारीगरों और सभी वर्णों के सांस्कृतिक कार्यकलापों के प्रतिनिधियों की प्रोन्नति की जा रही है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5121. **श्री एन.जे. राठवा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जनजातीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में छोटी लाइन अब तक अनुप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस लाइन के नवीकरण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है तथा इस पर एक रेलगाड़ी चलाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां, खंड का अगस्त 1990 से उपयोग नहीं हो रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बहुत ही कम यातायात प्राप्त होने/बोडेली-छोटा उदयपुर खण्ड पर दो क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत पर भारी लागत, वैकल्पिक सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता, रेल सुधार समिति की इस लाइन को बन्द करने की सिफारिश के कारण इस खण्ड को यातायात के लिए पुनः चालू न करने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

प्रतिभा पलायन

5122. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्रतिभा पलायन की घातक प्रवृति की जानकारी है;

(ख) क्या इसके कारणों और पलायन करने वाले लोगों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रवृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सा स्नातक, उच्च अध्ययन/कार्य के लिए अन्य देशों में जाते हैं और उनमें से कुछ वहीं रह जाते हैं किन्तु ऐसे प्रवासियों और वहां पर स्थायी रूप से बसने वालों का कोई रिकार्ड रखना संभव नहीं रहा है। ऐसे कार्मिकों को देश में वापस आने हेतु आकर्षित करने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के परिव्यय में वृद्धि, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों को बनाना, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं को बढ़े हुए प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, वैज्ञानिक पूल के तहत वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों का अस्थाई नियोजन, इत्यादि शामिल हैं।

चीनी मिलें

5123. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित की गई चीनी मिलों ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी चीनी मिलों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) शेष मिलों में विलंब होने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) से (ग) चालू चीनी मौसम 1994-95 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 30 अप्रैल, 1995 तक अर्थात् हाल ही में सात नई चीनी मिलों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इनमें से 3 पंजाब में, 2 उत्तर प्रदेश में तथा एक-एक मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में हैं।

सामान्यतः एक नई चीनी मिल को स्थापित करने में 3 वर्ष लगते हैं।

गन्ने के मूल्य निर्धारित करने संबंधी समिति

5124. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री के.वी.आर. चौधरी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उपभोक्ता-उन्मुख एक नई चीनी नीति को लागू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गन्ने के मूल्य निर्धारित करने वाली मानदंड संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) चीनी के वितरण के लिए दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति में परिवर्तन करने के बारे में इस समय कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सभी चीनी उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चीनी मंत्रियों का एक सम्मेलन 6 मई, को आयोजित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यों द्वारा गन्ने के सुझाए गए मूल्यों के मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए राज्य सरकारों के 5 मंत्रियों की समिति की मुख्य सिफारिशें।

(i) गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में वर्तमान रूप में मौजद भार्गव फार्मूले को निरस्त किया जाना चाहिए।

(ii) एक राष्ट्रीय गन्ना मूल्य-निर्धारण बोर्ड गठित किया

जाना चाहिए, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी और इसमें प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के खाद्य, नागरिक पूर्ति और कृषि मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए।

(iii) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष मौसम आरम्भ होने से पहले प्रत्येक राज्य सरकार से गन्ने की उत्पादन लागत के अनुमान मंगाने चाहिए तो उनके राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों अथवा ऐसे अन्य संस्थानों, जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझती हो, की सिफारिशों के आधार पर हों।

(iv) राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को गन्ने की खेती की लागत की गणना करनी चाहिए, जिसे लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य की गणना करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय गन्ना मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।

(v) बोर्ड को खेती की राज्यवार लागत और प्रतियोगी फसलों से संभावित रिटर्न, पिछले मौसम में वास्तव में अदा किए गए मूल्य, मूल्य-प्रवृत्ति, पिछले मौसम के दौरान चीनी की बिक्री से प्राप्तियों, आदि को ध्यान में रखना चाहिए और उसके पश्चात् राज्यवार/जोनवार गन्ने का वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जो पहली किस्त के रूप में गन्ना उत्पादकों के गन्ने की आपूर्ति के बाद उस राज्य/जोन के गन्ना उत्पादकों को देय होगा। यह मूल्य उन राज्यों में 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से सम्बद्ध होना चाहिए, जहां ऐसी प्रथा प्रचलित है, जबकि अन्य राज्यों में जहां एकमुश्त मूल्य अदा किया जाता है, मूल्य एकमुश्त आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।

(vi) दोहरी मूल्य प्रणाली लागू रखी जाए, जिससे उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली चीनी की विहित मात्रा सुनिश्चित हो सके।

(vii) अन्त में, बोर्ड में मौसम के समाप्त हो जाने के बाद, उस मौसम के दौरान राज्यवार/जोनवार औसत प्राप्तियों के बारे में विचार करना चाहिए और प्रत्येक राज्य/जोन के लिए गन्ने का फाइनल मूल्य निर्धारित करना चाहिए, ताकि उस राज्य/जोन में गन्ने के मूल्य की अतिरिक्त और फाइनल किस्त के रूप में अन्तर का भुगतान किया जा सके।

समिति का यह भी विचार है कि गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में उपयुक्त संशोधन करके उपर्युक्त प्रावधानों को सांविधिक समर्थन दिया जा सकता है।

नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एडल्ट एजुकेशन

* 5125. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीच्यूट आफ एडल्ट एजुकेशन बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किन उद्देश्यों के लिए यह संस्थान स्थापित किया गया था;

(घ) क्या यह संस्थान उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के कार्यों को प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में समाविष्ट कर दिया जाए। संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है और यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेलवे लाइन

5126. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के छोटा नागपुर में रेलवे-लाइनों के विस्तार तथा रेल-यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित किए गए निर्माण-कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार छपरा जिले के छपरा मुख्यालय में एक रेलवे बुकिंग कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जायेगा?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा योजना

5127. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री महेश कनौडिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में प्रत्येक राज्य में क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) खेलों के प्रारम्भिक स्तर पर बढ़ावा और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के बीच खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना;

(ii) ऐसे प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों का पता लगाना, जिन्हें प्राकृतिक प्रेरक गुण और शारीरिक विकास आनुवांशिक रूप से प्राप्त हुए हैं;

(iii) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए चुनिंदा बच्चों को वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने निम्न राशि प्रदान की :

क्रम सं.	वर्ष	रुपये
1.	1992-93	407.84 लाख रु. (इसमें आर्मी बाल खेल कम्पनियों के खर्चे भी शामिल थे)
2.	1993-94	292.00 लाख रु.
3.	1994-95	270.99 लाख रु.

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्याप्त 59 अपनाए गए स्कूलों में इस योजना को लागू किया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या
1992-93	1200
1993-94	1380
1994-95	1249

इन योजनाओं के अंतर्गत दाखिल किए गए अनेक बच्चों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूनियर और उप-जूनियर चैम्पियनशिप में श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया।

[अनुवाद]

सिमलीपाल बाघ आरक्षित क्षेत्र

5128. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिमलीपाल बाघ आरक्षित वन क्षेत्र में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई और इस हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या इसके विकास हेतु कोई योजना बनाई गई है और इस हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें कितना पूंजीगत व्यय अंतर्ग्रस्त है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1993 में की गई गणना के अनुसार आरक्षित वनों में बाघों की अनुमानित संख्या 95 है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सिमलीपाल बाघ रिजर्व के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता
1992-93	45.693 लाख रुपये
1993-94	46.52 लाख रुपये (द्विवर्षीय गणना आपरेशन के लिए) जिसमें केन्द्रीय अंश के रूप में 0.30 लाख रुपये भी शामिल हैं)
1994-95	69.385 लाख रुपये

आबंटित की गई थी।

(ग) और (घ) देश में आठ स्थलों के पारि-विकास, जिसमें सिमलीपाल बाघ रिजर्व भी शामिल है, के लिए विश्व बैंक के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का एक प्रस्ताव तैयारी के अंतिम चरणों में है। इस परियोजना में सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की निर्भरता को कम

करने तथा उद्यान की प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।

आमान परिवर्तन

5129. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कोता गूडेम कोव्बूर को रेल लाइन से जोड़ने के लिए एक नई बड़ी लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 1966 में भद्राचलम रोड से कोव्बूर तक एक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया था, जिससे पता चला कि परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद है।

बहरहाल, क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भ्रदाचलम रोड (कोठागुडम) और कोव्बूर के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात हो जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना सम्भव हो सकेगा। बशर्ते कि आगामी वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलें

5130. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजेश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी सरकार की योजना क्या है;

(ख) इस समय चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के संबंध में राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं/विचाराधीन हैं;

(ग) इस योजना के लिए चीनी विकास कोष से अब तक कितनी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(घ) कितनी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है और कितनी मिलों का आगामी वर्षों में किया जायेगा;

(ङ) क्या सरकार के पास इस योजना के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो इस कार्य-योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) इस समय मंत्रालय में चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाने के बारे में विभिन्न चीनी संस्थाओं से ऐसे आठ आवेदन लम्बित पड़े हैं, जो इन संस्थानों के संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने से संबंधित हैं। इनकी राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	आवेदनों की संख्या
उत्तर प्रदेश	5
महाराष्ट्र	2
कर्नाटक	1
जोड़	8

(ग) से (च) इस निधि के बनने से लेकर 31.3.95 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न चीनी संस्थाओं को उनकी संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 13 प्रस्तावों के संबंध में 469.73 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से 417.26 करोड़ रु. के ऋण उपर्युक्त प्रयोजनार्थ वितरित किए जा चुके हैं। चीनी मिलों के हक में ऋण मंजूर करने संबंधी कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ चीनी मिलों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या और स्थायी समिति/सरकार द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या पर निर्भर करता है।

विज्ञान शिक्षा में सुधार

5131. **श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान अकादमी ने गिरते हुए स्तर को सुधारने और शिक्षा में आरक्षण के विवाद को हल करने के लिए कालेजों में विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के हेतु "ब्लू प्रिंट" जारी किया है;

(ख) क्या मंत्रालय ने अकादमी द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले के रालिंग स्टाक की कमी

5132. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले के परिहवन के लिए रालिंग स्टाक की कमी के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में ईंट उत्पादकों को कोयले की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ख) व्यस्त मौसम के दौरान सीमेंट रासायनिक खाद, शीशा आदि उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों से कोयले के लदान हेतु अधिक माल डिब्बों की आपूर्ति के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) रेलवे ने निर्धारित समय सीमा पहले ही हटा ली है। मांग प्रस्ताव तथा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, ईंट निर्माताओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को माल डिब्बों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी श्रमिक

5133. **डा. लाल बहादुर रावल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** 18 मार्च, 1994 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी श्रमिकों को यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और अन्य सभी वही सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जो अवर श्रेणी लिपिकों को दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी आंगनवाड़ी श्रमिकों और महिला परिचरों को ये सुविधाएं प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें यह सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निश्चित मानदेय की राशि के साथ-साथ, राज्य सरकार नियमो के अनुसार अवर श्रेणी लिपिक को देय दैनिक भत्ता तथा बस/रेलगाड़ी का वास्तविक किराया (द्वितीय श्रेणी) देय है। आंगनवाड़ी सहायिका भी राज्य सरकार के "घ" श्रेणी कर्मचारियों को देय दैनिक भत्ता तथा बस/रेलगाड़ी (द्वितीय श्रेणी) का किराया पाने का हकदार है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देय अन्य लाभों में प्रसूति अवकाश तथा एक वर्ष के दौरान 20 दिन का आकस्मिक अवकाश शामिल है। पर्यवेक्षकों के 25 प्रतिशत पद ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु आरक्षित हैं, जो मैट्रिकुलेट हैं और जिन्हें दस वर्ष का अनुभव है। अवर श्रेणी लिपिकों को दी जा रही सुविधाओं में से अन्य कोई सुविधा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही।

[अनुवाद]

एन.सी.डी.सी. में रिक्त पद

5134. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.डी.सी. में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न संवर्गों में कुल कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या शीघ्र उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में विभिन्न श्रेणियों के मंजूर किए गए 795 पदों में से 99 पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां मुख्यतः पिछले दो से तीन वर्षों की हैं।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में वर्तमान रिक्तियों के कारण इस प्रकार हैं :

(i) ये पद सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के कारण रिक्त हैं।

(ii) विवादों के कारण कुछ संवर्गों में वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप न देना;

(iii) सेवा नियमों में अन्य पिछड़ी जातियों को शामिल करने की आवश्यकता है, अतः सेवा नियमों में तद्नुसार संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठता सूची को तत्काल अंतिम रूप देना;

(ii) अन्य पिछड़ी जातियों की रिक्तियों को शामिल करने के लिए सेवा विनियमों में तत्काल संशोधन करना;

(iii) नियमों और विनियमों के अनुसार रिक्तियां भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

शैक्षिक निकायों के प्रमुख

5135. **श्री हरिन पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के प्रमुखों और प्रशासनिक प्रभारियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) के निदेशक कार्यरत हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जमाखोरी विरोधी अभियान

5136. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
श्री अन्ना जोशी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा जमाखोरी विरोधी अभियान को देश में लागू करने का निर्देश दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निर्देशों की अनदेखी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में गड़बड़ी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरे देश में जमाखोरी विरोधी अभियान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए करने का प्रस्ताव है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) प्रधान मंत्री समय-समय पर कड़ाई से कार्यान्वयन हेतु बल देते रहते हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा अन्य उपबन्धों और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने में लिप्त बेईमान तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन को राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि सभी राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार की सलाह की उपेक्षा करती है।

(ग) और (घ) कई राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समय–समय पर की गई कार्रवाई की सूचना दे रही हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1994 के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए अलग से कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों को लागू करने के लिए अपने कार्यों के एक हिस्से के रूप में निरीक्षण करते हैं तथा छापे मारते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि जब कभी भी यह महसूस किया जाए कि बेईमानी तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की गई जमाखोरी के कारण किसी आवश्यक वस्तु की उपलभ्यता तथा कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो वे जमाखोरी रोकने के वस्तु विशेष अभियान चलाएं। केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय–समय पर पत्रों के जरिए तथा बैठकों के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन की समीक्षा करने की सलाह देती रहती है।

विवरण

वर्ष 1994 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कारवाई।

1-1-1994 से

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की सं.	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त किए गए माल की कीमत (लाख रु. में)	रिपोर्ट की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	12269	1460	16	4	277.66	दिसम्बर
2.	असम	632	-	-	-	0.58	सितम्बर
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	शून्य	-	-	अप्रैल
4.	बिहार	38	63	73	2	13.74	अक्टूबर
5.	गुजरात	8512	5651	82	-	296.79	दिसम्बर
6.	गोआ	27	0	-	-	0.16	दिसम्बर
7.	हरियाणा	470	29	3	-	21.82	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1	-	-	0.03	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	150	162	-	30	0.17	दिसम्बर
10.	कर्नाटक	3167	18	-	6	4.37	दिसम्बर
11.	केरल	21683	4	29	1	3.9	दिसम्बर
12.	मध्य प्रदेश	7618	41	35	13	44.17	दिसम्बर
13.	महाराष्ट्र	2402	286	162	45	138.43	दिसम्बर
14.	मणिपुर	9	12	-	-	-	अक्टूबर
15.	मेघालय	104	-	-	-	-	दिसम्बर
16.	मिजोरम	242	-	शून्य	-	-	दिसम्बर
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	दिसम्बर
18.	उड़ीसा	890	5	78	11	1.02	दिसम्बर
19.	पंजाब	38678	13	6	2	0.51	दिसम्बर
20.	राजस्थान	715	22	295	255	99.96	दिसम्बर
21.	सिक्किम	4	4	-	-	-	अक्टूबर
22.	तमिलनाडु	10542	237	3479	3459	147.27	दिसम्बर
23.	त्रिपुरा	9	5	-	-	0.06	दिसम्बर

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	1767	5	-	200	-	अगस्त
25.	पश्चिम बंगाल	1804	962	538	-	494.76	दिसम्बर
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	1	-	दिसम्बर
27.	चण्डीगढ़	3	5	-	-	0.03	दिसम्बर
28.	दादरा और नागर हवेली	-	-	शून्य	-	-	नवम्बर
29.	दिल्ली	843	66	46	39	-	दिसम्बर
30.	दमन और दीव	250	-	-	-	-	अगस्त
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	दिसम्बर
32.	पाण्डिचेरी	163	26	3	10	0.57	दिसम्बर
	योग	112994	9078	4846	4078	1546.00	

विवरण में 31.03.95 तक प्राप्त सूचना दर्शाई गई है।

रेल सम्पर्क

5137. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव राजगीर और गया के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने का है ताकि पर्यटन विभाग और भारतीय पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रायोजित उस क्षेत्र में यात्रा को बढ़ावा मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग या भा. प. वि. नि. से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है .

नारियल पर अनुसंधान

5138. **श्री पी. सी. थामस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल की गिरी और मानव पर इसके उपभोग के प्रभावों के संबंध में अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान करने वाले संस्थानों/ संगठनों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अनुसंधान कब किया गया;

(ग) इस अनुसंधान हेतु सरकार अथवा नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग द्वारा भी यह अनुसंधान किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो यह अनुसंधान कब से किया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(च) क्या इस अनुसंधान हेतु अधिक धनराशि की मांग करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के जीव-रसायन विभाग द्वारा मार्च, 1992 में सी रम लार्डी पड और थ्राम्बोसिस पर नारियल की गिरी की खपत के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। परिणामों से पता चलता है कि नारियल की गिरी के साथ-साथ नारियल के तेल की खपत से वास्तव में सी रम कालेस्ट्रोल के स्तर में कमी होती है।

(ग) नारियल विकास बोर्ड ने विश्वविद्यालय की इस अनुसंधान प्रायोजना के लिए 7,28,218 रु. का धन उपलब्ध कराया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस कार्य के लिए मार्च 1992 से अब तक आवंटित किया गया धन रु. 7,88,218 था।

(च) जी, हां।

(छ) केरल विश्वविद्यालय ने रु. 3,28,264 के अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध किया है, ताकि इस प्रकार के अध्ययन केरल के अन्य जिलों में भी किए जा सकें। बोर्ड ने यह अध्ययन अकेले त्रिवेन्द्रम जिले तक ही सीमित रखने के लिए विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है।

पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन

5139. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री बलराज पासी :
श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. सी. ई. आर. टी. द्वारा पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने हेतु कोई कार्य बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य बल के अब तक के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के दृष्टिकोणों पर भी विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संशोधित पाठ्य पुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र के लिए उपलब्ध होंगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) ने एक आन्तरिक कार्य दल के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक अनुसंधान अध्ययन कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन चार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर संशोधन कर लिए जाने के पश्चात् पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विभिन्न राज्य बोर्डों से संबद्ध स्कूल अपने-अपने राज्य बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तकों का डिजाइन तैयार करने उनके प्रकाशन तथा मुद्रण के लिए राज्य सरकारों के अपने-अपने तंत्र होते हैं।

रेलवे का कार्य-निष्पादन

5140. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे के कार्य-निष्पादन स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निष्पादन में सुधार के लिए किए गए अन्य उपायों में परिसंपत्तियों की विश्वसनीयता और उपयोग बढ़ाना, गाड़ी परिचालन में समयपालन और संरक्षा में सुधार, ऊर्जा की खपत में कमी, अभिनव विपणन नीतियां, संचालन व्यय में कमी, आदि शामिल हैं।

पारिस्थितिकीय दृष्टि से क्षीण क्षेत्र

5141. **श्री राम नाईक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र में दहानु तालुका को पारिस्थितिकीय दृष्टि से क्षीण क्षेत्र घोषित करने संबंधी दिनांक 20.6.1991 की अधिसूचना सं. एस ओ/ 416(इ) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में उद्योग मुक्त 25 कि.मी. बफर जोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता सहित सम्बद्ध मुद्दों की जांच के लिए एक समिति गठित की है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है; और

(ङ) यदि नहीं तो उक्त रिपोर्ट कब तक दे दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (ङ) समिति ने एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

5142. **श्री लोकनाथ चौधरी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी की संभावित कमी को पूरा करने और मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी का आयात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी उद्योग तथा गन्ना उत्पादकों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस टी सी) और खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एस एम टी सी) ने लगभग 4.05 लाख टन चीनी के आयात के लिए अग्रिम अनुबंध किए हैं।

चूंकि चीनी का वितरण सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अतः आशा है कि चीनी उद्योग या गन्ना उत्पादक किसानों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमरीका द्वारा महिला शिक्षा के लिए सहायता

5143. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की प्रथम महिला श्रीमती हिलेरी क्लिंटन द्वारा हाल के दौरे के दौरान दिए गए वक्तव्य के अनुसार अमरीका ने 100 मिलियन डालर की एक बालिका एवम् महिला शिक्षा निधि स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त निधि से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 29 मार्च, 1995 को राजीव गांधी प्रतिष्ठान में संबोधित करते हुए सुश्री हिलेरी रोडहैम क्लिंटन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए नए दस वर्षीय संयुक्त राज्य ए. आई. डी. 100 मिलियन अमेरिकी डालर उपक्रमण से लाभ प्राप्त करने वाला पहला देश भारत होगा। भारत में बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए अमेरिकी और भारतीय गैर-सरकारी संगठनों की सहायता हेतु संयुक्त राज्य ए. आई. डी. प्रारम्भिक अनुदान प्रदान करेगा।

(ख) और (ग) सरकार को इस संबंध में अमेरिकी प्रशासन से कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

5144. **डा. पी. वल्लल पेरुमान :**
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
डा. सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में शीघ्र ही कम्प्यूटर शिक्षा शुरू की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक अथवा गैर सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने हेतु आठवीं योजना के लिए स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन का कार्यान्वयन करने के लिए एक संशोधित कार्यनीति अनुमोदित की है। ये एजेंसियां स्कूलों में एक पूर्णकालिक प्रशिक्षक, हार्डवेयर का अनुरक्षण, चुने हुए साफ्टवेयर उपभोज्य वस्तुएं छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करेंगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पी. सी. 80 (386) डी. एक्स. प्राप्त करने के लिए 105 केंद्रीय विद्यालयों को चुना है। माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक कक्षाओं वाले केन्द्रीय विद्यालयों को प्राथमिकतायें प्रदान की जायेंगी।

[हिन्दी]

चिड़ियाघरों का रख-रखाव

5145. **श्री पंकज चौधरी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिड़ियाघरों का रख-रखाव निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अपनी बैठक में राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, दिल्ली के प्रबंध में सुधार लाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया। इन विकल्पों में इस प्रयोजन के लिए एक सोसायटी अथवा न्यास की स्थापना करके चिड़ियाघर को वित्तीय अथवा प्रबन्धकीय स्वायत्तता प्रदान करना शामिल है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपलब्ध विकल्पों के संबंध में एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए एक उप-दल स्थापित किया है। सरकार सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार करने के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेगी।

कृषि उपकरण

5146. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ राज्यों में कृषि उपकरणों का उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए बिना और नियमानुसार बीमा किए बिना ही निरन्तर निर्माण और उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार ने खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 बनाया है जिसके प्राव्धानों के अनुसार बिजली से चलने वाले थ्रैशर खतरनाक मशीनों के रूप में वर्गीकृत हैं। भारतीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्य मशीनों को खतरनाक मशीनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस अधिनियम में भारतीय मानक ब्यूरो की विद्युत चालित थ्रैशरों का ही निर्माण और बिकी हो सके। राज्य सरकारों को केन्द्रीय कानून लागू करना होता है।

[अनुवाद]

मोरों की मौत

5147. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मिस्ट्री ओवर पीकॉक डेथ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राजस्थान के अलवर जिले के "ठाकुर की गढ़ी" क्षेत्र के आसपास मोरों की रहस्यमय मौतों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राजस्थान सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मामले की पुलिस द्वारा जांच की गई थी। मृत मयूरों की शव-परीक्षा रिपोर्ट से पता चला कि ये पक्षी पहले ही वायरल/जीवाणु संक्रमण से पीड़ित थे और उनकी असामयिक मृत्यु कीटनाशक मिला भोजन खाने से हुई।

[हिन्दी]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

5148. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लगभग एक सौ पद गत दो वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इससे इस संस्थान के कार्यकरण और प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा है; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) लागू नहीं होता है।

(ग) कार्य एवं उसकी प्रगति पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है

(घ) संस्थान से अनुरोध किया गया है कि रिक्त पदो को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं । संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

5149. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली-वास्को आमान परिवर्तन परियोजना अपने निर्धारित समय से काफी पिछड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार की गई संशोधित समयसारणी में और रेल यातायात पुनः शुरू करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान लगाया गया है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (i) हुबली-लौंडा खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 31.3.95 को पूरा कर लिया गया है।

(ii) लौंडा-कैसल रॉक खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को 30.6.91 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

(iii) कैसल रॉक-वास्को खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को 31.12.95 तक पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(घ) 225 करोड़ रुपये।

केले की खेती

5150. **श्री के. प्रधानी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा जैसे समुद्र तटवर्ती राज्यों में केले की खेती-क्षेत्र बढ़ाने की भारी गुंजाइश है;

(ख) क्या केले की खेती करने तथा जल्दी खराब होने वाले इस फल के निर्यात हेतु ऐसे राज्यों के किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा इसका लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा केले की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिये प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार उष्ण-कटिबंधीय, शीतोष्ण तथा शुष्क अंचलीय फलों के विकास से सम्बन्धित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कियान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत केले की खेती के सम्बन्ध में प्रदर्शन के माध्यम से उत्पादकता में सुधार तथा क्षेत्र विस्तार संबंधी कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इसके अलावा, कृषकों को गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिये नर्सरियों तथा ऊतक संवर्धन एककों की स्थापना के लिये सहायता दी जा रही है।

भारत सरकार मूल्य उचित स्तर से कम हो जाने की स्थिति में कृषकों के हितों की रक्षा के लिये राज्य सरकारों के सहयोग से मण्डी हस्तक्षेप योजना भी कियान्वित कर रही है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड घरेलू तथा निर्यात बाजार, दोनों के लिये कटाई पश्चात के रख-रखाव तथा उत्पाद विपणन के लिये आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिये उदार ऋण के रूप में सहायता दे रहा है। राज्य सरकारें भी इस फसल के विकास के लिये सहायता दे रही हैं।

[हिन्दी]

उपरि पुल

5151. **डा. साक्षी जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने उपरि पुल निर्माणाधीन हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपरि पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 19

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है।

क्रम सं.	कार्य का नाम ऊपरी सड़क पुल	प्रगति		टिप्पणी
		रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	
1	2	3	4	5
1.	बादशाहनगर-लखनऊ	60 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
2.	कानपुर-अनवरगंज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	आरेखण (नक्शे) और अनुमानों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
3.	वलिया	100 प्रतिशत	40 प्रतिशत	
4.	देवरिया सदर	100 प्रतिशत	80 प्रतिशत	
5.	सिकतिया में मऊ-इंदारा के बीच	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कार्य 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।
6.	हरदतपुर (निक्षेप शर्तों के आधार पर)	60 प्रतिशत	कुछ नहीं	पहुंच मार्गों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।
7.	रामनगर (निक्षेप शर्तों के आधार पर)	40 प्रतिशत	कुछ नहीं	-वही-
8.	फाफामऊ	पूरा हो गया	95 प्रतिशत	
9.	अहरौरा रोड़	पूरा हो गया	92 प्रतिशत	
10.	शाहजहांपुर	पूरा हो गया	100 प्रतिशत पुल खोल दिया गया।	
11.	सुबेदारगंज (इलाहाबाद)	50 प्रतिशत	कुछ नहीं	
12.	हरदोई	55 प्रतिशत	10 प्रतिशत	
13.	लखनऊ (निक्षेप कार्य)	2 प्रतिशत	कुछ नहीं	राज्य सरकार ने केवल आंशिक भुगतान किया है।
14.	रायबरेली	पूरा हो गया	62 प्रतिशत	
15.	फैजाबाद बाई पास पर 3 ऊपरी सड़क पुल : (निक्षेप शर्तों के आधार पर)			
	1. फैजाबाद-लखनऊ की साइड में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	राज्य सरकार ने केवल आंशिक भुगतान किया है।
	2. फैजाबाद-इलाहाबाद की साइड में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-वही-
	3. फैजाबाद-वाराणसी की साइड में (निक्षेप शर्तों के आधार पर)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	-वही-
16.	इटावा (निचला सड़क पुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	आरेखण और अनुमानों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।
17.	परतापुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कार्य 1995-86 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) रेलें रेल पथ पर पुल का निर्माण करती हैं और राज्य सरकारें पहुंच मार्गों का निर्माण करती हैं। रेलवे अपने हिस्से का कार्य पहुंच मार्गों पर कार्य पूरा होने से पहले या उसके साथ-साथ कर लेती है। राज्यों द्वारा कार्य में प्रगति लाने के लिए नियमित रूप से प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

अतिथि नियंत्रण आदेश

5152. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अतिथि नियंत्रण आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने यह निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकारी पूल में गेहूं तथा चावल के पर्याप्त भंडार होने के कारण यह आदेश दिए गए;

(घ) क्या गेहूं तथा चावल की अच्छी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राशन कार्ड द्वारा प्रति व्यक्ति चावल तथा गेहूं की मात्रा में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी तथा इसे कब से लागू किया जाएगा?

खाद्य मंत्री (अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अब तक 13 राज्यों ने सूचित किया है कि उन्होंने अतिथि नियंत्रण आदेश रद्द कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के मासिक आवंटन समूचे राज्य के लिए किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की परिचालनात्मक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है जिसमें पात्रता के मानदण्ड, प्रति व्यक्ति प्रति मास जारी किए जाने वाले राशन की मात्रा आदि के बारे में निर्णय लेना शामिल है। तथापि, सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी है कि वे प्रति कार्ड प्रति मास 20 किलोग्राम खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

"केटेलेटिक कनवर्टर"

5153. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन निर्माताओं तथा उनके मंत्रालय के बीच फोर व्हीलरों के लिए केटेलेटिक कनवर्टर के आयात पर शुल्क समाप्त करने के बारे में कोई विवाद हल नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एन. सी. डी. सी. द्वारा सहायता

5154. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. सी. डी. सी. ने 1994-95 में केरल सरकार को निधि लेने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान केरल सरकार को एन. सी. डी. सी. ने कितनी सहायता प्रदान/उपलब्ध कराई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केरल को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा केरल सरकार को की गई योजनावार निर्मुक्तियां

क्र.सं.	योजना का स्वरूप	निर्मुक्त धनराशि (रु. लाखों में)					
		1993-94			1994-95		
		ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
1.	केरल में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की नारियल विकास परियोजना	737.81	-	737.81	984.72	453.92	1438.65

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	--	36.12	36.12	-	22.26	22.26
3.	चीनी कारखानों में अंशपूंजी सहभागिता	-	-	-	26.00	-	26.00
	निगम द्वारा प्रायोजित योजनाएं						
1.	मार्कफेड को मार्जिन धन की सहायता	125.00	-	125.00	198.00	-	198.00
2.	प्राथमिक सहकारी विपणन समिति की अंश पूंजी को मजबूत बनाना	12.00	-	12.00	39.50	-	39.50
3.	छात्र सहकारी समिति	2.03	0.22	2.25	4.59	0.51	5.10
4.	चयनित जिलों में समेकित मात्स्यिकी विकास परियोजना	544.15	16.69	560.84	822.86	9.14	832.00
5.	नारियल जटा तथा रेशम उत्पादन सहकारी समिति	222.86	-	222.86	547.69	-	547.69
6.	चयनित जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना	557.54	-	557.54	314.26	-	314.26
7.	अन्य प्रसंस्करण						
	बागानी फसलें	63.16	-	63.16	50.09	-	50.09
	फल एवं सब्जियां	-	-	-	5.65	1.88	7.53
8.	सहकारी भण्डारण	-	-	-	10.80	-	10.80
9.	केरल में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की नारियल विकास परियोजना	-	-	-	275.60	-	275.60
10.	ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	-	-	-	0.68	0.07	0.75
11.	कृषि आदान निर्माण और संबद्ध एकक	-	-	-	20.00	-	20.00
12.	जनजातीय सहकारी समितियां	-	-	-	2.95	0.45	3.40
13.	हथकरघा सहकारी समितियां	-	-	-	5.93	-	5.93
14.	कम्प्यूटराइजेशन हेतु सहायता	-	-	-	3.00	3.00	6.00
15.	व्यवहार्यता/प्रबंध अध्ययनों/परामर्शी रिपोर्ट के लिए सहायता	-	-	-	-	0.99	0.99
	सकल योग	2264.55	53.03	2317.58	3312.32	492.23	3804.55

चीनी को नियंत्रण मुक्त करना

5155. **श्री पी.सी. चाको : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीची को नियंत्रण मुक्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इरा पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन अनुरोधों पर कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, चीनी उद्योग का एक शीर्ष निकाय है और इसमें चीनी को विनियंत्रित करने हेतु अभ्यावेदन दिया है जबकि नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने आंशिक नियंत्रण वाली वर्तमान प्रणाली को बनाए रखने हेतु तर्क दिए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी के वितरण हेतु दोहरी मूल्य प्रणाली सहित आंशिक नियंत्रण की नीति को जारी रखने का निर्णय किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"सामाजिक वानिकी"

5156. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ख) लोगों को सामाजिक वानिकी और वनों का विकास करने के संबंध में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप, केन्द्र और राज्य योजनाओं में उपलब्ध आवंटन के आधार पर राज्यों में बराबर चलाए जाने वाले कार्यकलाप हैं। मुख्य कार्यक्रमों में विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाएं, अवक्रमित वनों का पुनरुत्पादन, पट्टीदार वृक्षारोपण, फार्म वानिकी, उत्पादन वानिकी, झूम कृषि पर नियंत्रण, ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाओं की स्कीमें, समन्वित वनीकरण तथा पारि-विकास परियोजनाओं की स्कीम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

(ख) वनों के विकास, सुरक्षा तथा प्रबंध में महिलाओं की भागीदारी से एक जन-आंदोलन तैयार करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 का एक मूल उद्देश्य है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एक जून, 1990 को राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि वे वनों से प्राप्त लाभों की हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा विकास में ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करने के लिए कार्यतंत्र तैयार करें।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की "पर्यावरण वाहिनी, तथा "पारि-क्लब" नाम की दो स्कीमें हैं। "पर्यावरण वाहिनी" स्कीम के तहत् देश के लगभग 183 जिलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान और कार्यकलाप चलाए गए हैं। "पारि-क्लब" स्कीम के तहत् स्कूली बच्चों को वनीकरण और पर्यावरण के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करने के कार्यकलापों में शामिल किया जाता है। इस संबंध में जानकारी के प्रसार और जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रकाशनों, लघु वृत्त चित्रों तथा फिल्मों के लिए आर्थिक सहायता देता है। इसके अतिरिक्त देश में वनमहोत्सव, वन्यजीव सप्ताह, महि-दिवस आदि के आयोजन भी पर्यावरण और वानिकी विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं।

बोरीवली गुफाएं

5157. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में बोरीवली गुफाओं के स्वरूप के संबंध में विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गुफाओं के ऐतिहासिक महत्व के सुरक्षित स्मारक के रूप में घोषण के समय उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी; और

(ग) सरकार द्वारा इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में घोषणा के समय, गुफाएं, घड़ी-मीनार तथा पुराना पुर्तगाली चर्च सरकार के अधिकार में थे, चूंकि इन स्मारकों को सिंध सहित बम्बई प्रेसीडेंसी की संरक्षित प्राचीन स्मारकों की मुद्रित सूची में दर्शाया गया है, इसलिए कि इन पर सरकार का स्वामित्व था और इनमें कभी-कभार ही पूजा-अर्चना होती थी। 1883 के राजस्व रिकार्डों में, इन स्मारकों से संबंधित भूमि गुरचरन की मिल्कियत के रूप में दर्शाई गई है।

(ग) सरकार ने विवाद सुलझाने तथा स्वामित्व अधिकार बनाए रखने के लिए न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वामित्व अधिकार पर अपना दावा किया है, हालांकि स्मारक केन्द्रीय संरक्षण के अधीन है।

"जड़ी-बूटियां"

5158. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में जड़ी-बूटियों की व्यापक बर्बादी से परिचित है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अन्य राज्यों से भी रिपोर्टें मिली हैं;

(ग) क्या ऐसा सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो जड़ी-बूटियों के समुचित संरक्षण के लिए विशेषतः उड़ीसा में, क्या कदम उठाए गए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

फर्म्स क्राई फाउल ओवर रेलवेज

5159. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1995 के "दि इकानामिक टाइम्स" में "फर्म्स क्राई फाउल ओवर रेलवेज एवाडिंग आफ टेन्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में छपे तथ्यों का क्या ब्यौरा है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा मामले को सुलझाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड द्वारा, उच्च तनन इस्पात तार की आपूर्ति के लिए, इस विशिष्ट शर्त के साथ खुली निविदा आमंत्रित की गई थी कि केवल भारतीय मानक संस्थान से सत्यापन प्राप्त उद्यमी ही इसमें भाग ले सकेंगे। भा.मा.सं. से अपेक्षित सत्यापन प्राप्त 41 उद्यमियों में से 22 पार्टियों को प्रति प्रस्ताव दिए गए थे। समाचार पत्र में छपा मुद्दा इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(घ) न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है।

मसालों का आयात

5160. **श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय मसालों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मसालेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मसालों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी. हां।

(ख) लौंग, जायफल, जावित्री तथा दालचीनी जैसे मसालों के आयात से स्वदेशी मांग को पूरा किया जाता है।

(ग) से (ङ) आठवीं योजना के दौरान, रोपण सामग्री का उत्पादन, कलम नर्सरी केन्द्रों तथा प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना जैसे उपायों को शुरू करने के विचार से "समेकित मसाला विकास कार्यक्रम" की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है, ताकि मसालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

5161. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की किन-किन स्थानों पर स्थापना की गई है;

(ख) इन महाविद्यालयों की स्थापना के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है तथा क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में एन.सी.ई.आर.टी. ने उपरोक्त क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के रूप में परिवर्तित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या नाम परिवर्तन के साथ ही इसके उद्देश्यों में भी कोई परिवर्तन हुआ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा कालेज अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में स्थित हैं। आरंभ में क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की स्थापना मंत्रालय की बहु-उद्देश्यीय स्कूल योजना के लिए अच्छे शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उन उद्देश्यों की जिनके लिए क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों की स्थापना की गई थी, समय-समय पर समीक्षा की जाती रही है और शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के बुनियादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संशोधन किए गए। शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करने तथा सेवारत शिक्षकों की कोटि में सुधार लाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा सीमित सेवा पूर्व कार्यक्रम प्रदान करने के अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहित प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उत्तरदायित्व वाले राज्य तथा उप राज्य स्तरीय संस्थाओं को शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 1995 में क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेजों को क्षेत्रीय संस्थानों में परिवर्तित कर दिया गया था। सभी स्तरों की स्कूली शिक्षा के संपूर्ण परिधि को शामिल करना क्षेत्रीय संस्थान जारी रखेंगे।

मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में आरक्षण

5162. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद खंडूरी :**
डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य केंद्रीय निगरानी निकायों यथा भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मेडिकल इंजीनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता मानदंड/स्टैंडर्ड रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इन न्यूनतम अर्हता मानदंडों/स्टैंडर्डों की अवहेलना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने सा.का.नि. 320 दिनांक 15 जून, 1992 के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिनमें इंजीनियरी डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हक मानदंड/मानक निर्धारित किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों का उपयोग

5163. **राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की खपत में कमी आई है जिसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी तथा कृषि उत्पादकता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) : 1992-93 के दौरान फास्फेटयुक्त और पोटासयुक्त उर्वरकों को नियंत्रण रहित कर देने के बाद उनकी खपत में कमी आई थी, किंतु बाद में इनकी खपत में वृद्धि हुई इस अवधि के दौरान नाइट्रोजन की खपत में लगातार वृद्धि हुई है। जबकि मृदा की क्वालिटी के ह्रास के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है, तथापि कृषि उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। पोटासयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए सरकार ने नियंत्रण रहित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए एक योजना प्रारंभ की है।

सुपर बाजार

5164. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सुपर बाजार में कार्यरत कर्मचारियों, विशेषतः बिक्री सहायकों के वेतनमानों में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के अनुरूप संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या है और मंहगाई सूचकांक के अनुसार तथा तीसरे एवं चौथे वेतन आयोगों की सिफारिशों

के बाद उनके वेतनमानों में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था;

(घ) क्या सरकार द्वारा वेतनमानों में संशोधन हेतु कोई विशेष दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं जिन्हें सुपर बाजार के महाप्रबंधक ने लागू नहीं किया है;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/उपाय किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि. दिल्ली सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। सुपर बाजार का अपना ही वेतन ढांचा है और वह सरकार के वेतन ढांचे अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों का अनुसरण नहीं करता है। तथापि, सुपर बाजार के कर्मचारियों के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किशत निर्मुक्त की जाती है, जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा यथा अधिसूचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि पर आधारित होती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

सवारी डिब्बों में परिवर्तन

5165. **प्रो. उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री एस.एम लाल जान बाशा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड आर्गेनाइजेशन, लखनऊ ने सवारी डिब्बों में सुधार के लिए कोई सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1995-1996 के दौरान नई तरह के सवारी डिब्बों की शुरुआत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन ने 160 कि.मी. प्र.घं. तक की गति क्षमता वाले सवारी डिब्बों के नए अभिकल्प का विकास किया है। प्रोटोटाइप जांच और प्रशिक्षण 1995-96 के दौरान करने का कार्यक्रम है।

आटा मिल मालिक एसोसिएशन

5166. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आटा मिल मालिक एसोसिएशन के खाद्यान्न निर्यात बाजार में प्रवेश संबंधी भारतीय खाद्य निगम के निर्णय का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उद्योग में भारी रुग्णता है और कई मिलें बंद होने के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार, केंद्रीय पूल में रखे अपने खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति की समीक्षा करती रहती है और खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टाक की स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यकता, खुले बाजार में मूल्यों, आदि को ध्यान में रखकर सरकारी खाते पर खाद्यान्नों का आयात अथवा निर्यात करने के बारे में निर्णय लिया जाता है। सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि 1995-96 के दौरान बिना किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य के खुले बाजार से गैर डुरुम गेहूं का निर्यात करने के लिए 2.5 मिलियन मीटरी टन की निर्यात सीमा रिलीज की जाए। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाकों की सुगम स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 2.5 मिलियन मीटरी टन की सीमा के अंदर केंद्रीय पूल से गैर-डुरुम गेहूं का निर्यात/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया है और 1995-96 के दौरान 2.00 मिलियन मीटरी टन तक बढ़िया और उत्तम चावल का उस मूल्य पर निर्यात/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने के लिए भी भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया है जिसके बारे में निर्णय इस प्रयोजन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। गेहूं उत्पादों के निर्यातक भी गेहूं उत्पादों का निर्यात करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से गेहूं खरीदने के लिए पात्र हैं। आटा मिल मालिक खुली बिक्री योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम से अथवा खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का निर्यात करने के निर्णय के विरुद्ध हैं।

(ग) और (घ) किसी भी कारण से देश में रोलर फ्लोर मिलों की रुग्णता के संबंध में न तो उद्योग से और न ही एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कानून

5167. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री राम पाल सिंह :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून के दुरुपयोग के विषय में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) सरकार के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं जहां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता न्यायालयों में निरर्थक अथवा तंग करने वाली शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार ऐसी सूचना संकलित नहीं करती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता न्यायालय के आदेशों में यथा विनिर्दिष्ट व्यय का भुगतान करेगा, जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बीज निगम

5168. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को कितना घाटा हुआ;

(ख) इन घाटों के क्या कारण हैं; और

(ग) निगम को अर्थक्षम बताने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को अपनी कार्य प्रणाली में हानि हुई थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	लाभ (+)/हानि (-) (लाख रुपए में)
1991-92	(-) 849.65
1992-93	(-) 587.26
1993-94	(-) 337.25

(ख) हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(एक) बीज के बिक्री में मूल्य में संगत वृद्धि के बिना बीज उत्पादकों को देय अधिप्राप्ति मूल्यों तथा आदान मूल्यों में वृद्धि;

(दो) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 तथ 2 के तहत सृजित आधारभूत सुविधाओं का कम उपयोग;

(तीन) अत्यधिक कर्मचारी।

(ग) मैसर्स टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेजन ने निगम की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के लिए निगम की निदानात्मक समीक्षा की थी तथा इसके दुर्बल तथा मजबूत क्षेत्रों की पहचान की थी। इस अध्ययन से निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे सामने आए थे :

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम अपने क्रियाकलापों के अधिकांश क्षेत्रों में प्रवभावी नहीं था और इस प्रकार हानि उठा रहा था, तथा

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम का स्टाफ स्तर उसके कारोबार की तुलना में बहुत अधिक था।

निगम की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा दी गई प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(क) उनके उत्पादन तथा विपणन संबंधी क्रियाकलापों में वृद्धि करना;

(ख) उनके उत्पाद मिश्रणों में संशोधन करना तथा;

(ग) संशोधित उत्पादन तथा विपणन क्रियाकलापों के समनुरूप स्टाफ स्तर को समायोजित करना।

निगम के प्रबंधन द्वारा परामर्शदाताओं की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय किए गए हैं।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान

5169. **श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान खोलने के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से कितने संस्थान खोले गए; और

(ग) इस संबंध में कमी के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम आठवीं योजना के अंत तक सभी जिलों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर बल देता है। अभी तक, 394 जिलों को सम्मिलित किया गया है। 1994-95 के दौरान 46 जिलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव था, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और बिहार से पर्याप्त प्रस्ताव न होने के कारण केवल 13 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को संस्वीकृत किया जा सका।

चारे की आपूर्ति

5170. **डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सूखे प्रभावित क्षेत्रों में चारे, चारे के किट, पशु चारे आदि की आपूर्ति के लिए आकस्मिक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारा, निमिकिटों, खनिज मिश्रणों, जीवन रक्षक दवाइयों तथा टीकों की आपूर्ति के लिए 2.83 करोड़ रुपयों को परिव्यय के लिए 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से एक आकस्मिक योजना प्राप्त की गई थी। एक केंद्रीय दल ने राज्य का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लेने के बाद 1.47 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त करने की अनुशंसा की थी। चूंकि पुशपालन एवं डेयरी विभाग में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, अतः आंध्र प्रदेश सरकार की निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैदल उपरि पुल

5171. **श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में बंगलौर शहर में मल्लेश्वरम तथा बेंसन टाउन में पैदल उपरि पुलों का निर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या राज्य सरकार लागत का 50 प्रतिशत व्यय वहन करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) बंगलौर और मैसूर के अन्य भागों में ऐसे ही पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां;

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

	लागत
(1) क्लूनिस कान्वेंट मल्लेश्वरम बेंगलूर के समीप उपरि पैदल पुल	14.95 लाख रु.
(2) बेंगलूर छावनी और बेंगलूर ईस्ट के बीच 350/15-17 कि.मी. पर उपरि पैदल पुल	13.50 लाख रु.

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वर्ण धान की खेती

5172. **श्री भवानी लाल वर्मा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की खेती वाले राज्यों में बड़े पैमाने पर स्वर्ण धान की खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका राज्यवार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में स्वर्ण चावल की कीमतें अलग-अलग हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशों में स्वर्ण चावल की मांग बढ़ रही है;

(च) क्या सरकार इसका निर्यात करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) फसल क्षेत्र के प्राक्कलन फसल के लिये किस्मवार नहीं, बल्कि समग्र रूप से तैयार किये जाते हैं।

(ग) और (घ) धान/चावल के अधिप्राप्ति मूल्य का भुगतान 'सर्वोत्तम' 'उत्तम' तथा 'सामान्य' के रूप में इसके वर्गीकरण के मौजूदा प्रतिमानों के आधार पर किया जाता है। प्रमाणित नमूनों से प्राप्त धन/चावल के दानें की लंबाई और चौड़ाई के अनुपा.. के आधार पर मध्य प्रदेश में इसकी किस्म को 'सामान्य' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि उड़ीसा में 'उत्तम' के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

(ङ) से (छ) सरकार को विदेशों में चावल की स्वर्ण किस्म की किसी भी प्रकार की बढ़ती हुई मांग की जानकारी नहीं है। इसलिए सरकार को चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए धान (भूसी सहित चावल) के निर्यात को छोड़कर जो कि लाइसेंस के अधीन है, चावल के निर्यात पर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं।

[अनुवाद]

रोजगार के अवसर

5173. **श्री मंजय लाल :**
डा. जी. एल. कनौजिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेलवे की अतिरिक्त भूमि तथा रेलवे स्टेशनों पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु सर्वेक्षण करवाया गया है या करवाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान रेलवे के अंतर्गत इन स्थानों पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए दुकान तथा स्टॉल आदि के लिए वर्ष-वार कितने लाइसेंस प्रदान किए गए;

(घ) क्या व्यापक सार्वजनिक हित में सरकार रेलवे की इन जमीनों पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करने की संभावना का पता लगाने के लिए किसी समिति के गठन पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रेलों के पास कोई फालतू भूमि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई नहीं क्योंकि सामान्यत: दुकानों स्टालों आदि की आवश्यकता रेलवे की उस खाली भूमि पर नहीं होती जहां यातायात नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) रेलवे परिसर मुख्यतः रेलवे के परिचालनिक तथा संबंधित उपयोग के लिए अपेक्षित होते हैं रेलवे परिसरों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के सदाशयी रेल उपयोगकर्ताओं को असुविधा होने के अलावा रेलवे परिचालनों की संरक्षा और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

खेल.कूद प्रतियोगिताएं

5174. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल-कूद प्रतियोगिताओं का स्वयं आयोजन करने वाले महत्वपूर्ण सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों एवं विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे संगठनों का विभिन्न खेलकूदों के शीर्ष संस्थाओं में प्रतिनिधित्व है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने वाले महत्वपूर्ण सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, विश्वविद्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं :

1. **सरकारी विभाग :** सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड (एस.एस. सी.बी), पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड (आर.एस.सी.बी.) रेलवे खेल नियंत्रण बोर्ड (आर.एस.सी.बी), विद्युत खेल बोर्ड (ई.सी.बी.), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क नियंत्रण बोर्ड (सी.ई. और सी.एस.बी.) और पॉवर खेल नियंत्रण बोर्ड (पी.एस.सी.बी.)।

2. **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बैंक :** भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भारतीय टेलीफोन लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, जीवन बीमा निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान वैमानिकी लिमिटेड, पेट्रोलियम खेल नियंत्रण बोर्ड और बैंक खेल नियंत्रण बोर्ड।

3. **विश्वविद्यालय** : भारतीय विश्वविद्यालय संघ और इससे संबद्ध विश्वविद्यालय।

(ख) और (ग) कुछ शीर्ष स्तरीय संघों ने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, खेल बोर्डों और भारतीय विश्वविद्यालय संघ को संबद्ध किया है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

एथलेटिक्स : एस.सी.बी., आर.एस.सी.बी. अखिल भारत पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड, भारतीय खाद्य निगम और जीवन बीमा निगम।

मुक्केबाजी : आर.एस.सी.बी., एस.एस.सी.बी., बाई.एम.सी.ए. और टाटा।

बैडमिंटन : आर.एस.सी.बी. और बैंक खेल नियंत्रण बोर्ड।

फुटबाल : टाटा, आर.एस.सी.बी., अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड।

वॉलीबाल : आर.एस.सी.बी., एस.एस.सी.बी., ए.एल.पी.एस.बी., विद्युत खेल-नियंत्रण बोर्ड, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, खेल बोर्ड, बैंक खेल नियंत्रण बोर्ड।

भारोत्तोलन : हिंदुजा फाउंडेशन, आर.एस.सी.बी., एस.एस.सी.बी, भारतीय खाद्य निगम।

हॉकी : आर.एस.सी.बी., एस.एस.सी.बी., विद्युत खेल बोर्ड और बैंक खेल नियंत्रण बोर्ड।

[हिन्दी]

रेल लाइन

5175. **श्री दत्ता मेघे**
श्री राम नाईक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक रेल लाइनों के बारे में भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों के अनुसार इन रेल लाइनों की जिला-वार कुल लंबाई कितनी है;

(ग) कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए धनराशि के आवंटन के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) राज्य सरकार के कुछ प्रस्तावों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)	परिव्यय (1995-96)	स्थिति
1	2	3	4	5
	I. नई लाइनें			
1.	वर्धा-यवतमाल-पुसाद-नांदेड़ (182 कि.मी.)	250	-	संसाधनों की तंगी के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सका।
2.	अहमदनगर-वीड-परली वैजनाथ (250 कि.मी.)	353	1.00	इस कार्य को 95-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है। वास्तविक निर्माण कार्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् प्रारंभ किया जाएगा।
3.	मनमाड़-मालेगांव-धूले-नरदाना (132 कि.मी.)	300	0.002	मनमाड़-धूले बरास्ता माले-गांव नई लाइन के निर्माण पर संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, धूले से नरदाना (37 कि.मी.) तक

1	2	3	4	5
				नई लाइन के निर्माण के लिए टोही सर्वेक्षण प्रगति पर है। अगली कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।
4.	अमरावती-नारखेड (139 कि.मी)	120.90	2.00	कार्य पहले से प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद वास्तविक निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा।
5.	खामगांव-जालना (155 कि.मी.)	228	-	परियोजना योजना आयोग, विस्तारित बोर्ड तथा आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्री मंडलीय समिति की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद शुरू की जाएगी।
6.	पंढरपुर-लोनंद (145 कि.मी.)	300	-	संसाधमों की तंगी के कारण इस लाइन पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, मिरज-लातूर खंड के आमान परिवर्तन, जिसका कार्य चल रहा है, के पश्चात् पंढरपुर को, जो कि संरेखण पर है, बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाएगा। पंढरपुर से लोनंद जाने के इच्छुक यात्री मिरज आकर सुविधाजनक तरीके से लोनंद, जो कि मौजूदा पुणे-मिरज खंड पर है, पहुंच सकते हैं।
7.	कोल्हापुर-रत्नागिरी (115 कि.मी.)	300	-	इन परियोजनाओं पर फिलहाल संसाधनों की तंगी के कारण विचार नहीं किया जा रहा है/ नहीं किया जा सकता।
8.	शोलापुर-वीड औरंगाबाद–चालीसगांव (300 कि.मी.)	600	-	
9.	पुणे-नासिक (190 कि.मी.)	300	-	
	II आमान परिवर्तन			
1.	परभनी-मुदखेड़-आदिलाबाद (246 कि.मी)	188.01	37	
	i परभनी-पूर्णा (29 कि.मी)			पूरा हो गया है।
	ii पूर्णा-नांदेड (32 कि.मी.)			पूरा हो गया है।
	iii नांदेड-मुदखेड़ (23 कि.मी.)			1995-96

1	2	3	4	5
	iv मुदखेड़-आदिलाबाद (162 कि.मी.)			1995-96
2.	गोंदिया-चांदाफोर्ट (242 कि.मी.)	158.83	34	
	i गोंदिया-वादसा (104 कि.मी.)			पूरा हो गया है।
	ii वादसा-चांदाफोर्ट (138 कि.मी.)			1996-97
3.	शोलापुर-वीजापुर (109 कि.मी.)	180.00	5.00	परियोजना के लिए योजना का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। कार्य शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
4.	मिराज-लातुर (359 कि.मी.)	225.00	10.00	
5.	दौंड-बारामती (42 कि.मी.)	15.90	0.52	पूरा हो गया है।

राष्ट्रीय महिला कोष

5176. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री शरत पटनायक :
श्री गाभाजी ठाकुर :
श्री राम कापसे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला कोष योजना को लघु संगठनों अथवा लाभार्थी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें शीर्ष स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष में कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस योजना को लघु संगठनों तक पहुंचाने के लिए किन-किन स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया गया है और 1993-94 और 1994-95 के वित्तीय वर्ष में आज की तिथि तक प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) इन संगठनों द्वारा वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी हां। राष्ट्रीय महिला कोष गैर सरकारी संगठनों के जरिए औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला कोष में राज्य स्तरीय बड़े गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्धन महिलाओं को आगे ऋण प्रदान करने के लिए छोटे गैर सरकारी संगठनों को ऋण की सुविधा देने के लिए "अम्ब्रेला आर्गनाइजेशन स्कीम" तैयार की है।

(ख) राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भारत सरकार द्वारा दी गई 31 करोड़ रु. की कोरपस निधि से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत अब तक 53 गैर सरकारी संगठनों को 9.59 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और वास्तव में 6.53 करोड रु. का वितरण किया जा चुका है। गैर सरकारी संगठनों की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राष्ट्रीय महिला कोष ने अम्ब्रेला आर्गनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों का अनुमोदन किया है :

राज्य का नाम	अम्ब्रेला संगठन का नाम
महाराष्ट्र	अन्नपूर्णा महिला मंडल, बम्बई "स्पार्क" बम्बई।
उत्तर प्रदेश	श्रमिक भारती, कानपुर
मध्य प्रदेश	सेवा, भोपाल
आंध्र प्रदेश	"दास" तिरुपति।
तमिलनाडु	"अस्सेफा" मद्रास। डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी., मद्रास
केरल	टी.डी.एफ.एफ., त्रिवेन्द्रम।
पश्चिम बंगाल	मास एज्यूकेशन, कलकत्ता
बिहार	अदिथि, पटना

तथापि राष्ट्रीय नेता महिला कोष द्वारा अंब्रेला आर्गेनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत इन संगठनों को कोई स्वीकृति/संवितरण नहीं किया गया है।

विवरण

क्र. सं.	गैर सरकारी संगठन का नाम	संस्वीकृति की तारीख	ऋण प्राप्तकर्ताओं की संख्या	संस्वीकृत ऋण			(रुपये लाखों में) वितरित राशि		
				अ.अ.	म.अ.	कुल	अ.ज.	म.ज.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अदिथि, पटना	18-11-93	2500	17.00	-	17.00	17.00	-	17.00
2.	अन्नपूर्णा महिला मण्डल, बम्बई	18-11-93	2575	18.00	21.00	39.00	18.00	21.00	39.00
3.	एस.पी.ए.आर.सी., बम्बई	18-11-93	2000	20.00	11.50	31.50	5.724	11.50	17.224
4.	श्रमिक भारती, कानपुर	18-11-93	700	7.75	8.00	15.75	4.26	3.00	12.26
5.	एस.ई.डब्ल्यू.ए., भोपाल	18-11-93	1050	6.50	2.50	9.00	6.5	2.50	9.00
6.	आर.ए.एस.एस. समिति	29-12-93	700	2.35	5.00	7.25	2.35	5.00	7.35
7.	ए.एस.एस.ई.वाई.ए. मद्रास	29-12-93	3500	22.50	42.75	65.25	22.50	42.75	65.25
8.	वर्किंग वीमेन फोरम मद्रास	29-12-93	10350	40.00	-	40.00	16.50	-	16.50
9.	मास एजूकेशन कलकत्ता	29-12-93	2000	30.00	-	30.00	30.00	-	30.00
10.	त्रिवेंद्रम जिला फिशरमैन फेड त्रिवेंद्रम	29-12-93	1600	16.50	4.50	21.00	16.50	4.50	21.00
11.	ग्राम, चित्रदुर्गा (कर्नाटक)	7-02-94	420	7.35	2.65	10.00	3.075	-	3.075
12.	यूथ फार एक्शन हैदराबाद	7-02-94	1800	40.00	-	40.00	20.00	-	20.00
13.	दरिद्र नारायण सेवा संस्थान बालासौर (उड़ीसा)	7-02-94	580	6.30	-	6.30	3.15	-	3.15
14.	प्रजाशक्ति विद्या संघम, जिला कृष्णा (आंध्र प्रदेश)	7-02-94	220	3.96	-	3.96	3.96	-	3.96
15.	रामा सिरी गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	19-03-94	1528	15.34	9.36	24.70	15.34	9.36	24.70
16.	एस.ए.आई.डी. तिरूपति	19-03-94	617	5.40	1.10	6.50	5.40	1.10	6.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	द डेल व्यू, तिरुअनंतपुरम (केरल)	19-03-94	1000	11.72	-	11.72	11.72	-	11.72
18.	रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल (महाराष्ट्र)	19-03-94	220	5.00	0.40	5.40	1.00	0.35	1.35
19.	सैंटर फार सोशल सर्विस एंड रिसर्च डिंडिगुल (तमिलनाडु)	30-03-94	310	6.00	1.00	7.00	1.75	-	1.75
20.	सी.आर.ई.एस.ए. पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	30-03-94	1650	11.00	2.00	13.00	11.00	2.00	13.00
21.	विशाखा जिला नवनिर्माण समिति विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	30-03-94	616	6.00	1.42	7.42	6.00	1.42	7.42
22.	जनमंगल महिला समिति जिला पुरी, उड़ीसा	30-03-94	200	4.50	-	4.50	2.25	-	2.25
23.	आर्गेनाइजेशन फार डिवेल्पमैंट आफ पीपल, मैसूर (कर्नाटक)	30-03-94	600	10.00	5.00	15.00	6.50	3.96	10.461
24.	मेयर ट्रस्ट, मदुराई	30-03-94	1330	7.98	-	7.98	7.98	-	7.98
25.	मित्रानिकेतन, तिरुअनंतपुरम (केरल)	16-05-94	600	9.00	2.25	11.25	9.00	2.25	11.25
26.	सुभोदय ऐजुकेशनल सोसाइटी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	16-05-94	250	3.50	1.50	5.00	3.50	1.50	5.00
27.	लीग फार एजुकेशन एंड डिवेल्पमैंट तिरुचरापल्ली (तमिलनाडु)	16-05-94	270	5.40	1.35	6.75	5.40	-	5.40
28.	वीमेंस मल्टीपर्पज को-आप-सोसाइटी, निपानी (कर्नाटक)	16-05-94	1000	11.35	5.65	17.00	5.25	3.25	8.50
29.	भारतीय बाल कल्याण परिषद, मद्रास (तमिलनाडु)	16-05-94	420	3.20	1.80	5.00	1.60	0.90	2.50
30.	आर.आई.डी.ओ, धर्मापुरी (तमिलनाडु)	19-07-94	803	15.00	7.00	22.00	6.80	2.20	11.00

हावड़ा (पं. बंगाल)	1[illegible]-07-94	1020	13.10	6.70	19.80	3.275	1.675	4.95
32. सेल्फ इम्पलायड वीमेंस एसोसिएशन (सेवा) लखनऊ (उप्र)	19-07-94	1050	24.25	5.00	29.25	5.00	5.00	10.00
33. अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान, मानेकपुर, बांदा (उप्र)	19-7-94	197	6.00	1.65	7.65	-	-	-
34. विज्ञान शिक्षा केंद्र (बांदा) (उप्र)	19-07-94	150	1.80	0.45	2.25	0.26	0.45	0.71
35. वीमेंद्र एसोसिएशन फार डेवलपमेंट एक्शन (वाडा) चित्तूर (आप्र)	30-09-94	100	1.35	0.25	1.60	0.55	0.25	0.30
36. वीमेन्स एसोसिएशन फार मालेज अरनिंग यूनिटी एंड प्रोग्रस, चित्तूर (आप्र)	30-09-94	190	3.25	0.75	4.00	3.25	0.75	4.00
37. बाल रश्मि सोसाइटी जयपुर (राज)	30-9-94	370	9.30	5.20	14.40	4.65	2.55	7.20
38. मल्लिकार्जुन सेवा समिति (एमएसएस) तिरूपति (आप्र)	30-9-94	800	7.50	2.50	10.00	7.50	2.50	10.00
दुबारा रायलसीमा सेवा समिति तिरूपति (आप्र)	30-9-94	607	14.52	3.68	18.20	10.06	2.305	12.365
दुबारा त्रिवेंद्रम जिला फिशरमैनं फेडरेशन तिरूवन्तपुरम (केरल)	30-09-94	1300	25.00	9.00	34.00	12.50	4.50	17.00
दुबारा प्रजाशक्ति विद्या संघम अवानिगाडा, कृष्णा जिला-आप्र	30-09-94	1055	5.50	-	5.50	5.458	-	5.458
दुबारा दि डेल व्यू पूर्वाचल (केरल)	30-09-94	1500	20.00	7.00	27.00	20.00	3.50	23.50
दुबारा अन्नपूर्णा महिला मंडल बम्बई (महाराष्ट्र)	30-09-94	1900	34.00	20.00	54.00	34.00	20.00	54.00
दुबारा सेल्फ एम्पलायड वीमेंस एसोसिएशन भोपाल (मप्र)	30-09-94	1200	12.50	4.00	16.50	8.59	4.00	12.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	रूरल डिवेल्पमेंट आर्गेनाइजेशन, मणिपुर	16-11-94	2000	40.00	-	40.00	20.00	-	20.00
40.	वासव्य महिला मंडली, विजयवाड़ा (आप्र)	16-11-94	470	7.50	2.50	10.00	-	0.88	0.88
41.	रघदेब्बती पल्ली उन्नयन समिति, जिला हावड़ा (पं. बंगाल)	16-11-94	230	4.15	-	4.15	4.15	-	4.15
42.	एक्टिव फार क्लैक्टिव ट्राइबल इम्प्रूवमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशनल (एक्टिव) खम्माम जिला, (आ.प्र.)	31-01-95	250	5.00	-	5.00	2.50	-	2.50
43.	सोसायटी फार नेशनल इन्टीग्रेशन थ्रू रूरल डिवेल्पमेंट (एसएनआईआरडी) ओंगोल जिला (आ.प्र.)	31-01-95	400	8.00	2.00	10.00	-	-	-
44.	इंस्टीटयूट आफ रूरल डिवेल्पमेंट एंड सर्विसेज (आईआरडीएस), तिरुपति (आ.प्र.)	31-01-95	500	4.00	1.00	5.00	2.00	2.50	2.50
45.	डिवेल्पमेंट एक्शन फार रूरल एनवायरमेंट (डीएआरई) (हैदराबाद) आं.प्र.	31-01-95	240	5.00	-	6.00	3.00	-	3.00
46.	जन शिक्षण एवं विकास संगठन, जिला डुंगरपुर (राज.)	31-01-95	550	11.50	3.80	15.30	3.17	1.83	5.00
दुबारा	एसोसिएशन फार सर्व सेवा फार्मस, मद्रास (तमिलनाडु)	31-01-95	1000	30.00	-	30.00	10.00	5.00	15.00
दुबारा	विकास जिला नवनिर्माण समिति (वीजेएनएस) जिला-विशाखापट्नम (आं.प्र.)	31-01-95	1036	13.00	-	13.00	13.00	-	13.00
47.	हैल्थ एजुकेशन लीडरशिप प्रोमोटिंग सोसायटी (एचईएलपीएस) कुडप्पा जिला, आं.प्र.	15-03-95	500	10.00	-	10.00	5.00	-	5.00

4[illegible] सोशल एक्शन फार सोशल डिवेल्पमेंट (एसएएसडी) हैदराबाद (आं.प्र.)	15-03-95	200	4.00	-	4.00	-	-	-
49. सोसाइटी फार इंटीग्रल डिवेल्पमेंट, जिला-कोट्टायम, केरल	15-03-95	670	12.00	3.00	15.00	5.00	2.50	7.50
50. एडवांस रूरल टेक्नोलोजी, हैदराबाद इन्युटस सेंटर, सिकन्दराबाद (आं.प्र.)	15-03-95	250	5.00	-	5.00	2.50	-	2.50
51. सेंटर फार अर्बन एण्ड रूरल डिवेल्पमेंट, तिरुपति (आं.प्र.)	15-03-95	150	3.00	-	3.00	1.50	-	1.50
52. लुपिन ह्यूमन वेल्फेयर एण्ड रिसर्च भरतपुर (राजस्थान)	15-03-95	685	11.25	7.25	18.50	3.25	1.25	4.50
53. मधरनाला टोण्ड निरूवनम, कुडडालोर (तमिलनाडु)	15-03-95	600	5.00	-	5.00	2.50	-	2.50
दुबारा ग्राम सिरी, जिला-गुण्टुर (आ.प्र.)	15-03-95	743	10.00	-	10.00	5.00	-	2.50
योग		62332	736.17	223.26	959.43	468.258	184.395	652.653

[अनुवाद]

पौध किस्मों का संरक्षण

5177. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों की किस्मों की सुरक्षा संबंधी कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इसे लागू कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके पौधों की क़िस्मों की सुरक्षा से संबंधित कानून के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस कानून को इसकी अपेक्षित उचित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लागू कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय संग्रहालय

5178. **श्री मोहन रावले :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ बनाने की योजना कब शुरू की गई थी, और

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ बनाने की स्कीम मार्च, 1994 के दौरान अनुमोदित की गई थी।

(ख) मार्च, 1994 और मार्च, 1995 के बीच मणिपुर में तीन संग्रहालय, राजस्थान और मध्यप्रदेश में दो-दो संग्रहालय उत्तर प्रदेश में चार संग्रहालय तथा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक-एक संग्रहालय इस स्कीम में शामिल किए गए थे।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

5179. **श्री एन. जे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है जिसके कारण अध्ययन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्कूलों में कई वर्षों से खाली पड़े अध्यापकों के पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा : (क) नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में नवोदय विद्यालयों में 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार शिक्षकों के 67 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) नवोदय विद्यालय समिति ने रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाये हैं।

[अनुवाद]

मानव संसाधन की आवश्यकता

5180. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में मानव संसाधन की आवश्यकता के संबंध में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या कुशल/योग्य व्यक्तियों की भविष्य की आवश्यकता तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कोर्सों के लिए दाखिल विद्यार्थियों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई तन्त्र है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी मानव शक्ति सूचना पद्धति की अपनी योजना द्वारा देश में डिग्री व डिप्लोमा स्तरों पर फार्मेसी सहित इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश के योग्य व्यक्तियों की मानव संसाधन आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगाए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इन क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों /कार्यक्रमों को अनुमोदित करते समय इन अनुमानों पर विचार-विमर्श किया है।

डीजल लोको सिमुलेटर

5181. **श्री पी.सी. चाको : क्या रेल मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तुगलकाबाद, नई दिल्ली में देश का पहला कम्प्यूटरीकृत डीजल लोको सिमुलेटर चालू किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस उपकरण को कितनी लागत पर और इसे कहां से प्राप्त किया गया है,

(घ) क्या इस उपकरण से रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल में यह कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) गाड़ी परिचालन गतिविधियां सिमुलेटर में श्रव्य, दृश्य और गति प्रभावों से सिमुलेट की जाती हैं और इसलिए इससे रेल इंजन ड्राइवरों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता मिलती है।

(ग) यह उपस्कर 5.58 करोड़ रुपए की लागत से मैसर्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक डिवलपमेंट सर्विसेज़ के माध्यम से खरीदा गया था।

(घ) और (ङ) यह गाड़ियों की सम्हलाई में ड्राइवरों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हैं। इससे गाड़ी दल की इंजनमैनशिप में सुधार के जरिए यात्रियों को लाभ होता है और परिणामस्वरूप बेहतर गाड़ी नियंत्रण और संरक्षित गाड़ी परिचालन होगा। सिमुलेटरों को चुनिंदा प्रशिक्षण केन्द्रों पर उत्तरोत्तर रूप से संस्थापित करने की योजना है और ये सुविधाएं सभी भारतीय रेलों के ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाएंगी ।

रेलवे स्टेशन

5182. **श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां 1993-94 के दौरान तथा 30 जून, 1994 तक बिद्युतीकरण का कार्य चल रहा था;

(ख) इस कार्य पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 22 स्टेशन.

(ख) इस कार्य पर 22,00,356 रुपये खर्च किए गए थे।

(ग) विद्युतीकरण का कार्य 21 स्टेशनों पर पहले ही पूरा हो चुका है। शेष एक स्टेशन का कार्य 1995-96 में पूरा करने की योजना है।

राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना

5183. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
डा. लक्ष्मीनाराण पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन/शोध के लिए "वस्त्र प्रौद्योगिकी और वस्त्र प्रबंधन" एक स्वीकृत विषय है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्त्रों की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विषय को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग के परामर्श से देश में तथा यू. के. में उपलब्ध सुविधाओं/पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल छात्रवृत्तियों और शिक्षावृत्तियों की सीमित संख्या में पेशकश करता है। उपलब्ध छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों की बहुत सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ विषयों को शामिल किया जा सकता है। वस्त्र प्रौद्योगिकी और वस्त्र प्रबंधन को शामिल करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

स्टेशन पर सुविधाएं

5184. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं विशेषकर विभिन्न गाड़ियों में शायिकओं के आरक्षण की सुविधा में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्टेशन पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) 1182/1160 चंबल एक्सप्रेस और 1172 शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ियों में कम उपयोग के कारण आरक्षण कोटा 15.4.1995 से कम कर दिया गया है।

(ग) गया में आरक्षण कार्य का 30.3.1995 से कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा 30.77 लाख रुपये की लागत

से परिचलन क्षेत्र तथा पानी की सप्लाई में सुधार संबंधी कार्य, विश्रामगृहों की व्यवस्था तथा प्लेटफार्म पर सायबानों की व्यवस्था/विस्तार संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं।

"स्क्वैश" खेल

5185. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी "सार्क" खेलों में स्क्वैश को शामिल कराने के लिए प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन खेलों में स्क्वैश को शामिल करने के मुद्दे को उठाने का दायित्व भारतीय ओलम्पिक संघ का है।

[अनुवाद]

गन्ना खरीद शुल्क

5186. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित किया जा रहा प्रति टन गन्ना खरीद शुल्क का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गन्ना उत्पादकों को वितरित की गई इस राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) 1994-95 मौसम के लिए लेवी चीनी मूल्य निर्धारण के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लिया गया खरीद कर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसे एकत्रित कर के उपयोग के ढंग से संबंधित जानकारी खाद्य मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1994-95 मौसम के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लिए जाने वाले खरीद कर का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

पंजाब	-	0.50 रु. प्रति क्विंटल
हरियाणा	-	1.50 रु. प्रति क्विंटल
*राजस्थान	-	गन्ना मूल्य पर 2.5 प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	-	2 रु. प्रति क्विंटल
बिहार	-	1.00 रु. प्रति क्विंटल तथा 2 प्रतिशत खरीद कर व 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर। (2 प्रतिशत खरीद कर और 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर जो सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद के लिए लागू नहीं है) और 1 प्रतिशत बाजार फीस।
गुजरात	-	2.40 प्रति क्विंटल
महाराष्ट्र	-	2.5 प्रति क्विंटल
आन्ध्र प्रदेश	-	9/- प्रति क्विंटल 10.1.95 से प्रभावित।
तमिलनाडु	-	मूल दर 11 प्रतिशत जमा 15 प्रतिशत अधिशुल्क+ 2 प्रतिशत अतिरिक्त खरीद कर (प्रभावित दर 15.15 प्रतिशत) उपकर 0.50 रु. प्रति क्विंटल
*मध्य प्रदेश	-	खरीद कर 4.5 प्रतिशत तथा मंडी शुल्क 1 प्रतिशत
पांडिचेरी	-	गन्ना मूल्य पर 22.5 प्रतिशत, उपकर 0.50 प्रति क्विंटल
केरल	-	कर 6 प्रतिशत + 10 प्रतिशत अधिशुल्क (प्रभावित दर 6.6 प्रतिशत)
असम, उड़ीसा पं. बांगल और नागालैंड	-	शून्य
गोवा	-	शून्य
कर्नाटक	-	7 प्रतिशत + 1.75 प्रतिशत गन्ना मूल्य पर प्राप्त कर प्रभावित दर 8.75 प्रतिशत।

*राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों से जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अतः पिछले वर्षों के आंकड़ों को माना गया है।

चीनी

5187. **श्री राम कापसे :**
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान चीनी के उत्पादन, खपत, निर्यात एवं आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अप्रैल, 1995 में केन्द्रीय पूल के पास लेवी चीनी का कितना स्टॉक था?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :

लाख टन

विवरण	चीनी मौसम (अक्तूबर से सितंबर)		
	1992-93 (अ)	1993-94 (अ)	1994-95 (अनु.)
देशी उत्पादन	106.09	98.12	133.00
खपत	120.05	111.37@	117.93@
		9.37 (xx)	0.47 (xx)
आयात	शून्य	4.60 (एसटीसी/ 13.97 एमएमटीसी)	5.17 (एसटीसी/ 5.84 एमएमटीसी)
निर्यात*	3.97	0.75	0.40

(अ) - अनंतिम

(अनु.) - पूरे मौसम के लिए अनुमानित

(*) - नेपाल सहित

(xx) - प्राइवेट पार्टियों द्वारा लाई गई आयातित चीनी की खपत को छोड़कर

(@) - प्राइवेट पार्टियों द्वारा लाई गई आयातित चीनी की खपत को छोड़कर

(ख) एफसीआई के पास आगे विवरण के लिए पाइप लाइन स्टॉक को छोड़कर सरकार द्वारा लेवी चीनी के लिए अलग से कोई केन्द्रीय पूल नहीं रखा जा रहा है।

"पर्यावरण संबंधी शुल्क"

5188. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मांग की है कि पश्चिमी देशों को ग्रीनहाउस गैसों के अधिक मात्रा में छोड़ने के लिए पर्यावरण संबंधी शुल्क देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मांग पर पश्चिमी देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उत्सर्जनों के लिए पर्यावरण संबंधी शुल्क के भुगतान के लिए पश्चिमी देशों से कोई औपचारिक मांग नहीं की है। तथापि, हाल ही में बर्लिन में आयोजित जलवायु परिवर्तन संबंधी कंवेंशन के पक्षकारों के प्रथम सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल ने तर्क दिया था कि उत्तरी देश अपनी प्रतिव्यक्ति पात्रता से काफी आधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, क्या इसे सर्वत्र स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य का गृह की वहन क्षमता पर बराबर अधिकार है। यदि इस गैसीय उत्सर्जनों पर उनके प्रतिकूल प्रभावों के निष्प्रभावन के लिए अनुमानित लागत के आधार पर परिकलित मुद्रा शुल्क लगाया जाए तो इस मुद्रा राशि को "पर्यावरण संबंधी शुल्क" माना जा सकेगा जिसे विकासशील देशों को उनके "पर्यावरणीय स्पेस" के बदले अन्तरित किया जाना है।

(ग) बहुपक्षीय मंच जिसमें ये टिप्पणियां की गई थीं। में इस दृष्टिकोण की व्यापक प्रशंसा की गई थी।

[हिन्दी]

शीरे को नियंत्रण मुक्त करना

5189. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे को नियंत्रण मुक्त करने के कारण गुड़ उत्पादन में कमी आई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने शीरे पर नियंत्रण लगाए जाने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) इस संबंध में इस मंत्रालय में किसी सर्वेक्षण/मूल्यांकन का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य दल ने जिसमें विभिन्न राज्यों के सीमा शुल्क मंत्री शामिल हैं, शीरे से संबंधित नीति के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों की इस समय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पवित्र ग्रंथों का अनुवाद

5190. **श्री हरिन पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन भारतीय भाषाओं में पवित्र कुरान, भगवद्गीता, बाईबिल, जेन्द अवेस्ता और धम्मपद का अनुवाद हो चुका है,

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने कुछ अनुवाद परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक

5191. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य में यूरिया और डी.ए.पी. और एम. ओ.पी. आदि जैसे अन्य उर्वरकों की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) क्या इस राज्य में यूरिया और अन्य उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए इन उर्वरकों की लगभग वार्षिक मांग कितनी है;

(घ) क्या राज्य में इसकी मांग को पूरा करने के लिए यूरिया का केन्द्रीय आवंटन बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) राजस्थान में यूरिया की खपत लगातार बढ़ रही है। अच्छे मानसून की वजह से रबी 1994-95 के दौरान राज्य में यूरिया की मांग में अचानक वृद्धि होने के कारण मौसम के दौरान राज्य के कुछ भागों में यूरिया की उपलब्धता में कुछ कमी महसूस की गई। रबी 1994-95 के दौरान राजस्थान के लिए यूरिया के आवंटन में 50,000 टन तक की वृद्धि की गई और कमी को पूरा करने के लिए राज्य में यूरिया पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाये गये। 1994-95 के दौरान राजस्थान में अन्य विनियन्त्रित उर्वरकों की उपलब्धता सन्तोषजनक थी।

नीचे दी गई तालिका में 1993-94 व 1994-95 वर्षों के दौरान राजस्थान मुख्य उर्वरकों की मौसम वार खपत को प्रतिशत अन्तर सहित दर्शाया गया है :

(लाख टन)

वर्ष	उत्पाद	खरीफ	रबी	योग	पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत
1993-94	यूरिया	2.82	3.83	6.75	5.9
	डी.ए.पी.	1.20	1.30	2.50	(-)3.1
	एस.एस.पी.	0.28	0.39	0.67	12.0
	एम.ओ.पी.	0.01	0.01	0.01	(-)52.0
1994-95 अनुमानित	यूरिया	3.48	5.50	8.98	33.0
	डी.ए.पी.	1.08	1.40	2.48(-)	1.0
	एस.एस.पी.	0.47	0.50	0.97	45.7
	एस.ओ.पी.	0.02	0.03	0.05	129.2

राज्य को चालू खरीफ 1995 मौसम के लिए 4.29 लाख यूरिया का आबंटन किया गया है।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति

5192. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो भूमि और जल संरक्षण के संबंध में अभी तक प्राप्त की उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राष्ट्रीय भू-उपयोग नीति रूप-रेखा तथा कार्यवाई के मुद्दे सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनाए जाने तथा कार्यान्वयन के लिये भेजे गये हैं। कार्रवाई के मुद्दे राज्य स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं और इनके कार्यान्वयन की प्रगति का राज्य स्तर पर राज्य भू उपयोग बोर्डों द्वारा समन्वय किया जा रहा है तथा केन्द्रीय स्तर कृषि मंत्रालय का राष्ट्रीय भू-उपयोग संरक्षण बोर्ड इसकी मानिटरिंग कर रहा है।

(ख) मृदा और जल संरक्षण के लिये अब तक की राज्यवार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम.सं.	राज्य/ संघ शासित प्रदेश	1993-94 तक उपचारित क्षेत्र (अनुमानित)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.77
3.	असम	3.51
4.	बिहार	16.51
5.	गुजरात	30.35
6.	हरियाणा	7.86
7.	हिमाचल प्रदेश	4.38
8.	जम्मू व कश्मीर	3.62
9.	कर्नाटक	40.16
10.	केरल	5.68
11.	मध्य प्रदेश	58.10
12.	महाराष्ट्र	111.13
13.	मणीपुर	11.36
14.	मेघालय	1.39
15.	मिजोरम	0.86
16.	नागालैंड	1.24
17.	उड़ीसा	12.51
18.	पंजाब	10.10
19.	राजस्थान	25.45
20.	सिक्किम	2.43
21.	तमिलनाडु	19.32
22.	त्रिपुरा	1.79
23.	उत्तर प्रदेश	44.28
24.	पश्चिम बंगाल	5.57
25.	गोवा	0.19
26.	अंडमान व निकोबार	0.07
27.	चण्डीगढ़	0.92
28.	दादर व नागर हवेली	1.25
29.	दिल्ली	*नगण्य
30.	दमन व दीव	-
31.	लक्षद्वीप	0.03
32.	पाण्डिचेरी	0.12
	योग	425.36

*नगण्य (1000 मी. से कम)

प्राथमिक शिक्षा

5193. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किस वर्ष यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा,

(घ) क्या लक्ष्य-वर्ष निर्धारित करते समय जनसंख्यावृद्धि के कारण प्रतिवर्ष आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है, और

(ङ) प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की नवीनतम अनुमानित संख्या कितनी है और सम्बद्ध आयु वर्ग के कितने बच्चों के नाम किसी भी शिक्षा संस्थान में दर्ज नहीं हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, 21 वीं सदी से पहले 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को सन्तोषजनक स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सरकार का संकल्प है। सभी संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। किए गए कार्यों के विवरण इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

(ङ) अद्यतन उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार, 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों की अनुमानित संख्या 162.4 मिलियन है। कक्षा 1-1/111 में 148.1 मिलियन बच्चे नामांकित किए गए।

"लघु इकाइयाँ"

5194. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान अब तक श्रेणी- वार तथा राज्य-वार राजधानी तथा अन्य राज्यों में प्रदूषण फैलाने वाली कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द की गई हैं;

(ख) कितनी इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने के बाद अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा निर्धारित सीमा के अन्दर ही बनाये रखने पर फिर से चालू करने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ग) लघु इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में 1993, 1994 और 1995 के दौरान वायु अधिनियम की धारा 31 (क) तथा जल अधिनियम की धारा 33 (क) के तहत क्रमशः 1(एक), 226 और 26 प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जा चुका है। बंद किए गए उद्योगों की मुख्य श्रेणियों में सेकेण्डरी सीसा प्रसंस्करण, मिट्टी का बर्तन निर्माण, सिलिकेट, रंगाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्टील रोलिंग मिल आदि थे। बंद किए गए उद्योगों में से 16 उद्योगों को समुचित प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली लगाने के फलस्वरूप, पुनः खोलने की अनुमति दी गई है।

1994 में, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 लघु इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए थे जिनमें से 2 पुनः खोली गई हैं। बंद की गई इकाइयों में रंगाई स्टील, प्रगालक, पाउण्ड्री आदि थीं।

उच्चतम न्यायालय ने, विभिन्न रिट याचिकाओं के संबंध में अलग-अलग आदेशों में उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए हैं, जो निर्धारित बहस्राव/उत्सर्जन मानकों के अनुसार नहीं चल रहे थे। बंद के ये आदेश विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा न्यायालय को दी गई रिपोर्टों के आधार पर दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लेने तथा बहिस्राव व उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किए जाने पर माननीय न्यायालय बंद करने संबंधी आदेश को निलम्बित कर देता है। ये औद्योगिक इकाइयां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं। जिन उद्योगों ने आवश्यक शोधन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं, वे अब भी बंद हैं। उच्चतम न्यायालय प्रभावित औद्योगिक इकाइयों की निगरानी कर रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न तारीखों में, ताज समलम्ब क्षेत्र तथा गंगा बेसिन में 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए थे। दिनांक 1.5.1995 के हाल के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में 57 चर्म शोधन इकाइयों को बंद के आदेश दिए थे।

(ग) लघु उद्योगों के समूहों को सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार 25 प्रतिशत अथवा 50.0 लाख रुपये की सहायता देती है बशर्ते कि राज्य सरकार इतना ही अंशदान दे। शेष राशि को आईडीबीआई द्वारा ऋण अंशदान (उदार-ऋण) तथा प्रवर्तकों के अंशदान के जरिए पूरा किया जाता है। सरकार, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट देती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगाए जाने वाले उपकरणों पर उच्च दर पर मूल्यहास भत्ता दिया जाता है। जो उद्योग भीड़-भाड़ वाले महानगरों से समनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें पूंजीगत लाभों पर अतिरिक्त छूट दी जाती है। उद्योगों को निर्धारित मानकों की अनुपालन के लिए जल उपकर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के अलावा लघु औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों में जागरूकता निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। लघु औद्योगिक इकाइयों के कुछ प्रदूषक क्षेत्रों में प्रदर्शनी इकाइयां स्थापित करने हेतु एक परियोजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

रेल इंजन

5195. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वदेशी तकनीक से "चेतक" रेल इंजनों का विनिर्माण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो "चेतक" इंजनों की गति सीमा कितनी है और यह कितने डिब्बे खींच सकता है;

(ग) देश में प्रति वर्ष कितने चेतक इंजनों का विनिर्माण किया जाता है; और

(घ) इन पर कितनी लागत आती है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 2300 अश्व शक्ति वाले डब्ल्यू डी पी-1 रेल इंजन ("चेतक" नामक) के पहले प्रोटोटाइप का निर्माण स्वदेशी प्रौद्योगिकी से किया गया है।

(ख) 120 कि.मी. प्रति घंटा की अधिकतम चालन गति के लिए रेल इंजन का अभिकल्प तैयार किया गया है, तथापि, वास्तविक गति संभाव्यता का निर्धारण दोलन परीक्षण के मूल्यांकन

के परिणाम प्राप्त होने के बाद किया जाएगा। रेल इंजन 100 कि. मी. प्रति घंटा की गति पर 17 सवारी डिब्बों तथा 120 कि.मी. प्रति घंटे की गति पर 11 सवारी डिब्बों को कर्षित कर सकता है।

(ग) 1995-96 के दौरान 20 डब्ल्यू डीपी-1 रेल इंजनों का निर्माण करने का कार्यक्रम है।

(घ) डब्ल्यू डीपी-1 रेल इंजन की अनुमानित लागत 1.8 करोड़ रुपये प्रति इंजन के आस-पास है।

आवश्यक वस्तु अधिनियिम, 1995

5196. **डा. चिन्ता मोहन :**

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संसोधन करके देश में दालों, तिलहनों और खाद्य तेलों आदि की भंडारण सीमा में सरकारी और सहकारी क्षेत्रों को हाल ही में छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी और सहकारी संस्थानों को इस प्रकार की छूट प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन संस्थानों को भंडारण क्षमता के संबंध में हाल ही में कुछ मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने "दालें, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) (संशोधन) आदेश 1995" द्वारा दालों, खाने योग्य तिलहनों तथा खाने योग्य तेलों की अधिप्राप्ति, बिक्री, खरीददारी व वितरण के कार्य में लगे केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निगमों/कम्पनियों, सांविधिक बोर्डों, केन्द्रीय/राज्य स्तर की सहकारी समितियों को दालें, ,खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश 1977 में निर्धारित स्टाक सीमाओं से छूट दी है। यह छूट मंजूर करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं था।

(ग) इन संगठनों को इस दृष्टि से स्टाक सीमाओं से छूट देना आवश्यक समझा गया था कि ये संगठन रबी के विपणन मौसम के दौरान किसानों से तिलहनों की अधिप्राप्ति कर सकें और किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

(क) से (च) ऊपर उल्लिखित संशोधन आदेश में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे संगठन, जिन्हें स्टाक सीमाओं से छूट दी गई है, खाने योग्य तिलहनों/खाने योग्य तेलों के क्रय, विक्रय और अपने पास रखे गए स्टाक के बारे में केन्द्रीय सरकार अथवा सरकार को जैसी भी स्थिति हो, सूचना देंगे।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मद्रास के लिए रेलगाड़ी

5197. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में किसी भी स्थान से मद्रास के लिए कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं चलती; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर अथवा किसी अन्य स्थान से ऐसी कोई गाड़ी चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) हावड़ा-मद्रास मेल, हावड़ा, मद्रास, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बोकारो-अल्लेपी एक्सप्रेस तथा गुवाहाटी/ पटना/ हावड़ा-बेंगलोर /कोचीन,/तिरूवनन्तपुरम एक्सप्रेस उड़ीसा से होकर गुजरती है तथा उड़ीसा-मद्रास के यात्रियों को सेवित करती है। उड़ीसा तथा मद्रास के बीच कोई नई गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बा कारखाना

5198. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र, विशेष रूप से इसके आदिवासी क्षेत्रों में कोई रेल डिब्बा कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए देश में सवारी डिब्बों के निर्माण की मौजूदा क्षमता पर्याप्त समझी जाती है इसलिए किसी अन्य रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाएं

5199. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के संवर्धन के लिए श्री टी.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित एक समिति की मुख्य सिफारिश यह थी कि संसद अधिनियम के अन्तर्गत संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओ के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।

(ख) प्रस्ताव को जांच के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

"ग्रीन हाउस गैसें"

5200. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पैदा हुए खतरों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश पर इन गैसों का क्यां प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। सरकार को समस्या की जानकारी है।

(ख) और (ग) भारत के मौसम विभाग ने देश में काफी लंबे अर्से से वेधशालाओं के एक विस्तृत नेटवर्क से एकत्र किए गए आंकड़ों की व्यापक श्रृंखलाओं के आधार पर अध्ययन किए हैं। पूरे देश के दीर्घकालिक वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से वर्ष प्रतिवर्ष घट बढ़ होते रहने पर भी वर्षा में किसी क्रमिक गिरावट अथवा वृद्धिकारी प्रवृत्ति का पता नहीं लगा है। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से क्षेत्रीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन मसलों पर प्रारंभिक कंट्री अध्ययन किया है। इस कंट्री अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ संभावित जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन तथा परियोजना विकल्पों का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे पक्ष आते हैं। इसमें कृषि तथा तटीय क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ-साथ ऊर्जा तथा वानिकी क्षेत्रों में कार्यनीतियों के माध्यम से संभावित उपशमन प्रयासों पर ध्यान दिया गया है। तथापि, विशेषकर ऐसे परिवर्तनों के समय, प्रमात्रा और क्षेत्रीय पैटर्नों के संबंध में जलवायु परिवर्तन के भावी अनुमानों से अनेक अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं।

(घ) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसका भारत एक पक्षकार है, के प्रावधान के तहत भारत और अन्य विकासशील देशों पर ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को कम करने की कोई बाध्यता नहीं। फिर भी, भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मानीटरी और प्रभाव मॉडलिंग अध्ययनों के बारे में शिक्षण संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की हैं।

केन्द्रीय विद्यालय

5201. **डा. सुधीर राय :**
श्री मुहीराम सैकिया :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन की योग-शिक्षा की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 4 से कक्षा 12 तक योग शिक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक सप्ताह दो पीरियड का प्रावधान है।

[हिन्दी]

भूमि तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

5202. **डा. साक्षी जी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी भूमि तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई और

(ख) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष

1994-95 के दौरान, उत्तर प्रदेश में कोई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम

5203. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1994 में राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में सरकार द्वारा युवा कार्यक्रमों के संबंध में क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इन सुझावों को किस सीमा तक लागू किया जा सकेगा तथा इस संबंध में तैयार किए गए ठोस कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) समिति, जो कि सलाहकार प्रवृत्ति की है, सरकार ने समिति से विचार के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। फिर भी, बैठक के दौरान, निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

(1) विभिन्न प्रकार के युवाओं जैसे शहरी युवाओं, ग्रामीण युवाओं, जनजातीय क्षेत्र के युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त कार्य प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है तथा समिति को उपयुक्त युवा कार्यक्रमों को सुझाने में दोनों विश्लेषणात्मक तथा कृत्रिम पहुंच को अपनाना चाहिए।

(2) युवाओं में गांधीवादी विचार पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को भी युवाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए।

(3) प्रत्येक युवा कार्यक्रम में एक प्रदर्शनकारी तथा तात्विक पक्ष होना चाहिए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को भी शामिल होना चाहिए तथा परिवर्तित व्यवस्था में, पंचायतों को भी शामिल करना होगा।

(4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में युवा समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष कार्य प्रणाली स्वीकार करने की आवश्यकता है।

(5) एड्स युवाओं की मुख्य समस्या है, इसके लिए उपयुक्त कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

(ग) इन सभी सुझावों को विभाग द्वारा नोट किया गया है। निम्नलिखित ठोस कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :

(i) इसकी 13.1.95 की बैठक में, समिति ने यह निर्णय लिया कि आगे से समिति की प्रत्येक बैठक एक विशेष विषय पर होगी ताकि किसी विशेष समस्या का गहराई से विश्लेषण किया जा सके और ठोस सुझाव दिए जा सकें। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए कई नए कार्यक्रम बनाए गए हैं।

(ii) ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को यथासंभव सहायता दी जा रही है।

(iii) जहां तक संभव है, स्थानीय प्रशासन को कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है।

(iv) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में युवा कार्यकलापों को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। उत्तर-पूर्व के सांसदों की बैठक के अलावा, उत्तर पूर्व के मंत्रियों का एक सम्मेलन अगरतला में 24 फरवरी, 1995 को आयोजित किया गया।

(v) "विश्वविद्यालय एड्स वार्तालाप" जैसे विशेष कार्यक्रमों को 158 विश्वविद्यालयों में विभाग द्वारा पहले ही चलाया गया। हाल ही में, नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा अगरतला में फरवरी, 1995 में एक अलग से उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एड्स जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

5204. **श्री केशरी लाल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुम्बई और कुछ प्रमुख अन्य महानगरों में रेलवे की भूमि पर गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग से कुछ नई परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रमुख नगरों में रेलवे की अप्रयुक्त पड़ी भूमि का समुचित उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलों का यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए महानगरों में रेलवे भूमि तथा रेलपथों के ऊपर आकाशीय क्षेत्र का निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से वाणिज्यिक दोहन करने के प्रस्ताव हैं। कार्य आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रमुख बड़े शहरों की रेलवे भूमि भविष्य में प्रणाली के विस्तार/विकास के लिए है। बहरहाल, रेलवे भूमि के आकाशीय क्षेत्र का उपरोक्त (क) तथा (ख) के अनुसार उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

एकीकृत पनधारा प्रबन्धन कार्यक्रम

5205. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत पनधारा प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक विभिन्न राज्यों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आठवीं योजना के दौरान अब तक वर्ष-वार कुल कितना वित्तीय आबंटन किया गया;

(ग) उड़ीसा में किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों में एकीकृत पनधारा प्रबन्धन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) तथा (घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल किए गए राज्य	आठवीं योजना का वर्षवार आबंटन (रुपये करोड़ में)				अभ्युक्ति
			1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	सभी 25 राज्य तथा अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और दादर व नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र	115.20	197.85	161.18	188.00	
2.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित पनधारा विकास परियोजना (पर्वतीय)	पंजाब, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश	22.58	26.20	19.41	17.21	
3.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	राजस्थान, गुजरात, और उड़ीसा	29.04	30.35	27.84	28.67	
4.	डेनमार्क से सहायता प्राप्त विस्तृत पनधारा विकास परियोजनाएं						
	(1) तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	1.80	2.59	4.30	4.72	
	(2) रामनाथपुरम	तमिलनाडु	शून्य	1.13	0.96	2.26	
	(3) कोरापुट	उड़ीसा	शून्य	शून्य	0.81	0.85	
	(4) कर्नाटक	कर्नाटक	2.92	2.83	2.85	4.53	
5.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजना तमिलनाडु (पनधारा विकास घटक)	तमिलनाडु	3.19	3.75	4.96	8.94	
6.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पठार विकास परियोजना (पनधारा विकास घटक)	बिहार	शून्य	0.34	0.72	0.94	
7.	यूरोपियन कमीशन से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजनाएं						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(1) दून घाटी	उत्तर प्रदेश	0.03	1.24	3.25	9.61	
	(2) भीमताल	उत्तर प्रदेश	1.24	1.95	2.31	1.96	
	(3) दक्षिण भागीरथी	उत्तर प्रदेश	3.52	3.70	3.19		अन्तिम रूप नहीं गया है।
8.	जर्मनी से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजनायें						
	(1) महाराष्ट्र	महाराष्ट्र			3.25		गैर सरकारी संगठनों को नाबार्ड द्वारा सीधे सहायता दी जा रही है।
	(2) कर्नाटक	कर्नाटक	शून्य	शून्य	1.11	4.16	
9.	स्विटजरलैंड से सहायता प्राप्त पनधारा विकास परियोजना	कर्नाटक	1.05	1.31	0.85		परियोजना 31.3.95 को समाप्त हो गई है।
10.	नदी घाटी परियोजनाओं जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दामोदार घाटी निगम	45.00	57.97	60.00	30.00	
11.	बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध	बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	23.00	24.00	30.00	30.00	
12.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल	102.23	153.34	169.73		अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

13.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और राजस्थान	49.50	72.25	84.00	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
14.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पश्चिम बंगाल	15.99	44.48	53.04	अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	उड़ीसा में शामिल किये गये जिले/जलग्रहण क्षेत्र
1.	वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	1. बोलंनगीर, बालासोर, कटक, धेनकमाल, गंजाम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, फूलबनी, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में एक सूक्ष्म-पनधारा का काम शुरू किया गया है।
2.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त समेकित पनधारा विकास परियोजना (मैदानी)	2. फूलबनी तथा गंजम जिले में, प्रत्येक में एक-एक अर्थात दो पनधाराओं का काम शुरू किया गया है।
3.	डेनमार्क से सहायता प्राप्त विस्तृत पनधारा विकास परियोजना	3. कोरापुट
4.	नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	4. हीराकुंड, मचकुण्ड सिलेरू, रंगाली।
5.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना	5. कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर।
6.	सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	6. बोलांगीर, कालाहांडी, फूलबनी, सम्बलपुर।

पशुधन विकास कार्यक्रम

5206. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि दी गई और कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन कार्यक्रमों अर्थात कुक्कुट पालन, भेड़ और सुअरपालन के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्य वे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अभी भी चलाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान उक्त कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम-वार कितनी धनराशि नियत की गई है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सोयाबीन का उत्पादन

5207. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र के विस्तार की काफी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सोयाबीन के क्षेत्रों और उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए और साथ ही सोयाबीन के विक्रय के लिए विपणन संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में खरीफ के बाद खाली पड़ी भूमि में सोयाबीन उत्पादन के तहत क्षेत्र विस्तार की सम्भावना है।

(ग) और (घ) सोयाबीन के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए राज्य में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बीजों के उत्पादन व वितरण, प्रदर्शन, स्प्रिंकलरों, विकसित फार्म उपकरणों, जिप्सम तथा पाइराइट इत्यादि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एम.एस.पी.) पर सोयाबीन उत्पादकों के उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहन उत्पादक संघ तथा सोयाबीन संसाधक संघ भी सोयाबीन की खरीद करते हैं।

[अनुवाद]

"मछली पालन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन"

5208. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री रवि राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली पालन को पर्यावरण के प्रभाव संबंधी अध्ययन में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झींगा (प्रान/श्रिम्प) मछली पालन एककों की स्थापना करने के लिये पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों को मछली पालन विभाग के साथ विचार-विमर्श करके अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ङ) क्या ये दिशानिर्देश राज्य सरकारों द्वारा कड़ाई से पालन किये जाने हेतु उन्हें परिचालित कर दिये गये हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मत्स्य पालन से जल गुणवत्ता, जैव विविधता और मृदा लक्षणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। सरकार ने मत्स्य पालन को एक ऐसी परियोजना के रूप में शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं जिसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव किया गया है कि 10 हैक्टे. पर मत्स्य पालन इकाइयों को पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकित करने की जरूरत होगी।

(ग), (घ) और (च) झींगा मछली फार्मों की स्थापना में समाविष्ट किए जाने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का उल्लेख करके दिशा-निर्देश को अंतिम रूप देने के लिए

कदम उठाए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के पश्चात इन्हें अनुपालन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों में परिचालित करने की जरूरत होगी।

[हिन्दी]

यूरिया की आपूर्ति

5209. **श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरिया की जमाखोरी और काला बाजारी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) कृषि मंत्रालय को हाल ही में यूरिया की जमाखोरी तथा कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

किसान सेवा केन्द्र

5210. **श्री विश्वेश्वर भगत : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कार्यरत किसान सेवा केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे कुछ और केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र किन-किन जिलों में खोले जायेंगे; और

(घ) ये केन्द्र कब से कार्य करना शुरू कर देंगे?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य में 56 किसान सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

क्र.सं.	स्थान
1	2
1.	ग्वालियर
2.	मुरेना
3.	गुना
4.	दूतिया
5.	भिण्ड
6.	शिवपुरी
7.	इन्दौर
8.	खण्डवा
9.	खरगौन
10.	धार
11.	झबुआ
12.	उज्जैन
13.	मन्दसौर
14.	रतलाम
15.	देवास
16.	शाजापुर
17.	रायपुर
18.	दुर्ग
19.	राजनन्दगांव
20.	जगदलपुर
21.	कांकेर
22.	अहमदपुर
23.	बिलासपुर
24.	अम्बिकापुर
25.	चैनपुर
26.	रायगढ़
27.	भोपाल
28.	होशगांबाद

1	2
29.	केस्ला
30.	आलमपुर
31.	विदिशा
32.	राजगढ़
33.	सिहोर
34.	बैतुल
35.	रायसैन
36.	गैरतगंज
37.	बंबई
38.	सागर
39.	दमोह
40.	पन्ना
41.	छतरपुर
42.	टीकमगढ़
43.	खुरै
44.	जबलपुर
45.	नरसिंहपुर
46.	बालाघाट
47.	देवरीदादर
48.	छिंदवाडा
49.	डूमरा नाला
50.	सिओनी
51.	खवासा
52.	मण्डला
53.	रीवा
54.	शहडोल
55.	सतना
56.	सिद्धी

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

5211. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि योग्य भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है;

(ख) देश में सिंचित भूमि अर्धसिंचित भूमि और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर भूमि का क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ग) क्या चालू योजना के दौरान सिंचित और अर्धसिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण योजना अवधि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1991-92 के भू उपयोग आंकड़ों (अद्यतन उपलब्ध) के अनुसार देश में कुल कृष्य भूमि 184.34 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) देश के बोये जाने वाले कुल 142 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में 1991-92 (नीवनतम उपलब्ध) के दौरान कुल सिंचित क्षेत्र 48.8 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान था। कुल असिंचित क्षेत्र, जो पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करता है, उस वर्ष करीब 93.2 हैक्टेयर था, ऐसा अनुमान है। लक्ष्यानुसार, सिंचाई परियोजनएं कार्यान्वित करने से वर्तमान योजना अवधि में सिंचित क्षेत्र में लगभग 13.61 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि होने की संभावना है।

लघु उद्योग परिसर

5212. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में लघु उद्योग परिसरों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता की प्रमुख बातें क्या हैं और पिछले तीन वर्षों दौरान अब तक कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में विश्व बैंक से पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना के तहत लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है। साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए वित्तीय पैटर्न में 20 प्रतिशत प्रोमोटरों का योगदान होता है और 25 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपए में से जो भी कम हो, का अनुदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, बशर्ते राज्य सरकार द्वारा भी इतनी ही राशि का अंशदान दिया जाए। शेष राशि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध होती है जो विश्व बैंक की सहायता की परियोजना के इस घटक तक पहुंचाता है।

केंद्रीय और राज्य सरकारों, अलग-अलग इकाइयों से प्रतिरूप निधियों के साथ-साथ विश्व बैंक द्वारा 108 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित संपूर्ण धनराशि देने का आश्वासन दिया गया है।

(ग) विश्व बैंक से जिस परियोजना के लिए सहायता प्राप्त हो गई है, उसके ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) **संस्थागत घटक :** इसकी रचना उ.प्र., महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम की सहायता हेतु की गई है।

(2) **निवेश घटक :** इसकी रचना प्रदूषण उपशमन के लिए अलग अलग फर्मो द्वारा परियोजनाओं की सहायता करने के लिए की गई है। साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों के वित्त पोषण हेतु इस घटक के तहत निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

(3) **तकनीकी सहायता :** इसकी रचना कार्मिकों के प्रशिक्षण और साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के लिए निवेश पूर्व अध्ययनों की तैयारी से संबंधित परियोजनाओं की सहायता करने के लिए की गई है।

''पर्यावरण संबंधी साझा कार्यक्रम''

5213. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
डा. पी. वल्लल पेरूमान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने हाल ही में पर्यावरणीय मुद्दों संबंधी एक साझा कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की व्यापक विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) कार्यक्रम के उद्देश्यों और फ्रेमवर्क का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीका ने सरकार को इस संबंध में अपनी योजनाएं चलाने हेतु कोई ऋण/सहायता का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अंमरीका ने विश्वव्यापी और घरेलू पर्यावरण संबंधी दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बातचीत करने, सूचना के आदान-प्रदान और प्रस्तावों पर सहयोग के लिए हाल ही में एक सांझा कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे। इस कार्यक्रम में पृथ्वी के गरम होने, ओजोन परत के ह्रास होने, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता संरक्षण और परिसंकटमय अपशिष्ट, एक दूसरे की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने, पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रौद्योगिकी के संबंध में सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए निधियों के उपयोग और उन्हें जुटाने में अधिक क्षमता की मांग करने और अंततः भारत के पर्यावरणीय कार्रवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सहायता देने जैसे मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों पर सापेक्ष महत्व और दृष्टिकोण में साझेदारी की मांग की गई है। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के बीच सहयोग की एक अनवरत प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल

5214. **श्री एम.वी.एस. मूर्ति :**
डा. साक्षीजी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल के आयात को ओपन जनरल लाइसेंसिंग में स्थानांतरित करने से तथा आयात शुल्क में 30 प्रतिशत कमी करने से आयातित तेल की बाढ़ आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के फलस्वरूप खाद्य तेल के मूल्य में कितनी कमी आई है;

(ग) शुल्क में कमी की वजह से तेल के मूल्य में वृद्धि को किस हद तक रोका गया है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर में छूट तथा अन्य छूट देने के बावजूद खाद्य तेल का मूल्य बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-3-1995 से खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चुनींदा खाद्य तेलों के आयात की अनुमति दी गई है। आयात की मात्रा, देश में तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेल के मूल्यों पर निर्भर करेगी। देश में तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेल के मूल्यों के मौजूदा स्तरों को देखते हुए अत्यधिक मात्रा में आयात किए जाने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) 1-3-1995 से 15-4-1995 की अवधि के दौरान विभिन्न खाद्य तेलों के मूल्य स्तरों में आमतौर पर स्थिरता अथवा आंशिक रूप से गिरावट का रुख देखा गया है।

(घ) व (ङ) केंद्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

12.02 बजे

[हिन्दी]

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग पूछेंगे तो रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा। पहले रवि रायजी पूछेंगे।

श्री रवि राय (केंद्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नई आर्थिक नीति और नई उद्योग नीति के चलते देश को नुकसान हो रहा है, वह हम देख रहे हैं। हमें और संसद को जो सबसे तकलीफ की बात लगती है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। रांची में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग है। दो दिन से रांची के अखबारों में निकला है कि एच.ई.सी. को बेचना है। उसकी सेल, टेकओवर और मर्जर के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए गए कि जो खरीदना चाहता है, खरीद ले। मैं इसको इसलिए उठा रहा हूं कि भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यह औद्योगिकरण करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि इसका आक्सीजन प्लांट एक प्राइवेट पार्टी को बेचने के लिए दिया गया है। उसी तरह इनका एक रशियन होस्टल है और एच.ई.सी. प्लांट अस्पताल है, इन दोनों को अपोलो ग्रुप का जो अस्पताल है, जो एक बड़े पूंजीपति का है, उसको बेचने के लिए दिया गया है। भारत सरकार इसको नहीं देख रही है। मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में संसद को बताए कि क्या स्थिति है और बी.आई.एफ.आर. के आदेश के चलते इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया यह चीज करा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश की थाती हैं। जिसके लिए हम गर्वित हैं। पहले कहा जाता था कि हमारे देश के लिए ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स टैम्पल हैं। लेकिन अब इनको बेतहाशा बेचा जा रहा है। सरकार इस बारे में मालूम करके हमें बताये और हम लोग इस पर बहस करें कि किस तरह से एक के बाद एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स को बेचा जा रहा है। एच.ई.सी. का उदाहरण इसका प्रतीक है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में हमें बताए।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इस पर चर्चा कराने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। हम इसे समय समय पर उठाते रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के संगठन, जिन्होंने हमारे उद्योगीकरण की नींव रखी है और जिनको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आधुनिक मंदिरों और धार्मिक स्थानों की संज्ञा दी है, बी.आईएफ.आर. के पास भेजे जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एजेंसी समय पर रिपोर्ट नहीं देती है। कल ही मुझे बताया गया कि राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम– जिसके अंतर्गत छह अलग पटसन मिलों में 30,000 कर्मचारी काम करते हैं और केवल 343 करोड़ रुपए तीन सालों में खर्च किए जाने हैं रुग्ण होती जा रही है और इसे बंद करने का प्रस्ताव भेजे जाने की संभावना है। इसका बहुत महत्व है। सरकार को इस संबंध में अपना इरादा बनाना चाहिए।

हम सभी यूनिटों का एक एक कर सर्वेक्षण करने की मांग करते रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 43 रुग्ण एककों की सूची में से जो सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद तैयार की, चार यूनिटों को अर्थक्षम घोषित किया जा चुका है। उनको सूची में से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी ओर कुछ विशेष ध्यान दिया गया। ये यूनिट हैं बंगाल कैमिकल्स, बाइको, बंगाल इम्युनिटी और स्मिथ एसटी। ये यूनिट हमारी फ्लैगशिप कंपनियां हैं और इसलिए सरकार को एक एक करके इन यूनिटों की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि इनकी ठीक ढंग से जांच की जाएगी तो हम अधिकांश को बचा सकते हैं।

हजार कर्मचारी आज मानसिक रूप से परेशान हैं। उनका रोजगार असुरक्षित है। इन बड़े यूनिटों की रक्षा की जा सकती है। नई आर्थिक नीति का अर्थ इन यूनिटों का बंद होना नहीं होना चाहिए। जो यूनिट कुप्रबंध के कारण रुग्ण हो गए हैं उन्हें पुनः चालू किया जाना चाहिए और उन्हें चालू किया जा सकता है। हम इस पर एक चर्चा की मांग करते रहे हैं और आपने कहा था कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक समुचित नोटिस दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने पहले ही नोटिस दे दिया है। मैं आपसे चर्चा की तिथि निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति में इसके बारे में फैसला करेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : अनियत दिन वाले प्रस्ताव की तिथि के बारे में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला किया जाता है। हम इसके बारे में फैसला करेंगे।

श्री शरद दिघे (मुंबई उत्तर मध्य) : मैं इस सभा तथा सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि समूचे भारत से विशेष रूप से बंबई से कई कपड़ा मजदूर एक मोर्चा में दिल्ली आए हैं और जन्तर मंतर मार्ग पर धरना दिए हुए हैं। वे कपड़ा मिलों विशेष रूप से एन.टी.सी. मिलों के बारे में सरकार की

ढुलमुल नीति और निष्क्रियता पर विरोध प्रकट कर रहे हैं।

कपड़ा मंत्री हमें समय समय पर बताते रहे हैं कि कपड़ा अनुसंधान संगठन ने 2005 करोड़ रुपए की लागत से 79 एन.टी.सी. मिलों के लिए एक आधुनिकीकरण योजना तैयार की है। उनके अनुसार यह आधुनिकीकरण शीध्र होगा। उन्हें एक विधेयक भी लाना था। पिछले तीन सत्रों से वह इस सभा को तथा मुझे आश्वासन देते आ रहे हैं कि बम्बई में इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विधेयक तैयार है, जिससे अंततः उनका आधुनिकीकरण होगा और वे अर्थक्षम हो जाएंगे।

अभी तक कुछ नहीं किया गया है। समय समय पर हर चीज में विलंब किया जा रहा है और इसके बचाव में यह तर्क दिया जाता है कि इनमें से कुछ मामले बी.आई.एफ.आर. के पास विचाराधीन हैं। इस तरह इस मामले को और अधिक उलझाया जा रहा है और इसमें अनिश्चितकाल के लिए विलंब किया जा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए इस संबंध में कोई तुरंत उपाय करे। प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना, जो त्रिपक्षीय सम्मेलन में स्वीकार की गई थी, सरकार द्वारा तुरंत कार्यान्वित की जानी चाहिए।

[हिंदी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि जो सवाल मैं उठा रहा हूं उस सवाल पर सदन में ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह इसी से संबंधित है?

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई शहर में जो मिल्स हैं और उनको रा मैटेरियल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके लिए मजदूरों के साथ मैंने अनशन किया था। इसी सदन में जब मैंने यह मामला उठाया तो उस वक्त डिसकशन हुआ था और मंत्री महोदय ने प्रॉमिस किया था कि मॉडर्नाइजेशन के बारे में बिल लाएंगे लेकिन अभी तक वह बिल नहीं लाया गया है। अभी तक मजदूरों को पैसा नहीं दिया गया, उनको बैंक वेजेज नहीं दी गई है। गत 15 वर्षों में जो एनटीसी मिलें हैं, टेकन ओवर मिलें हैं। उनको नेशनलाइज्ड नहीं करेंगे तो मिल मालिकों को वापस करनी पड़ेगी। यह एक खतरनाक बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मैं उनको रॉ मैटेरियल व वर्किंग कैपिटल जल्दी से जल्दी देने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कोहिनूर मिल के 1654 वर्कर्स को बैकवेज देने और उनको वापस सर्विस में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को मानने को राजी नहीं हुए हैं। यह वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को दी है। इसलिए मेरी मांग है कि उनको बैक वेज व सर्विस मिलनी चाहिए।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, रावले जी ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उसे यह अधिवेशन समाप्त होने से पहले एक प्रभावी एक्शन प्रोग्राम इस सदन के सामने रखना चाहिए।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं जो सवाल उठा रहा हूं उस पर सदन में 4 मई को पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से एक व्यापक बयान आ चुका है। उस बयान का असर इस सदन की दीवारों के बाहर नहीं गया है। मैं अभी तीन दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश गया था। तीन चार जिलों में एक जगह भी हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया, क्योंकि हर जगह पैट्रोल पम्पों पर हमारा घेराव हुआ। दो रात तक हम सो नहीं पाए। वहां एक मुजरिया चौक है जहां पर 5 हजार लोगों ने हमें घेर लिया। वहां डीजल 15-20 रुपया लीटर बिक रहा है। इस समय हार्वेस्ट खेत में पड़ा हुआ है और लोगों को सिर्फ 5 या 10 लीटर डीजल चाहिए। 5-5 हजार लोग पेट्रोल पम्पों पर तीन-तीन दिन से भूखे पड़े हुए हैं। एक जगह 6 तारीख को रात भर लोगों ने मुझको घेरे रखा। थाने में बैठकर रसीदें काटकर बड़ी कठिनाई से सुबह 6 बजे मैं अपने को निकाल सका। मुझे पूरे कार्यक्रम रद्द करने पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि जो बयान दिया गया है वह बेहतर बयान था। लेकिन जो कमी हुई है और जिन कारणों से भी हुई है उसको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में जो भी डीजल अवलेबल है, हार्वेस्ट का पीरियड है, यदि पानी गिर गया तो किसान का साल भर चौपट हो जाएगा और उसका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, लोग तीन-तीन दिन भूखे पेट्रोल पम्पों पर लाइन लगाकर बैठे हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन इलाकों की सरकारों के साथ, वहां के प्रशासन व मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात करें।

अध्यक्ष महोदय, एक पेट्रोल पम्प पर मैंने देखा कि वहां पुलिस का एक सिपाही था और डीजल 20 रुपए में बिक रहा था। वहां ड्रम भरे पड़े थे। अगर वहां प्रशासन का ठीक से इंतजाम होता तो डीजल अवेलेबल है उसको न्यायसंगत तरीके से देने का काम कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है।

...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव : वहां जो काम हो रहा था, हमने उसे बंद कराया ...**(व्यवधान)**

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है, चारों ओर अंधेरगर्दी चल रही है। हल्लाबोल के नाम पर

सारी कार्यवाही हो रही है उत्तर प्रदेश में ...(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हालत इतनी खराब है कि जब तक यहां से पूरी परिस्थिति को देखा नहीं जाएगा, उसे महसूस नहीं किया जा सकता। तेल या डीजल की कमी नहीं है, सिर्फ प्रशासन की कमी है। जो तेल उपलब्ध है, उसे फर्स्ट प्रियारिटी पर किसान को देने का काम होना चाहिए। इस काम में जब तक सूबे की पुलिस और प्रशासन मिलकर सहयोग नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। ऐसी दयनीय स्थिति, तकलीफदेह स्थिति हर जगह किसान की है कि लोग कतारों में बेहोश होकर गिर रहे हैं। सिर्फ एक पुलिस वाला है, वह क्या करे। पेट्रोल पंप वाला ताला लगाकर भाग गया है। हर पेट्रोल पंप पर पांच-पांच हजार लोग लाइन में खड़े हैं और दो-दो तीन-तीन किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चार जिलों में मैंने हर पेट्रोल पंप पर यही हालत देखी है। मुजरिया चौक पर मेरी गाड़ी के आगे लोग लेट गए और हमें रात भर खटिया पर बैठकर पेट्रोल बंटवाना पड़ा। यहां जितने माननीय सदस्य बोल रहे हैं, हर इलाके में यही हाल है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं। यदि पानी गिर गया तो किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं और वे जानते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत किसान को है। मैं चाहता हूं कि सरकार को तत्काल इस मामले में अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए और लोगों को ठीक तरह से डीजल मिल सके, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आप डीजल को न्यायसंगत तरीके से बंटवाने का काम तुरंत शुरू करिए। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी चाहिए। लोग लाइनों में खड़े हैं, पेट्रोल पंपों पर भीड़ है और सबको डीजल चाहिए लेकिन डिसिप्लिंड तरीके से उन्हें कैसे डीजल मिले, यह आपको सुनिश्चित करना चाहिए। पेट्रोल पंप वाला क्या करेगा, कैसे बांटेगा जब तक पुलिस और प्रशासन का सहयोग उसे नहीं मिलेगा ...(**व्यवधान**) मैं वही कह रहा हूं।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : हमारे पहाड़ों में तो सारा आवागमन रुक गया है और भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। पहाड़ों पर तो मालगाड़ी से भी सामान नहीं ले जाया जा सकता, ट्रकों के जरिए ही सब कुछ जाता है लेकिन डीजल की कमी की वजह से सारा आवागमन रुक गया है। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आप जो कहना चाहते हैं, वहीं वे कह रहे हैं इसलिए आप बैठिये।

...(**व्यवधान**)...

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय...*

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(**व्यवधान**)...

[**हिंदी**]

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसी बात कहनी चाहिए, जिससे इस सवाल का हल निकल सके। आप क्या बात कर रहे हैं।

...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव : अंत में मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए और जितना डीजल हमारे पास है ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते हैं या नहीं बैठते।

श्री शरद यादव : मैं चाहता हूं कि जितना डीजल हमारे पास है, उसे जरूरतमंद लोगों के पास कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए क्या सरकार के पास कोई कार्य योजना है। मैं जानता हूं कि सरकार ने एक दल बनाया है लेकिन उसका कोई असर नहीं है। यह सरकार क्या करना चाहती है, वह हम जानना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है जिसके उत्तर में पेट्रोल मंत्री ने यहां एक वक्तव्य दिया लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आज पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी हुई है। पेट्रोल डीजल एक ज्वलनशील पदार्थ है, उनमें आग लग सकती है, अभी हमारे शरद जी कह रहे थे कि किसान की स्थिति दयनीय है, वह दयनीय स्थिति विस्फोटक स्थिति में बदल सकती है। यह सरकार दूसरा वक्तव्य लेकर आएगी और उससे भी जमीन की परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं होगा। यदि सरकार को डीजल पेट्रोल सप्लाई करने में कुछ कठिनाइयां हैं तो उसे सदन को विश्वास में लेना चाहिए। क्या इसका प्रबंध ऐसा है कि जिसे सरकार बिल्कुल संभाल नहीं सकती? क्या यह सरकार बिखर रही है, टूट रही है कि किसानों को डीजल भी समय पर नहीं दे सकती। इससे किसान को जो नतीजा निकालना है, वह तो निकालेगा लेकिन यह देश भी निकालेगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहता हूं कि यहां हम मामला उठाएं और स्थिति में कोई सुधार न हो। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में तो जरूर हो सकता है,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जरा पेट्रोल मंत्री जी को बुलाइये, अभी सदन में बुलाइये। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, वाजपेयी ने कहा, आप सब ने कह

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया। बार-बार वही दोहराने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)...

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी नोटिस दिया था। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं जरा थोड़ा सा ठहरिये।

...(व्यवधान)...

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं ...*

अध्यक्ष महोदय : दाऊ दयाल जोशी जी यह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। जोशी जी, आप सदन में बेकार का मामला उठाकर बिगाड़ देते हैं।

...(व्यवधान)...

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल के अखबारों में पेट्रोलियम सेक्रेटरी का बयान छपा है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि हमारे पास डीजल का अभाव नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसने यह कहा है और उसने वह कहा है, इस प्रकार से एक दूसरे के झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और इससे कुछ निकलने वाला नहीं है।

मेरा सरकार से यह कहना है कि यह मामला सबको बहुत अहमियत का लगता है और किसानों तथा दूसरे लोगों में इसकी बहुत मांग है। इसलिए मेरा सरकार से यह कहना है कि इस मामले को आप पूरी तरह से देख लें। अगर कोई ब्लैक में बेच रहा है तो उस पर एक्शन लें और अगर पुलिस मदद नहीं कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट से शिकायत करें और अगर वहां पर स्टाक नहीं है,

...(व्यवधान)...

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : नहीं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब आप ही उठकर बताईए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल उपहास करना चाहते हैं। आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। आपको ऐसी बातें कहने में मजा आता है।

...(व्यवधान)...**

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं जा रहा है। आप बैठ जाइए। सब बेकार की बात हैं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : बेकार की बात है। वहां पर देख लें कि स्टाक कितना है। स्टाक को पूरा करने की कोशिश करें और इसके बारे में जो भी अधिकारी है, मिनिस्टर है, कंसर्न्ड आदमी है, उनकी मीटिंग हो। इस पर क्या किया है, इसकी इन्फार्मेशन हमें दो दिन के अंदर दे दें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को समझिए कि आपसे 545 लोग बात करने वाले हैं और मैं अकेला हूं। मैं सबके साथ तो बात नहीं कर सकता हूं। इस बात को आप समझिए। हर आदमी बीच में उठ कर बोलने लगता है और फिर पीछे बैठ कर हंसते हैं। हंसने के वक्त हंसिए, लेकिन बेवक्त मत हंसिए।

श्री वीरेंद्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही वीभत्स घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि बिहार की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी जनपदों में इधर एक पखवाड़े से कई बड़े-बड़े हत्याकांड हुए हैं।

एक हत्याकांड अभी हुआ है, जिसमें सात लोग मार दिए गए। गोली से उड़ा दिए गए, जिनमें तीन पुलिसकर्मी, एक सेना का सूबेदार और तीन गांव वाले हैं। सबसे अहम बात और इस हत्याकांड की जघन्यता यह है कि इसमें पुलिसकर्मियों के हाथों को पीछे बांधकर उन्हें गोली से उड़ाया गया है और सेना का जो सूबेदार अपने घर सेना से छुट्टी पर आया हुआ था, उसकी भी गोली मार कर हत्या कर दी गई और तीन गांव वालों को गोली से मार दिया गया। इससे पूर्वी जनपदों में एक बहुत बड़ा आक्रोश और भय व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना छः तारीख की रात को हुई। उसके बाद उस क्षेत्र के काफी लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर पुलिस अधिकारी भी इकट्ठे हुए। पुलिस अधिकारियों के सामने सब लागों ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा कि यह घटना जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और जो आजकल उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं...* उनके इशारे पर हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृतांत में नहीं जाएगा।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री वीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस गांव के लोगों के कहने पर एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं हुई और जो धीना का थानाध्यक्ष है, उसके बारे में वहां के लोग कहते हैं कि वह उस क्षेत्र के विधायक या मंत्री के इशारे पर काम करता है और उसके कारण बहुत से लोग प्रताड़ित हुए हैं। उस पर भी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो घटना चंदौली क्षेत्र में हुई है, उस पर एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद भी आज तक कोई हस्तक्षेप या किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो पाई है। वह कुख्यात मंत्री जिसने अभी साईकिल यात्रा निकाली थी।

अध्यक्ष महोदय : सारी डिटेल की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोलने का टाइम दिया है तो आप उसका योग्य उपयोग कीजिए कृपया छोटा सा बोलिए।

श्री वीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने प्रतिबंधित हथियार से फायर करके अपनी साइकिल यात्रा का प्रारंभ किया था। किसी के लिए भी प्रतिबंधित हथियार चलाना गैरकानूनी है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 मई को उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की, उसमें उन्होंने 28 राउंड फायर किए थे। उनकी फायर करती हुए तस्वीर मेरे पास मौजूद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र सूरीयामा विकास खंड में पंचायत के मतदान वाले दिन 5 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया और वहां के मजिस्ट्रेट ने पैसा लेकर लोगों को विजय का प्रमाण पत्र बांटा। इससे वहां के लोगों में बहुत आक्रोश है। जब वह अपना विरोध पत्र दर्ज कराने गए तो उन पर लाठी चार्ज करके सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया गया। 5 लोगों को, जो कि पिछड़े व दलित जाति के थे, उनको पुलिस की गोली से उड़वा दिया गया। बहुत से लोग ऐसी आशंका प्रकट कर रहे हैं कि यह सब उत्तर प्रदेश के मंत्री के इशारे पर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप बस कीजिए।

श्री वीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सीमावर्ती जिलों में जो यह घटना हुई है, उस पर बिहार सरकार हस्तक्षेप करेगी या उत्तर प्रदेश की सरकार हस्तक्षेप करेगी? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस पर केंद्र सरकार की सी.बी.आई. इंक्वायरी कराकर हस्तक्षेप करे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो घटना हो रही है और जिस तरह का आक्रोश व भय वहां के लोगों में व्याप्त है, जो असुरक्षा की भावना व्याप्त है, उस भावना को दृष्टिगत करते हुए मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इसमें हस्तक्षेप करे और इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। वाराणसी में हुई जिस घटना का जिक्र हो रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहां के प्रमुख अखबार 'आज', 'दैनिक जागरण' में भी यह प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसलिए नहीं कहिए कि अखबार वाले कहते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं इस घटना की गंभीरता के बारे में कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी जरूरत नहीं है। हम आपके शब्दों को गंभीरता से ध्यान में रखेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह घटना इतनी गंभीर हुई है कि इससे 30 जनपदों के आदमी बुरी तरह से भयभीत हैं। जिन 7 आदमियों को गोली से उड़ाया गया है, उसमें से तीन पुलिसकर्मी थे। एक सेना का हवलदार था और तीन ग्रामीण थे। इसके अलावा यहीं इसका अंत नहीं हो रहा है। इसके 2 दिन पहले एक पंचायत का सदस्य, जिसका नाम राम दरस यादव था, बना था। सुबह 9 बजे समूह के रूप में उसका स्वागत हो रहा था तो न जाने कहां से एक आदमी ने उनके सीने में बंदूक रखकर उसे गोली से उड़ा दिया। इस तरह पिछले हफ्ते से करीब 23 लोग मारे जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार में एक बसपा के मंत्री हैं जिसका नाम अखबारों में आया है। उस मंत्री के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। एक पुलिस के दरोगा पर मुकदमा कायम हुआ है और ऐसे 5 लोग हैं जिन पर इस हत्याकांड के लिए मुकदमा कायम हुआ है लेकिन ये सब के सब खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक मंत्री के ऊपर मुकदमा हो गया यह कितनी अजीब बात है। जनता पर इसका क्या असर होगा, इसको सारा सदन जानता है। इतना ही नहीं, बनारस के अंदर एक जुलूस निकल रहा था तो उस जुलूस में कुछ अराजक तत्व घुस गए। उन्होंने एक अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसकर सैकड़ों शराब की बोतलों को लूट लिया और खुलेआम सड़क पर शराब पीने लग गए। शराब पीने के बाद उन्होंने पूरे शहर में लूटपाट करनी शुरू कर दी।

...(व्यवधान) एक विधायक की दुकान को लूट लिया गया।

39 हजार रुपए की एक जगह लूटपाट की गई व 35 हजार रुपए की एक जगह लूटपाट की गई। पूरे शहर के लोग इससे आतंकित हो गए थे। ...(व्यवधान)*

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से नारे लगाकर लूटपाट की जा रही है, उससे वहां पर सांप्रदायिक आग फैल रही है। जिस ढंग से जातीय दंगे फैल रहे हैं उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त तीस जिले इस समय बहुत बेहाल स्थिति में हैं। सूरीयामा में चार लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, विशेष सी.आर.पी. भेजी जाए।

यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इस घटना पर अपना वक्तव्य दें जिससे वहां के लोगों को कम से कम अपने जीवन की सुरक्षा का एहसास हो। ...(व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री जी आप इस पर बयान दें। ...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने सुना होगा कि यह कोई पार्टी का मसला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं वाजपेयी जी, ऐसा नहीं कर सकते यह आप भी जानते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बड़े पैमाने पर हत्याकांड हुआ है, बिहार की सीमा से लगे हुए क्षेत्र में हुआ है। क्या नक्सलपंथी सक्रिय हैं या अपराधी ग्रुप है या किसी राजनेता का इसमें हाथ है, इन प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा?

अध्यक्ष महोदय : जब दो स्टेट्स के बीच में कोई क्राइम होता है तो उसे कैसे डील करना चाहिए, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है।...(व्यवधान) दूसरी बात यह है कि यदि हम समझें कि इस प्रकार के मामले यहां लेंगे तो बहुत तरफ से मामले आ जाएंगे और यह एकतरफा बात हो जाएगी।...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम फिर भी चाहते हैं कि गृह मंत्रालय तथ्य इकट्ठे करके सदन के सामने रखे। ...(व्यवधान) शास्त्री जी कल जिस लूटमार की बात कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की दुकान लूटी गई। ...(व्यवधान) लेकिन इस घटना की ओर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश में नक्सलपंथी गतिविधियां आ रही हैं या उत्तर प्रदेश के किसी राजनेता का नक्सलपंथियों से गठबंधन है, यह जानकारी तो केन्द्र दे सकता है।...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : इसमें बिहार का कोई मामला नहीं है, यह उत्तर प्रदेश के लॉ एंड आर्डर का मामला है। ...(व्यवधान) बिहार को इसमें बिना वजह खींचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार के बारे में किसी ने नहीं कहा है, आप बिना वजह उसे क्यों ला रहे हैं।

...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप संसदीय कार्य मंत्री को कुछ निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : आप हद से ज्यादा प्रैस करेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, फिर न कहिए कि स्पीकर भी आपकी बात नहीं सुनते। इसलिए आप कुछ मत कहिए, चुप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, समूचे उत्तर प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, वे चुनाव जिस प्रकार से हुए हैं और उनकी बाबत जिस तरह का विवरण सब तरफ से आ रहा है, वह भयावह है। जो घटनाएं हो रही हैं और उनके चलते जो तनाव है, हमें उसे ध्याान में रखना चाहिए और समय से पहले उसका कोई समाधान ढूंढ़ना चाहिए। इसलिए संसद मूकदर्शक होकर नहीं बैठ सकती, केन्द्र सरकार भी मूकदर्शक होकर नहीं बैठ सकती। इस घटना के चलते वहां बहुत तरह का तनाव है। यदि इसे देखते हुए गृहमंत्री बयान देंगे और सारे तथ्य इकट्ठे करके सदन के सामने लाएंगे तो देश के सामने सत्य जाएगा जिससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्वारासू (मद्रास मध्य) : मैंने अपने प्रिय साथी और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कुमारमंगलम के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे सूचना दी है कि मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति नहीं दी है। मैं पहले उनकी बात सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा। आपने मुझे सूचना दी है। यह मेरे पास है। मैं पहले उनकी बात सुनना चाहता हूं और फिर आपकी सूचना की अनुमति देने अथवा न देने के बारे में फैसला करूंगा।

श्री आर अन्वारासू : अतः मेरी सूचना स्वीकार कर ली गई है।

अध्यक्ष महोदय : हां

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आनरेबल मेम्बर से आपकी क्या बात हुई, हमारी कुछ समझ में नहीं आया।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला अभी हाउस में नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर कुमारमंगलम जी कहीं बीच में हैं, तब तो यह सदन जानना चाहेगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : किसी कटमोशन का पूर्व नोटिस अखबार में आया है, यह किसी तरह से आपत्तिजनक है, वैसी उस पर कोई आपत्ति करे और उसकी भी सूचना अखबार को दे दे, तो वह भी उतना ही आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं यह उठाने नहीं दे रहा हूं।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : वह हम जानते हैं।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 40-50 वर्ष के बाद भी देश में कोई राष्ट्रीय युवा नीति अभी तक नहीं बन सकी है। देश में जो नौजवान हैं, वह आंदोलित हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा के छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि 31 अक्टूबर तक यदि देश में कोई राष्ट्रीय युवा नीति का निर्माण नहीं हुआ, तो हम लोग पूरे देश में आंदोलन छेड़ेंगे। जनता दल की, राष्ट्रीय मोर्चा की जब सरकार थी उस समय भी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने कहा था कि देश में शिक्षा को, रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में रखा गया है।

मैं सरकार से तो नहीं, लेकिन आपसे नियमन चाहता हूं, आप हमारे संरक्षक हैं, इस सदन के संरक्षक हैं, आप सरकार को निर्देश दें कि 31 अक्टूबर से पहले राष्ट्रीय युवा नीति बना दी जाए, अन्यथा देश को आंदोलन से कोई नहीं रोक सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आंदोलन की क्या बात है। अगर आपको नीति बनानी है तो आप यहां पर नीति लाकर हाजिर कीजिए, मैं उनको उसमें बोलूंगा। आंदोलन से नीति नहीं बनती है, यहां पर उसके लिए विचार करना पड़ता है।

श्री छेदी पासवान : इतने दिनों से मांग चली आ रही है। **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (मुकुल वासनिक) : महोदय, इस प्रश्न के बारे में कुछ गलतफहमी है। क्या हमारी कोई राष्ट्रीय युवा नीति है या नहीं।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी भी तरह से कोई राष्ट्रीय युवा नीति नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय युवा नीति है और उस नीति के तहत मेरे विभाग का काम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसकी कापी उनको भेज दीजिए।

श्री मुकुल वासनिक : मैं उसकी कापी भी भेजूंगा, लेकिन इस मौके पर मैं यह कहना चाहूंगा कि 1988 में ही राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी। उसके बाद नेशनल फ्रंट लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने दो बार आने के बाद उसी नीति को दोबारा कंटीन्यू किया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि नेशनल यूथ पालिसी में ब्रांड आब्जैक्टिव्ज है,

[अनुवाद]

लेकिन एक विस्तृत योजना बनाने के लिए हमने निश्चय किया है कि देश के युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाये जिसके अंतर्गत 1996 से 2025 तक की अवधि के लिए युवा कार्यक्रम बनाए जाएंगे। इसके लिए हम जो कुछ आवश्यक है तैयार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी सहायता भी लीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मुकुल वासनिक जी ने जब कहा तो इस संबंध में मैं एक दो पाइण्ट्स रखना चाहता हूं।

राष्ट्रीय युवा नीति और सरकारी युवा नीति में अंतर है। आप जो कह रहे हैं, वह सरकारी युवा नीति की बात कह रहे हैं, आप राष्ट्रीय युवा नीति की बात नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रीय युवा नीति कौन बनाएगा।

श्री राम विलास पासवान : राष्ट्रीय युवा नीति सरकार बनाएगी। लेकिन उसमें युवाओं की भागीदारी होगी। यहां युवाओं की कोई भागीदारी नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं मुकुल वासनिक जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि 1988 से युवा नीति है तो उसमें युवाओं की क्या भागीदारी है, युवाओं को निर्णय लेने क्या अधिकार है?

अध्यक्ष महोदय : इसमें डिटेल देने की जरूरत नहीं है। आप उनको उसकी कापी भेज दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं बहुत अच्छी बात हम लोगों से आपने कही, राष्ट्रीय मोर्चा की बात कही और इसलिए मैंने उसमें इण्टरप्ट किया कि हम उसको सचमुच में राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विस्तार की बात है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जिसमें राष्ट्रीय युवा, छात्र नौजवानों की काउंसिल हो, उसमें उनके साथ सरकार विचार विमर्श करे, युवाओं की नीति तय करे। इस तरह का कोई कार्यक्रम आप बनाकर युवाओं की नीति को तय करें। इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, इसलिए उस तरह का कार्यक्रम आप बनाकर युवाओं की नीति को तय करें।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : इसमें दो बातें हैं। एक है राष्ट्रीय युवा नीति और दूसरी है राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति। माननीय सदस्य दोनों को उलझा रहे हैं।

पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने राष्ट्रीय युवा परिषद का गठन किया था जिसमें 250 लोग थे। हमने फैसला किया था कि इतना बड़ा निकाय ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेगा और इसलिए हमने संख्या घटाकर लगभग 50 कर दी है। बहरहाल, इस समिति में विभिन्न राजनैतिक दलों, छात्रों और युवाओं के प्रतिनिधि हैं और इसलिए इस सुझाव का पहले ही ध्यान रखा गया है।

[हिन्दी]

नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय , अभी युवा नीति के संबंध में मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया, उसके सबंध में एक बात उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। 1988 में युवा नीति बनी। 1988 के बाद से जो उदारवादी नीति चल रही है, उसको देखते हुए युवा नीति का विकास होना आवश्यक है वरना हमारे युवक भटक जाएंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में व्यापक सहमति के आधार पर और सभी पक्षों की सहमति से युवा नीति का विकास होना चाहिए। यह बात मैं छेदी पासवान जी की बात के समर्थन में कहना चाहता हूं। इसमें युवा कौंसिल की भी बात आई। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के समय यूथ कौंसिल का निर्माण हुआ था। इसमें यह परिकल्पना की गई थी कि संवैधानिक अधिकार देकर चुनाव के आधार पर नीचे से ऊपर तक यूथ कौंसिल का निर्माण होगा ओर इसके जरिए युवा नीति का विकास और कार्यान्वयन कर कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस की सरकार ने उस परिकल्पना को बदलकर चुनाव कौंसिल के बदले युवा कार्यक्रम कमेटी का निर्माण किया। इसका मैं भी एक सदस्य हूं लेकिन 4 बरस में एक बार भी इसकी बैठक नहीं हुई। इसकी एक बैठक हुई लेकिन इसके आमंत्रण की सूचना मुझे अगले दिन टेलीग्राम द्वारा मिली। इस कारण मैं उस बैठक में सम्मिलित नहीं हो सका। युवा नीति भविष्य में भी बदली जा सकती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। आज के परिप्रेक्ष्य में युवा नीति का विकास करने के लिए व्यापक सहमति के आधार पर व्यापक युवा नीति बनाई जाए और युवा कमेटी को बदलकर यूथ कौंसिल का निर्माण कराया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिये कि पहले सिद्धांत, फिर नीति, फिर योजना और फिर परियोजना आती है। उनकी नीति है। संभवतया उनका सिद्धांत भी होगा। अब वे परिप्रेक्ष्य योजना बनाने जा रहे हैं जो लगभग 30-35 वर्ष लागू रहेगी और तत्पश्चात वे परियोजना बनायेंगे। अब इस परिषद का संबंध किसी परियोजना से है।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट के लिये आप बात कर लीजिये। आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। ऐसी बातों की यहां चर्चा होनी चाहिए, क्रिमिनल केसिज की नहीं।

[अनुवाद]

मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह आपको बुलायें और आपके साथ इस पर विचार-विमर्श करें।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शिकायत कर रहे थे कि आपने पिछले चार वर्षों के समय के दौरान उन्हें विचार विमर्श के लिए नहीं बुलाया है।

श्री मुकुल वासनिक : पिछले चार वर्षों में मैं इस विभाग में नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है।

श्री मुकुल वासनिक : मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति का गठन पिछले वर्ष के आरम्भ में किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री समिति के सभापति हैं और एक बैठक पिछले वर्ष अगस्त में हुई थी। उसके बाद एक और बैठक भोपाल में इस वर्ष जनवरी में भी हुई थी। अतः यह कहना उचित नहीं है कि समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। लेकिन, बहरहाल, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम जितना जल्दी हो सके बैठकें आयोजित करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने जो यह सुझाव दिया है यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूं हम सबको उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिये।

श्री मुकुल वासनिक : हम उनके सुझावों का पालन करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में

तीन बहुत बड़े डैम बने हुए हैं। सबसे पहले भाखड़ा डैम पांचवें दशक में बना। उसके विस्थापितों की समस्या आज तक हल नहीं हो पायी है। पोंग डैम छठे दशक में बना। इससे 16 हजार परिवार विस्थापित हुए थे। इनके पुनःस्थापन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब नया रंजीत सागर डैम तैयार हो रहा है। इससे 468 परिवार जुड़े हुए हैं। दूसरे राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिये उनसे बातचीत केन्द्र सरकार को करनी चाहिये। दूसरे प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, पंजाब यह कह देते हैं कि यह हमारा मामला नहीं है, हिमाचल प्रदेश से बात करो। हिमाचल प्रदेश की जमीन गई, वहा डैम बन गया लेकिन सिंचाई दूसरे प्रदेशों में हुई है।

हम वहां से सिंचाई नहीं कर सकते हैं। वहां की सड़कें, पुल उस डैम में चले गए हैं। उसके लिए प्रावधान नहीं बना है। भाखड़ा डैम को बने हुए इतने दिन हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नेपाल से पानी लेने की बात कह रहे हैं और एक दूसरे स्टेट से पानी की बात भी कह रहे हैं।

प्रो. प्रेम धूमल : मैं यह बात कह रहा हूं, एक दूसरे से पानी लेने की बात नहीं है, हमारे लोग उजड़े हैं और सारे देश को उसका लाभ हुआ, तो उनके पुनर्स्थापन के लिए उस प्रदेश के प्रति देश की जिम्मेदारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह काम स्टेट गवर्नमेंट करती है।

प्रो. प्रेम धूमल : मैं जो डिमान्ड कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात स्टेट गवर्नमेंट की है। छोटे डैम, मीडियम डैम और लार्ज डैम इनकी सेंग्शन सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेकर उसकी एग्जीक्यूट स्टेट गवर्नमेंट करती है। रिहैबिलिटेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट का है।

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह सब चर्चा का विषय नहीं है। उसको समझ कर बात करनी है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के इस महत्वपूर्ण सदन का निर्वाचित सदस्य होने पर गर्व है। और मैं समझता हूं कि हमें ऐसा कुछ करना या कहना नहीं चाहिये जो इस देश के लोगों में तनाव या भ्रांति पैदा करे। लेकिन यहां कल कुछ बातें कही गई हैं जिससे काफी भ्रांति और तनाव पैदा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह सभी जगह माना जाता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां सामान्यतया पूर्ण साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति है। लेकिन सभा में कल कहा गया है कि पूरा पश्चिम बंगाल एक बूचड़खाना बन गया है। यह स्पष्ट रूप से तनाव पैदा करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

गली-गली में पश्चिम बंगाल में जहां पर गांव हैं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वहां के लोग मिलकर एक टैम्पोरेरी बूचर हाउस खोलेंगे, जहां पर कुर्बानी एलाऊ की जाएगी।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सभा में बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया गया है जिसका उद्देश्य इस देश के विभिन्न समुदायों में तनाव पैदा करना है, जबकि इस देश की कई समस्यायें हैं जिनका हमें समाधान करना है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में पशु हत्या नियन्त्रण अधिनियम, 1950 लागू है। वामपंथी मोर्चा सरकार के सत्ता में आने से काफी पहले से यह अधिनियम लागू है। इसमें प्रावधान है कि धार्मिक, चिकित्सा और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए इससे छूट दी जा सकती है। वर्षों से यह होता आ रहा है कि बकरीद के दौरान क्योंकि इसे एक धार्मिक कार्य समझा जाता है, सामान्यतया केवल एक दिन के लिए छूट दी जाती है। ऐसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किया जाता है। यह केवल अनुसूचित पशुओं, सांडों, बैलों, गायों, बछड़ों और बछड़ियों, भैंसों के बच्चों और बधियाकृत भैंसों पर लागू होता है। इनके संबंध में छूट दी जाती थी और अब तक कोई समस्या नहीं हुई है। लेकिन मुकदमेबाजी शुरू की गई है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया और उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 1994 में कहा है कि ऐसी छूट देना अवैध है और यह नहीं दी जानी चाहिये। क्या इस देश का कोई राज्य या कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवज्ञा या विरोध कर सकता है अतः सरकार ने कहा : "हमें खेद है, हम यह नहीं कर सकते। पैदा करना चाहते हैं।" कांग्रेस दल के कुछ पदाधिकारियों ने भी मांग की है कि कानून को बदला जाये या कानून में संशोधन किया जाये। उनका कहना है कि श्री ज्योति बसु ने सही ढंग से उच्चतम न्यायालय में इस मामले की पैरवी नहीं की है। हर तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं। लेकिन हमें उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना है।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक विज्ञापनों के माध्यम से लोगों से अपील की है कि यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है और हमें इसका पालन करना है। हम उनसे शांति भंग न करने, स्थिति को ठीक ढंग से समझने, अपने धार्मिक समारोहों को ठीक ढंग से मनाने और कोई भ्रांति न होने देने की अपील कर रहे हैं। अब, महोदय, कानून में क्या स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं-क्योंकि बहुत से लोग मुझसे सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं-कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं। अधिनियम

में यह कठोर प्रावधान है कि यदि नगरपालिका या पंचायत के अध्यक्ष तथा पशुओं के डाक्टर सम्मिलित रूप से यह निर्णय करते हैं कि कोई पशु बीमार है तो एक विशेष प्रयोजनार्थ और इन प्राधिकारियों की अनुमति से और एक मान्यता प्राप्त बूचड़खाने में इसकी हत्या की जा सकती है। इसका बकरीद से कोई या किसी और चीज से कोई संबंध नहीं है। अधिनियम की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत यह प्रावधान है। किसी अन्य पशु की, जिसका अनुसूची में उल्लेख नहीं है, जिनका भेड़ों और बकरियों की तरह उल्लेख नहीं है, कहीं भी हत्या तथा बलि दी जा सकती है।

महोदय, क्या हो रहा है? जो एक बात की गई है वह भिन्न है। गोहत्या नहीं हो सकती। हम इसकी इजाजत नहीं देते रहे हैं और न ही इसकी इजाजत दे सकते हैं। हम सप्ताह में एक दिन निरामिष रखते हैं। वह दिन अब गुरुवार है। इस वर्ष 11 मई गुरुवार को है। उस दिन उन पशुओं की भी हत्या नहीं की जा सकती। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्णय किया है कि केवल इस सप्ताह निरामिष दिन किसी दूसरे दिन होगा न कि गुरुवार को। कोई अन्य चीज नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। मैं समझता हूं कि बैठक आयोजित करना मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है। जब मैं वहां था तो खिलाफत समिति ने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया था कि वे उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि काफी भ्रांति पैदा हो गई है और वे मुख्यमंत्री से यह सुनना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में, क्योंकि कुछ लोग मुझसे मिले थे, मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि बैठक आयोजित करने के लिए शीघ्र ही समय निर्धारित किया जाये। उन्होंने ऐसा ही किया।

इसका अर्थ यह लगाया जा रहा है कि इस दो घण्टे की बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ षड्यन्त्र किया गया है और गली नुक्कड़ बैठकें आयोजित की गई हैं कि गली-गली में बूचड़खाने स्थापित किये जायेंगे और जैसे कि उच्चतम न्यायालय की अवहेलना की गई हो। इस प्रकार इस देश के विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच फूट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं इसका खण्डन करता हूं। मुझे आशा है कि इन संकीर्ण राजनैतिक, दलगत प्रयोजनों के लिए इस सभा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यह घृणित रवैया है। मुझे कटु शब्द प्रयोग करने पर खेद है। इससे भिन्न कोई चीज नहीं हो सकती। केवल यही उद्देश्य है। हमारे सामने कई समस्यायें हैं। एक दिन पहले भी मैंने अपील की थी कि इस सभा को दूषित नहीं किया जाना चाहिये। यदि हमें संकीर्ण राजनैतिक लाभ के लिए लड़ना है तो हमें कहीं और लड़ना चाहिये। इस सभा की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाये रखना चाहिये। क्या अपुष्ट समाचार-पत्रों की खबरों के आधार पर हर चीज यहां लाई जा सकती है जिसका वहां प्रभाव होगा जब पहले ही तनाव पैदा किया जा रहा है। लोग यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है, क्या कहा गया है क्या हमने किया है। यह कहना गैर-जिम्मेदाराना चीज है कि पश्चिम बंगाल की हर गली नुक्कड़ बूचड़खाना बन गई है।

अतः मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था। महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे पास पश्चिम बंगाल सरकार का वक्तव्य है और इसे मैं सभा पटल पर रख सकता हूं। ...**(व्यवधान)**

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : तीन घंटे की बहस हुई थी। श्री सोमनाथ चटर्जी किस की बात कर रहे हैं? तीन घंटे की बहस हुई थी। क्या यह केवल समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर हुई थी?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सभा में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की भी मांग की गई है। यह उत्तरदायित्व की भावना दिखाई जाती है। ...**(व्यवधान)**

श्री चेतन पी.एस. चौहान : मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौहान जी, आपने यह मामला नहीं उठाया। श्री मिश्र आपने यह मामला नहीं उठाया। जिसने यह मामला उठाया है उसके पास कुछ जानकारी होगी। यदि वह उठकर उत्तर देता है तो मैं उसे इजाजत दूंगा।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा जी, संसद को केवल इस बात का उत्तर देना चाहिये कि ऐसे नाजुक मामलों में हमारा आचरण कैसा होना चाहिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य का आरोप लगाने से पूर्व माननीय सदस्य को यह महससू करना चाहिये था, जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, कि पश्चिम बंगाल में इस मामले पर काफी तनाव पैदा किया गया और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात। ...**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप यह कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढ़ा : कृपया सुनिये। हमने आपको नहीं

टोका। आपको हमारी बात सुननी चाहिए। हमने आपको नहीं टोका...**(व्यवधान)** आपमें मेरी बात सुनने की सहनशक्ति नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री चेतन पी.एस. चौहान : कृपया श्री लोढ़ा की बात सुनिये। आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं?

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, स्थिति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि 11 तारीख को वे प्रतिबन्ध समाप्त करने जा रहे हैं। अतः हत्या होगी...**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सूचीबद्ध पशुओं के लिए नहीं है। ...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढ़ा : कृपया सुनिये। आपमें सहन शक्ति होनी चाहिये। यदि आपके पास सहनशक्ति नहीं है तो आपको असभ्य आरोप नहीं लगाने चाहिये। आखिरकार पश्चिम बंगाल में क्या किया जा रहा है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने इसे ठीक ढंग से उठाया है। हर बात को न उलझाइये। यह आवश्यक नहीं है।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइये। मैंने अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दी। अन्यथा आप एक दूसरे से इसी तरह बात करते रहते हैं।

...**(व्यवधान)**...

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, वह साम्प्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बाबर, हुमायूं, अकबर और बहादुर शाह जफर ने गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। एक बार ही नहीं बल्कि बहादुर शाह जफर का फरमान है जिसका उल्लेख एक किताब में है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, वह पहले यह बतायें कि 'गैर-जिम्मेदार' की परिभाषा क्या है। पहले वह यह कहें कि...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, मैं नहीं समझता कि इन मामलों की गहराई में जाने की आवश्यकता है। ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करने और इस सभा के समक्ष शोध निबन्ध लाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह समझना चाहिये यह हम सब के तथा देश के हित में है कि लोगों के मन में भ्रांति पैदा करने के उद्देश्य से इस स्थिति का लाभ न उठायें। यह सब के हित में है, आपके हित में और आपके दल के हित में है, अन्य दलों के हित में है तथा संसद और राष्ट्र के हित में है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि इसे जारी न रखें। हमें यहीं इस पर चर्चा समाप्त कर देनी चाहिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, मैं इस पुस्तक से उद्धरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करना चाहते हैं? मैं शोध-निबन्ध नहीं सुनना चाहता हूं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : माननीय सदस्य ने असभ्य आरोप लगाया है। मैं इसका खण्डन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ कहा है यदि आप उसका खण्डन करना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन मैं शोध निबन्ध की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, जब वह बोल रहे थे तो मैंने उन्हें नहीं टोका।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैंने स्वयं आपको पुकारा।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो केवल इसी बात पर बोलिये।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने आरोप लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उन्होंने राजनैतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह आरोप लगाया है और मैं इसका खण्डन करता हूं। ...**(व्यवधान)** कल भी मैंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुगल बादशाहों के जमाने से, अकबर और बाबर के जमाने से ...**(व्यवधान)** यह क्या हो रहा है। महोदय, यदि मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय से कुछ उद्धृत करता हूं तो इसमें क्या बुराई है। क्या मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उद्धृत नहीं कर सकता?

महोदय, मैं केवल वही बात कर रहा हूं जो उच्चतम न्यायालय ने कही है। मैं यह कह रहा हूं कि इस पुस्तक में यह लिखा है कि बहादुरशाह जफर ने गो हत्यारों पर मृत्यु दण्ड की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की। यह निर्णय 10 वर्ष पहले दिया गया था और अधिनियम की धारा 12 के अधीन मोहम्मद शाह ने कहा था कि गोहत्या धार्मिक प्रयोजन नहीं है। यही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था साम्यवादी दल की पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की थी और उन्होंने उच्चतम न्यायालय में कहा था कि यह धार्मिक अनुष्ठान है और यह निर्णय

भारत के 40 करोड़ लोगों के खिलाफ है। उन्होंने यह बात बार-बार कही। यह रिकार्ड में है। मैं इसे पढ़ सकता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान लोढ़ा जी, मैं रिकार्ड पढ़ूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, क्या वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं पढ़ सकते?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से बहस नहीं कर रहा हूं? मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता।

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। मैं यह कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय में साम्यवादी दल की पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्चत न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की थी। ...**(व्यवधान)**

1.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभा के अनेक सदस्य महसूस करते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। आप कृपाया उनकी भावनाओं का आदर करें।

...**(व्यवधान)**...

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं केवल यह बता रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ऐसा कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर बहस नहीं कर रहे हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उन्होंने 10 वर्षों तक इसे चुनौती दी। वे यह कुर्बानी देते रहे। क्या यह आपकी विचारधारा है? आप कहते हैं कि गोहत्या की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। आपने पहले ऐसा नहीं कहा। आप यह क्यों कहते हैं कि वहां गोहत्या नहीं होती है। जब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था तो आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिये था। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब इसे खत्म कीजिए।

श्री गुमान मल लोढ़ा : श्री चटर्जी ने जो आरोप लगाये हैं मैं उनका खण्डन करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि अब और कल जब इस सभा में यह मामला उठाया गया है तो उन्हें आश्वासन देना चाहिये। मैं अभी भी आशा करता हूं कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सही भावना से पालन करेंगे। मैंने जो कुछ कहा है वह वही कहा है जो राइटर्स भवन में श्री ज्योति बसु की बैठक में हुआ था। इसमें कोई बुराई नहीं है और वह भी यह जानते हैं। यही कारण है कि आज उन्होंने कहा कि राइटर्स भवन में इस प्रयोजनार्थ दो घंटे का सम्मेलन हुआ था। अतः मैं कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय का सम्मान किया जाना चाहिये और यदि वे अब भी सम्मान करते हैं तो मैं इसके लिए उनका धन्यवाद दूंगा।

1.02 म.प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (1994 का संख्या 4) - (वाणिज्य)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्री अजित सिंह की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (1994 का संख्या 4) - (वाणिज्य) - केन्द्रीय भांडागार निगम, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7527/95]

बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 के अधीन अधिसूचनायें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री: महोदय, मैं श्री बूटा सिंह की ओर से बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सा.का.नि. 303 (अ), जो 30 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 दिसम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863 (अ) में कतिपय संशोधित किये गये हैं।

(दो) सा.का.नि. 304 (अ), जो 30 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 696 (अ) में कतिपय संशोधित किये गये हैं।

(तीन) सा.का.नि. 305 (अ), जो 30 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 314 (अ) में कतिपय संशोधित किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल.टी. 7528/95]

भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय,

मैं श्री कमल नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1994-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7529/95]

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, संघ सरकार (1995 का संख्या 2) (सिविल), आदि।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक.एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन. संघ सरकार (1995 का संख्या 2) (सिविल)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7530/95]

(दो) भारत के नियंत्रक.महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन. संघ सरकार (1995 का संख्या 10) (रेल)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7531/95]

(तीन) भारत के नियंत्रक.महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन. संघ सरकार (1995 का संख्या 8) . रक्षा सेवाएं (थल सेना और आयुध कारखाने)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7532/95]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवदेन-संघ सरकार (1995 का संख्या 9) (रक्षा सेवाएं-वायु सेना और नौ सेना)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7533/95]

(पांच) भारत के नियंत्रण.महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन. संघ सरकार (1995 का संख्या 11) (अन्य स्वायत्तशासी निकाय)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7534/95]

(2) वर्ष 1993-94 के लिए विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग, एक-समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7535/95]

(3) वर्ष 1993-94 के लिए विनियोग लेखे, भारतीय रेल, भाग-दो-विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7536/95]

(4) वर्ष 1993-94 के लिए भारत सरकार, रेलवे के ब्लॉक लेखाओं (ऋण लेखे दर्शाने वाले पूंजीगत विवरण सहित), तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7537/95]

(5) वर्ष 1993-94 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं (संघ सरकार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7538/95]

महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993-94 का वार्षिक, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7539/95]

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवदेन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7540/95]

(3) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7541/95]

(5) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7542/95]

(7) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1992.93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1992.93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7543/95]

(9) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7544/95]

(11) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1993.94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1993.94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7545/95]

(13) असम विश्वविद्यालय, सिल्चर के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7546/95]

(15) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1993.94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7547/95]

(17) (एक) विश्व.भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1993.94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व.भारती, शान्तिनिकेतन के वर्ष 1993.94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7548/95]

(19) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7549/95]

(21) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं (खण्ड.एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7550/95]

(23) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7551/95]

(25) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7552/95]

(27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7553/95]

(29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1993.94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7554/95]

(31) प्रौद्योगिकी संस्थान, अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7555/95]

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1993.94 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 7556/95]

1.03 म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.03¼ म.प.

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

उन्नीसवां प्रतिवदेन

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.03½ म.प.

संचार संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां प्रतिवदेन तथा कार्यवाही सारांश

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : महोदय, मैं संचार संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में सोलहवां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में सत्रहवां प्रतिवदेन।

1.04 म.प.

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवदेन

[हिन्दी]

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) 'नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95)' के संबंध में समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

(2) नागरिक, पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में दसवां प्रतिवेदन।

(3) 'खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95)' के संबंध में समिति के पांचवें प्रतिवदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(4) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में बारहवां प्रतिवेदन।

1.04¾ म.प.

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.05 म.प.

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) छत्तीसगढ़ क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता।

श्री पवन दीवान (महासमुन्द) : छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां एवं मानदंड एक राज्य की स्थापना करने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरा कर रहा है। इस क्षेत्र में खनिज संपदा तथा वन संपदा का बाहुल्य है परंतु समुचित विकास नहीं हुआ है।

राजस्व की दृष्टि से इन क्षेत्रों में काफी राजस्व प्राप्त होता है। इन क्षेत्रों के विकास न होने से स्थानीय लोगों को रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। यहां का एक रायपुर जिला ही पूरे केरल राज्य के बराबर है। छत्तीसगढ़ में एक उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग वर्षों से की जा रही है। जसवंत सिंह, आयोग ने भी खंडपीठ की स्थापना के लिए अपनी अनुशंसा की थी। उस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु एक आशासकीय संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया है पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। अतः केंद्र सरकार इस पर शीघ्र निर्णय ले अन्यथा आंदोलन उग्र होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिलाए जाने हेतु 40 वर्षों से बातचीत चल रही है। परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ को अलग से राज्य तुरंत घोषित किया जाए जिससे इस क्षेत्र के आदिवासी एवं स्थानीय लोगों का विकास हो सके।

(दो) राजस्थान में पेयजल की कमी वाले गावों विशेषकर लूणकरणसर कोलायत नोखा तहसील में पेयजल उपलब्ध किए जाने के लिए ठोस योजना बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : राजस्थान में तहसील लूणकरणसर, तहसील कोलायत, तहसील नोखा, तहसील जायल में कोई सौ गांवों में खारा पानी है और पीने का पानी किसान दूर-दूर से ऊंट गाड़ी से लाकर पानी पीते हैं। किसान गांवों में अपने पशुओं को भी खारा-मीठा पानी पिला कर गुजारा करते हैं।

आजादी के इतने वर्षों बाद भी ऐसे गांवों में पीने के पानी का परमानेंट इंतजाम नहीं हो सका है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। प्रदेशों में पीने के पानी का पैसा लगभग सब भारत सरकार देती है।

इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि राजस्थान से पीने के पानी की परमानेंट स्कीम मंगा कर उसको क्रियान्वित करने के आदेश देने की कृपा करें।

(तीन) मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के समीप एक हवाई पट्टी का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : विश्व के प्रसिद्ध नेशनल पार्कों में एक कान्हा नेशनल पार्क है, जो टाईगर प्रोजेक्ट में एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए है। यह पार्क मध्य प्रदेश के मांडला जिले के वनांचल में स्थित है। इस पार्क को देखने हेतु हजारों देशी व विदेशी पर्यटक उत्सुक रहते हैं, किंतु आवागमन की उचित सुविधा के अभाव में उससे वंचित रहते हैं, क्योंकि कान्हा के पास में कोई भी विमानतल नहीं है। एक विमानतल जबलपुर में है, किंतु उसके उपयोगी न होने से हवाई जहाज वहां उतर नहीं पाते हैं। जबलपुर कान्हां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। दूसरा विमानतल नागपुर में है, जो कान्हा से लगभग 250 किलोमीटर दूर है मोटर की सड़क है, किंतु वह भी तृतीय श्रेणी की है। बारह माह आवागमन के योग्य नहीं है।

अतः केंद्र शासन से मेरा अनुरोध है कि पर्यटकों की सुविधा हेतु कान्हा नेशनल पार्क के निकट एक सुविधा संपन्न हवाई पट्टी निर्माण कराने का कष्ट करें। इससे पर्यटकों को आवागमन की सुविधा तो रहेगी ही, हमें विदेशी मुद्रा के आयात में बढ़ोत्तरी होगी।

(चार) राजस्थान में अजमेर जिले के तारागढ़ में उच्च शक्ति वाला टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, अजमेर राजस्थान की हृदयस्थली है तथा सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। पिछले कुछ समय से चार लाख से अधिक आबादी वाले अजमेर शहर तथा ब्यावर, किशनगंज, नसीराबाद एवं पाली और नागौर आदि स्थानों पर

तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम साफ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। दिल्ली तथा जयपुर में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों तथा मेट्रो चैनल में कई बार व्यवधान पैदा होने से श्रोताओं एवं दर्शकों में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है। विभिन्न चैनलों से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बड़े कस्बों और गांवों के टीवी सेटों पर देखे ही नहीं जा सकते। कइयों के टीवी सेट खराब हो गए हैं। विगत तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन मंत्री जी द्वारा संसद में यह घोषणा की गई थी कि अजमेर में शक्तिशाली टीवी ट्रांसमीटर की स्थापना की जाएगी और इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि का आवंटन भी किया गया, परंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विगम 1 मई को जयपुर में दूरदर्शन के शक्तिशाली ट्रांसमीटर का उद्घाटन करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रदत्त भाषण में अन्य स्थानों का नाम तो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापना के संदर्भ में लिया गया परंतु अजमेर का नाम नहीं लिया गया। इससे इस क्षेत्र के लाखों लोगों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। तारागढ़ पहाड़ पर जाने के लिए सड़क का निर्माण भी हो रहा है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि टीवी केंद्रों से प्रसारित एवं मैट्रो चैनल द्वारा दिखाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों से लाखों दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए अजमेर से तारागढ़ पर पूर्व स्वीकृत एवं घोषित शक्तिशाली दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के केसरगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बड़े कस्बों में रसोई गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप खोले जाने की आवश्यकता।

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बहराइच एवं बाराबंकी जनपद का मेरा संसदीय क्षेत्र केसरगंज, प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे संसदीय क्षेत्र में कुछ बड़े–बड़े कस्बे हैं जैसे रिसिया, शिवपुर, महसी, तेजवापुर, पखरपुर, केसरगंज एवं जखल कस्बा तथा बाराबंकी जनपद के रामनगर, सूरतगंज, दरियाबाद हैं। यहां रसोई गैस की तथा डीजल, पेट्रोल की एजेंसी न होने के कारण क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में उपर्युक्त स्थानों पर एलपीजी गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंपों की एजेंसी स्थापित कराई जाए।

(छह) बिहार के सीतामढ़ी जिले को सघन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अत्यधिक पिछड़ा जिला सीतामढ़ी में अनावृष्टि के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। खेतिहर मजदूरों के पलायन को रोकने एवं शिक्षित बेरोजगारों, अल्प रोजगार वाले लोगों के रोजगार के लिए सीतामढ़ी जिला को सघन जवाहर रोजगार योजना में शामिल किया जाए। जिले के सभी प्रखंडों में अतिशीघ्र सुनिश्चित रोजगार योजना को चलाया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले एवं वे अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को लघु उद्योग निर्माण क्षेत्रों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु अधिकतम एक लाख रुपए का कर्जा मुहैया कराना है। जिला उद्योग केंद्र ऋण स्वीकृत कर अपने आंकड़े पूरा करता है। स्थानीय बैंकों को स्पष्ट निर्देश न होने के कारण यह योजना आवश्यकता के अनुरूप सफल नहीं हुई है। इसलिए सरकार को इस योजना को कार्यान्वित कराने के लिए बैंकों को सख्त निर्देश देने चाहिए। अतः मेरा आग्रह है कि सीतामढ़ी जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर जिले को सघन जवाहर रोजगार योजना में शीघ्र शामिल करे।

(सात) सिक्किम में स्टेडियम के निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : केंद्र सरकार के ध्यान में पहले ही लाया जा चुका है कि सिक्किम में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है, जिसमें तरह-तरह के खेल कार्यकलापों के आयोजन के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों। हर वर्ष सिक्किम में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से टीमें आती हैं लेकिन ऐसी खेल प्रतियोगिताओं के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में आने वाली टीमों और आम जनता को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समुचित स्टेडियम उपलब्ध होने से न केवल भाग लेने वाली टीमों और आम लोगों की असुविधा तथा कठिनाई कम होगी बल्कि सिक्किम की राज्य सरकार अधिक टीमों को आमंत्रित कर सकेगी और स्थानीय प्रतिभावान व्यक्तियों को बढ़ावा दे सकेगी।

राज्य सरकार ने योजना को एक प्रस्ताव भेजा था और संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के 1987 में गंगटोक में एक आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए एक विस्तृत परियोजना भी भेजी थी लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है हालांकि आठ से ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह सिक्किम के चिरकाल से विचाराधीन अनुरोध पर विचार करे और इस संबंध में दिए गए प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करे, ताकि सिक्किम

के युवाओं की खेलों में छिपी प्रतिभा को भावी राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदर्शित किया जा सके।

(आठ) राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को ऋण माफ की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पक्के वाटर कोर्स बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत पक्के वाटर कोर्स बनाने के संबंध में दोहरी नीति अपनाई गई है। प्रथम चरण में पक्के वाटर कोर्स बनाने का खर्चा किसानों पर ऋण के रूप में डाला गया है जबकि द्वितीय चरण में यह खर्च स्वयं सरकार द्वारा वहन किया गया है। चूंकि एक ही परियोजना क्षेत्र में किसानों पर दोहरी नीति अपनाई गई है, जो कि व्यावहारिक व न्यायसंगत नहीं है।

प्रथम चरण के पक्के वाटर कोर्स जो थोड़े ही समय में वाटर लोगिंग की वजह से टूट व नष्ट हो गए हैं व किसानों पर उक्त ऋण पांच गुणा हो गया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पड़ोसी राज्य सरकारों द्वारा भी उक्त वाटर कोर्स किसानों को बिना किसी खर्च के बनाकर दिए गए हैं।

अतः उपरोक्त बातों को देखते हुए केंद्र सरकार से निवेदन है कि किसानों को उक्त ऋण माफ कर मुक्ति दिलाने की कार्यवाही करावे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.17 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.21 म. प.

लोकसभा अध्यक्ष भोजन के पश्चात 2.21 म.प. पर पुनः समावेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सामान्य बजट, 1995-96 अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपना कार्य आरंभ करेंगे।

श्रीमती गिरिजा देवी।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय के बजट पर हम अपनी ओर से मत प्रकट कर रहे हैं। मत प्रकट करते हुए यह आज तीसरा दिन है और रक्षा मंत्रालय को अगर यदि हम एक अकेले मंत्रालय के रूप में देखें तो, आज की परिस्थिति में रक्षा मंत्रालय को हम अर्थ, वित्त एवं विदेश मंत्रालय से अलग कर के देखें तो हमारा काम पूरा नहीं होने वाला है। इन सभी मंत्रालयों के समायोजन से ही और साथ मिलकर सोचने से ही रक्षा मंत्रालय का या रक्षा संरचना का भलीभांति कार्य हो सकता है।

वर्तमान समय में हमारे कई युद्ध हुए। वह हमारे लिए अशांति का दिन भले ही था लेकिन जो हमारी विदेश नीतियां थीं, स्पष्ट न होते हुए भी स्पष्ट था कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन। जितना ही हमने अपनी दोस्ती का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया, चाहे वह दक्षेस का सम्मेलन हो या हमारे राजनीतिज्ञों का बाहर आना जाना, रक्षा के संबंध में, आर्थिक संबंध में या सामाजिक संबंध में हमारी विदेश नीति पर एक कोहरा सा छाता जा रहा है। अभी हमारी रक्षा की संरचना पर केंद्रीय सरकार के द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है। किसी न किसी तरह से जो हमारी मान्य परंपरायें थीं, वे पिछले दो-तीन वर्षों में टूट गई हैं। हमने अपने को रशिया के सहारे आधारित किया था। रशिया के विखंडन के बाद अब हमें अकेले हाथ लोहा लेना है, चाहे वह नेवी हो, एयरफोर्स हो या हमारी थल सेनायें, हमें अब अकेले ही सबकी रणनीति तैयार करनी है। ऐसे समय में जो कई समझौते हुए हैं, चाहे अर्थ नीति हो, वाणिज्य नीति हो, या वित्त नीति हो, उन सभी को ले देकर जो समझौते हुए हैं उसमें इस रक्षा संरचना का पुराना ढांचा भी चरमरा गया है। हमारे देश के साथ पाकिस्तान, बंगलादेश व चाईना की सीमायें लगती हैं और उसके साथ ही साथ इन लोगों के सहारे दूसरे देशों के घुसपैठ भी हमारे देश में घुस आते हैं। हमने अच्छी-अच्छी लड़ाइयां लड़ीं। हमने जीत भले ही हासिल कर ली लेकिन जिन नीतियों के तहत उन लड़ाइयों को लड़ा गया, उनसे क्या फायदा हुआ, क्या वह हमने खोया, इसका हमने कभी आंकलन नहीं किया। यह आंकलन न करने के कारण कई फैसले हमारे त्वरित हो जाते हैं। श्रीलंका में हमने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजकर जान-माल सबको गवाया है। उसके साथ हमारा जो मधुर संबंध था, उसको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमारा जो भाईचारा का संबंध था, सौहार्द का संबंध था, अपने-अपने कलचर के हिसाब से हम लोग आपस में मिले हुए थे, वह आज विखंडित हो रहा है। आज हम किसी को हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन मानकर नहीं बल्कि अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को इतना मजबूत कर लें कि बगल में रहने वाला हमारा पड़ोसी कभी भी हमारे ऊपर हाथ उठाने की

हिम्मत न कर सके। जितने भी युद्ध हुए हैं, बंगला देश के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी, उन सभी में अनप्रवोक्ड वार मे हम लोगों को लड़ाई का सामना करना पड़ा। चाहे 1962 की लड़ाई हो या 1965 की लड़ाई हो, सब में उसी तरह से सामना करके हमने अपने पड़ोसी को मदद दी। वह सही बात है लेकिन हम एक नीति तो बनाएं कि हम उन्हें कहां तक मदद देंगे और कहां तक नहीं देंगे। उसके बाद हमें क्या क्या करना होगा, उसमें क्या घाटा होगा और क्या नफा होगा। पूरे देश के पैमाने पर सारी नीतियों को, जो भी मंत्रालय इस रक्षा मंत्रालय को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं, उन सबके साथ मिल बैठकर राष्ट्रीय पैमाने पर कोई नीति बनाने की हमने जहमत नहीं उठाई है।

हमारे यहां कई विदेशी लोग आए हैं। अमेरिका से आए हैं, ईरान से आए हैं या और भी कई देशों से आए हैं। हमारे यहां से भी माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं और भी हमारी सेना के जो अफसर हैं, वे भी दूसरे तीसरे देशों में गए लेकिन एक प्वांइट पर हम लोगों को यह जानकारी नहीं मिली कि हम आज न्यूक्लियर प्रोलिफिरेशन पर क्या नीति रखने जा रहे हैं। आज के अखबार में प्रणव मुखर्जी का वक्तव्य आया था कि हम कृतसंकल्प हैं, दढ़ हैं। कृतसंकल्प तो हम हैं ही। हम उनको बहुत कम अनुदान देते हैं। हमारी सेना बहुत पक्के इरादे वाली है। जीत हमेशा सैनिकों की बदौलत होती है, मैं इसमें राजसत्ता की भागीदारी कम मानती आई हूं।

बहुत सी बातें कही गईं कि हमने बहुत अधिक दे दिया है। लेकिन यह नहीं सोचा कि जो 8 प्रतिशत अधिक दिया है, उसके मुकाबले 12 प्रतिशत महंगाई बढ़ा दी है। जो अधिक दिया है मेरी समझ से उतना तो महंगाई और महंगाई के कारण जो महंगाई भत्ता देते हैं उसमें ही निकल जाएगा। इसलिए हम जहां थे वहीं हैं। लेकिन सेना के हर आयाम में, चाहे वह हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो या थल सेना हो, विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। हमारे साढ़े छह हजार किलोमीटर की सरहद पानी से घिरी हुई है। इसलिए कभी नवल चीफ ने कहा था कि यह तो द्वीपों का देश है। इसके अलावा अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप भी हैं जिससे हमें सुरक्षित रखना है। अंडमान-निकोबार के बगल में कोको द्वीप है जो चाइना के पास है। वह अंडमान निकोबार से केवल 20 किलोमीटर दूर है, हमें अपनी नौसेना की बदौलत उसके इर्द गिर्द की डेढ़ हजार किलोमीटर की सीमाएं सुरक्षित रखनी हैं। लेकिन हालत यह है कि इसे जो अनुदान मिला है, वह सारे अनुदान का केवल 13 प्रतिशत है। इतिहास गवाह है कि जब जब आक्रांता हमारे यहां आए हैं, इन्हीं द्वारों से आए हैं और इसमें हम सदा कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं।

हमारे पास इस समय 120 पोत हैं और सारे पुराने पड़ गए 10 वर्षों से हमने नए पोत नहीं खरीदे है। एक पोत की औसत आयु 20 वर्ष बताई जाती है। यदि हम हर वर्ष 6-6 पोत रिटायर करें तो 6 और नए लाने होंगे। लेकिन यदि हम सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से कम से कम 8 पोत प्रति वर्ष खरीदें तब हम जहां हैं वहीं बरकरार रहेंगे। हमको पाकिस्तान के मुकाबले हमेशा अपनी रणनीति बनानी है, क्योंकि न केवल अपनी सरहदों पर बल्कि म्यांमार और चाइना की सरहद की तरफ से, अंडमान निकोबार के पास कोको द्वीप की तरफ से वे हमारे साथ घात लगाए हुए हैं। यदि इस बड़े विस्तार को देखें तो इसमें हमारी नौसेना की क्षमता बहुत कम आती है। हमारे पास नौसेना की क्षमता 7 पनडुब्बियां हैं जिनकी उम्र काफी हो गई है। बहुत अधिक उम्र हो जाने के बाद भी हमनें कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई है कि हम वह कब खरीदने जा रहे हैं। उसे जितना अनुदान दिया गया है, वह तो केवल मेनटेनैंस में ही व्यय हो जाएगा। अधिक खरीदने की बात आने पर कहां से खरीदेंगे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हमारे यहां के विमान वाही पोत की उम्र समाप्त हो गई है। अब आपके पास विक्रांत एक साल से ज्यादा नहीं रहने वाला है। इसके बाद उसकी उम्र समाप्त हो जाएगी, उसे विनष्ट कर देना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी वाहक पोत खरीदने की योजना नहीं बनी है।

कारवाड़ परियोजना जो कर्नाटक में है, को सात वर्ष बीत गए हैं और सात वर्ष हमने कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाए हैं बल्कि सात वर्ष से परियोजना शुरू की है। लेकिन हमारा मुख्यतः समय मुकदमेबाजी में बीत चुका है।

मुकदमेबाजी का समय यदि हम ले लें, तो उसमें जो पैसे, जनशक्ति और मनशक्ति जो लगाई है, उसके कन्स्ट्रक्टिव न कह कर के हम डिसस्ट्रक्टिव एक्सपैंडिचर में डाल सकते हैं। सोवियत संघ की मौजूदगी से भले ही शिथिलता पहले हो जाती हो और नौसैनिक स्तर पर सोवियत की मदद हमें मिल सकती है, लेकिन अब जो भी हमें करना है, वह अपनी बिना पर करना है। इसलिए नौसेना के लिए जो भी हमने दिया है वह इतना कम है कि उससे सिर्फ नौसेना अपनी ही रक्षा करेगा और देश की रक्षा करनी है तो और भी अधिक से अधिक अनुदान उसे मिलना चाहिए।

हमारा आकाश भी आज सुरक्षित नहीं है। हमें मुकाबला जिन शक्तियों से करना है, उसके पास महान आयुद्ध हैं और उन आयुद्धों के साथ साथ उनके पास विकसित विमान भी हैं। विगत कई वर्षों से कहा जा रहा है कि हमें एक लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना है। खरीदने की बात तो कही जाती है, लेकिन आज तक कभी खरीदने की एक निश्चित तिथि सुनिश्चित नहीं की गई है। इसके बाद इसके उत्पादन की चर्चा सुनी जाती है, लेकिन उत्पादन के विषय में हम कहां तक गए हैं। इसकी भी चर्चा नहीं की गई है। हमारे पास जो भी विमान हैं, वे विमान पुराने पड़ गए हैं। उनकी तकनीक बहुत पुरानी पड़ गई है, उनको मेनटेन के लिए एकमात्र पैसे की आवश्यकता है। पैसे के लिए कहा जाता है

कि एक विमान को खरीदने के लिए जितना पैसा लगता है, उसका दुगुना पैसा उसकी मेनटेनेन्स पर खर्च हो जाता है। आज हमारी हालत यह है कि हमारे यहां रक्षा उत्पादन के लिए 39 इकाइयां हैं और 9 पब्लिक सैक्टर में रक्षा की सामग्रियां बनाती हैं। इसके बावजूद भी मैंटिनेंस और रिपेयरिंग के लिए अपने विमान सिंगापुर भेजते हैं। हम यहीं हैं और हमारी हालत यह है और आए दिन सुनते हैं कि दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। विश्व के अंदर एयरफोर्स में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हिंदुस्तान में हुई हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह कि हमने जैट ट्रेनर विमान आज तक अपने साहसी पायलट्स को देने की कृपा नहीं की है। हमने अपने कीमती वायुयान झोंक दिए और हमने अपनी कीमती जानें झोंक दीं, लेकिन जैट ट्रेनर विमान उन लोगों को नहीं दिया। हमने सामान्य विमान पर ही शिक्षा प्राप्त कराकर मोस्ट सौफैस्टिकेटेड विमानों पर बैठा दिया। इससे लगता है, हमारे यहां उचित व्यवस्था ट्रेनिंग की नहीं है। मिग 21 और 27 काफी पुराने पड़ गए हैं और उस पुरानेपन को रोकने के लिए एक ही उपाय है कि उनका नवीनीकरण किया जाए। हम बार-बार सुनते हैं कि हिंदुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड में उनकी मरम्मत की बात की जा रही है, लेकिन पांच वर्ष पहले इस स्तर पर नहीं आ सकेंगे कि इनकी मरम्मत हम अपने यहां कर सकें। यह हाल हमारी वायुसेना का है। इसके अलावा इनकी संख्या भी हमारे यहां बहुत कम है। इनकी संख्या सिर्फ 45 है। सुब्रह्मण्यम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह बात 10-15 साल पहले कही गई थी कि इनकी संख्या कम से कम 65 होनी चाहिए। इस बीच में मान्यताएं बदली हैं और युद्ध के तरीके भी बदले हैं। हमारे इलैक्ट्रोनिक वार-फेयर में इन विमानों की महत्ता बढ़ जाती है और उनकी महत्ता बढ़ने पर यदि हम उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं करते है, तो आए दिन अपने पायलटों की जान जोखिम में डालते रहेंगे। आज हमारे पायलटों का पलायन हो रहा है और वह दिन दूर नहीं जब इनसिक्योरिटी की भावना हमारे पायलटों में पैदा हो कि सिखाते तो हमें ग्लाइडर पर हैं और बैठा देते हैं, मोस्ट-सौफैस्टिकेटेड विमानों को चलाने के लिए। इन सब कमियों के दूर करने के लिए और अपने को सुदृढ़ बनाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम उनको अधिक धन मुहैया कराएं।

जहां तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बात है, मैं कहती हूं कि सम्मान की भावना को ध्यान में रखते हुए, हम कहां हैं। हम वहीं हैं और इतना कुछ नहीं कर पाए हैं कि हम उसके बारे में कह सकें कि हम पूर्णतः इनडिपेंटेंड हो गए हैं। ...**(व्यवधान)** वैसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में जो भी काम हो रहा है, वह सराहनीय है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए पूरे देश को सम्मान है और पूरा देश ललचाई दृष्टि से देख रहा है।

हम इसी के माध्यम से आत्मनिर्भर होंगे और बार-बार जो यह अनुसंधान किया जा रहा है इसके लिए यही एक रास्ता है जिसमें हम समाघात्मिक क्षमता बढ़ा सकते हैं। हम अपनी इलैक्ट्रोनिकी बढ़ा सकते हैं, हम अपने इंस्टुमेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग बढ़ा सकते हैं, नौसेना प्रणाली से लेकर नाना प्रकार के आयुधों की मारक क्षमता बढ़ा सकते हैं और वहीं पर हम एलसीओ के बारे में भी यह खोज कर सकते हैं कि हम कब तक उसको बना लेंगे। लेकिन उस पर हम केवल पांच प्वाइंट कुछ व्यय कर रहे हैं। उसकी 50 प्रयोगशालाएं हैं और 15 अकादमियां हैं, इसका कितना अनुदान बैठेगा। इसलिए इतना ढिंढोरा पीटने के बाद, इतना सक्षम, जोकि विश्व के स्तर पर सर्वोपरि है, ऐसे वैज्ञानिकों के होने के बाद हम उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यह कब बनेगा इसके लिए अब्दुल कलाम साहब ने एक 10 वर्षीय योजना बनाई जरूर है लेकिन उसके लिए अधिकाधिक धन देने की आवश्यकता है, प्रशंसा करने से कुछ नहीं होने वाला है।

इसी तरह रक्षा की व्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाने के लिए केवल धन की आवश्यकता पड़ती है और दूसरी मनोबल की आवश्यकता है। तीसरी मस्तिष्क शक्ति की आवश्यकता है। हमारे पास देश में ऐसे-ऐसे मेधावी वैज्ञानिक हैं जिनके पास मस्तिष्क शक्ति है, मनोबल है। वे सब कुछ करने के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार के पास भी उतना ही उनको दान अनुदान देने के लिए भावना होनी चाहिए जितनी उन वैज्ञानिकों के पास है, सब कुछ कर गुजरने वालों के पास हैं। हमने इसी के माध्यम से पृथ्वी जैसा आयुध बनाया है लेकिन शंका की निगाह उधर भी लगी हुई है। हम जर्मनी से उसका इंजन आयात कर रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने पास यहां बना पा रहे हैं। ये सारी शंकाएं इसलिए हो रही हैं कि उसके इंजन के बारे में कहा जा रहा है कि वहां की मिट्टी और यहां की आबोहवा में वह अधिक जल्दी गर्म हो जाता है और पहाड़ों पर जाते समय वह अधिक सक्षम नहीं होता है। ...**(व्यवधान)**

महोदय, यह डीआरडीओ का मामला ऐसा नाजुक है कि इसको अधिकाधिक दूसरे क्षेत्रों से भी हमें धन देना चाहिए। आपके यहां पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। इन्होंने आपका गवाया नहीं है बल्कि उसने आपको 2048.53 करोड़ रुपया अर्जित करके दिया है। आप इनको बढ़ाएं, इन्हें समृद्ध बनाएं और इतना अधिक इनको सपोर्ट करें कि आप अमेरिका के मुकाबले लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपके आजू-बाजू में जो देश हैं, हमें केवल उनको ही देख कर अपनी सहनशक्ति नहीं बनानी है, बल्कि सबसे शक्तिशाली अमेरिका को हम मान रहे हैं, जिसके डर के मारे आप कोई भी अपना निर्णय सुना नहीं पा रहे हैं। उसके मुकाबले आपको अपनी रणनीति बनानी होगी।

महोदय, इसके बाद बहुत सारी बातें बोफोर्स की हैं। बोफोर्स का मुद्दा सन 1987 से लटक रहा है। 1987 में स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले प्रसारित किया और उसके बाद दूसरे दिन ही लोकसभा में कह दिया गया कि बोफोर्स का मामला गलत है लेकिन वहां से जिसकी 14 हजार करोड़ रुपए की खरीददारी की गई और उसे मात्र 62 करोड़ रुपए का, जिसको आप घूस लेना कहिए या कमीशन लेना कहिए, मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं जुट रहे हैं, लेकिन अवैध 62 करोड़ रुपए के लेन-देन का मामला लटका हुआ है। यह 62 करोड़ रुपए इनमें मत आंकिए। बहुत सारे घोटाले और धांधलियां हो गई हैं, लेकिन चोरियां चाहे जितनी हो जाएं अगर चोरी छोटी भी होती है तो उसको भी स्पष्ट करना हमारा कर्तव्य बनता है, यह रक्षा का मामला है।

यह एक मायाजाल है, जिससे हमको अपने देश को मुक्त करना होगा, इसके बाद ही हम अपने सैनिकों के अंदर विश्वास जगा सकते हैं। मैं मंगल पांडे की घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जो केवल इस बात पर मिट गया था कि उसके मन में एक बात बैठ गई थी कि उनको जो कारतूस दिए जाते हैं, उनमें गाय की चरबी लगाई गयी है।

वीरेंद्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन मंगल पांडे का नाम माननीय सदस्या ले रही हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मेरी जन्मभूमि भी वहीं की है, जो वीर मंगल पांडे की है।

श्रीमती गिरिजा देवी : महोदय , इस समस्या से आंखें तो नहीं चुरानी चाहिए, बल्कि सब कुछ स्पष्ट करके देश की जनता को और सेना को इस माया जाल से मुक्ति दिलानी चाहिए। तभी सारे संसार में हम अपनी धाक जमा सकते हैं। महोदय, स्वीडन तैयार है, उसका कहना है कि हमें यह आश्वासन दिया जाए कि जिस परपज के लिए कागजात दिए जाएंगे, उनका इस्तेमाल केवल उसी परपज के लिए होगा। लेकिन हम अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम सच्चाई का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हैं, राजनीति से दरकरार हो रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या दो तरह का न्याय है। एक तरफ यदि कोई भूखा अपनी भूख मिटाने के लिए दो रोटी चुराता है तो उसको तो आप तुरंत सजा दे कर न्याय कर देते हैं, काल-कोठरी में डाल देते हैं, लेकिन इन मामलों में न्याय नहीं हो रहा है। आप काल-कोठरी में न डालिए, परंतु न्याय तो दीजिए। यह न्याय पूरे देश के लिए होगा और हम जान सकेंगे कि न्याय करने में हमारा देश समर्थ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती जी, कृपया मेरी बात सुनिए। बहुत से माननीय सदस्य इस वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। आप पहले ही 35 मिनट से अधिक समय ले चुकी हैं। आप को समय पर अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। कृपया अब भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगी।

[हिन्दी]

महोदय, बोफोर्स का भूत ऐसा है कि रक्षा प्रदर्शनी के लिए सेना में एक समिति है, लेकिन अभी जो हमारे यहां रक्षा प्रदर्शनी लगी उसमें हम हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाए, ऐसा लोग कहते हैं और अखबारों ने इसको छापा है।

महोदय, कुछ और बातों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भूतपूर्व सैनिक जो कि कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाएं नाकाफी हैं और वे रिटायरमेंट के बाद भली प्रकार से अपना जीवन नहीं बिता पाते, इनकी तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सेना में दूसरा सबसे पीड़ित तबका सैनिक विधवाओं का है। कुछ समय तक तो इनको ठीक पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी पेंशन में कमी कर दी जाती है, जिससे ये बच्चों की पढ़ाई तथा परिवार के अन्य खर्चे नहीं उठा पातीं। हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो सैनिक विधवाएं प्रार्थना करती हैं कि कोई नौकरी दिलवा दें, चाहे चपरासी की नौकरी दिलवा दें। वे अपने 3-4 बच्चों के साथ गांवों में बेसहारा घूमती हैं। मेरा सुझाव है कि सैनिक की लास्ट पे ड्रान के बराबर उसकी विधवा को जीवन भर पेंशन मिलनी चाहिए, जिस तरह की सुविधा हैंडीकैप्ड हो जाने वाले सैनिकों के लिए है।

इसी तरह से केंटानमेंट में तो सेंट्रल स्कूलों की व्यवस्था है, लेकिन जो सैनिक सीमा पर चले जाते हैं, वे अपने बच्चों को सेंट्रल स्कूल में किस तरह से शिक्षा दे सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि हर जिला मुख्यालय में 2-2 सेंट्रल स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

महोदय, आज स्थिति यह है कि लोग स्वेच्छा से सेना में नहीं जाना चाहते। किसी को जब कहीं नौकरी नहीं मिलती, तभी वह सेना में जाता है। एक सर्वेक्षण से भी यह बात सामने आ चुकी है, सबसे निचले दर्जे के लोग सेना में जाते हैं। इसलिए जहां पर कमियां हैं, सुविधाओं में जो कटौती की गई है, जिसकी वहज से हमारे नौजवान सेना से विमुख हो रहे हैं। उनके मन को आज यह गीत नहीं भाता है-सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। देश की सेवा की जो भावना होनी चाहिए, उसमें आज कमी आई है। इस कमी को दूर करने का एक रास्ता है एनसीसी। एनसीसी की व्यवस्था की गई, लेकिन इसका लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। जहां पर आप सेना के जवान खोज सकते हैं, जहां पर आज भी देश की संस्कृति जिंदा है, उन देहाती क्षेत्रों में

एनसीसी की व्यवस्था नहीं है। देहातों के नौजवान आज भी देश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको वे साधन मुहैया नहीं हैं और सैन्य भर्ती बोर्ड के सामने वे गिटपिट अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और उनका चयन नहीं हो पाता। इन सारी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इन बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, आज भी हमारी सैन्य व्यवस्था बरतानवी समय की चली आ रही है। आज भी 1450 किलोमीटर तक प्रति वर्ष टीए डीए दिया जाता है। यदि किसी सैनिक की पोस्टिंग 1450 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उसको दो साल में एक बार जाने की छूट होती है। इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारी बातों के डीटेल में मैं जाना चाहती थी।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का अभाव है, नहीं तो आप डीटेल में जा सकती थीं।

श्रीमती गिरिजा देवी : हमें इन छोटी बड़ी बातों पर नजर दौड़ानी होगी और अपनी सेना को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाना होगा।

महोदय, मैं सीमा पर तैनात सैनिकों, फौजी अफसरों जिन्होंने सेना में जाकर अपनी जिंदगी की कुर्बानी टी है, उन सबको अपनी सद्‌भावना देती हूं, लेकिन इस मांग का जो समन्वित सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती, सेना की सभी शाखाओं को आवश्यक साधन मुहैया नहीं करा पाती, सैनिकों को बदहाली से लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देती हैं,

...**(व्यवधान)** लाख चाहते हुए भी मैं इस मांग का समर्थन नहीं कर पाती। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज 9 मई, 1995 का दिन, जैसा कि आप जानते हैं, फासिस्टवाद पर विजय की 50वीं वर्षगांठ है। जब हिटलर जर्मन के बलों ने बर्लिन नगर में आत्मसमर्पण किया, उस महायुद्ध में जो पूरे विश्व में फैल गया, हमारी सेनाओं ने जो भूमिका निभाई उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। निस्संदेह, यह तथ्य है कि वह सेना आजाद हिंदुस्तान की सेना नहीं थी लेकिन इससे किसी तरह भी भारतीय जवानों और अधिकारियों ने युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर जो उत्साह, वीरता और लड़ाई कौशल दिखाया उसका महत्व किसी तरह कम नहीं हो जाता है। मैं समझता हूं हमें उन्हें याद करना चाहिए - उत्तरी अफ्रीका हो या इटली के मोंट कैसीनो पर आक्रमण हो, जहां अन्य फ्लाइट सेनाएं असफल रहीं या बार-बार पराजित हुई जब तक कि भारतीय सेनाओं ने अंतिम प्रहार नहीं किया हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने हमारे सैनिकों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आजादी के बाद भी कुर्बानी दी, समीचीन युद्ध स्मारक और युद्ध संग्रहालय बनाने की आवश्यकता के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं।

इस वाद-विवाद में आमतौर पर माननीय सदस्यों की प्रवृत्ति रक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान किए जाने की आलोचना करने की रही है। जो संभवतया ठीक है। आवंटन बढ़ाने के बजाय सरकार वास्तव में जो मुद्रास्फीति हुई है उसकी ओर ध्यान दे रही है। आवंटन में कमी की जा रही है और सदस्य बार बार सेना, नौसेना, वायुसेना अथवा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लिए अधिक राशि का आंवटन करने की मांग कर रहे हैं। यह इस समस्या को देखने का एक पहलू है। निस्संदेह हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी रक्षा सेवाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं पर अधिक खर्च करें लेकिन माननीय सदस्य जिस चीज पर बल दे रहे हैं और प्रधानमंत्री ने, जो रक्षा मंत्री भी हैं, सरकार की ओर से बोलते हुए जो कुछ कहा है उसमें कुछ विरोधाभास है और इसे मेरे मतानुसार स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मेरी राय में यह मामला एकदम स्पष्ट किया जाना चाहिए। एक दिन पहले पिछले महीने की 22 तारीख को, प्रधानमंत्री ने सेना, नौसेना और वायुसेना के कमांडरों की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी। निस्संदेह, मैंने केवल समाचारपत्रों की खबरें पढ़ी हैं। लेकिन उन खबरों के अनुसार उन्होंने जो कुछ कहा है यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के उच्च अधिकारियों से कहा कि वास्तव में संसाधनों की कमी है और इन्हीं से उन्हें अपना काम चलाना चाहिए। उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं उद्धृत करता हूं :–

> "सरकार की सदैव यह मंशा रही है कि सीमित संसाधनों के भीतर पर्याप्त आवंटन किया जाए ताकि प्राथमिकता प्राप्त आधुनिकीकरण और अधिग्रहण संबंधी कार्यक्रमों को नुकसान न हो। लेकिन अब जबकि आवंटन बढ़ा दिए गए हैं, सेनाओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संसाधनों की वास्तव में कमी है और इन्हीं से उन्हें अपना काम चलाना चाहिए। अतः उन्हें यह सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सीमित संसाधन बुद्धिमता से खर्च किए जाएं और उपकरणों का चयन विवेक से किया जाए।"

उत्तरवर्ती भाग एक चेतावनी है जिसका उल्लेख श्री जसवंत सिंह ने एक दूसरे ढंग से किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिक धन हो तो हमें खुशी होगी लेकिन जितना धन हमारे पास है उसका उपयोग ठीक ढंग से जवाबदेही, लागत में कमी, कार्यकुशलता और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं लेकिन प्रधानमंत्री जी

ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ कमांडरों को यह आदेश देना है कि चादर के अनुसार अपने पैर पसारिए। सरकार उन्हें अधिक धनराशि नहीं दे सकती। वास्तव में मुख्य बात यह है कि उन्होंने अधिक धनराशि देने से इनकार किया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार का अंतिम फैसला है और इससे भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में धारणा का पता लगता है जिसका हमें ध्यान रखना है।

हम अपने पड़ोसियों या एक पड़ोसी के साथ सशस्त्र युद्ध की तैयारी कर रहे हों, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने कहा है कि हमारे प्रतिरक्षा और सामरिक परिप्रेक्ष्य का उद्देश्य निरंतर बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान करने वाली, शांतिप्रिय और स्थायित्व का पक्ष लेने वाली शक्तियों को मजबूत करना रहा है ताकि तनाव और झगड़े कम से कम हों और अंततः उनकी कोई गुंजाइश न रहे। इस संदर्भ में हुए विश्व के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोगशील संबंध बनाए रखने होंगे। निस्संदेह, उन्होंने बाद में पाकिस्तान के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान इस मामले में एक अपवाद है।

3.00 म.प.

महोदय, इस प्रकार हमारे सामने दो प्रकार की स्थिति है। एक तो यह आलोचना कि सरकार हमारी प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि देने में असफल रही है और यह मांग कि नौसेना, थल सेना, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, प्रक्षेपणास्त्र आदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकाधिक राशि दी जाए। दूसरी ओर प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री का यह कहना कि वे अधिक धनराशि का प्रावधान नहीं कर सकते और शसस्त्र बलों को उसी राशि से ही काम चलाना होगा जो वे दे सकते हैं।

3.01 म.प.

श्री शरद दिघे पीठासीन हुए

निस्संदेह, मैं इस हद तक सहमत हूं कि सैनिक क्षमता ही हमारी एक मात्र प्रतिरक्षा नहीं है। आस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री, श्री गारेथ इवैन्स ने एक मूल्यांकन किया है जिसमें उन्होंने कहा है :

"भारत एक ऐसी बड़ी शक्ति है जिसका दसवें दशक में बहुत ही कम महत्व समझा गया है। इसकी जनसंख्या काफी अधिक है जो 2010 तक चीन की आबादी से भी अधिक हो जाएगी। इसमें भूमि का क्षेत्रफल काफी है, शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ रही है और एक विकसित निर्माण उद्योग क्षेत्र है। इसके पास बहुत बड़ी सैनिक शक्ति है जो जनशक्ति की दृष्टि से विश्व में चौथी बड़ी शक्ति है, इसकी नौसैनिक शक्ति निरंतर बढ़ रही है जिससे दक्षिण एशिया में निश्चित रूप से यह एक सर्वोत्तम शक्ति बन गया है।"

यह दक्षिण एशिया की बात करते हैं।

"किंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि भारत ने अपनी शक्तियों का विकास अवैध प्रयोजनों के लिए किया है।"

इसका अर्थ यह है कि भारत ने मुख्य रूप से अपनी सैनिक शक्तियों का विकास अपनी रक्षा के लिए किया है। श्री इवैन्स के अनुसार

"यह देश प्रतिरक्षा के मामले में आत्म-निर्भर है और उपग्रहों, प्रक्षेपणास्त्र क्षमता तथा परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। भारत निश्चित रूप से हर तरह की स्थिति का सामना कर सकता है और अपनी रक्षा कर सकता है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में अपनी सैनिक क्षमता में काफी वृद्धि की है लेकिन इसका अर्थ यह है कि यह 7000 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा के लिए और उत्तर की ओर से संभावित खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे इसके पड़ोसी देशों की सुरक्षा को कोई सीधा खतरा है।"

श्री इवैन्स ने यह भी कहा :

"महत्व की दृष्टि से सैनिक क्षमता एक प्रभावकारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का केवल एक अंग है। एक क्षेत्रीय संदर्भ में सुरक्षा की सबसे उत्तम गारंटी यह है कि सैनिक क्षमता के साथ-साथ कूटनीति भी प्रभावकारी होनी चाहिए और व्यापार तथा अन्य मामलों में अन्योन्याश्रम के संबंध में स्थापित किए जाएं तो कोई लड़ाई होने की संभावना कम हो जाएगी। क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावकारी नीति यह होगी कि क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर ऐसे संबंध स्थापित किए जाएं जो सुरक्षा पर्यावरण तैयार करने में सहायक हों। यही सबके लिए हितकारी होगा।"

मैं समझता हूं कि यह एक आम बयान है जिससे मैं सहमत हूं। सुरक्षा के लिए केवल सैनिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। सैनिक क्षमता सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग अवश्य है लेकिन इस पर कूटनीति के क्षेत्र में, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के क्षेत्र में और व्यापार तथा वाणिज्य आदि के क्षेत्र में हो रही क्षेत्रीय गतिविधियों के संदर्भ में विचार करना होगा। अतः जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि फिलहाल हम आपको अधिक धनराशि नहीं दे सकते। आपको इसी धनराशि से काम चलाना होगा तो हमें मान लेना चाहिए और जैसा कि श्री जसवंत सिंह ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक एक पाई ठीक ढंग से खर्च की जाये और हमारे पास खर्च करने के लिए जो राशि है उसका अधिकतम लाभ उठाया जायें और यह काम उन लोगों का है जो

रक्षा बजट की समीक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी बाहरी दबाव में आ जाना चाहिये। यह स्वीकार तो नहीं किया गया है लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से दबाव पड़ रहा निरन्तर उत्पादन का जहां तक संबंध है।

श्री मल्लिकार्जुन ने श्री जोसेफ नाई ने अमरीकी सीनेट ने जो कुछ कहा, उसकी पुष्टि भी की है। हम यह नहीं जानते कि पृथ्वी का उत्पादन कब तक नहीं किया जाये अथवा अग्नि का उत्पादन कब तक निलम्बित रहेगा। लेकिन इन सभी चीजों की श्री जोसेफ नाई को जानकारी है। ऐसी चीजें हमें नहीं बताई जातीं क्योंकि इन्हें गोपनीय समझा जाता है। किन्तु अमरीका के लोगों को इसकी जानकारी है। वे इसकी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं हमने कुछ हद तक डा. अब्दुल कलाम को उत्तेजित किया है-पता नहीं वह यहां हैं कि नहीं। उनका कहना है :

"भारत की रक्षा संबंधी तैयारी राष्ट्रीय सुरक्षा की स्वदेशी धारणाओं पर आधारित है। हम ऐसे मामलों में अन्य देशों के सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते।"

अतः प्रक्षेपास्त्र विकास के इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। मुझे नहीं मालूम कि सभा को इस मामले में विश्वास में लिया जायेगा अथवा नहीं। किसी ने यह नहीं कहा कि हम अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न इसे बन्द करने का और अमरीका से दबाव का प्रश्न है जो यह कह रहे हैं कि आप काफी आगे निकल गये हैं और अब आगे कुछ नहीं होना चाहिये। अन्यथा ये सब शब्द अर्थात 'हाईबरनेशन' (उत्पादन) और 'ससपेन्डेड ऐनीमेशन' (निलम्बित) कहां से आये। अतः हम इसके बारे में निश्चित रूप से चिन्तित हैं न कि इस बारे में कि हम धीमी गति से चल रहे हैं या हम ने कोई कार्यक्रम छोड़ दिया है। लेकिन हमें इस बात की चिन्ता है कि कुछ दबाव डाला जा रहा है जो सर्वविदित है। हमें ऐसे बाहरी दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुकना चाहिये। मैं इस संबंध में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव से सहमत हूं। मैं अभी भी प्रधानमंत्री से अपील करता हूं- आज 9 मई है और अभी भी तीन दिन का समय है- कि इस सभा को एक संकल्प पारित करना जो मैं समझता हूं सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा/चाहिये। किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। हमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित करना चाहिये। यह संकल्प पीठासीन अधिकारी द्वारा पेश किया जा सकता है। इस संकल्प में यह बिल्कुल स्पस्ट कर दिया जाना चाहिये कि परमाणु अप्रसार सन्धि के प्रश्न पर हमारी वही स्थिति है जो पहले सभी को ज्ञात है। यह परमाणु अप्रसार सन्धि की बात अब चल रही है। अभी भी हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम उनकी बात मान लें जो इसे अनिश्चितकाल के लिए जारी रखना चाहते हैं, जबकि हमारी स्थिति यह नहीं है। परमाणु अप्रसार सन्धि के बारे में हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि सभा द्वारा एक संकल्प पारित कर दिया जाता है तो इससे सरकार की स्थिति और अधिक मजबूत होगी मैं नहीं समझता कि ऐसा संकल्प पारित करने से कोई नुकसान होगा जो इस संसद की आवाज होगा और जिसमें परमाणु अप्रसार सन्धि के प्रश्न का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख होगा।

इसके अलावा, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। माननीय महिला सदस्या ने इसके बारे में कुछ कहा है। ऐसे समाचार हैं कि बोफोर्स उस प्रतिबन्ध को उठाये जाने के लिए कोशिश कर रहा है जो कि हमने उस पर इसलिए लगाया था कि बोफोर्स के साथ आगे किसी प्रकार के लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोफोर्स के वाईस प्रेसीडेन्ट, श्री सोरेन जिन्दल ने दिल्ली में हाल ही में जो प्रेस सम्मेलन बुलाया था उसकी विस्तृत खबरें अखबारों में छपी हैं जिनमें उन्होंने इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का अनुरोध किया है और इस प्रतिबन्ध से भारतीय सेना को हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है। श्री जिन्दल का कहना था कि उनकी फर्म पहले दी गई बहुत सी मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने की स्थिति में है। वह हमें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप प्रतिबन्ध हटा लेते हैं जो हम कई मदों की गुणवत्ता सुधार सकते हैं। आधुनिकीकरण के प्रयोजनार्थ यह सुधार एक नीति है जो रक्षा विभाग ने अब अपनाई है। मैं समझता हूं कि संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह एक विवेकपूर्ण नीति है। बाहर से नया समान खरीदते रहना बहुत महंगा है। जहां कहीं संभव हो, अधिक किफायती और व्यावहारिक तरीका यह है कि हमारे पास जितना भी सामान है उसका दर्जा बढ़ाया जाये, आधुनिकीकरण किया जाये और नवीकरण किया जाये और इस बात का ध्यान रखा जाये कि इसमें से अधिकांश पुराने दिनों में एक स्रोत से अर्थात सोवियत संघ से आया था। बीच में यह आना बन्द हो गया। टी-15 और टी-52 टैंकों का दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम का हवाला देते हुए मेरे मित्र श्री अमल दत्त ने कहा कि यह काम बहुत पहले किया जाना चाहिये था। इसे बहुत पहले कैसे किया जा सकता था? चूंकि इसे रूस के सहयोग से किया जा रहा था, इसे प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये टैंक आरम्भ में उसी देश से हमें मिले थे। अब उन्होंने इन टैंकों का दर्जा बढ़ाने की पेशकश की है और हमने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण पहले वे इस स्थिति में नहीं थे। लेकिन यदि अब अन्य किसी संसाधन के अभाव में यह काम हाथ में लिया जा रहा है तो यह अच्छी बात है। लेकिन बोफोर्स के वाइस-प्रेजीडेन्ट ने जो प्रस्ताव रखा है हमें उसके प्रलोभन में नहीं आ जाना चाहिये। हम पहले ही जानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया और बोफोर्स सौदे में हमारे साथ कितना धोखा हुआ। यदि श्री जिंदल कहते हैं कि बोफोर्स के पास उन लोगों के नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन्होंने रिश्वत दी या ली? स्विटजरलैण्ड की सरकार ने भारत सरकार को

वह जानकारी दी थी तो इसका विश्लेषण करना और यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी की मांग करना भारत सरकार का काम है। हमें इस बारे में अंधेरे में रखा गया है। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। अतः उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों की खबरों से यह स्पष्ट हो जाता है कि फालतू पुर्जे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने से सेना को नुकसान हो रहा है। जबकि उन्हें विश्वास था कि भारत अधिकांश उपकरणों का निर्माण अपने देश में ही करेगा, बोफोर्स से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के इस अधिकार का प्रयोग करने से भारत जल्दी और सस्ती दरों पर इन उपकरणों का निर्माण कर सकेगा। आपने इसके लिए भुगतान किया है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। अतः मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बोफोर्स पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के उद्देश्य से जो लोग नवीनीकरण और दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं हमें उनके प्रलोभन में नहीं आना चाहिये। जब तक रिश्वत देने और स्विटजरलैण्ड के बैंकों में गुप्त खाते खोलने का पुराना मामला, जो अभी तक लंबित है, निपटा नहीं दिया जाता तब तक बोफोर्स पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना करने के बारे में माननीय सदस्यों की मांग का समर्थन करता हूं। वास्तव में कुछ वर्ष पहले यह निर्णय लिया गया था कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होनी चाहिये। लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ है। एक दिन, शायद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सोच समझकर रक्षा विभाग प्रधान मंत्री को देने का निश्चय किया है, क्योंकि सरकार समझती है कि सरकारी कार्यकलाप के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का कार्यभार संभालना प्रधान मंत्री के लिए आवश्यक है। मंत्रिमंडल स्तर पर अन्य रक्षा मंत्री नियुक्त होने तक मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि प्रधान मंत्री के पास समय हो और वह इन सभी जटिल रक्षा मामलों की ओर पर्याप्त ध्यान दे सकते हों। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कोई कारण नहीं है कि उनकी सहायता करने अथवा उनको सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद न बनाई जाए। महोदय, जहां तक मैं जानता हूं, जैसा कि हमें बताया गया है, रक्षा नीति तथा रक्षा रणनीति बनाते समय सेवा अध्यक्षों अर्थात् नौसेना, थलसेना और वायुसेना अध्यक्षों की इस समय कोई राय नहीं ली जाती है। किसी ऐसे संगठन द्वारा रक्षा आयोजन, रक्षा नीति या रणनीति नहीं बनाई जाती, जिसमें सशस्त्र बलों के अध्यक्ष भी उपस्थित हों। यह काम अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। अन्य लोग योग्य और सक्षम हो सकते हैं, लेकिन मुझसे यह बड़ा विचित्र लगा है कि रक्षा आयोजना और नीति के प्रश्न से थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्षों को सीधे संबद्ध नहीं किया जाता है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया जाये तो अन्य लोगों के साथ इनको भी निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। ऐसी परिषद प्रधानमंत्री को रक्षा मामलों में महत्वपूर्ण सहायता, मार्गदर्शन और सलाह दे सकेगी।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने अभी रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में एक पैरा उस खोज के बारे में लिखा है जो हमारी वायु सेना के लिए एक उपयुक्त उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान ढूंढ़ने के लिए जारी है। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि जेट प्रशिक्षण विमान न होने के कारण हमारे कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और इन विमान दुर्घटनाओं में हमारे कई पायलटों की जानें गई हैं। हम प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ नियमित विमानों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिये। प्रशिक्षण के लिए विशेष उन्नत प्रशिक्षण विमान की आवश्यकता है। इन पर धन खर्च होता है। प्रधानमंत्री ने संसाधनों को सावधानी से खर्च करने के बारे में जो कुछ कहा मैं यह उसके संदर्भ में कह रहा हूं। मुझे पता चला है कि ऐसे एक विमान की लागत 50 करोड़ रुपये हो सकती है।

इस समय मंत्रालय के लोगों ने 2 प्रकार के विमान चुने हैं- एक ब्रिटिश और एक फ्रांसीसी। जहां तक फ्रांसीसी विमान का संबंध है, इसका उत्पादन, मेरी जानकारी के अनुसार, पहले ही बन्द हो चुका है। इसका प्रयोग किसी वायुसेना द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब हाक नाम का ब्रिटिश विमान रह जाता है। स्पष्टतया वायुसेना 66 ऐसे विमान खरीदना चाहती है जबकि एक विमान की लागत 50 करोड़ रुपये है। अतः मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए हमने यहां अपने प्रतिवेदन में भी सुझाव दिया है- इस बीच कई विकास हुए हैं; और दस वर्ष बीत गये हैं जबकि हम अभी भी उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की खोज कर रहे हैं-और संभवतया हम कोई नया विमान तलाश कर सकते हैं जिसका इस बीच विकास हुआ हो और हमने सुझाव दिया है कि रूसी उन्नत जेट विमान, प्रशिक्षक विमान पर एक रिपोर्ट है जिसकी कीमत ब्रिटिश विमान से आधी है। हमें बताया गया कि अभी यह प्रारम्भिक अवस्था में है। अभी इसका परीक्षण नहीं किया जा रहा है, अभी इसकी परीक्षण उड़ान नहीं की जा रही है। लेकिन जो पहले ही तैयार हैं और जिनके मामले में 10 साल से बातचीत चल रही है, उनको भी अभी हम अधिग्रहीत करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने सुझाव दिया है कि हमें भी इस रूसी जेट प्रशिक्षक विभाग को अधिग्रहीत करने की संभावना पर विचार करना चाहिये जिस पर दूसरे विमान की अपेक्षा आधी लगात आयेगी। हमने यह सुझाव अमल में लाने की लिए दिया है।

अब मैं आयुद्ध कारखानों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि इन कारखानों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन आयुद्ध कारखानों के कार्य-निष्पादन पर हमें गर्व है। लेकिन मेरे लिए चिंता की बात यह है कि इस क्षेत्र के एक आयुद्ध कारखाने को सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों की तरह रुग्ण घोषित किया जा रहा है और उसे अंतिम निपटारे के लिए औद्योगिक और

वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेजा जा रहा है। ऐसी बात हमारे रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। कानपुर में 'टेफको नाम से एक आयुद्ध कारखाना है जिसे सशस्त्र बलों के लिए बूट और विशेष किस्म के फुटवियर बनाने के लिए स्थापित किया गया था। मुझे अब बताया गया है कि इस कंपनी को रुग्ण समझा जा रहा है और इसे जांच के लिए और अंतिम निपटारे के लिए बी.आई.एफ.आर' को सौंपा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं इस बात की पूरी संभावना है कि बोर्ड यह घोषणा करेगा कि इसे बंद कर दिया जाए। अब मेरी जानकारी यह है कि इस टेफको कंपनी को जानबूझकर रुग्ण बना दिया गया है क्योंकि सचिवों की समिति की जो पहले सिफारिशें की थीं इस कंपनी में बनने वाले बूटों और फुटवियरों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत सशस्त्र सेनाओं के लिए रखा जाए, उन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

इनकी बिक्री सशस्त्र सेनाओं को की जानी चाहिए। लेकिन अब खुले बाजार से गैर सरकारी निर्माताओं से जो खरीदारी की जा रही है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है हालांकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वे प्रसिद्ध फ्लैक्स शूज के निर्माता हैं जिनके बारे में सभी को जानकारी है। हमें कई तरह के जूतों की जरूरत है, उन लोगों के लिए भी जो ऊंचे पहाड़ों पर तैनात हैं, और उनके लिए भी जो रेगिस्तान में तैनात हैं। अतः यह कहकर कि आर्डर पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं या आर्डर मिलने कम हो गए हैं, कंपनी को रुग्ण घोषित नहीं किया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से इस बात पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, जिसकी जानकारी प्रायः आम लोगों को नहीं है, कि टेफको में काम करने वाले 80 से 90 प्रतिशत लोग या तो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या मुसलमान हैं। इस फैक्टरी का संबंध कच्चे चमड़े से है और इसमें ऐसे लोग हैं, जो चमड़े का काम करते हैं। इस कारण इस फैक्टरी के अधिकांश कर्मचारी या तो अनुसूचित जाति के लोग हैं या मुसलमान समुदाय के लोग हैं। यदि इस फैक्टरी को बन्द कर दिया जाता है और इन लोगों का रोजगार समाप्त कर दिया जाता है तो इसके निश्चित रूप से राजनैतिक परिणाम होंगे, जिसकी मैं समझता हूं उन्हें भी निश्चित रूप से चिन्ता होनी चाहिये। अतः यह एक अतिरिक्त तर्क है, जिसके आधार पर मैं आयुद्ध कारखानों को रुग्ण घोषित करने के इस धन्धे का विरोध कर रहा हूं।

महोदय, अन्त में मैं इन शांति सेनाओं के बारे में कुछ कहूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जितनी भी शांति सेनाएं बनाई गई हैं, उनमें प्रायः सदैव एक भारतीय दस्ता होता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं की गिनती विश्व की अच्छी किस्म की सेनाओं में की जाती हैं। व्यावसायिक आचरण की दृष्टि से और अनुशासन की दृष्टि से वे किसी से पीछे नहीं हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिये और यह भी याद रखना चाहिये कि हमारे सैनिक जहां भी भेजे गये उनका उन देशों के स्थानीय लोगों के साथ बहुत ही मानवीय व्यवहार रहा। अभी कुछ दिन पहले एक दस्ता अंगोला भेजा गया है। इससे पहले हमारे सैनिक मोजाम्बीक, सोमालिया तथा अन्य देशों में भेजे गये थे।

निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना दायरा होता है जिसके भीतर इन शान्ति सेनाओं को काम करना होता है और वे उससे हट कर काम नहीं कर सकतीं, परन्तु श्रीलंका में जो हमारी शांति सेना भेजी गई वह एक अपवाद था। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रोजेक्ट नहीं था। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय हुए किसी द्विपक्षीय समझौते के आधार पर भेजी गई थी। भारतीय शान्ति सेना के, जो काफी समय तक श्रीलंका में रही, काफी सैनिक हताहत हुए और इसे वहां के स्थानीय लोगों से कोई समर्थन या सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनसे शत्रुता और बढ़ गई जिनको दबाने के लिए उन्हें भेजा गया था और जिनको सैनिक दृष्टि से वे दबाने में असमर्थ रहे। मेरे विचार से श्रीलंका में शान्ति सेना भेजना दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरह के कामों के लिए सेनाओं को नहीं भेजा जाना चाहिये और उन्हें इस तरह के खतरे में नहीं डाला जाना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी रक्षा तैयारियां ठीक नहीं हैं, हमारी सैनिक शक्ति कम होती जा रही है और लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं चीन के संदर्भ में जो कुछ कहा गया है वह ठीक नहीं, क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध काफी हद तक सुधरे हैं और दोनों देश विकास की समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कमांडरों के समक्ष दिये गये अपने भाषण में कहा है कि चीन के साथ लगे हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में 1993 के समझौते के पश्चात् शांति नहीं है और विशेषज्ञ दल जटिल सीमा विवाद का एक उचित, न्यायसंगत और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। नियन्त्रण रेखा के दोनों ओर कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीन-नया चीन-भारत पर आक्रमण करने की कोई योजना बना रहा है। उनकी बहुत बड़ी सेना हो सकती है और हो सकता है वे अपने सशस्त्र बलों को सशक्त बना रहे हों जैसा कि हम भी यहां करना चाहेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आक्रमण करना चाहते हैं।

पाकिस्तान के साथ दूसरी बात है, यह हम सब मानते हैं, लेकिन हमें किसी तरह की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जैसा कि यहां कहा गया है और जैसी कि अनेक अन्य विदेशी विशेषज्ञों और राजनेताओं की राय है। भारत एक काफी मजबूत देश है और कम से कम दक्षिण एशिया में सब से बड़ी सैनिक शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पर्याप्त हो गया

है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है, लेकिन हमें अपने संसाधनों के भीतर रहकर आगे बढ़ना होगा और अपनी स्वदेशी क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। आमतौर पर दूसरे देशों की ओर देखने, उनसे कुछ खरीदने की प्रवृति रहती है, लेकिन हमारी स्वदेशी क्षमता का जितना उपयोग हुआ है इसका और अधिक उपयोग किया जा सकता है।

मैं समझता हूं हमारे वैज्ञानिकों और प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लोग बधाई के पात्र हैं। बजट प्रावधानों में कोई वृद्धि करने की गुंजाइश है तो यह वृद्धि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मामले में की जानी चाहिये, ताकि वे कुछ कर सकें। इससे 10 या 15 वर्ष बाद हमें काफी लाभ होगा।

अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं हमें कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिये। साथ ही हमें अपने देश के संसाधन बढ़ाने चाहिए और हमें जनता का मनोबल ऊंचा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब कोई युद्ध होता है तो लोगों के मनोबल का बहुत महत्व होता है। पीछे जितने भी युद्ध हुए उन सबमें हमने यह देखा है। अतः हमें अपने लोगों पर, अपनी सशस्त्र सेनाओं पर अधिक विश्वास करना चाहिए और हमें उनकी बेहतर देखभाल करनी चाहिए...तथापि अभी तक मैंने उनकी पेंशन आदि का प्रश्न नहीं उठाया है जो कि मैं उठाना चाहता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ इस मामले में न्याय नहीं हुआ है। उनकी पेंशन में, कम से कम उन सैनिकों की पेंशन में, जो 1986 के पश्चात् सेवानिवृत हुए काफी वृद्धि की जानी चाहिए थी, उनकी पेंशन में वृद्धि नहीं की गई है और वे निराश हैं। हमें विभिन्न सैनिक अधिकारियों की, जो अब सेवानिवृत हो गये हैं, पेंशन में असंगतियों, परस्पर विरोधों और भिन्नताओं और भेदभावों के बारे में हर रोज कई पत्र मिलते हैं। उन्हें अपने आप को जिन्दा रखने और अपने परिवारों को जीवित रखने के लिए बहुत कम राशि मिली है। इस पहलू पर अधिक सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। यह मेरा अंतिम अनुरोध है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस वाद-विवाद में भाग लेने का अर्थ यह नहीं है कि मुझे रक्षा मामलों की कोई विशेष जानकारी है, अपितु मैं इसलिए भाग ले रहा हूं कि मुझे राष्ट्रीय महत्व के इस मामले में अन्य लोगों की तरह दिलचस्पी है।

मैं श्री जसवन्त सिंह की तरह रक्षा व्यय या रणनीति की कोई गणितीय या विश्लेषणात्मक जांच नहीं कर सकता। लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से कतई सहमत नहीं हो सकता कि भारत की कोई रक्षा नीति नहीं है या पिछले 8 वर्षों में हमने अपने सैनिकों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है। मुझे उनकी यह बात भी स्वीकार्य नहीं है कि राजनैतिक रंग में रंगी असैनिक सेवा के कुप्रभाव से सशस्त्र सेना की शुद्धता भी दूषित हो गई है। मैं यह कहता चाहता हूं कि उन्होंने अपनी निर्मल शैली में बहुत ही आडम्बरपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया। परन्तु मैं पूरे आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति के प्रयोग से वास्तव में सशस्त्र सेनाओं को कोई लाभ नहीं होगा।

रक्षा नीति स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबन्ध, वन नीति आदि की तरह एक नीति नहीं हो सकती। यह एक ऐसी नीति है जिसका किसी सार्वजनिक दस्तावेज में उल्लेख नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूं, न ही किया जाना चाहिये।

1962 में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के हमारे ऊंचे आदर्श को बड़ा धक्का लगा। उसके पश्चात काफी समय बीत गया है। इस बीच हमने 1965 और 1971 में दो लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं। 1971 की निर्णायक विजय के माध्यम से हम यह स्पष्ट संदेश दे सके कि हथियारों का प्रयोग करके भारत के शांतिप्रिय लोगों को पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि इससे हमें यह संदेश मिला कि भले ही हमारे सामने बीमारी, निरक्षरता, कुपोषण, जनसंख्या विस्फोट आदि की समस्यायें हों, हमें रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि तब से केन्द्र सरकार रक्षा पर सब से अधिक खर्च कर रही है। पिछले कई वर्षों में रक्षा पर 13 प्रतिशत खर्च किया गया है। संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी रक्षा पर 13 प्रतिशत खर्च करना साधारण बात नहीं है। मैं समझता हूं कि सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों के लिए, संसाधनों या हथियारों तथा अन्य किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिये; किन्तु जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य का हवाला दिया, हमारी अपनी कठिनाइयाँ हैं।

हमने जो आश्वासन दिये हैं। हमने देखना है कि हम उन्हें पूरा करने के लिए कहां तक अपने संसाधनों का सदुपयोग करते है। श्री जसवंत सिंह से इस बात पर मेरा कोई मतभेद नहीं है कि खर्च हुए एक एक पैसे का हिसाब दिया जाना चाहिये और रक्षा पर हमारा व्यय लागत के अनुकूल होना चाहिये। लेकिन यहां मैं देखता हूं—हो सकता है कि इसका प्रयोजन केवल सरकार की आलोचना करना हो—यदि किसी चीज पर अधिक खर्च होता है तो हम आपत्ति करते हैं और यदि ज्यादा खर्च नहीं करते हैं तो भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी रक्षा तैयारी का स्तर ऐसा है कि हमें वास्तव में किसी चीज़ की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा, मैं कहूंगा कि हमारी सैनिक क्षमता, हमारी रक्षा तैयारी और पिछले चार वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आई है, उससे विश्व के लोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के महत्व को समझने लगे है।

परमाणु अप्रसार सन्धि का, जोकि भेदभाव पूर्ण है, हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में भारत का जो स्पष्ट रवैया रहा है, उस पर किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिये। मैं इस सभा में कोई संकल्प पेश किये जाने के सुझाव का विरोध नहीं करुंगा, लेकिन कल श्री जसवंत सिंह की बात सुन कर मुझे हैरानी हुई कि क्या वह वास्वत में परमाणु प्रसार के पक्ष में हैं। यदि मुझे गलती नहीं हुई है तो निसंदेह वह भारत की नीति का समर्थन कर रहे थे और वह चाहते थे कि हम यह भी कहें कि हम परमाणु हथियार बनायेंगे, लेकिन घोषणा करें कि हम सर्वप्रथम उनका प्रयोग नहीं करेंगे। वास्तव में प्रत्येक वह देश जिसके पास परमाणु शक्ति है यही कहता रहा है और वह संघर्ष जारी है। भारत की नीति में यही अन्तर है, जिसकी ओर हम दूसरे देशों का ध्यान दिलाना चाहते है। हमने बार-बार कहा है कि हम परमाणु अप्रसार सन्धि जैसी सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही हमारे सामने विकल्प खुले रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस विषय पर हमारे लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिये और इसके बारे में कोई संदेह व्यक्त करने का हमारे पास कोई अवसर नहीं है। हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और मैं पुरजोर कहूंगा कि कोई बाहरी शक्ति—इस बारे में भी संदेह व्यक्त किया गया था भारत की नीति निर्धारित नहीं कर सकती, कहीं किसी घटना पर भारत की प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं कर सकती।

एक दिन पहले प्रधान मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया कि हम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं 'निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार' शब्दों में रेखांकित करना चाहता हूं। जहां तक कम दूरी वाले जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का संबंध है, हम प्रयोक्ता-परीक्षण की स्थिति से आगे निकल गये हैं। इस पर कल और आज भी टिप्पणी की गई है। हमारी इस उपलब्धि को कल यह कहकर कम महत्व दिया गया कि एक टन क्षमता वाली इस मिसाइल का कोई फायदा नहीं है। पुनः मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इस अवसर पर गर्व होना चाहिये कि हमने इस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र बनाने की अपनी क्षमता दिखाई है। आज जब प्रक्षेपास्त्रों का निरन्तर उत्पादन आरम्भ न करने पर आपत्ति उठाई गई और यह कहने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दी गई एक टिप्पणी से इसकी पुष्टि की गई कि हमारा कार्यक्रम 'अन्डर हाइ़वरनेशन' है अर्थात हमने उत्पादन आरम्भ नहीं किया है तो मेरे लिए उससे सहमत होना भी कठिन होगा। यह देखना हमारा काम है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है और कब जरूरत है। यदि दूसरे लोग इस पर टिप्पणी करते हैं तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये और हमें इस पर बिना वजह कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम अपनी सैनिक क्षमता बनाये रखें, और हमारी सैनिक तैयारी ऐसी हो कि आवश्यकता के समय हम स्थिति का बखूबी सामना कर सकें।

महोदय, हम अपने संभावित शत्रु से किसी चुनौती का सामना करने के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं, नियमित रूप से अपनी सेनाओं का आधुनिकरण करते रहते हैं। मैं समझता हूं, इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। जहां तक हमारे प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का सम्बन्ध है, उन्होंने इस तथ्य के बावजूद सराहनीय काम किया है कि उन्हें जितने संसाधन उपलब्ध होने चाहिये उतने संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं भी इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों तथा देश के अन्य नागरिकों की तरह अपने उन वीर सिपाहियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी सीमाओं पर पूरी सतर्कता बनाये रखी है, हमारे देश की क्षेत्रीय अखडण्ता की रक्षा की है और देश में आशावाद की नई भावना का सृजन करने में काफी योगदान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में अपने योगदान के लिए हमारी सेना की काफी सराहना हुई है।

यद्यपि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भारतीय शांति सेना की केवल एक अपवाद की संज्ञा दी, मुझे कुछ कटौती प्रस्ताव देखकर आश्चर्य हुआ जिनके बारे में विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने सूचनायें दी हैं और उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के शाति प्रयासों में भी हमारी सेना के योगदान की आलोचना की है। मैं नहीं समझता कि ऐसे विचार रखने वाल दूसरे विपक्ष के माननीय सदस्य भारत को विश्व समुदाय से वास्तव में अलग–थलग करना चाहते हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथापि किस मामले में हमने भाग लेना है और किस में नहीं इसका फैसला हमने प्रत्येक मामले के गुणदोष के आधार पर करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है और हमें इस बात का गर्व होना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का ध्यान रखते हुए हमने ऐसे प्रयासों में भाग लिया है।

रक्षा एक ऐसा विषय है जिसके कुछ पहलुओं को विवाद से परे रखा जाना चाहिये। मैं बड़े आदर से यह कहना चाहता हूं कि हम रक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जो बातें कहते हैं। उनके पीछे हमारी कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं होनी चाहिये।

महोदय, श्री जसवंत सिंह ने, जो एक प्रतिष्ठित भूतपूर्व सैनिक तथा इस सभा के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भिन्न धारणाओं के राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने में हमारी क्षमता पर हानिकारक प्रभाव होने का उल्लेख किया। मैं उनके इस कथन का स्वागत करता हूं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही वरिष्ठ प्रतिनिधि मानते हुए, मैं भारतीय जनता पार्टी में इस परिवर्तन का भी स्वागत करता हूं। अब तक संघ परिवार द्वारा हिन्दुत्व कि

आक्रामक और घृणित दावों से हमारे शासनतंत्र पर कुप्रभाव पड़ा है और जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है, इससे हमारी सेनाओं के मनोबल तथा राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने हमारी क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा है। विगत में हमारे देश के विभिन्न भागों में जो हिंसा हुई और जिसका हमारी सशस्त्र सेनाओं पर भी दवाब पड़ा। उसे रोका जा सकता था यदि हम इस बात में विश्वास रखते कि भारत सभी भारतीयों का है चाहे उनका धर्म, पंथ या पूजा शैली जो भी हो। महोदय, मुझे श्री जसवंत सिंह जी की टिप्पणी से प्रोत्साहन मिला है और मुझे आशा है कि उनके साथी इस बात को लेकर उनको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे।

महोदय, संभवतया सरकार की आलोचना करने के उद्देश्य से हम एक और पहलू पर परिणामों की ओर ध्यान दिये बिना अपनी टिप्पणी करते हैं और पहलू है सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध उपकरण और इस संदर्भ में हम बोफोर्स का हवाला देते हैं। गिरिजा देवी ने बोफोर्स प्रेत का हवाला दिया। महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि विपक्ष के मेरे मित्रों को यह प्रेत अभी भी क्यों सताये हुए है। पहले हमारे जवानों को और देश के आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया कि बोफोर्स तोप ऐसी तोप नहीं है जो बहुत ही अच्छी हो। मुझे प्रसन्नता है कि वैसा आज नहीं कहा गया है। लेकिन जब हम यह जानते हुए ऐसे मामले उठाते हैं कि भारत सरकार ने इन वर्षों में, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो। या गैर-कांग्रेस सरकार हो, इस मामले में तथ्यों का पता लगाने और रिश्वत पाने वाले लोगों के नामों का पता लगाने का पूरा प्रयास किया है तो इससे सशस्त्र सेनाओं में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में संदेह पैदा होगा और हमें रोकना होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान खरीदने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए ऐसे विमानों की लागत का भी उल्लेख किया और एक ऐसे विमान का सुझाव दिया जो हमें आधी कीमत पर मिल सकता है। बोफोर्स के मामले में भी वास्तव में यही हुआ। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, निस्संदेह उस समय उपलब्ध यह सबसे सस्ती तोप भी और बड़ी सौदेबाजी के बाद इसे प्राप्त किया गया। महोदय, कई बार हमें कुछ निर्णय ऊपर के लोगों पर छोड़ने पड़ते हैं और यदि हम बार-बार इन चीजों की बात करते रहेंगे तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा।

महोदय, मैं वास्तव में इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे वास्तव में उस रिपोर्ट ने प्रेरित किया जिस का कुछ माननीय सदस्यों ने अभी हवाला दिया और जो सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों के बारे में है। महोदय, मुझे याद है मैं 1962 में विद्यालय में पढ़ता था। उस समय बड़ी संख्या में होनहार हृष्ट-पुष्ट छात्रों की पहली पसन्द सशस्त्र सेनायें थीं। आज हम देखते हैं कि सेवा चयन बोर्डों में 80 प्रतिशित लोग ऐसे जाते हैं, जो और कहीं सफल नहीं होते। आज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जीवन में धन की भूमिका को देखते हुए एक युवक सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होने की अपेक्षा दूसरी श्रेणी की कोई नौकरी प्राप्त करना बेहतर समझता है। रक्षा सेवाओं में अब मोह या साहस की झलक दिखाई नहीं देती। देश के लिए लड़ना और मरना तथा अपने जीवित बच्चों और युवा विधवा औरतों को शत्रुता पूर्ण भौतिकवादी दुनिया की दया पर छोड़ देना ये सभी ऐसी बातें हैं जो अब युवकों को सेनाओं में भर्ती होने की प्रेरणा नहीं देतीं।

आज किसी का रुतबा इस बात पर आधारित है कि उसकी जेब में कितना रुपया है और यही बात ध्यान में रखकर युवक अपना रास्ता चुनता है और स्पष्ट रूप से वह बैंकिंग, होटल प्रबन्ध, बड़े निगमों, सरकारी क्षेत्र और असैनिक सेवाओं को सशस्त्र सेनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है।

रक्षा सेवाओं में सेवा करने से आज क्या लाभ है? एक अस्थिर जीवन, कठिन जीवन यापन, युद्ध का जोखिम, शीघ्र सेवानिवृत्ति तथा अन्य कहीं रोजगार मिलने की बहुत कम संभावना। पुलिस या सिविल सेवाओं में 20 वर्ष की सेवा के बाद पदधारी एक ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है लेकिन सशस्त्र सेनाओं में वह लेफ्टीनेन्ट कर्नल ही बन पाता है और उसके पश्चात वह सेवानिवृत हो जाता है।

इसके बारे में कुछ करना होगा। रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए हमें सूक्ष्म हथियारों की जरूरत है और श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी के अनुसार एक विमान की लागत 50 करोड़ रुपये है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे अधिकारियों की भर्ती नहीं कर सकते जिन्हें बेरोजगारी के कारण वायुसेना, थलसेना या जल सेना में भर्ती होना पड़ता है इन परिस्थितियों में हम दूसरे दर्जे के युवकों की भर्ती नहीं कर सकते। जैसा कि सेना के एक प्रतिष्ठित जनरल ने कहा है, हमें सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रथम दर्जे के युवकों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें उनकी सेवा शर्तों, वेतन, आवास, में काफी सुधार करने चाहिये और अर्द्ध-सैनिक बलों, राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल आदि से जवानों की सेनाओं में भर्ती करनी चाहिये जवानों को पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ देने चाहियें, युद्ध विधवाओं की पेंशन बढ़ानी चाहिये। इन सभी पहलुओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सैनिक सेवानिवृत होते है तो उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। उनकी इतनी कम आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है कि कई बार उनके बच्चे स्कूली शिक्षा ही प्राप्त कर रहे होते हैं। हम सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में तो उन्हें एक पृथक वर्ग समझते हैं लेकिन जब वे एक रैंक एक पेंशन की बात करते हैं तो हम उन्हें एक वर्ग मानने को तैयार नहीं हैं।

अन्य माननीय सदस्यों की तरह मैं भी कहूंगा कि हमें उन्हें एक पृथक वर्ग मानना चाहिये, उन्हें एक वारगी पेंशन देनी चाहिये और अन्य सेवाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये। हमें समझना चाहिये कि हम रक्षा सेनाओं के ऋणी हैं। हमें समझना चाहिये कि यह मांग कितनी सही है और हमें यह भी समझना चाहिये कि पेंशन में एक बार वृद्धि के बारे में हमने कुछ समय पूर्व जो कार्यवाही की भी वह इस मांग का वास्तव में कोई विकल्प नहीं है।

एक भूतपूर्व सैनिक की शिकायत यह है कि अन्य लोगों का जो कानून बनाते हैं, उनके प्रति अनुचित व्यवहार है अथवा उसके कैरियर सम्बन्धी कानून ऐसा है कि सक्रिय सेवा में कार्यरत सैनिकों के मनोबल पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और श्री जसवंत सिंह ने जा इसके बुरे प्रभाव की बात की है उसका अर्थ यही है तो मैं उनसे सहमत हूं। इससे सेवारत लोगों, देश की आजादी और सुरक्षा की रक्षा करने और इसकी एकता तथा अखण्डता बनाये रखने में लगे लोगों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मैं इस पहलू पर जोर देना चाहता हूं।

अन्त में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हमें देश के हित में इन मसलों पर विचार करना चाहिये। आज प्रातः फासीवाद की पचास वर्ष पूर्व पराजय का हवाला दिया गया था। मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि उन पुराने सिपाहियों को जिन्होंने पचास वर्ष पूर्व हमारे लिए लड़ाई की, आज बहुत कम पेंशन मिल रही है अर्थात, उन्हें केवल 300 रुपये प्रतिवर्ष मिल रहे हैं यह स्थिति तब है जबकि सरकार अन्यथा साधारण जनता के लिए उपाय के रूप में 100 रुपये प्रतिमाह की दर से बूढ़ों और विधवाओं को पेंशन दे रही है। हमें युद्ध में भाग लेने वाले अपने पुराने सिपाहियों की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 200/ रुपये प्रति माह क्यों नहीं कर देनी चाहिये। मैं ये सुझाव माननीय मंत्री के समक्ष सरकार के विचारार्थ रखना चाहूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय सैनिकों का जो पूर्व इतिहास रहा है, वीरता की गाथाएं हैं, उन वीर सैनिकों के रहते हुए हमें कोई शंका नहीं है कि हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन इसके साथ साथ अपने पड़ौसी देशों और उनके साथ अपने संबंधों तथा उनकी नीयत को देखते हुए हमें अपने सैनिकों को भी वैसे ही हथियार उपलब्ध कराने होंगे, आधुनिक हथियार देने होंगे, उनका मारेल ऊंचा रखना होगा, उनका सम्मान करना होगा, ताकि नौजवान सेना में आने के लिए लालायित रहें। मैं पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूं, पिछली बार भी रक्षा मांगों पर बोलते हुए मैंने कहा था और आज भी दोहराना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तो देखता था कि सेना के अफसर या अन्य लोग अपने बच्चों को भी सेना में भेजना चाहते थे, क्योंकि उनका एक सम्मान होता था, उनको स्वाभिमान का जीवन जीने का अवसर मिलता था, देश की रक्षा करने के लिए वे आपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते थे, अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार रहते थे, पीछे नहीं हटते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग सेना में आने से मुंह मोड़ने लगे हैं, अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं। मेरे नेता ने इस विषय पर विस्तार से कहा है, इस बारे में हमको निश्चितरूप से विचार करना होगा, ताकि लोगों का आकर्षण थल, नभ, जल सेना की ओर पैदा हो, लोग सेना में आने के लिए लालायित हों, उनको पूरा सम्मान मिले, अवकाश प्राप्ति के बाद पूरा सम्मान मिले, इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। मैं इस विषय में विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदय, हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान से जो हमारे संबंध हैं, चीन के साथ जो संबंध हैं, कश्मीर में पाकिस्तान का जो सीधा दखल हो रहा है, घुसपैठ का प्रयत्न चल रहा है, नार्थ-ईस्ट में जो स्थिति है, इन सारी बातों पर विचार कर सेना को माडर्न हथियार उपलब्ध कराने होंगे, शत्रुओं के हथियारों की जानकारी रखनी होगी और उनके अनुसार अपनी सेना को सुसज्जित करना होगा। इसके लिए—

[अनुवाद]

हमें उनके साथ समानता बनाये रखनी होगी जिनके साथ हमारा युद्ध हो सकता है।

[हिन्दी]

अब इसमें 2-3 परिस्थितियां बनती हैं या तो पाकिस्तान से पूर्ण युद्ध और तिब्बत के माध्यम से चीन का उसके साथ सहयोग तथा देश के अंदर कश्मीर तथा नार्थ-ईस्ट में हस्तक्षेप, जिसको इन्सरजेंसी कहते हैं, इन सब चीजों का हमको मुकाबला करना होगा और अपनी सेनाओं को सक्षम बनाना होगा, सेनाओं को पर्याप्त हथियार देने होंगे। एक दूसरी परिस्थिति आ सकती है कि चीन के साथ पूर्ण युद्ध हो।

4.00 म.प.

और पाकिस्तान उनकी सहायता करते हुए हमको कुछ परेशानी में डाले और देश के भीतर की इन्सरजेंसी, कश्मीर के भीतर पाकिस्तान द्वारा भेजे जा रहे नियमित जो घुसपैठिये हैं, जो हमारे देश में समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है और हथियार भी उनके द्वारा दिये जाते हैं और फिर उन लोगों को कश्मीर में भेजकर हमारे लिए समस्याएं पैदा की जाती हैं।

चौथी स्थिति है, जो हमारे पड़ौसी देश हैं। श्रीलंका है, मालदीव है, इनके साथ जो हमारे संबंध हैं जिसमें हम लोगों को भेजकर देखते रहें कि कुछ हो तो नहीं रहा है, इन सब बातों के संदर्भ में देखना पड़ेगा कि इन देशों के पास किस तरह के आधुनिकतम हथियार है। पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। हिव-1, हैव-2 और एम-11 जो न्यूक्लीयर वार-हैड भी लिए चल सकता है। यह भी उनको चीन से प्राप्त हो गया है। डॉ. कलाम बैठे हैं मैं उनको अपनी तरफ से और देश की तरफ से कम्प्लीमेंट्स भी देना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा अभूतपूर्व कार्य देश में किया है। अभी जैसे जसवंतसिंह जी कह रहे थे।

[अनुवाद]

उत्पाद सिद्धान्त से पहले आ गया है और यह सही है।

[हिन्दी]

आज हमारी स्थिति यह है कि हम दूसरे देशों के दबाव में आकर पृथ्वी को डिपलॉए नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में तो वे सूचनाएं संवेदनशील और सुरक्षित सूचनाएं होती हैं चाहे हम स्टेंडिंग कमेटी डिफेंस के मैम्बर हों, लेकिन अनेक ऐसी सूचनाएं हमको नहीं दी जातीं। कहा यह जाता है कि ये सूचनाएं गोपनीय किस्म की हैं। लेकिन वही गोपनीय सूचनाएं विदेशी समाचार-पत्रों में अनेक बार छप चुकी हैं, जब भारत की सीमाओं के पास ये मिसाइल्स डिपलॉए किये गए हैं तो हमारे पास जो हथियाए रखे हैं उनको डिपलॉए करने में हमें क्या संकोच है। पृथ्वी का हमने निर्माण किया है, इसका और निर्माण होना चाहिये। जैसे इंद्रजीत जी कह रहे थे।

[अनुवाद]

यह हाइवरनेशन और एनोमेशन में चला गया है।

[हिन्दी]

ऐसे काम नहीं चलेगा। जो हमारे पास है उसको डंके की चोट पर हमको कहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। हमें अपनी सेनाओं को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना होगा जिससे उनका मनोबल ऊंचा हो। जो आउट-ले डिफेंस के लिए है मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। 25500 करोड़ रुपये जो पिछले वर्ष और रिवाइज्ड इस्टीमेट के हिसाब से 23544 करोड़ रुपये था। देखने में लगता है कि बढ़ गया है लेकिन रेट ऑफ इन्फलेशन पिछले साल जो बढ़ा वह 11 परसेंट है और जो बढ़ोत्तरी पिछले साल के रिवाइज्ड इस्टीमेट से इस बार है यह लगभग 8.3 आती है। हमारे पास जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं जिनका रिप्लेनिशमेंट होता है जिनमें 70 परसेंट पूर्व यू.एस.एस.आर. से आए हुए हैं। उसके टुकड़े होने के बाद कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई है। पहले हमको उधार मिलता था लेकिन अब हमको नगद देना पड़ता है। मेरा मानना यह है कि देखने में तो रक्षा मंत्रालय के अनुदान में वृद्धि हुई है लेकिन यह नगण्य है और पहले से कम है। यह बराबर नीचे जा रही है। DRDO के ऊपर हम क्या खर्च कर रहे हैं? सौभाग्य से हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विश्व-स्तर के हैं और उन्होंने इन सीमित साधनों के अंदर जो कर दिखाया है वह कोई करके नहीं दिखा सकता। मेरी मांग है कि DRDO को जो अलोकेशन है।

[अनुवाद]

यह रक्षा बजट का 10 प्रतिशत होना चाहिये।

[हिन्दी]

वर्तमान में साढ़े पांच परसेंट है, इससे काम नहीं चलेगा। हमने अपने आधुनिकीकरण के लिए जो अलोकेशन किया है।

[अनुवाद]

मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा समय सीमित है। मैं एक या दो विषयों पर संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

जो हमने रखा है डी.आर.डी.ओ. के ऊपर जो हमने साढ़े पांच परसेंट रखा है उससे जो हमारी प्रायोरिटीज हैं और जो हमने करना ही करना है। मेरा अनुमान है और अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान है। कि इसमें केवल 60 प्रतिशत जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम फाइनेंस कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थितयों में देश के ऊपर जो संकट अंदर और बाहर से है, उसको देखते हुए मेरी मांग है कि डिफेंस का आऊटले निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। यदि हम अपनी सेनाओं को ठीक ढंग से आधुनिक बनाना चाहते हैं, उनको रिइक्विप करना होगा और उनके मोरल को बरकरार रखने के लिए उनको सुविधाएं देनी होंगी। पड़ौसी देश चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, वे अपने डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए खर्च करते हैं, वह हमसे दो-चार गुना ज्यादा है। जो भी रास्ता दिखाई देता है वहां से वे आधुनिकतम हथियार लेते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य सदा भारत के ऊपर टेढ़ी नजर रखना ही है। अब तक का इतिहास इस बात का साक्षी है। भले ही हम कितना भी दूसरों के साथ मैत्री भाव रखें। अभी इन्द्रजीत जी बोल रहे थे कि चीन से कोई खतरा नहीं है। चीन ने जो 1962 में आक्रमण किया था, उनके नेता यहां आये थे तो "हिन्दी-चीनी भाई-भाई" का नारा लगाने के लिए हमने स्कूल्स से बच्चों को लाकर सड़कों के किनारे खड़ा किया था। हम अनजाने पकड़े गये हमें धोखा दिया था और उसके आधार पर प्रधानमंत्री नेहरू जैसा व्यक्ति उस झटके को, धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और समय से पहले वह हमारा

साथ छोड़कर चले गये। इसलिए हमें किसी भी शब्दों से और किसी भी भावना से काम नहीं लेना होगा। मेरा स्पष्ट मत है कि जब भी मौका लगेगा इन सभी देशों में से कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमें परास्त करेगा और हमारी भूमि को हड़पने में संकोच अनुभव नहीं करेगा। इसलिए हमें अपनी सेनाओं को निश्चित रूप से धन और आधुनिक हथियारों से सज्जित करना ही होगा। इसके लिए धन की आवश्यकता है तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और यह बढ़ना चाहिए। रक्षा मंत्रालय के लिए जो हम अनुदान बजट में करते हैं यह प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत अपने आप बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि जो हम बढ़ाते हैं, इन्फलेशन बढ़ती है और बाहर से लाने वाले सामान की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए लगता है कि कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वह कम ही बढ़ता है। उस पर हम हर साल 55 हजार लोगों को सेवानिवृत्त करते हैं और उनकी पेंशन का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता है। मेजर सावंत भी यही बोल रहे थे, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आप आर्मी को जवान रखिये। हमें लोगों को जल्दी रिटायर करना होगा, यह ठीक है। क्योंकि पैदल सेना है, 35-40 साल की उम्र के बाद आदमी में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वह इतना शारीरिक श्रम कर सके। लेकिन इस प्रकार जो बोझा बढ़ता जा रहा है, जो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है, मेरा सुझाव है कि उनको दूसरी पैरा-मिलिटरी में रखिये। उनकी सेवायें वहां स्थानांतरित कीजिये। उनको भी प्रशिक्षित लोग मिलेंगे, उनकी भी योग्यता बढ़ जायेगी और आप पर भी पेंशन का जो दायित्व है, वह नहीं पड़ेगा। यह आपको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

अभी इस पर एक राय है, 12 तारीख को बैठक होने वाली है, जसवंत सिंह जी ने कहा था कि एनपीटी के ऊपर सदन को प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जैसा कि हमने कश्मीर के ऊपर एकमत से प्रस्ताव पारित किया था। एक संदेश भेजना चाहिए कि देश क्या चाहता है। हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ऊपर अंकुश लगाया जाये और दूसरे लोग उसमें स्वतंत्र रहे। यह इस विश्व में नहीं चलेगा। यह संदेश भारत से स्पष्ट और ऊंची आवाज में जाना चाहिये। इसलिए एक यूनेनिमस निजोलुशन पास होकर सदन से जाये। कल तक सरकार इस पर विचार कर ले और इसको भेज दे।

हमारे पास दो-तीन प्रोजेक्ट बहुत दिनों से लम्बित पड़े हैं। एक एडवांस लाइट हैलिकाप्टर है। मुझे बंगलौर में एच.ए.एल. में जाने का अवसर मिला था। वहां मैंने बातचीत की और यही पता चला कि प्रोटोटाइप बन चुके हैं, ट्रायल हो चुका है।

[अनुवाद]

हमें इसकी बड़ी मात्रा में उत्पादन करना चाहिये। पेरिस एयर शो में इसका प्रदर्शन किया गया है और संभवतया अगले महीने फिर हमारा एयर शो होगा।

[हिन्दी]

एडवांस जेट ट्रेनर के बारे में कहूंगा, विस्तार से कहा जा चुका है। इसमें हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, उसमें दो आये हैं, एक है ब्रिटिश हॉक और दूसरा फ्रेंच एल्फा जेट आया है।

अल्फा जेट के बारे में यह संभावना है कि वह उपलब्ध हो पायेगा या नहीं? एक सुझाव और भी है क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है और 50 करोड़ रुपये है, इसलिये एक रशियन ट्रेनर जिस पर विचार किया जाना चाहिये। इसमें हमें बड़ी संख्या में 66 की आवश्यकता पड़ेगी। मेरी मांग है कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र काम करना पड़ेगा। एल.सी.ए. प्रोजेक्ट पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। जब रक्षा मंत्रालय की या पी.ए.सी. की बैठक होती है तो उसके आधार पर कह रहे हैं कि सन् 2003 तक ऐसी आशा है कि यह उड़ेगा। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग गया। इनीशियल जब इसका प्लान किया गया था तो इसकी कॉस्ट और सन् 2003 तक की कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एक टाईम बांड प्रोग्राम होना चाहिये। इसमें निश्चित रूप से अन्य कारण रहे होंगे। एक कारण धनाभाव और दूसरे धन के आबंटन कारण रहे होंगे जिसके कारण निर्माण नहीं कर पाये हैं, इसमें शीघ्रातिशीघ्र काम होना चाहिये। एम.वी.टी. अर्जुन हम कम्पलीट कर पाये हैं। ट्रायल रन चल रहे हैं। मैंने भी देखा है। अभी इंडिजनस अप-ले का बनाया हुआ कम्पोनेंट है, उसका प्रतिशत बढ़ाकर और ऊपर जाना चाहिये और यह काम डी.आर.डी.ओ. का है, लेकिन उसे जितने धन की आवश्यकता पड़े, उतना दिया जाना चाहिये वह इसमें सक्षम है।

सभापति महोदय, कुछ वर्ष पूर्व यह सोचा गया था कि सेनाओं को देश की आन्तरिक समस्याओं, आन्तरिक विद्रोह या दंगों में जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्थिति पर काबू पाने में असमर्थ होता है तो आर्मी को बुला लेते हैं, इसी बात को देखते हुए यह तय किया गया था कि आर्मी का इस तरह से उपयेाग न हो, एक राष्ट्रीय राईफल्स को रेज किया गया था। यह अच्छा काम है लेकिन इसका पूरा भार रक्षा मंत्रालय के ऊपर है। यह गृह मंत्रालय के अन्तर्गत होना चाहिये था। इसलिये मेरी मांग है कि राष्ट्रीय राईफल्स का फंड डिफेंस बजट से अलग होना चाहिये। डी.आर.डी.ओ को जो एलोकेशन करते हैं, वह रक्षा बजट में सम्मिलित नहीं होना चाहिये। रिसर्च वर्क का बजट भी एक अलग मद में होना चाहिये। जब हम 25 हजार 500 करोड़ बोलते हैं इसमे डी.आर.डी.ओ., रिसर्च वर्क, राष्ट्रीय राईफल्स शामिल हैं, ऐसा क्यों है? देखने में तो यह बड़ा लगता है लेकिन इसके अन्तर्गत जो काम आते हैं, इसके निश्चित रूप से अलग मद में जाना चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है। राष्ट्रीय राईफल्स का काम गृह मंत्रालय को देखना चाहिये, इसका रक्षा मंत्रालय से कोई मतलब नहीं होना चाहिये। मेरा स्पष्ट मत है क्योंकि मुझे सेना में रहने और लड़ने का अवसर प्राप्त हो चुका है और मैं जानता हूं कि सेना

में काम करने वाले लोगों के प्रति देश की जनता का कितना सम्मान होता है? यह ठीक है कि सम्मान दो तरह का होता है। जब देश पर लड़ाई होती है तो सैनिक अपना जीवन देने के बाद देश को सुरक्षित रखते हैं और हम राजनीतिज्ञों को यहां घर बैठे हुये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने माता-पिता को छोड़कर जाता है। सीमाओं पर उसका बलिदान हो जाता है उस समय वे वार हीरोज कहलाते हैं। जिधर से निकलते हैं उनके गले में मालायें डाली जाती हैं, लोग उनका पशस्ति गान करते हैं। और जब लड़ाई समाप्त हो जाती है तो उसको कोई देखता नहीं है। तो इस तरह देश के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आर्मी को डैप्लाय किये जाने के सख्त विरोध में हूं और मैं मांग करता हूं कि सेना को इससे मुक्त किया जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि जब हम देश में डैप्लायमेंट करते हैं तो इससे दो नुकसान होते हैं। हम अपनी सेना को निर्देश देते हैं कि सीमा पर शत्रु से लड़ते हुए उसकी कोई गोली खानी नहीं जानी चाहिये और गोली चले तो शत्रु मरे, लेकिन जब देश में दंगे हो जाते हैं और आर्मी को डैप्लाय किया जाता है तो हम कहते हैं कि गोली चले, उसकी आवाज हो लेकिन आदमी के आसपास से गुजर जाये, व्यक्ति डर जाये लेकिन मरे नहीं। यह प्रकृति का दोष है। जहां-जहां आर्मी की जरूरत से ज्यादा इनवाल्वमेंट हो रहा है, वहां जनता में सम्मान में कमी आ रही है। इसलिये मेरी मांग है कि एक तो एड टू सिविल पॉवर में इनका कम से कम उपयोग हो क्योंकि हमारे पास अन्य फोर्सेज हैं जैसे बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. तथा अन्य फोर्सेज इन सबका प्रयोग होना चाहिए। प्राकृतिक विपत्तियों में जब सेना प्रयोग में लगायी जाती है, जैसे बाढ़ आ गई या कहीं आग लग गई, तो उस प्रकार सेना के साधनों का उपयोग देशवासियों के लिए होना चाहिए। लेकिन जब इनका इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होता है तो उनको गृह मंत्रालय द्वारा भुगतान नहीं किया जाता। अभी तक जब कभी भी सशस्त्र सेनाओं का उपयोग हुआ है, उन सबके बकाया गृह मंत्रालय के पास पड़े हैं। पेमेंट हम इस बजट से करते हैं और इनका उपयोग अन्य कामों के लिए होता है। यह उचित नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए और जो पैसा गृह मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है वह उनसे वसूल किया जाना चाहिए।

सभापति जी, केण्टोनमेण्ट के बारे में विशेष चर्चा नहीं करूंगा। केण्टोनमेण्ट हमारे यहां ब्रिटिशर्स के जमाने के हैं। आज ये अपने औचित्य को और अपने उद्देश्य को समाप्त कर चुके हैं। पहले केण्टोनमेण्ट में हम प्रवेश करते थे तो जल्दी से घुस नहीं पाते थे, और आज केण्टोनमेण्ट बीच में पड़ता है और दोनों तरफ शहर बसा होता है और बराबर लोगों का आवागमन वहां से होता रहता है। वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उस क्षेत्र में रहने वाले जो सिविलियन्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और जो सरकारी अधिकारी हैं, उनसे केण्टोनमेंट में कोई कर नहीं लिया जा सकता, ऐसा केंन्द्र सरकार का निर्णय है। उनकी आमदनी के साधन सीमित हैं। आय के स्रोत सीमित होने के बाद उन लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी तरह से नहीं हो पाता। अभी दो-तीन दिन पहले मैं कानपुर में था। रक्षा सचिव श्री नाम्बियार ऑफिशियल गैलरी में बैठे हैं। रक्षा मंत्रालय के कुछ प्रतिष्ठान कानपुर में हैं। अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मंत्री जी मेरी बात सुधार सकते हैं। वहां जो आंकड़े दिये गए हैं, उनमें चार करोड़ रुपया कानपुर केण्टोनमेंट का इन रक्षा प्रतिष्ठानों पर कर का बकाया है। जब वह नहीं दे रहे थे तो रक्षा सचिव को उसमें इंटरवीन करना पड़ा था और उस इंटरवेन्शन के द्वारा यह हुआ है कि जल्दी से जल्दी इसका भुगतान हो। मेरा सुझाव है कि इसमें जो आवश्यकता से अधिक भूमि पड़ी हुई है, जिसमें अन्यान्य लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, निर्माण कर रखे हैं, ऐसे भूखण्डों को जिनका भविष्य में प्रयोग न हो, विकास प्राधिकरणों को दे दें जिससे इनकी आय के स्रोत बनें और नागरिकों को केण्टोनमेण्ट में जो सुविधाएं मिलनी चाहियें, वह भी मिलें। यहां मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे नियम हैं कि किसी भी भवन की ऊंचाई एक सीमा तक निश्चित रहेगी क्योंकि उससे ज्यादा ऊंचा बनने से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। कानपुर में एक बिल्डिंग बन रही थी। उस बिल्डिंग के ऊपर कोई आदमी चढ़कर दूरबीन लगाकर देखे तो चकेरी में बना वायुसेना का एयरोड्रोम देख सकता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यह सिक्यूरिटी रिस्क है। जब वहां के केण्टोनमेण्ट अधिकारियों को कहा गया तो उन्होंने अपनी असहायता प्रकट की। वहां पर ऊंची मीनार धार्मिक स्थान के नाम पर बन रही है। वह मन्दिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, कोई भी धर्म आड़े नहीं आना चाहिए, जिससे हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। हमें एक होकर उसका विरोध करना चाहिए। मैं इंगित करना चाहता हूं कि ऐसा एक निर्माण वहां हो रहा है।

भूतपूर्व सैनिकों के विषय में कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब लगभग 35-40 की उम्र में वह अवकाश प्राप्त करके घर जाते हैं तो उनके बच्चे छोटे होते हैं। उन्होंने जीवन अनुशासन में रहकर बिताया होता है, देशभक्ति का पाठ पढ़ा होता है। बेईमानी उनकी रगों में नहीं होती है। जब वे सेना से बाहर जाते हैं तो बेईमानी से भरा हुआ भ्रष्ट समाज उनको मिलता है। वह पेंशन लेने के लिए जाते हैं तो उनको वहां भी पैसा देना पड़ता है, ऐसी मेरी जानकारी है। किसी काम से किसी कार्यालय में जाते हैं तो बिना पैसे के फाइल मूव नहीं होती है। ऐसा स्वभाव इस देश के लोगों का बन गया है। वह ऐसे हालात से सामंजस्य नहीं कर पाते हैं। हमें जहां इन अनुशासित लोगों के पुनर्वास की चिन्ता करनी चाहिए, वहीं हमें इस बात की चिन्ता भी करनी चाहिए कि उस क्षेत्र में उनके लिए बड़ी योजनाएं बनी हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका लाभ उन लोगों को नहीं पहुंच रहा है। जैसे मैं

उल्लेख कर रहा हूं कि सेना में रहते हुए कोई भी आदमी कहीं पोस्टिंग पर है और वहां अधिकारियों से कहकर वह फायरआर्म्स का लाइसेन्स ले, जैसे कानपुर का रहने वाला चण्डीगढ़ में था। वहां उसने ऐप्लाई किया और उसको लाइसेन्स मिल गया। प्रति वर्ष रैन्यूअल के लिए कानपुर के जिला प्रशासन के लोग चण्डीगढ़ से उसका वैरिफिकेशन मंगाते हैं और उसके बाद रैन्यू करते हैं। इसमें पांच-छह महीने लग जाते हैं।

जब वह सेना में था तो अपना घर किराए पर दे दिया था लेकिन अब उसे जरूरत होगी। इसलिए वह मकान विशेष प्रावधान के अंतर्गत खाली होना चाहिए, जिससे उसको किराए पर नहीं रहना पड़े। इसके लिए उसको लीगल सहायता की आवश्यकता है। इनको चिकित्सा की सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं हैं। इनके बच्चों को इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में व दूसरे अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों में प्रवेश मिलना चाहिए हालांकि उनके लिए एक निश्चित मात्रा में आरक्षण निश्चित है लेकिन उसको बढ़ाया जाना चाहिए।

हमें सेना का मोरल ऊपर रखने की आवश्यकता है और उनकी फाइटिंग एबिलिटी को अपने पड़ौसी देशों के समकक्ष रखना है। वर्तमान में जो प्रावधान हैं ये बहुत ही नगण्य है इसलिए मेरी मांग है कि इनको बढ़ाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस अनुदान मांग का समर्थन नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

मेजर जनरल आर.जी. विलियम्स (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। आरम्भ में मैं अपनी रक्षा सेनाओं की भूरी-भूरी सराहना करना चाहता हूं जिनको विश्व भर में एक बहुत ही सक्षम तथा समर्पित और वर्तमान उपकरणों की सीमाओं के भीतर व्यवसाय की दृष्टि से एक सर्वोत्तम लड़ाकू सेना माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दूसरे देशों में शान्ति बनाये रखने के लिए भेजे गये मिशनों में उनकी जो अनुकरणीय भूमिका रही है उससे उनकी छवि और बढ़ी है और राष्ट्र का सम्मान तथा प्रतिष्ठा ऊंची हुई है। हमारी रक्षा सेनाओं ने राष्ट्रीय आपदाओं के समय और राजनैतिक अशान्ति के समय कानून और व्यवस्था बनाये रखने में अनमोल सहायता दी है।

मैं रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती का स्वागत करता हूं और उनकी योग्यता तथा समर्पण की भावना पर उनको बधाई देता हूं। मैं प्रायः रक्षा उपकरणों पर ही विस्तार से बोलने का प्रयास करूंगा जो तेजी से उन्नत हो रही प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक विश्व में किसी भी लड़ाकू सेना की रीढ़ की हड्डी होते हैं। समय बीतने के साथ-साथ रक्षा सेवायें अधिकाधिक उपकरणपरक बनती जा रही हैं। जैसा कि बताया गया है, हमारे क्षेत्र में सुरक्षा पर्यावरण में कोई सराहनीय सुधार नहीं हुआ है। और हमारे संभावित शत्रु द्वारा नवीनतम सूक्ष्म हथियार, शास्त्र प्रौद्योगिकी खरीदे जाने का और सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण किये जाने का सिलसिला जारी है, जो सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए चिरकालिक चिन्ता का विषय है।

हमारे पड़ौस में इस खतरनाक सुरक्षा पर्यावरण के संदर्भ में अपनी क्षेत्रीय अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए वर्ष 1995-96 के बजट में रक्षा सेवाओं के लिए जो प्रावधान किये गये हैं, वे पर्याप्त होंगे या नहीं इस पर विस्तार से तथा बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 1995-96 के लिए बजट प्राक्कलनों में रक्षा सेवाओं के लिए 25,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर मान ली जाये तो रक्षा बजट में वस्तुतः कोई वृद्धि नहीं की गई है। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय हमारी रक्षा सेनाओं के पास जो उपकरण उपलब्ध हैं वे 20 से 25 वर्ष पुराने हैं और यद्यपि बिल्कुल पुराने नहीं हुए हैं, निश्चित रूप से उनको जल्दी बदलने की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि उन्हें इस शताब्दी के शेष कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से बदला जाये।

4.25 म.प.

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सेवाओं ने आठवीं योजना में 1992-97 की अवधि के दौरान आधुनिकीकरण, सुधार और अपने उपकरणों को पुनः सुसज्जित करने के लिए कुछ क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित की थी। जिन मदों को प्राथमिकता दी गई वे इस प्रकार हैं। सेना के मामले में जिन मदों को प्राथमिकता दी गई वे हैं युद्ध क्षेत्र निगरानी सामरिक नियन्त्रण राडार, रिमोटली पायलेटेड व्हीकल्स, सैल्फ-प्रोपेल्ड आरटिलरी, प्रहार हैलीकाप्टरों का आगमन और टी-72 तथा टी-55 टैंकों का आधुनिकीकरण वायुसेना के मामले में जिन मदों को प्राथमिकता दी गई वे हैं उन्नत प्रशिक्षक विमानों की खरीद, गहरी आघात क्षमताओं वाले मल्टीरोल समाघात विमान तथा कुछ फोर्स मल्टीपलायर प्रणालियों का अधिग्रहण। नौसेना के मामले में जिन मदों को प्राथमिकता दी गई वे हैं पुराने विमान वाहकों की बदली, पुरानी पनडुब्बियों की बदली और छः अतिरिक्त फ्रिगेटों की खरीद।

इस विकट रक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सहायक सेवाओं को पूरी तरह तैयार किया जाए। मैं विशेष रूप से प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादक संगठन का उल्लेख करता हूं। प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विशेष

रूप से प्रक्षेपास्त्रों, विमान विकास और इलेक्ट्रानिक युद्ध उपकरणों के क्षेत्रों में, जो आधुनिक युद्ध प्रणाली में क्रांति ला रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि रासायनिक और जैविक हथियारों का विशेष रूप से आतंकवादी परक संगठनों और राष्ट्रों द्वारा पुनः प्रयोग किये जाने की संभावनायें नजर आ रही हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्र, जो सुरक्षित नहीं हैं, मुट्ठी भर आतंकवादियों द्वारा नरसंहार के शिकार हो सकते हैं। निस्संदेह इस प्रकार के प्रोक्सी युद्ध मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनोबल गिराने वाले और विध्वंसक हैं और ऐसी लड़ाई में दृढ़संकल्प तत्व बहुत ही जटिल सुरक्षा व्यवस्था में प्रवेश पा सकते हैं।

संसाधनों की कमी और बजट में कम धनराशि का प्रावधान किये जाने के कारण सेवाओं का सभी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना संभव नहीं हो सका है। तथापि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि रक्षा तैयारी में कोई कमी न रहे। आधुनिकीकरण की योजनाओं/कार्यक्रम में और कांट-छांट करने, व्यय कम करने के लिए विभिन्न बचत उपाय करने और आन्तरिक संसाधन जुटाने के लिए उपाय करने से सेनाओं को अपना काम चलाने में काफी सहायता मिलेगी इस प्रकार सेवाओं की जिन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है उनको पूरा कर दिया गया है। आशा है वित्त मंत्रालय चालू आठवीं योजना अवधि के दौरान पर्याप्त बजट सहायता का प्रावधान करेगा। संसाधनों की कमी होते हुए भी यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये गये हैं कि आवश्यक सेवायें बनाये रखी जायें और आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में कोई बाधा न आये। तीनों सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1995-96 के बजट प्रावधानों में 6,45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से करीब 2000/- करोड़ रुपये नया माल खरीदने के लिए रखे गये हैं। यह राशि आधुनिकीकरण योजनाओं पर इस वर्ष नकद खर्च की जाने वाली राशि की द्योतक है न कि योजनाओं पर खर्च की जाने वाले कुल राशि की द्योतक है। आशा है कि जितनी राशि का प्रावधान किया गया है उससे हमारी सेनाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और उनकी युद्ध क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आयेगी।

1995-96 के बजट प्राक्कलनों में तीनों सेवाओं द्वारा आधुनिकीकरण के लिए मांगी कई कुल राशि के मुकाबले 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आधुनिकीकरण, दर्जा बढ़ाने और पुनः सुसज्जित करने की परियोजनाओं पर काफी पूंजीगत व्यय होता है और ऐसी परियोजनायें आठवीं योजनावधि, 1992-97 के चौथे वर्ष में भी अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं। मुझे संदेह है कि इन प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं में से कोई योजना चालू योजना अवधि में पूरी होगी। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हर वर्ष नये उपकरण न खरीद पाने का परिणाम यह होगा कि खरीदे जाने वाले उपकरणों की संख्या बढ़ जायेगी और फिर इन चीजों के दाम भी बढ़ जाने से इन्हें एक साथ खरीदना कठिन हो जायेगा और आखिरकार हमें हड़बड़ी में इन उपकरणों को खरीदना पड़ेगा या उन्हें विदेशों से पट्टे पर लेना पड़ेगा, जिससे बहुत नुकसान होगा। यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि उपकरण खरीदने में विलम्ब के कारण उन्हें विदेशों से खरीदने पर अधिक लागत आयेगी क्योंकि इस बीच रुपये का मूल्य बहुत कम हो जायेगा। इसी प्रकार देश में बनने वाले उपकरणों की लागत भी मुद्रास्फीति के कारण बढ़ जायेगी। मेरा दृढ़ मत है कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की योजना बनाते समय 15 से 20 वर्ष बाद की बात सोचनी चाहिये। मैं पुनः इस बात पर जोर दूंगा कि योजना बनाने के बाद इसके लिए हर वर्ष पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहिये और तदानुसार सामान खरीदा जाना चाहिये और किसी कारण इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिये।

अब हम अपनी रक्षा सेनाओं के पुनः सुसज्जीकरण पर आते हैं। सेना को नये लघु शस्त्रों से सुसज्जित किया जा रहा है जैसे नई पूर्णतया स्वचालित राईफल एक नई मशीनगन और एक नई कारबाईन। इन हथियारों से अच्छी किस्म का नया बारूद फायर किया जा सकेगा जो प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित कर लिया गया है। चूंकि कुल मिलाकर बहुत से हथियारों की आवश्यकता है और सांख्यिकी की समस्यायें हो सकती हैं, यह आवश्यक है कि हमारे रक्षा उत्पादन संगठन द्वारा इस शताब्दी के अन्त तक हमारे अग्रिम पंक्ति के यूनिटों को पुनः सुसज्जित करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना चाहिये।

एक और उपकरण, जिस पर हमें कुछ चिंता हो रही है, वह है चिर प्रतीक्षित मुख्य युद्ध टैंक 'अर्जुन' जिसने इस गर्म मौसम में अपने सेना परीक्षण अभी पूरे करने हैं। यह निराशा की बात है कि चालू आठवीं रक्षा योजना के दौरान इस बड़े उपकरण के उत्पादन का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसे शीघ्र सेवा में लाने के लिए मैं सिफारिश करता हूं कि इस टैंक और बारूद के निरंतर उत्पादन की योजना बनाई जाएगी। अथवा इसके डिजाइन अंतिम रूप से स्वीकृत होने से पूर्व ही इसका उत्पादन आरंभ कर दिया जाए। संभवतया अब आगे विशिष्टियों में कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। टी-55 और टी-72 के विद्यमान टैंक फ्लीट का आधुनिकीकरण, जो बहुत आवश्यक हो गया है, किसी प्रकार मुख्य युद्ध टैंक के उत्पादन में बाधक नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रधानमंत्री ने इस सम्मानीय सभा को आश्वासन दिया था कि सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों के विकास और निरन्तर उत्पादन पर कोई विदेशी आन्तरिक दबाव नहीं है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र 'पृथ्वी' ने सभी प्रयोक्ता उड़ान परीक्षण

सफलतापूर्वक पूरे कर लिये हैं और संभवतया इसके उत्पादन का काम हाथ में लिया गया है। तथापि 1995-96 के बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र की कुछ सप्लाई चालू आठवीं रक्षा योजना अवधि के दौरान की जाये तो इस से सेना को बहुत लाभ होगा।

इसी प्रकार, हमारे प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तीन अन्य आधुनिकतम प्रक्षेपास्त्रों अर्थात जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र 'त्रिशूल' और 'आकाश' तथा टैंकभेदी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' के विकास का काम पूरा कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है इन प्रक्षेपास्त्रों का निरन्तर उत्पादन भी आठवीं रक्षा योजना अवधि में आरम्भ हो जायेगा। मल्टी बैरल राकेट लांचर के साथ-साथ 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र के प्रयोग से, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकास किया जा रहा है, हमारी थल सेनाओं की मारक क्षमता और मारक क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी।

जहां तक वायु सेना का संबंध है, वे एक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान की कई सालों से मांग कर रहे हैं ताकि हमारे युवा पायलटों को तेजी से बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। पायलट की गलती और अनुभव की कमी के कारण बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं और इस प्रक्रिया में हमारे बहुत से प्रथम पंक्ति के विमान तबाह हो गये हैं। यह खुशी की बात है कि उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान की खरीद चुनींदा सप्लायरों से करना और उनका उत्पादन देश में करने के लिए वाणिज्यिक स्तर पर बातचीत हो रही है।

मिग-21 बी.आई.एस. स्केवैड्रन का दर्जा बढ़ाने का काम चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने से हमारी वायु सेना की समाघात क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इसी प्रकार, मिग 27 विमान कर दर्जा बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वह भी काफी उत्साहवर्धक है। यद्यपि गहरी घात करने वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान की काफी मांग है। यह स्वीकार किया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे विमान खरीदना इस समय हमारे लिए संभव नहीं होगा। तथापि बताया जाता है कि हमारे निजी हल्के लड़ाकू विमान के विकास में काफी प्रगति हुई है और इसके विकास का काम शीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिये। हमारे विद्यमान उपकरणों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से फोर्स मल्टीपलायर्स की कुछ प्रणालियों की आवश्यकता है। जहां तक मैं समझता हूं, हवा से हवा में अथवा उड़ान के दौरान ईंधन भरने की प्रणालियों और एक प्रभावी एयरबोर्न चेतावनी तथा नियन्त्रण प्रणाली जैसी प्रणालियों की बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार के उपकरण लगाने से हमें आकाश में एक स्थान मिल जायेगा जहां से हम शत्रु के क्षेत्र में दूर तक देख सकेंगे और अपनी सीमाओं के निकट आने वाले शत्रु के विमान को बीच में रोकने के लिए भी चेतावनी दे सकेंगे। यह भी आवश्यक है कि हमारे भू-राडार का दर्जा बढ़ाया जाये ताकि बीच में कोई अन्तराल न आये।

जहां तक नौसेना का संबंध है, मैं समझता हूं कि नौसेना की मांगों की विशेष रूप से पिछले वर्षों में उपेक्षा की गई है। नये जहाजों के निर्माण की योजना भी बेतरतीब रही है, यद्यपि हमारे शिपयार्डों में क्षमता बेकार पड़ी है। हमने आधुनिक युद्धपोतों जैसे फ्रिगेट जहाजों, विध्वंसक जहाजों, पनडुब्बियों और कुछ छोटे नौसेना जहाजों के देश में उत्पादन की सुविधाओं की व्यवस्था कर ली है। चूंकि नौसैनिक युद्धपोतों के उत्पादन में कई वर्ष लग जाते हैं। यह आवश्यक है कि इनके उत्पादन के लिए कम से कम दस वर्ष पहले योजना बनाई जाये और हमारे डॉकयार्डों को पक्के क्रयादेश दिये जायें। पुराने विमान वाहकों तथा पनडुब्बियों को अविलम्ब बदलने की अचानक आवश्यकता से हमें कितनी कठिनाई हुई इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। संभवतया नौसेना का हर वर्ष नियमित रूप से पांच या छह युद्धपोत सप्लाई करने की व्यापक योजना बनाना हितकर होगा ताकि हमारी नौसेना के पास अपेक्षित युद्धपोतों की संख्या कम न हो जैसा कि इस समय स्थिति प्रतीत होती है। युद्ध पोतों की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के अलावा हमारे पास इस विशेष क्षेत्र में एक बहुत ही सक्षम डिजाइन और विकास संगठन है। संभवतया एक विमान वाहक अथवा कुछ विमानों का वाहन करने वाला वायु रक्षा पोत हमारी अपनी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मैत्रीपूर्ण पड़ौसी देशों को देने के लिए तैयार किया जाना चाहिए था।

आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण और आयुध सामान सूची का कम्प्यूटरीकरण काफी पहले हो जाना चाहिए था। यदि ऐसा हो जाता है तो खरीद प्रक्रिया को घटाकर न्यूनतम करने और साथ ही सेना के गोदामों से फालतू सामान की विशेष रूप से ऐसे समान की, जो सीमित भण्डारण जगह को घेरे हुए हैं जैसे कि बारूद और विस्फोटक पदार्थ, बिक्री करके काफी बचत की जा सकती है।

अन्त में मैं तटरक्षक के बार में कुछ कहूंगा इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। यह रक्षा सेवाओं में नवीनतम वृद्धि है। तटवर्ती क्षेत्रों, तटवर्ती पर्यावरण की सुरक्षा और तस्करी विरोधी कार्यों का विशेष रूप से तट की ओर तेल ड्रिलिंग रिग्स की संख्या में वृद्धि होने से अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बहुत बढ़ रहा है। शत्रु पड़ौसी देश हमारे देश में आतंकवादी और समाजविरोधी गतिविधियों को, जो उग्र रूप धारण कर चुकी है, बढ़ावा देने के लिए विस्फोटक पदार्थों, हथियारों और स्वापक पदार्थों की तस्करी करने के निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। तटरक्षक को तेज गश्त जलयान, बीच में रोकने वाली किश्तियां, डोरनियर विमान, बचाव करने वाले हल्के हेलीकाप्टर जैसे आधुनिक उपकरण देकर तटरक्षक का विस्तार किया जा रहा है यह नौसेना की अनुपूरक सेवा तो है ही, इसके साथ-साथ देश की सुरक्षा में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, जो प्रस्तुत मांगें हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। वह विरोध नीति आदि को लेकर नहीं कर रहा हूं और न ही मैं रक्षा विभाग की किसी समस्या, तकनीकी हो या उसके काम के बारे में या कोई नीति विषयक हो, उस पर बोलना चाहता हूं। मेरा विरोध है, रक्षा विभाग में चले हुए और विशेषकर सेना में चले हुए कुछ मामलों को लेकर। जिसको सुधारने में इस सदन के बाहर मुझे कामयाबी नहीं मिली है। अखबारों ने ये मामले उठाए, कुछ नहीं हुआ। कई किस्म की ठोस बातों को उठाकर अखबारों ने खूब लिखा, लेकिन सेना की तरफ से न कोई सफाई आयी और न ही कोई खण्डन हुआ। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से हो कर सेना के कमांडर-इन-चीफ तक मामला पहुंच गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आखिरी बार यह देखना चहाता हूं, क्या देश की यह सर्वोच्च पंचायत ऐसे जो मामले होते हैं, जहां पर लोगों की जानें खतरें में रहती हैं और ऐसे लोगों की जानें जो स्वयं सेना में सुरक्षा के अन्य किसी भी बल में अपने को जोड़ते हैं, लड़ाई में शामिल होते हैं, कहां चोट खाते हैं और अंत में इस संस्था के भीतर जो भ्रष्टाचार है उसके शिकार बन जाते हैं, जहां पर उनकी जान भी दोबारा खतरे मे पड़ जाती है और वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता है।

मैं दो बड़े मामले इस सदन के सामने उठाना चाहता हूं। आजकल बहस चल रही है, कट-मोशन्स की। मेरे मन में भी था कि मैं कट-मोशन्स दे दूं, लेकिन कट-मोशन्स के बारे में हमारे कुछ नियम के आधार पर राय है, लेकिन जो ये मांगें हैं, हम इन मांगों का विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। इसके विरोध में वोट करेंगे, अगर प्रधान मंत्री जी - जिन्होंने कल क्यों उन्हें स्वयं रक्षा विभाग मंत्री बने रहना चाहिए करके यहां पर बहुत विस्तार से अपनी बात कही। मैं कल नहीं था, राजधानी से बाहर था - कल यहां दो मामलों का सफाई से जवाब नहीं देंगे। मैं पहला मामला आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गेनिजेशन के बारे में उठाना चाहता हूं। इस संस्था में जनरल के पद से रिटायर हुए मिलिटरी के नौजवान हैं।

साधारण जवान से लेकर जनरल के पद तक, या युद्ध से हमारे जो जवान, अधिकारी मारे गये उनकी विधवाओं या उनके बच्चों को मकान बनाने के लिए यह संस्था बनाई गई है। रिटायर हुए जवान या अधिकारी या उनके घर की विधवा या जो भी हो वह अपना पैसा जुटा कर घर बनाने के लिए पैसे देते हैं। समूचे देश में इस संस्था की शाखायें हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एक सर्विंग मेजर जनरल हुआ करते हैं। आज के दिन कौन है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिसम्बर महीने में जब यह मामला आखिरी बार मैंने रक्षा मंत्रालय और रक्षा राज्य मंत्री से छेड़ा था, तब मेजर जनरल एम.एम. शर्मा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। यह मामला 1990-91 में शुरू हुआ था। चंडीगढ़ में सैक्टर 47-सी में आर्मी वेलफयेर हाउसिंग आर्गनाइजेशन के जरिए 242 मकानों का निर्माण किया जाता है। इसके 242 सदस्य हैं। जब 242 मकान बन गये, तो इन लोगों ने संस्था को जो पूंजी मांगी थी, वह दे दी। यह संस्था का नियम है कि नो प्रोफिट, नो लॉस बेसिस पर चलना चाहिए और यह चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। जो पैसे इन्होंने एक-एक व्यक्ति से मांगे, बनाए हुए मकान के मुताबिक, क्योंकि तीन किस्म के मकान बांधे गए तो 4 लाख रुपये से लेकर 4 लाख 70 हजार रुपये फी मकान इन 242 लोगों से मकान के वास्ते पैसे लिए गए। महोदय, जब मकान बन कर पूरे हुए और लोग रहने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जैसा पहले उन्हें कहा गया था कि क्या-क्या चीजें मकान बांधने में इस्तेमाल में लाई जाएंगी, लेकिन वह इस्तेमाल में नहीं लाई गई हैं, ऐसा कच्चा मकान उन्हें दिया गया है। महोदय, दिल्ली का जो बोर्ड होता है, मकान बांधने के बाद अगली बारिश में मकान गिर जाता है और जिससे लोग भी मर जाते हैं तो मकानों की अवस्था लगभग उसी प्रकार की इन लोगों ने दी थी। जब वे मकान के अंदर गए तो उन्होंने इस संस्था के जो अधिकारी उस मकान से संबंधित जो लोग थे उनसे लिखित, मौखिक, एक नहीं अनेक बार, उसकी फाइल यहां मेरे पास पड़ी है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लोग अदालत गए और उस अदालत में गए जिसको आप कन्ज्यूमर कोर्ट बोलते हैं या कोई ऐसी चीज है। लेफ्टीनेंट जनरल सरताज सिंह सेना में कमांडर रहे हैं। कंज्यूमर फोरम, चंडीगढ़ के माध्यम से जो शिकायत की गई उसकी जांच कराई। शिकायत की जांच करते समय पाया गया कि जो वायदा था और जो काम हुआ था, उसमें 42 किस्म के अपराध पकड़े गए, यानी यह वायदा तोड़ा गया, जो काम होना था वह नहीं हुआ। मैं इसको अपराध इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आज यह अपराध बन चुके हैं, जो पकड़े गए। इस कंज्यूमर फोरम के द्वारा ये सारी रिपोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वेलफेयर हाऊसिंग आर्गनाइजेशन को भेजी गई। इसको आज 3 साल हो गए लेकिन इसका जवाब नहीं आया। मिलिट्री का एक भूतपूर्व जनरल कंज्यूमर फोरम के माध्यम से इस मामले को भेजता है, लेकिन सेना में उसकी कोई पूछ नहीं होती है। फिर मामला चीज ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी सेना का जो सिपहसालार होता है, उनके पास लिखित तौर पर उठाया गया। उसकी कापी यहां मेरे पास है, लेकिन कोई जवाब नहीं। चिट्ठी मिली, पोस्ट कार्ड भी नहीं, कार्यवाही करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। जैसे कि यह कोई संस्था है ही नहीं, ये 242 एक्स सर्विसमैन या विधवाएं है ही नहीं।

यह सेना का उनके प्रति रूप रहा है। फिर मामला ठेकेदार राजाराम एंड संस के पास उठाया गया। ठेकेदार ने अदालत में लिखकर दिया, जिसको आगे जाकर आर्गनाईजेशन ने भी माना, ठेकेदार ने लिख कर दिया कि मुझे एक फ्लैट बनाने के लिए मात्र 2.25 लाख रुपये दिए गए, जबकि वसूल किए गए 4 लाख से लेकर 4.70 लाख रुपये। तो कहा गया कि ठीक है, बाकी पैसे वापिस कर दो, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर यह मामला रक्षा मंत्री के पास गया, प्रधान मंत्री के पास गया, कमांडर इन चीफ आफ आर्म्ड फोर्सेस के पास गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज रक्षा मंत्रालय का भार प्रधान मंत्री स्वयं संभाल रहे हैं। अभी तक तो हम समझते थे कि इधर से जिन लोगों को उधर ले जाने का काम किया जाता है, उनके लिए रक्षा मंत्री का पद खाली रखा गया है, लेकिन अब प्रधान मंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने यह पद अपने पास क्यों रखा है। हालांकि मैं उनकी राय से, उनकी सोच से सहमत नहीं हूं। शरद पवार जी के जाने के बाद रक्षा मंत्रालय प्रधान मंत्री जी के हाथ में है और वे चाहते तो इस मामले को देख सकते थे। लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया।

फिर इसके बाद यह समूचा कांड 10 सितंबर 1991 के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा, एक लंबा लेख आया। सरकारी विभागों में और खासकर रक्षा मंत्रालय में पब्लिक रिलेशन विभाग होता है और इस तरह की बातों पर वह तत्काल कलम हाथ से लेकर खंडन करने का काम करता है, ताकि विभाग की छवि धूमिल न हो, चेहरा खराब न हो, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई खंडन नहीं आया। फिर 29 जून 1992 को ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में 19 अगस्त 1993 को, फिर ट्रिब्यून में 21 दिसंबर 1993 को यह मामला छपा। ये ऐसे नामी अखबार हैं, इनमें यदि कोई ऐसी बात छप जाती है, तो उसको सदन में उठाने का काम हम लोग करते हैं और घंटों उस पर बहस होती है, लेकिन इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। 5 करोड़ की हेराफेरी, घूस, लूट, जो भी नाम आप इसको दें, सेना के लोगों के नाम इसमें लिए जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर किसी की तरफ से जवाब में नहीं कहा गया, कोई खंडन नहीं किया गया।

सभापति महोदय, फिर इस मामले को 19 अगस्त 1993 को सदन में उठाया गया, डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 32 लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मुकदमे दायर किए, लेकिन आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और वह मामला अभी तक स्टे में ही पड़ा हुआ है और कंज्यूमर कोर्ट में जाने की स्थिति में भी नहीं है।

यह मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता। सदस्यों को मकान देने से पहले 242 सदस्यों से सोसायटी जो अक्तूबर 1991 में बनी थी, उसके मेंटीनेंस के नाम पर एक-एक हजार रुपये लिए गए।

5.00 म.प.

लेकिन यह कहकर कि 242 सोसाइटीज की समस्याएं हैं, लिया हुआ पैसा अपने हाथों में रखा और इस्तेमाल होने से रोक दिया। सोसाइटी के लिए चार गैराज बनाए थे, विशेष पैसा लेकर के। लेकिन उनमें ताला लगा दिया, क्योंकि लोगों ने इस कांड को उजागर करने में पहल की थी और उनको इस्तेमाल करने के रोक दिया गया। यह दिसम्बर 22 की बात है। सोसाइटी का सारा काम करने वाले जो व्यक्ति हैं और सारी कोशिश करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो मैं स्वयं उनको लेकर मंत्री जी के पास पहुंच गया। मंत्री जी ने कोई और तारीख दी मिलने के लिए और उस तारीख को उनसे कहा गया कि आप जाइये, जो भी काम होना होगा, वो हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जानते हैं क्या हुआ? घर जाते ही उन्हें दो फोन आते हैं कि तुम अगर दिल्ली जाओगे तो तुम्हें लाश बनाकर लाया लाएगा।

[अनुवाद]

तुम लाश के रूप में चण्डीगढ़ लौटोगे।

[हिन्दी]

वे मुझे फोन करते हैं। हम मंत्री जी को, गृहमंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को लिखते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी वे ही देख रहे थे। हम उनसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ संरक्षण तो दीजिए, उसकी जान तो बचा लीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे पांच तारीख को गृहमंत्री जी का पत्र आता है।

[अनुवाद]

"प्रिय श्री जार्ज फर्नांडीज"

कृपया अपने दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 के पत्र को देखें, जो आप ने मेरे सहयोगी श्री मल्लिकार्जुन, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, को लिखा है और जिसकी एक प्रति मुझे भेजी है। यह पत्र कर्नल अजित सिंह के लिए सुरक्षा प्रबन्ध करने के बारे में है।

हमने इस मामले की जांच की है। पंजाब सरकार से इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।"

[हिन्दी]

हम इससे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आप एग्जामिन करके इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जो शिकायत थी वह बिल्कुल दुरुस्त है, ले. कर्नल अजीत सिंह जी जान को खतरा है, इसलिए अपनी सरकार को आपने आदेश दिया कि आवश्यक कार्यवाही तत्काल कीजिएगा। चार, साढ़े चार महीने के बाद कम से कम

इतना तो हो गया कि वह आदमी आराम से सो सकता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा का इंतजाम यहां की केन्द्र सरकार के चलते कुछ तो होने लगा। लेकिन अध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं कि इस मामले का हल कैसे हो? यह मामला केवल आर्मी हाउसिंग वैलफेयर तक सीमित नहीं है। एयर विभाग और नेवल विभाग इनका भी एक हाउसिंग बोर्ड है और जब यह सारा कांड अदालत में, अखबारों में और सारी जगहों पर इस पर बहस होने लगी और न्यूज लेटर ऑफ द एयर-फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड बुलेटिन नम्बर-22 के जनवरी 93 में जब यह सारा विवाद चलने लगता है तो उस बुलेटिन में यह खबर आ जाती है कि कुल मिलाकर 6 करोड़ 29 लाख रुपये मकान बनाते हुए जिन-जिन लोगों से लिए थे, अब हमें पता चला है कि आप लोगों को वापिस करने चाहिएं। मामला केवल AWHO तक सीमित नहीं है, मामला हर जगह पर पहुंचा था। एक जगह जब हंगामा होने लगता तो 6 करोड़ 29 लाख रुपये बिना पूछे वापिस दिये गये और उसका मेरे पास सबूत है।

सभापति महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है? क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मिलिटरी के बड़े अधिकारी के पास यह मामला गया, वह उत्तर देने से इन्कार कर रहा है। मंत्री जी, चाहे जो उनकी कमजोरी हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मामला आज का नहीं है, चार साल से सरकार की फाइलों में पड़ा हुआ है। एक आदमी नहीं, सैंकड़ों पूर्व सैनिक या उनकी विधवायें इस मुद्दे को लेकर हैरान हैं, अपनी बातों को रख रही हैं। इसलिए इस मामले पर मैं इस सदन की शरण लेना चाहता हूं। देश की सुरक्षा के लिए कौन-सा हैलिकाप्टर लाना है, जहाज लाना है और कौन-सा बोफोर्स को नया ठेका देना है, इन चीजों पर ही बात करें, लेकिन अंततोगत्वा जिन लोगों के हाथों में देश की सुरक्षा है, उनके बीच में इस प्रकार के तत्व नजर आते हों कि जो अपने ही भाइयों को या उनकी विधवाओं को इस प्रकार की लूट में फंसाने वाले हों तो हम इस प्रकार की व्यवस्था से क्या अपेक्षा कर सकते हैं?

दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं एक व्यक्ति की, उसका नाम है लेफ्टीनेंट एस.एस. चव्हाण। वह मेरे पास तब आया जब शरद पवार जी रक्षा मंत्री थे। आज हम बहुत शर्मिन्दा हैं, क्योंकि वह आदमी एक साल इंतजार करके आखिर यह मानकर चला कि आप लोग सड़े हुए लोग हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। चव्हाण की पोस्टिंग कश्मीर में थी। एक रात को उनकी यूनिट रोज की तरह हाउस सर्च पर गई। जहां घरों में पुरुषों को बाहर लाया जाता है और जो घर के अंदर चीजें हैं, उनकी खोज होती है। उस खोज में सोना मिला, बाकी कुछ नहीं मिला, न बंदूक, न बारूद और न अन्य हथियार मिले। उस सोने को उठाकर उन्होंने अपने सर्च यूनिट को दे दिया तो उन्होंने कहा कि इसको बड़ी यूनिट के कमांडर के हाथों में देना चाहिए। मैं यहां नाम नहीं ले रहा हूं। केवल जो सेना से बाहर हैं उसका नाम ले रहा हूं। बाकी मेरे पास सारे नाम हैं, जानकारी है, पूरे दस्तावेज हैं। इस तरह वह अपने सबसे बड़े अधिकारी के हाथों में उस सोने को दे देता है। अगले दिन जब वह उनसे पूछता है कि सोने का क्या हुआ, तो उससे पूछा जाता है कि सोना। कौन-सा सोना? वह बोलता है कि कल की जो बात थी, जिस अधिकारी के माध्यम से उसने उन बड़े अधिकारी को सोना लाकर दिया, उसने लिखकर दिया था। वह उसको दिखाता है। वह अधिकारी उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? फिर उसको पीटा जाता है, श्रीनगर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं और सामने से उस पर गोली चलाई जाती है, जोकि उसके पेट में लगती है। वह गिर पड़ता है। उसको उठाकर अस्पताल में लाते हैं और वहां उसका इलाज होता है। उसको कहा जाता है कि सोने की बात बोलना छोड़ दो। लेकिन वह नहीं छोड़ता है। उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है और कानपुर की जेल में डाल दिया जाता है। किसी को उससे मिलने नहीं दिया जाता है। उस नौजवान ने पता नहीं कहां से, क्या करके अनेक पत्र जनरल रोड्रिग्स को भेजे। जनरल रोड्रिग्स का नाम हमने पहले भी इस सदन में और किसी संदर्भ में लिया था। उनके हाथ में वह पत्र पहुंच जाता है।

5.10 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय...पीठासीन हुए)

उस पत्र के आधार पर जनरल रोड्रिग्स आदेश देते हैं कि लेफ्टीनेंट चव्हाण की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। लेकिन उनके कहने पर भी रिहाई नहीं होती है। कई लोगों से मिला जाता है, सबको पता चल जाता है और तब चव्हाण की रिहाई हो जाती है। वह दिल्ली आता है। यहां वह जनरल रोड्रिग्स से मिलना चाहता है, और लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता है।

उसे कोई नहीं मिलता है। एक सांसद उसे मेरे पास भेज देते हैं। वह आदमी आता है, रोता है और कहता है कि यह देश कैसे बनेगा? वह कहता है कि मेरे घर में तीन पीढ़ियों से मिलिटरी सेवा हो रही है। मेरे दादा और मेरे बाप भी मिलिटरी में थे और अब मैं भी मिलिटरी में हूं, लेकिन आज हम कहां जायें? हम उनको मिनिस्टर के पास भेजे देते हैं। मैं मंत्री जी से बात करता हूं। श्री शरद पवार मंत्री हैं और मैं उनको धन्यवाद दूंगा और तारीफ करूंगा कि इस सारी घटना की जानकारी उस व्यक्ति से ली। उसके बाद सेना के किसी अधिकारी को कहा कि इस मामले की जांच करो और उसकी रिपोर्ट मुझे दो। अब वह रिपोर्ट आई या नहीं? मैं उनको बार-बार पूछता रहा, लेकिन एक दिन वे महाराष्ट्र भेज दिए गये, मामला वहीं खत्म हो गया। उपाध्यक्ष जी, हमने हर

स्तर पर कोशिश की कि चव्हाण को इन्साफ मिले, लेकिन नहीं मिला। जिन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिले, लेकिन उपाध्यक्ष जी, वह कहां हैं, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि उसके घर का पता नहीं। मैं उसको बुला सकता हूं मगर हम बहुत परेशान हैं कि जब ये मामले होते हैं, ईमानदारी से जो लोग सेना के भीतर सेवा करते हुए खड़े हो जाते हैं, मगर उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है। उनको पागल करार कर देने की बात हो जाती है, उनको जेल में बंद किया जाता है और बाहर आने के बाद उनको कोई इन्साफ देने को तैयार नहीं होता है। तो यह संसद किस के लिए है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कुछ सांसद मित्रों ने मुझे पूछा कि क्या रक्षा मंत्रालय की मांगों पर बोलेंगे तो मैंने कहा कि मैं किसी चीज पर नहीं बोलूंगा। केवल ये दो कांड लेकर इस सदन के सामने रखूंगा और उपाध्यक्ष जी, केवल इन्हीं दो बातों को रखते हुए अपनी अन्तिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि यदि यह सदन ऐसे मामलों में, या जवानों के लिये या विधवाओं को न्याय दिलाने में असमर्थ है तो फिर देश की रक्षा करने के लिये यह सदन समर्थ नहीं रहेगा। यह मेरा विश्वास है और यही बात इस सदन के सामने रखते हुए इन डिमांड्स का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : मैं वर्ष 1995-96 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र ने दक्षिण भारत के रक्षा हितों की अवहेलना की है।

सेतु सामुद्रम परियोजना काफी समय से अधर में लटकी हुई है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार स्पष्ट रूप से इस मसले पर सरकार को आश्वासन दे।

मैं यह मांग भी करता हूं कि कच्चातीवू महाद्वीप जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो 20 वर्ष पहले श्रीलंका को दे दिया गया था उसे वापस ले लिया जाना चाहिये। भारत सरकार की ओर से निष्क्रियता के कारण अब तक काफी संख्या में निर्दोष मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने कैदी बना लिया है।

एल.टी.टी.ई. घुसपैठ को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए एक तटीय सेना बनाये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए तमिलनाडु सरकार ने धनराशि की मांग की है। अपेक्षित धनराशि न देने का अर्थ यह है कि केन्द्र सरकार उग्रवादी गुट जो श्री राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, से निपटने में ईमानदार नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकार को राज्य में एल.टी.टी.ई. की घुसपैठ को रोकने के लिए अविलम्ब धनराशि उपलब्ध करायें। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि आज डा. पुराची थालेवी के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु में ऐसा एक भी एल.टी.टी.ई. का सरगना नहीं बचा है, जिसका पता न लगा लिया गया हो। मैं इस सभा तथा इस सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि 12 से 18 वर्ष के बीच आयु के सभी लोगों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए एक कानून बनाया जाये।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि वर्तमान केन्द्र सरकार के नेतृत्व में देश विनाश की ओर जा रहा है। कांग्रेस सरकार देश की रक्षा को तबाह कर रही है। हमारे देश की रक्षा सरकार नहीं, अपितु सीमा पर तथा अन्यत्र तैनात लाखों देशभक्त सिपाही कर रहे हैं, जिनका यह संसद गुणगान करती है और जिनके लिए यह संसद अनुदानों को स्वीकृति देने में प्रसन्न होगी।

हाल के विधान सभा चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने कांग्रेस तथा इसकी नीतियों को ठुकरा दिया। इससे यह लगता है कि विधान सभा चुनाव कांग्रेस दल के सत्ता में बने रहने के बारे में जनमत संग्रह मात्र था। जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी को ठुकरा दिये जाने के बावजूद यह सरकार सत्ता से चिपके रहने के प्रयोजनार्थ सत्ता में बनी हुई है। यह बहुत बुरी स्थिति है।

तमिलनाडु सरकार को भारी बहुमत प्राप्त है। डा. पुराची थालेवी की सरकार आम जनता की सरकार है। एक व्यक्ति जिसको एक मंत्री की पदवी प्राप्त है और जो व्यापार से सम्बद्ध मामलों सम्बन्धी एक आयोग का सभापति है, तमिलनाडु में लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने में लगा हुआ है। इसका उद्देश्य और इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। कल यही बात आन्ध्र प्रदेश में हो सकती है। पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दलों के कुछ असंतुष्ट नेताओं को लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार पर प्रहार करने के लिए चुना गया है। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में भी हो सकती है। मैं विपक्षी सदस्यों से एकजुट होकर कांग्रेस का विरोध करने और इस सरकार पर प्रहार करने की अपील करता हूं।

***श्री राजागोपाल नायडू रामासामी** (पेरियाकुलम) : महोदय, तमिल में तिरुक्कूराल थिरुवालूवार के अनुसार :

> "उरु पासीयम ओवाप्पीनियम सर्वापागईयम सेराधु इयालवाथु नाडु"

अर्थात कोई देश तभी सम्पन्न हो सकता है जब वहां कोई भूखा, रोगी या शत्रु न हो, जिससे इसकी सार्वभौमिकता को खतरा हो। एक देश के लोग तभी शांति से रह सकते हैं जब उनमें आत्म विश्वास, आत्म-सम्मान हो और यह आशा हो कि उनका देश रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जहां उनके बच्चे शान्ति से रह सकेंगे। हमें भूख को मिटा देना चाहिये। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि लोगों को बीमारी की समस्या पर काबू पाने के लिए

---

* तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हों। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि सीमा पर से देश की क्षेत्रीय अखण्डता को कोई खतरा न हो। देश का कोई बाहरी या भीतरी शत्रु न हो। हमें आतंकवाद की समस्या को जड़ से मिटा देना चाहिये। हमें आतंकवादियों या उग्रवादियों को देश के किसी स्थान को अपने नियन्त्रण में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिये, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें कहीं से संरक्षण, या मदद या सहायता न मिले।

अब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने शत्रुओं से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि हमारी क्षेत्रीय अखण्डता बरकरार रहे और हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहे। देश के किसी भाग में कोई झगड़ा न हो। देश के अन्दर रहकर या देश के सीमाओं के बाहर से जो लोग देश में मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं उनको हमें कुचल देना चाहिये। हमें ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

आतंकवादियों के कारण, जिनको हमारे आतंकवादी पड़ोसी देशों से सहायता मिलती है, हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह बात सभी को मालूम है। केन्द्र सरकार के पास सशस्त्र सेनायें हैं, लेकिन यह कशमीर, पंजाब और असम में आतंकवाद के खतरे का कारगार ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी।

इन राज्यों में आतंकवाद की समस्या अभी भी बनी हुई है यद्यपि केन्द्र सरकार ने इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया है। इन राज्यों में केन्द्र सरकार ने लगभग तीन लाख रक्षा कार्मिक और सुरक्षा कर्मचारी तैनात किये हैं। वहां जो अधिकारी जाते हैं, वे भी इस खतरे का शिकार हो जाते है। हमारे सुरक्षा कार्मिकों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है। एक रक्षा कार्मिक या सेना अधिकारी भी अपनी साथ सुरक्षा कर्मी रखे बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन तमिलनाडु में एल.टी.टी.ई. की गतिविधियों को नियंत्रित कर लिया गया है।

एल.टी.टी.ई. ने 1989 में तमिलनाडु में काफी तबाही की, जब कि द्रमुक सरकार सत्ता में आई। उनका विद्रोह तेजी से फैला, जिसके परिणामस्वरूप हमारे एक युवा नेता और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। लेकिन हमारे क्रांतिकारी नेता ने सत्ता में आने के पश्चात छः महीने के भीतर तमिलनाडु में एल.टी.टी.ई. की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। केन्द्र की सहायता लिये बिना और सेना की सहायता लिये बिना उन्होंने एल.टी.टी.ई. की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने यह काम पुलिस की सहायता से कर दिखाया है, जिसके पास पुराने हथियार हैं, जो टीपू सुल्तान के समय में ही इस्तेमाल में लाये जा सकते थे। सभी लोग मानते हैं कि उन्होंने एल.टी.टी.ई. का तमिलनाडु से सफाया कर दिया है। इन पर काबू पाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। यूरोप के बाजारों में दुकानदार एल.टी.टी.ई. के लोगों को कोई चीज नहीं बेच सकते। हमारे क्रांतिकारी नेता ने ऐसे साहसिक कदम उठाये हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु से विश्व विख्यात संगठन एल.टी.टी.ई. का सफाया हो गया है जो काम केन्द्र को करना चाहिये था और जो काम केन्द्र पूरा करने में सफल नहीं हुआ उसे हमारे नेता ने पूरा कर दिखाया है। जो कार्य हमारी सेना भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकी उसे हमारे मुख्य मंत्री ने केवल पुलिस की सहायता से सफलतापूर्वक कर दिखाया है। अतः हमें मुख्यमंत्री को, जो इतने सुचारु ढंग से काम करती हैं, बधाई देनी चहिये। वह तमिलनाडु का शासन बहुत अच्छे ढंग से चला रही हैं और राज्य में शान्ति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हम सब को उनकी सराहना करनी चाहिये। लेकिन यह दुःख की बात है कि कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या होने के कारण इसके विपरीत हो रहा है। यदि अकारण उनके काम में बाधा डाली गई तो इससे इस देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी। इस समय आतंकवादियों के खतरे का मुकाबला करने के लिए उनके हाथ मजबूत करने की आवश्यकता है।

जब कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक सरकार के रूप में सत्ता में आई तो हमने इसे अपना समर्थन दिया। जब इस सभा में इस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, तो इस सरकार को गिरने से बचाने के लिए अन्नाद्रमुक सदस्यों ने अपना पूरा समर्थन दिया। हमने कांग्रेस सरकार को तब क्यों समर्थन दिया? हमने कांग्रेस सरकार को इसलिए समर्थन दिया, क्योंकि हमने सोचा कि एक अल्पसंख्यक सरकार का पतन इस संकटपूर्ण समय में नहीं होना चाहिये। हमारे नेता ने दूरदर्शिता के साथ सोचा कि ऐसा करने से देश की स्थिति डांवाडोल हो सकती है। उन्होंने ये भी सोचा कि यदि चुनाव हुए होते उनके आधार पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी कि एक और मिली-जुली सरकार सत्ता में आती जिससे देश की स्थिरता और अधिक कमजोर हुई होती। हमारे नेता ने सोचा कि इससे हमारे देश की एकता को खतरा हो जायेगा और एक ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि देश विभाजित हो जायेगा। यही कारण है कि हमारे क्रांतिकारी नेता ने सोचा कि कांग्रेस की अल्पसंख्यक सरकार को बचाया जाये।

हमारे नेता ने, जिनको सभी तमिल लोगों और अन्नाद्रमुक के लाखों लोगों ने स्वीकार किया है, इस सभा में इस समय तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों को अपना समर्थन दिया। वे सभी जानते हैं कि उनके समर्थन से ही वे जीत सके और इस सभा में प्रवेश पा सके।

हमारी वीर नेता जोरदार ढंग से इस देश की अखण्डता को बनाये रखने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग तमिलनाडु

में उनके शासन में बाधायें पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस, जो कई राज्यों में सत्ता खो बैठी है, दूसरे दलों के मार्ग में, जिन्होंने उनका स्थान लिया है, बाधायें पैदा कर रही है। कांग्रेस दोनों प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को समर्थन दे रही हे, जो तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार के लिए बाधायें पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहां बैठे तमिलनाडु के सभी सदस्यों ने अन्नाद्रमुक के माध्यम से अर्थात् हमारे गतिशील नेता पुराचीथालेवी के माध्यम से तमिल लोगों का समर्थन प्राप्त किया था।

श्री आर. अन्बारासू (मद्रास मध्य) : सभी सदस्यों ने नहीं।

***श्री राजागोपाल नायडू रामासामी :** अब राज्यों में उन सरकारों की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें आम जनता का समर्थन प्राप्त है। कुछ शक्तियां ऐसी सरकारों के बेहतर कार्यक्रम में बाधायें डालने का प्रयास कर रही हैं।

वे लोग जो मुर्गी पकड़ने के लिए छत पर नहीं चढ़ सकते अब आकाश में स्वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वे लोग जो कारगर ढंग से देश के भीतर की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते अब रक्षा का काम संभाले हुए हैं। मुझे इस पर आशंका है कि वे रक्षा का काम कैसे संभालेंगे देश की रक्षा का काम संभालना कोई साधारण बात नहीं हैं। यह देश के लिए सब से अधिक चिन्ता का विषय है। हम देश की समस्याओं पर तो काबू पा सकते हैं लेकिन सीमा से बाहर की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। देश की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हमें संदेह है कि यह सरकार वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे देश की कारगर ढंग से रक्षा कर सकेगी।

अतः इस देश के रक्षा सम्बन्धी मामलों की ओर कारगर ढंग से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि सशस्त्र सेनाओं के अलग-अलग विभागों अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायुसेना का कार्य देखने के लिए अलग-अलग राज्य रक्षा मंत्री होने चाहिये। रक्षा विभाग का काम देखने के लिए एक अलग मंत्रिमंडल स्तर का मंत्री होना चाहिये। तभी तालमेल अधिक अच्छे ढंग से स्थापित किया जा सकेगा और मंत्रालय का काम कारगर ढंग से चलाया जा सकेगा।

हमारे रक्षा कार्मिक देश के विभिन्न भागों में तैनात हैं। वे अपने परिवारों को अपने जन्मस्थानों पर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार वीर रक्षा कार्मिकों के परिवार और विधवायें हैं, जिन्होंने अपने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिये हैं। इन लोगों की देखभाल का काम देश को करना चाहिये। हमें उनके कल्याण का कोई रास्ता निकालना चाहिये। जिन सिपाहियों ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिये हैं, उनके परिवार जनों को सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये, ताकि वे शान से रह सकें। उन्हें शिक्षा और रोजगार की सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिये। पारिवारिक कार्डों की भांति उन्हें अलग कार्ड दिये जाने चाहिये, ताकि ये जरूरत की चीजें ले सकें, क्योंकि वे उन सिपाहियों के परिवार जन हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

हमारी सेना जवान, ओजस्वी और कुशल होनी चाहिये। अतः हमें लोगों की तभी भर्ती कर लेनी चाहिये, जब वे विद्यालयों में हों। उनके चयन की प्रणाली वही होनी चाहिये, जो डाक्टरों, इंजीनियरों और विधि स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु अपनाई जाती है। सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है, वे मानसिक दृष्टि से कुशल और शारीरिक दृष्टि से योग्य होने चाहिये। हमें उनका चयन तभी कर लेना चाहिये जब वे जवान हों। ऐसे लोगों को उनकी पसन्द के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इससे हमारी सेना का भविष्य बेहतर होगा और हमारी सेना अधिक मज़बूत होगी।

रक्षा कार्मिक युवावस्था में भर्ती किये जाते हैं और वे एक समझौते के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में काम करते हैं। 10 या 15 वर्षों के पश्चात् वे सेवानिवृत हो जाते हैं। उनमें से अधिकांश युवावस्था में सेवानिवृत हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्य अर्ध-सैनिक बलों में तुरन्त जगह दी जानी चाहिये। असैनिक कर्मचारियों को 10 या 15 वर्ष पूरा होने पर पदोन्नति मिलती है। सैनिकों के साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिये। एक बार 10 वर्षों के बाद उनकी निर्धारित अवधि पूरी होने पर उनको अपने आप ही अन्य विभागों में रख लिया जाना चाहिये। इस प्रकार हम अपनी सेना को जवान रख सकेंगे और साथ ही अपने रक्षा कार्मिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा कर सकेंगे। इससे सक्रिय सेवा में रहते हुए रक्षा कार्मिक अपना पूरा योगदान भी दे सकेंगे, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिन्ता नहीं होंगी। जब रक्षा कार्मिक अपने घरों से दूर यूनिटों में काम करते हैं, तो उन्हें अपने परिवारों की हालत की कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार को कठिनाइयां हो रही होंगी। सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए उनके कल्याण की कोई योजना बनानी चाहिये। कुछ कल्याण इकाइयां बनाई जायें जो ऐसे परिवारों के पास सप्ताह में कम से कम एक बार जायें और उनकी समस्याओं का पता लगायें तथा उनकी सहायता के लिए आगे आयें। जो रक्षा कार्मिक समर्पण की भावना से राष्ट्र की सेवा करते हैं उन्हें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिये कि देश उनके परिवारों का पूरा

* तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ध्यान रखेगा। देश को उनका ध्यान रखना चाहिये जब वे देश का ध्यान रखते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने तथा उनका समर्थन करने से पूर्व मैं पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करना आवश्यक समझता हूं। पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में रक्षा सेवाओं ने जो शानदार भूमिका निभाई है, उसे हम पंजाब के लोग नहीं भूल सकते। उन्होंने बिना गोली चलाये और बिना किसी की हत्या किये ऐसा कर दिखाया है। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा हमारे राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने में बहुत ही सराहनीय काम किया है। कल हमारे मित्र मेजर सुधीर सावंत ने कहा कि अब पंजाब की समस्या का समाधान हो गया है और इस स्थिति में हमारी सेना की भूमिका बहुत सराहनीय है। अतः हमारी सशस्त्र सेनाओं ने जिस तरीके से लोगों की विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्र में सहायता की उसके लिए मैं सशस्त्र सेनाओं की हृदय से सराहना करता हूं।

महोदय, मुख्य रूप से सेना के दो कार्यों से हमें बहुत सहायता मिली है। एक तो था सीमा बन्द करना जो बहुत जरूरी था, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षित उग्रवादी सीमा पार से भेजे जा रहे थे। अतः सीमा बन्द करके सेना ने बहुत अच्छा काम किया और शांति की बहाली में सहायता की। सेना ने दूसरा काम गश्त लगाने का किया। प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बहुत सफल सिद्ध हुई। इसने उग्रवादियों को रोकने का काम किया और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवाद पर नियन्त्रण पाने में सहायता मिली।

महोदय, इसके अतिरिक्त, सेना ने कुछ कल्याण योजनायें आरम्भ करने का भी बहुत उत्तम काम किया है। मैं इस भव्य सभा को बताना चाहता हूं कि सेना ने कई कल्याण योजनायें आरम्भ कीं। जनता के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने, साक्षरता को बढ़ावा देने, अच्छे विद्यालय भवनों का निर्माण करने में लोगों की सहायता करने स्टेडियम का निर्माण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी अन्य कल्याण योजनायें आरम्भ करने से हमारी सशस्त्र सेनायें बहुत लोकप्रिय हो गईं और हमारी सेना जनता के बहुत करीब आ गई तथा जनता उन्हें पसन्द करने लगी। इससे पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल कराने में काफी सहायता मिली।

महोदय, हमारे मित्र मेजर सुधीर सावंत हमारी आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बोले और इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जहां तक आधुनिकीकरण, हथियारों की खरीद और सेना का दर्जा बढ़ाने का संबंध है, मैं सभा के माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि सशस्त्र सेनाओं ने जो अनुमान पेश किए हैं और जिनका उल्लेख बजट में किया गया है उनको पूरा करने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहियें।

महोदय, कुल बजट आवंटन में से 7,000 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं और 2,000 करोड़ रुपए नए हथियार खरीदने के लिए रखे गए हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। सशस्त्र सेनाओं ने जितनी राशि का मांग की है उससे-कम राशि आवंटित की गई है। लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इन सभी योजनाओं को इस वर्ष पूरा किया जाएगा। इन सभी योजनाओं का अवलोकन करने से हमें पता चलेगा कि कुछ योजनाओं में विलंब हुआ है और मैं माननीय प्रधानमंत्री से सहमत हूं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता इन योजनाओं को प्रधानमंत्री ही पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये योजनाएं हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे आशा है कि सेना के उपकरणों का आधुनिकीकरण अथवा टैंकों के निर्माण संबंधी इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि पृथ्वी का उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। इसमें आशंका है। मुझे आशा है कि सरकार इस स्थिति के प्रति पूरी तरह सचेत है और सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।

एलसीए परियोजना में काफी विलंब हुआ है और इसकी लागत बहुत बढ़ गई है। "मैं परंपरागत हथियारों का हस्तांतरण" (कन्वेंशनल आर्म्स ट्रांसफामर्स) पुस्तक से कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं जिसका प्रकाशन रक्षा अध्ययन संस्थान ने किया है। इसमें कहा गया है :

> "विलम्बित एल.सी.ए. परियोजना पर पहले ही 32 बिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैबलिशमेंट में जीटीएक्स-35वीएस कावेरी इंजन का विकास करने पर 3.5 विलियन रुपए खर्च हुए हैं।"

यह विलंब भारतीय कोष के लिए पहले ही काफी महंगा पड़ा है। मैं समझता हूं कि एलसीए परियोजना को पूरा करने में अभी कुछ और वर्ष लगेंगे। हमारा रक्षा संगठन इसे पूरा करने के काम में लगा हुआ है। आशा है यह परियोजना निर्धारित तारीख तक पूरी हो जाएगी।

जहां तक परमाणु अप्रसार संधि का संबंध है, एक प्रस्ताव आया है कि सभा को इसके बारे में एक नियम बनाना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। इसके बारे में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम इस संधि को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने बार-बार यह कहा है और मुझे

विश्वास है कि सरकार की अवधारणा सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है और सरकार ने जो कुछ कहा है हमें उसका आदर करना चाहिए। हमें इसमें कोई आशंका नहीं है कि हमारा देश उसका पालन करेगा।

हमारे योग्य सदस्य श्री जसवंत सिंह ने कहा कि हम ए.के. 47 राइफल लेने जा रहे हैं। ठीक है, मैं "सामरिक विश्लेषण" से, जो नवीनतम प्रकाशन है, तीन पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। युद्ध का बदला स्वरूप और लघु अस्त्र आयाम शीर्षक वाले एक लेख में स्पष्ट कहा गया है कि :

> "सुबाह्यता की इस अवधारणा से आज के सैनिक को कई लाभ होने थे क्योंकि उसके निजी असाल्ट वैपन और ग्रिनेड डिस्चार्जर के अतिरिक्त तोप, मार्टर और हल्के टैंक भेदी हथियार उसके 'गोल्फ बैग' का अंग बनने थे।"

एक छोटी आसाम राईफल का निर्माण अब न केवल रूस या केवल एक या दो देशों द्वारा किया जा रहा है अपितु अमरीका, चीन, फ्रांस, इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई अन्य देशों द्वारा भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमें परंपरागत हथियारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें बड़े देशों की ओर देखना चाहिए जिसके पास विशेष प्रकार के रक्षा उपकरण हैं फिर भी छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऐसे हथियारों को संभालना आसान है। ऐसे हथियार अधिक लंबे नहीं हैं, उनका वजन 3 या 4 किलोग्राम है और उनकी गोली दागने की दर बहुत ऊंची है। अतः यह बहुत कारगर है। मैं ऐसा पंजाब में अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। पंजाब में जब हमारे पुलिस बल को ऐसी राईफल दी गई तो आतंकवादी इससे डरने लगे। उससे पूर्व जब आतंकवादियों के पास ये हथियार थे तो पुलिस बल आतंकवादियों से लड़ने से घबराता था। इस प्रकार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल बहुत लाभदायक हो सकता है। मैं इस संबंध में श्री जसवंत सिंह जी के विचारों से सहमत नहीं हूं।

सैनिक विद्यालयों के संबंध में कुछ कहा गया है। यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ पदों पर कर्मिकों की कमी है। पंजाब में कपूरथला में एक सैनिक विद्यालय है। जिस इमारत में यह विद्यालय खोला गया है वह कपूरथला के महाराजा का महल था। यह एक बहुत ही खुली इमारत है। लेकिन इसके अनुरक्षण में बहुत कठिनाइयां आती हैं। राज्य सरकार सहायता नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार के पास पर्याप्त कोष नहीं है। यह एक बात है। ठीक है कुछ धनराशि का प्रबंध किया जा सकता है। लेकिन इस सैनिक विद्यालय में दुख की बात यह है कि इस विद्यालय से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती के लिए अधिक छात्र/छात्राएं आगे नहीं आ रही हैं। विद्यार्थियों में प्रेरणा का आभाव है। यह चिंता का विषय है। यदि सैनिक विद्यालयों के विद्यार्थी सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए आगे नहीं आते तो अन्य संस्थाओं से विद्यार्थी लेना बहुत कठिन है। अब सभी अच्छे छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा में अथवा चिकित्सा और इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भर्ती के लिए जा रहे हैं। ये चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश ले रहे हैं। जो छात्र बच जाते हैं वे सेना, वायुसेना, नौसेना तथा अन्य सेवाओं में जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमें अपने सैनिक विद्यालय पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कम से कम अधिकांश छात्र सेवाओं में भर्ती हों। उन्हें ठीक ढंग से प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्हें ठीक खुराक दी जानी चाहिए। इस समय सैनिक विद्यालय में प्रति दिन मुश्किल से रुपए की खुराक दी जाती है। इन दिनों इतनी खुराक पर्याप्त नहीं है। इतना कम खाने के बाद हम सोचते हैं कि वे अच्छे सिपाही और अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। यह बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि जब वे साक्षात्कार तथा परीक्षा के लिए जाते हैं तो सामान्यतया वे सफल नहीं होते और फेल हो जाते हैं। उनमें सेना में भर्ती होने की कोई आकांक्षा नहीं है। अतः सैनिक विद्यालयों की हालत सुधारी जाए।

अब मैं सशस्त्र सेनाओं के एक बड़े योगदान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह योगदान हमें खेलों के मामले में मिलता था। हमें हमारे सभी सर्वोत्तम खिलाड़ी, हमारे एशियाई चैंपियन हमने अपनी सेवाओं से लिए थे जैसे मिल्खा सिंह तथा अन्य पहलवान। आजकल सेवाओं से कोई अच्छा एथलीट नहीं आ रहा है। मैं रक्षामंत्री और प्रधानमंत्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि रक्षा सेवाएं जो हमारे देश को उच्चकोटि के खिलाड़ी देती रही है, पुनः ऐसे खिलाड़ी देश को दें और अच्छे खिलाड़ी पैदा करने में देश की पूरी सहायता करें।

महोदय, श्री जसवंत सिंह ने कहा कि देश में कोई युद्ध संग्रहालय या युद्ध स्मारक नहीं है। मेरे विचार से उनका यह कहना गलत है। पंजाब में लुधियाना में हमने एक बड़ा युद्ध संग्रहालय बनाना आरंभ किया है जहां युद्ध नायकों के चित्र, फोटो और अर्धप्रतिमाएं रखी जाएंगी। इसमें पंजाब के सिपाहियों के चित्र लगाये जायेंगे। हम देश के सभी भागों से फोटो एकत्र कर रहे हैं। यह वास्तव में एक बहुत अच्छा संग्रहालय बनेगा। मेरा विचार है रक्षामंत्रालय को भी इस संग्रहालय के शीघ्र निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए क्योंकि राज्य की भी कुछ वित्तीय कठिनाई हैं।

जहां तक युद्ध स्मारकों का संबंध है, युद्ध स्मारक तो पहले ही हैं। हमारे राज्य में एक बहुत ही अच्छा युद्ध स्मारक सारागढ़ ही युद्ध स्मारक है, जो फिरोजपुर छावनी में है। सारागढ़ ही युद्ध स्मारक के मामले में हमारे सिपाहियों ने वास्तव में आश्चर्यजनक काम किया है एक बहुत ही वीरोचित कार्य किया गया। वहां पर

बहुत ही अच्छा स्मारक है और उसकी अच्छी देखरेख की जाती है और उसकी हर वर्ष वहां सारागढ़ ही दिवस मनाया जाता है। अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे देश में कोई युद्ध स्मारक नहीं है और हमारे युद्ध नायकों की उपेक्षा की गई है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को भी भूतपूर्व सैनिकों की तथा सेवारत सैनिकों की परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि इस संबंध में न केवल केंद्र सरकार अपितु राज्य सरकारों का भी कर्त्तव्य है। राज्य सरकारों के राज्यों की रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग नामक अपने विभाग हैं और पंजाब तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य सैनिकों को कुछ वित्तीय सहायता देकर, सेवाओं में उनको आरक्षण देकर तथा उनको पुनः रोजगार देने की कई अन्य योजनाएं चलाकर उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

इसी प्रकार युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए पंजाब में युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को दस एकड़ भूमि या शहरों में एक एकड़ का भूखंड दिया गया है। अतः मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी ऐसा करेंगे। हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और सेवारत सैनिकों के बच्चों की देश द्वारा भी देखभाल की जानी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में केंद्र सरकार ने न केवल उपकरणों के आधुनिकीकरण अपितु उन्हें अद्यतन बनाने पर बल देने का भी प्रयास किया है। इन पर हमें बल देते रहना चाहिए और हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिये। हमें इस पर गर्व है इसने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा विचार है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के काम की पूरे देश को सराहना करनी चाहिए। इसकी उपलब्धियां सराहनीय हैं। मैं महसूस करता हूं कि इनकी सभी योजनाओं के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए चाहे वह उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों का मामला हो, प्रक्षेपास्त्रों का मामला हो अथवा सेना, वायुसेना या नौसेना के लिए आवश्यक टैंकों या अन्य उपकरणों का मामला हो। इन चीजों की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय हम एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमें यह अवसर नहीं दिया गया। 1992-93 और 1994-95 में रक्षा मांगों को बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। अतः यह अच्छी बात है कि इस बार हम रक्षा बजट पर चर्चा कर रहे हैं।

यह सौभाग्य की बात है कि यह सरकार पांच बजट पेश कर सकी है। इस लंबी अवधि के दौरान हमें आशा थी कि यह सरकार रक्षा के लिए धन जुटाने और रक्षा पर धन खर्च करने के मामले में कुछ नए रास्ते अपनाएगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह आशा थी, कि संभवतया जो अविवेकपूर्ण था, कि यह सरकार रक्षा बजट और कोष के मामले में कोई सराहनीय कदम उठाएगी। वास्तव में मैंने अपने पहले भाषण में, जब श्री शरद पवार यहां थे, मैंने उनसे अनुरोध किया- वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और एक प्रशासक थे - कि रक्षा का बजट तैयार करने और इसके लिए साधन जुटाने में कोई नवीनता लाई जाए और इसे नई दिशा दी जाए। लेकिन दुःख की बात है कि सरकार वही तदर्थवाद और आकस्मिकतावाद की नीति जारी रखे हुए है। इन पांचों बजटों में कोई नई चीज नहीं की गई है। वित्त मंत्री सोचते हैं कि उन्होंने सभा को यह बता कर बड़ी तोप मार ली है कि रक्षा सेनाओं के लिए और देश की रक्षा के लिए कोई कोर-कसर नहीं रहने दी जाएगी। और आवंटन 23,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने पर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। वह अपना हाथ धो लेते हैं और सभी यह समझते हैं कि उन्होंनें बहुत बड़ा काम किया है। सभी अपनी पीठ थपथपाते हैं इस बात की कोई चिंता नहीं कि यह वृद्धि मुद्रास्फीति को पूरा करने के लिए लिए भी पर्याप्त है या नहीं, आधुनिकीकरण और विभिन्न अन्य चीजों की बात तो दूर रही? लेकिन सभी खुश हैं और यह सोचते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा का उन्होंने पूरा ध्यान रखा हैं।"

महोदय, मेरे वरिष्ट सहयोगी, श्री जसवंत सिंह ने विभिन्न मसलों, नीति विषयक मामलों, उपकरणों तथा अन्य चीजों के बारे में विस्तार से भाषण दिया। अतः मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं केवल उन मसलों को लूंगा जो चिंता के विषय बने हुए हैं।

महोदय, किसी देश की रक्षा आसान काम नहीं है लकिन इस देश, भारत, की ररक्षा बहुत कठिन है। मैं नहीं जानता कितने लोग इसे महसूस करते हैं। हमारी भूमि सीमा 16,500 किलोमीटर है जिसमें से 7,000 किलोमीटर सीमा चीन और पाकिस्तान के साथ लगनी है। हमारा तट 7,600 किलोमीटर लंबा है। हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 25 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारे पास 500 से अधिक महाद्वीप और जन कार्बन प्रतिष्ठापन हैं। हमारे इलाकों पर दूसरे देश कब्जा भी कर रहे हैं। चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था और 90,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र पर दावा किया है आधा जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान ने इसमें से 10,000 किलोमीटर क्षेत्र उपहार के रूप में चीन को दे दिया है। अतः आशा की जाती थी कि **इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह काम बहुत कठिन है, सशस्त्र सेनाएं और रक्षा मंत्रालय**

मिलजुल कर काम करेंगे, समस्याओं की पहचान करेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस मामले में भी रक्षा मंत्रालय ने अधिक से अधिक एक डाकखाने के रूप में काम किया है और कई बार तो इसने काम में बाधा डालने का ही प्रयास किया है।

जब कुछ अच्छे प्रस्ताव या अच्छे सुझाव सशस्त्र सेनाओं से आते हैं तो कुछ लोगों के मिथ्याभिमान की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता नहीं तो उसका श्रेय किसी दूसरे को जाएगा। इस प्रकार का रवैया बहुत ही घृणित है। अतः जब इन वर्षों में कोई नई विचारधारा या नई दिशा मिल सकती थी तो हमने उसे रोका और इस प्रकार हमने बहुमूल्य समय बर्बाद कर दिया है। समय के अभाव क कारण मैं जो मसले उठा रहा हूं उन्हें मैं प्रश्नों के रूप में रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि उनके उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा।

मेरा पहला प्रश्न धमकी के अनुमान के बारे में है। हर वर्ष हमें रक्षा मंत्रालय से एक बहुत ही सुंदर और लुभावना वार्षिक प्रतिवेदन मिलता है। मैं यहां पिछले पांच वर्षों से हूं। पिछले दो वर्षों से कुछ लोग जानकारी और उपयोगिता की दृष्टि से प्रतिवेदन में सुधार लाने का जो प्रयास करते रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। इस पुस्तक में सब से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण के बारे में उल्लेख किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन में शुरू में ही इसी बारे में कहा जाता है। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण की बात करते हैं तो हम कहां पहुंचेंगे? ऐसी स्थिति में हमारे सामने खतरे की बात आना स्वाभाविक है। जब देश के सामने खतरा होता है तो हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास उस खतरे का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि पिछली बार रक्षा मंत्रालय ने खतरे के बारे में कब अनुमान लगाया था जिसके आधार पर आपने तीन सेनाओं के अध्यक्षों को सलाह दी है।

दूसरे, इस खतरे की संभावना के आधार पर क्या तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने बताया है कि उन्हें कितने सामर्थ्य की आवश्यकता है? क्या आपको यह मांग तीनों सेवाओं अर्थात, सेना, नौसेना और वायु सेना से मिल गई है? यदि उन्होंने आपको अपनी मांग बता दी है, जो मैं समझता हूं उन्होंने आपको बता दी होगी तो क्या आपने उसे पूरा कर दिया है? यह मेरा तीसरा प्रश्न है। चौथे, यदि आपने इस मांग को पूरा नहीं किया है तो क्या आपने तीनों सेनाध्यक्षों को जो काम सौंपा है उसमें कमी कर दी है? यदि नहीं तो आप यह आशा कैसे करते हैं कि तीनों सेनाध्यक्ष सैन्यशक्तियों में अपेक्षित वृद्धि हुए बिना आपके द्वारा सौंपे गए कार्य का पूरा कर पाएंगे? क्या आप अभी भी यही सोचते हैं कि तदर्थवाद और आकस्मिकतावाद के आधार पर आप युद्ध जीत लेंगे? हमारे सिपाही बहुत अच्छे हैं और हमारी रक्षा सेनाएं बहुत अच्छी हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूं कि हमने आकस्मिकतावाद का काफी सहारा लिया है और सेवाओं में काम चलाऊ प्रबंध से काफी काम लिया है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आज की आधुनिक युद्ध प्रणाली में काम चलाऊ प्रबंध से काम नहीं चलेगा। दूसरे विश्व युद्ध में तो इससे काम चल गया था। यह बहुत गंभीर मामला है। यदि हमने सांड सीगों से नहीं पकड़ा तो हम खतरे से नहीं बच सकते। आप यह नहीं कह सकते कि आपने देश की रक्षा का काम सेनाओं को सौंपा है लेकिन आप उन्हें सामर्थ्य नहीं दे सकते। आप को जैसे तैसे सामर्थ्य देना होगा नहीं तो काम नहीं चलेगा अन्यथा हमें युद्ध के दौरान मुंह की खानी पड़ेगी।

अगला संबंधित प्रश्न यह है कि क्या रक्षा मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के बारे में संसद के दानों सदनों द्वारा पारित संकल्प की ओर ध्यान दिया है? यदि आपने इसकी ओर ध्यान दिया है तो आपने इस कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए दोनों सदनों द्वारा इस सरकार को दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए क्या अतिरिक्त सामर्थ्य दिया है? यहां एक निश्चित संकल्प पारित किया गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्र को वापस लेने की बात भी कही गई है। आपने इसके बारे में क्या किया है? क्या आपने इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया है? यह संकल्प दोनों सदनों ने पारित किया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए इस सरकार ने क्या किया है। आपने कुछ नहीं किया तो क्यों कुछ नहीं किया?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि प्राक्कलन समिति ने 20 अगस्त, 1992 को सभा में अपना 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस समिति के सभापति एक योग्य व्यक्ति श्री जसवंत सिंह जी थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और उपयोगी प्रतिवेदन तैयार किया था और बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिए थे। यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय को दिया गया था। मैं दो वर्षों तक संसद में इस प्रतिवेदन के बारे में प्रश्न उठाने का प्रयास करता रहा। मुझे बताया गया कि की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन नहीं आया है और इसलिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मैं प्रश्न नहीं पूछ सकता। मैं इसका पीछा करता रहा और व्यक्तिगत रूप से यह प्रयास करता रहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन पेश किया जाए। की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन 28 अप्रैल, 1994 को दिया गया। की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन यहां मेरे पास है और समिति की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति श्री भोई भी यहां बैठा है। रक्षा मंत्रालय के बारे मे इस समिति ने जो टिप्पणियां की हैं मैं उनमें से कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं और इस बात का निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि यह मंत्रालय क्या कर रहा है। मैं वित्तीय शक्तियों के प्रायोजन के बारे में कुछ अंश पढ़ूंगा।

"समिति को खेद है कि मंत्रालय ने उन विशिष्ट शक्तियों के बारे में कुछ नहीं बताया जिनमें उपयुक्त वृद्धि की गई है...

समिति चाहती है कि उसे विशिष्ट सिफारिशों का ब्यौरा दिया जाए..."

संघात की सफलता के बारे में मैं की गई कार्यवाही की शब्दावली पढ़ रहा हूं।

"निस्संदेह यह आश्चर्य की बात है कि बेड़े के आधुनिकीकरण वायुसेना में और सैनिकों की भर्ती करने की दिशा मे सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोई विशेष उत्तर मंत्रालय ने नहीं दिए हैं। उत्तर अस्पष्ट शब्दों में दिया गया है।"

यह शब्दावली है उन्होंने उत्तर देने के लिए मंत्रालय को तीन महीने का समय दिया है। यह प्राक्कलन समिति का की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन है। मंत्रालय में दो वर्षों तक मंत्रालय में विचार विमर्श के बाद इस प्रकार का उत्तर आया है और उस प्रतिवेदन पर जो अगस्त, 1992 में पेश किया गया, अप्रैल 1994 में दिए गए उत्तर पर यह टिप्पणी की गई है।

"मंत्रालय के इस प्रकार के उत्तर से समिति समझ सकती है कि मंत्रालय ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। समिति बाह्य होकर यह नोट करती है कि समिति की इस सिफारिश के पश्चात भी कि सी.डी.ई. की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए और इस दिशा में हुई प्रगति की सूचना छह महीने की अवधि के भीतर समिति को दी जाए, कोई ठोस कार्यवाही..."

मैं इसके अधिक विस्तार में जाना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं।

जनशक्ति प्रबंध के बारे में कहा गया है :

"जिस लापरवाही से उत्तर दिया गया है उससे समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मंत्रालय ने समिति की सिफारिश पर गंभीर रूप से विचार नहीं किया है।"

यदि प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की यह दशा है तो पता नहीं हमारे भाषणों की क्या दशा होती होगी।

"समिति इस बात पर भी बल देना चाहेगी कि समिति की सभी सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाए और इस मामले में जिस तरह टालमटोल वाला उत्तर दिया गया है उस तरह का उत्तर न दिया जाए।"

इस दस्तावेज में जो चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं उनकी कही गई है।

"समिति मंत्रालय के अस्पष्ट उत्तर पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

एक संसदीय समिति को जिसके सभापति एक प्रसिद्ध संसद सदस्य हैं। और बहुत वरिष्ठ सांसद इसके सदस्य हैं, इस प्रकार का उत्तर दिया गया है।

एक जगह यह सामान्य टिप्पणी की गई है :

"मंत्रालय ने जिस ढंग से समिते की सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है समिति उस पर अपना असंतोष व्यक्त करती है।"

अतः इसके विस्तार में जाए बिना मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है और क्यों इस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है। प्राक्कलन समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में दी गई किसी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। अपितु इस प्रकार का उत्तर आना था तो हमें इस प्रकार की किसी समस्या पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या थी।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डूरी जी, एक मिनट। इस चर्चा में चार या पांच सदस्य और भाग लेना चाहते हैं। अतः मैं समझता हूं कि सभा 7.00 बजे तक बढ़ाने के लिए सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, कल।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम कम से कम एक घंटे के लिए आज सभा का समय बढ़ा दें, ताकि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे आज बोल लें और कल प्रश्नकाल के तुरंत बाद अथवा जब भी अध्यक्ष महोदय चाहें प्रधानमंत्री उत्तर दे सकते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदस्यों को आज बोलने की अनुमति दी जाए, ताकि आज चर्चा खत्म हो जाए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हर्बर) : इससे भी स्पष्ट होता है कि सरकार कितनी असमंजस में है। सरकार कल के लिए समय निर्धारित नहीं कर सकती। कल के लिए अध्यक्ष महोदय समय निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय से आज बात की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय से समय निर्धारित करने के लिए आज बात की जा सकती थी। प्रधानमंत्री उस समय बोल सकते थे और कल सदस्य बोल सकेंगे। क्या समस्या है? आप अध्यक्ष महोदय से क्यों नहीं बात कर सके और उनसे यह नहीं पूछ सके कि प्रधानमंत्री ने किस समय बोलना है?

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केवल एक घंटे के लिए समय बढ़ा दें, ताकि माननीय सदस्य

बोल सकें। उनके बोलने के बाद हम चर्चा समाप्त कर देंगे। हम कल प्रश्नकाल के तुरंत बाद विवाद का उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री अमल दत्त : नहीं जो भी हो, यदि शून्यकाल को समाप्त करना है और प्रश्नकाल के बाद प्रधानमंत्री ने बोलना है तो यह बात साफ साफ कही जाए। लेकिन वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है जब भी अध्यक्ष महोदय कहेंगे ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली बार रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना चाहा था और उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। माननीय सदस्य रक्षा के बारे में जो कुछ महसूस करते हैं वह सभी चार या पांच मिनटों में नहीं कह पाएंगे।

...**(व्यवधान)**...

श्री अमल दत्त : क्या हम नहीं जान सकते? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि कल का क्या कार्यक्रम है? यदि कार्यक्रम यह है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद प्रधानमंत्री उत्तर देंगे तो हम इस पर एक तरह से देखेंगे।

...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा करेंगे कि हम केवल एक घंटे के लिए बैठेंगे और...

...**(व्यवधान)**...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : हम कल एक घंटे की चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद उत्तर सुन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे एक घंटे के लिए बढ़ाएंगे, ताकि सदस्य भाग ले लें। यदि कुछ और सदस्यों ने भाग लेना हुआ तो हम जारी रखेंगे।

...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : फिल्हाल हम एक घंटे के लिए सभा का समय बढ़ाएंगे। वे माननीय सदस्य जो दिलचस्पी रखते हैं इसमें भाग ले सकते हैं।

श्री अमल दत्त : आप इसे कल बीच में ले लें तो क्या हो जाएगा? इस पर मतदान आदि हो जाएगा। कुछ कटौती प्रस्ताव भी हैं। काफी समय बर्बाद हो जाएगा। मैं समझता हूं आप इसे खत्म कर सकते हैं। कल सायं 4.00 या 4.30 बजे प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। वह समय ठीक रहेगा ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छानुसार सभा का समय 19.00 बजे तक बढ़ाया जा रहा है क्या आप इससे सहमत हैं? सभा का समय 19.00 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। श्री खण्डूरी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...**(व्यवधान)**...

श्री अमल दत्त : हम अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जगतबीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभा आज स्थगित होने का इरादा रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय : रेलवे पर चर्चा के दौरान सदस्यों को केवल दो-तीन मिनट का समय दिया गया था। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण तैयार कर लिए हैं। वे काफी योगदान करना चाहते हैं।

...**(व्यवधान)**...

श्री जगतबीर सिंह द्रोण : महोदय मेरा अनुरोध यह है कि यदि संसदीय कार्य मंत्री महोदय हमें बता दें कि प्रधानमंत्री ने किस समय उत्तर देना है तो हम तदानुसार कार्यक्रम बना लेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यदि महोदय आप यह देखें कि प्रत्येक राजनैतिक दलों को कितना समय आवंटित किया गया है तो माननीय सदस्य उससे अधिक समय ले चुके हैं ...**(व्यवधान)**

श्री जगतबीर सिंह द्रोण : क्या हमने अधिक समय ले लिया है?

श्री मल्लिकार्जुन : मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ तो ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री जगतबीर सिंह द्रोण : महोदय, नहीं बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री 12.00 बजे आ रहे हैं तो समय बढ़ाना ठीक होगा। लेकिन यदि वह बाद में आ रहे हैं तो हम इसे कल जारी क्यों नहीं रखते? मैं यह कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी यह है कि वह शाम को 4.00 बजे आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं बशर्ते कि ...**(व्यवधान)**

श्री मुकुल वासनिक : महोदय मैं समझता हूं माननीय सदस्य एक घंटे के लिए सभा का समय बढ़ाने के लिए तैयार हैं। माननीय सदस्यों ने सदैव सहयोग दिया है और उनके सहयोग से ही हम सभा को चलाते आ रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य जैसे पहले सदैव सहयोग देते रहे हैं उसी तरह आज भी सहयोग देंगे। आशा है कि वे इस पर हमें नीचा नहीं दिखाएंगे। ... **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झांझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,

आप सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं. आपका आदेश हमें शिरोधार्य है, परंतु हमारा निवेदन है कि सर्वोच्च आसन के न्याय का पलड़ा मंत्री की तरफ नहीं झुकना चाहिए, न्याय की तरफ झुकना चाहिए। सिवाए सत्ता पक्ष के और कोई दल सदन का समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, फिर कैसे सदन का समय बढ़ाया जा रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : यदि माननीय सदस्य सदन का समय बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हैं तो फिर अलाटेड समय से अधिक किसी पार्टी को न दिया जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह तो आसन के अधिकार क्षेत्र में हैं, उसमें भी आप अतिक्रमण कर रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक बात बताऊंगा। माननीय सदस्यों ने प्रत्येक राजनैतिक दल को आवंटित समय के अनुसार चर्चा नहीं कराई। माननीय सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना चाहते थे और वे उन पर बोले हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य माननीय सदस्यों को अवसर न दिया जाये। अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। अतः यह बेहतर होगा कि सभा का समय बढ़ाया जाये।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही सरकारी पक्ष और विपक्ष के दोनों दलों के माननीय सदस्यों के सहयोग से ही चलाई जा सकती है अन्यथा नहीं।

...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है हम सभा का समय एक घंटा बढ़ाने के लिए सहमत होंगे। पहले ही हम कोई दस मिनट ...ब कर चुके हैं। श्री खण्डूरी अपना भाषण जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)...

श्री अमल दत्त : महोदय, हम इस शर्त पर सभा का समय बढ़ा सकते हैं कि केवल विपक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जायेगी। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों का प्रोटेस्ट दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह न्याय नहीं हो रहा हैं सदन की सहमति से ही सदन चलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप के सुझाव बहुत अच्छे हैं लेकिन आप अब इन्हें स्थगित कर दीजिये। ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मैं आप के निर्देशानुसार अपना भाषण जारी रखता हूं यद्यपि सभा को इस पर आपत्ति है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्य भी इसमें भाग लेना चाहते है। इसलिए हम समझौता कर लेते हैं।

...(व्यवधान)...

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं जो भूतपूर्व सैनिकों के बारे में है।

सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य तथा कई अन्य माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उस पर सभी चिन्तित हैं। इसके बारे में कई बाते कही जा सकती हैं। हम सलाहकार समितियों जैसे विभिन्न मंचों तथा प्रश्नों के रूप में इस पर चर्चा करते रहे हैं। दुर्भाग्यवश सरकार कतिपय बड़े मसलों पर बिल्कुल गम्भीर प्रतीत नहीं होती।

सर्वप्रथम, इस वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है कि सेवाओं से हर वर्ष 55,000 से 60,000 लोग सेवानिवृत्त होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की सेवाओं को उपयोग में लेने के लिए नीति बनाने से सरकार को कौन रोकता है। मैं पिछले चार वर्षों से इसकी मांग कर रहा हूं। लोग 35 या 36 या 37 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और प्रशिक्षित जनशक्ति बेकार जा रही है। यह राष्ट्रीय बरबादी है। यदि ईमानदारी से इनकी सेवाओं का सदुपयोग किया जाये तो ये लोग अनुशासन तथा विभिन्न अन्य कार्यों के रूप में राष्ट्र के प्रति काफी योगदान कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ऐसा करने से सरकार को कौन रोकता है कुछ प्रश्न पूछे गये और इस आशय की कुछ सिफारिशें की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्हें कौन रोक रहा है। सरकार इस मामले में कोई वक्तव्य नहीं दे सकती तो कम से कम ठीक-ठीक जानकारी तो दे सकती है। उन्हें ऐसा करने से कौर रोक रहा है ? क्या सशस्त्र सेनाओं की ओर से कोई आपत्ति आई है या सरकार की कोई अपनी मजबूरी है? क्या इन 60,000 लोगों की सेवाओं का सदुपयोग करने से कोई अन्य समस्या पैदा हो सकती है ? सरकार की समझ में यह सीधी सी बात नहीं आती कि इन लोगों की सेवाओं का सदुपयोग करने से इन पेंशन के रूप में होने वाले काफी व्यय की बचत होगी और इन धनराशि का उपयोग नये रोजगार के अवसरों तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों का सृजन करने में किया जा सकता है।

मुझे खेद है कि इस मुद्दे में कुछ अधिक समय ले रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों को कम से कम 15-16 वर्षों और कई लोगों को तो 28 से 30 वर्षों का अनुभव होता हैं जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो न तो उनके कौशल और न ही उनके

प्रशिक्षण का कोई प्रयोग होता है और कुछ समय अर्थात कुछ वर्षों बाद इतना ही नहीं कि उनके प्रशिक्षण का सदुपयोग नहीं होता अपितु इसका नकारात्मक प्रभाव होने लगता है और इस प्रकार समाज को उनसे इस हद तक नुकसान होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या समस्या है। सरकार इन लोगों की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करे और इस समस्या का सामना करे। यदि आवश्यक हो तो सरकार एक कार्यात्मक समिति बना सकती है लेकिन निर्णय स्थगित करने के लिए नहीं जैसा कि सामान्य तौर पर किया जाता है। आप उन्हें कुछ अर्थात् तीन महीने का समय दे सकते हैं और इस समय में उन सभी की सेवाओं का सदुपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ रही है। यदि यह संख्या इस समय 60,000 प्रति वर्ष है तो अगले वर्ष लाखों हो जाएगी और एक स्थिति आयेगी जब रक्षा के लिए निर्धारित पूरी धनराशि अथवा कुछ रक्षा बजट केवल वेतन और पेंशन तथा अन्य प्रशासनिक मामलों पर खर्च हो जाएगी। अतः यह बहुत गम्भीर मामला है। यह समस्या का एक पहलू है।

अब दूसरा पहलू भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण तथा उनको दी जाने वाले सुविधाएं हैं। बहुत सी चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गम्भीर चीज यह है। यह बात सपझ ली जानी चाहिये कि भूतपूर्व सैनिकों की जो कुछ परेशानी है या भूतपूर्व सैनिकों में जो भी असंतोष है वह केवल उनमें नहीं है अपितु सेवारत सैनिकों में भी है क्योंकि सभी ने सेवानिवृत होना है और सभी ने एक दिन भूतपूर्व सैनिक बनना है। इसलिए लोग बात करते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को सुविधायें नहीं दी गईं और उनकी देखभाल नहीं की गई तो वे पूरे समर्पण की भावना से क्यों सेवा करेंगे। इस प्रकार इससे सेवारत सैनिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः भूतपूर्ण सैनिकों की समस्याओं पर अलग से विचार न किया जाये।

अब वैसे तो कई उदाहरण है लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए कुछ ही उदाहरण दूंगा कि उनके साथ किस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है या उनकी उपेक्षा की जा रही है। पहले दूसरे विश्व युद्ध के पुराने लोगों को ही लीजिये। मैंने बार-बार यह बात यहां उठाई है। यहां उपस्थित बहुत कम लोगों को याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वयोवृद्ध लोगों का विघटन कर दिया गया था क्योंकि उस समय राष्ट्र को उनकी आवश्यकता नहीं थी। उनमें से कुछ अब 75 से 80 वर्ष के हैं और उनका आमदनी का कोई साधन नहीं है। केन्द्र सरकार उनको कुछ नहीं दे रही है। एक वर्ष पहले मैंने यहां यह प्रश्न उठाया था। मैंने इसे विभिन्न मंचों में उठाया। मैंने इसे सलाहकार समिति में भी उठाया। इस समय कुछ राज्य सरकारें उनको प्रतिमाह सौ रुपया देती हैं। मेरे उत्तर प्रदेश राज्य में उन्हें करीब दो वर्षों से यह राशि नहीं मिली है। उनका कहना है कि उनके पास पैसा नहीं है 75 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति को 100 रुपये प्रति महीना दिये जाते हैं। मंत्री जी, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनकी आय का कोई साधन नहीं है। कुछ लोगों का कोई सहारा नहीं है और वास्तव में वे भिखारी बन गये हैं। वे 75 से 80 वर्ष की आयु के लोग हैं। वे और कितने वर्ष जिन्दा रहेंगे? आपको उन्हें 4 या 5 वर्षों के लिए भी भुगतान करना पड़े तो मुझे विश्वास है कि उनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है कि आपको काफी खर्च करना पड़ेगा। आप बहुत ही अन्य चीजों पर बहुत सी धनराशि बर्बाद कर रहे हैं। क्या हम यह नहीं कर सकते? यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है, यह इन लोगों के प्रति मानसिकता और दृष्टिकोण का प्रश्न है। यह करोड़ों रुपये खर्च करने मात्र का प्रश्न नहीं है।

मैं दूसरा प्रश्न जो यहां उठाना चाहता हूं वह यह है। जंगी इनाम नामक एक चीज है। मुझे नहीं पता मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे। यह हास्यास्पद है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको आज प्रतिमाह 5 रुपये पेंशन मिल रही है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को 5 रुपये प्रति महीना लेने के लिए बस से खजाने तक जाने पर 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं यह क्या तरीका है? यह राशि 1917 में दी गई थी और यह दो या तीन पीढ़ियों तक दी जाती है। यह नाममात्र की कार्यवाही है। तीन पीढ़ियों के बाद हो सकता है वह जीवित न रहे लेकिन आप यह राशि 5 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर अधिक नहीं कर सकते। मैंने यह प्रश्न यहां उठाया था। मुझे रक्षा मंत्रालय से उत्तर मिला कि 1935 का आदेश है और इसलिए इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यह आपका कैसा दृष्टिकोण है? किसी व्यक्ति को पेंशन के रूप में जंगी इनाम के रूप में प्रतिमाह 5 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और दृष्टिकोण से सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

अब मैं चिकित्सा सुविधाओं पर आता हूं। मैं चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न समय-समय पर उठाता रहा हूं। मेरा गला कर्कश हो गया है लेकिन कोई व्यक्ति मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब निर्योग्यता की बात कही गई है। इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि यदि 20 या इससे अधिक निर्योग्यता हो......। अब मेरे दो प्रश्न है। मैंने उन्हें सलाहकार समिति की बैठकों में भी उठाया है। मैं आपकी जानकारी के लिए उनको दोहरा रहा हूं। जब 16 वर्ष की आयु में एक सिपाही सेवा में भर्ती होता है तो उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा होती है। हर वर्ष उसकी चिकित्सा जांच की जाती है। उसे सियाचीन भेजा जाता है, रेगिस्तान में भेजा जाता है और जंगलों में भेजा जाता है। हर जगह उसे काफ़ी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है चाहे दिन हो या रात हो। उसकी

24 घंटे डयूटी होती है। और जब वह अयोग्य हो जाता है तो आप घोषण करते हैं कि बीमारी के कारण सैनिक सेवा नहीं है। यह कैसे हो सकता है? आपकी मानसिकता कैसी है? आप उसको सियाचीन तथा अन्य कठिन क्षेत्रों में तैनात करते हैं और आप उनको नाममात्र की भी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं कराते हैं। यदि पाले के कारण उसका कोई अंग बेकार हो जाता है तो आप कहते हैं कि इसका कारण सैनिक सेवा है लेकिन यदि उसे दिल का दौरा, रक्तचाप या कोई अन्य रोग हो जाता है तो आप कहते हैं कि इसका कारण सैनिक सेवा नहीं है। यदि वह दिल्ली में होता है तो वह कैसे प्रभावित होता? आपको यह सिद्ध करना चाहिये कि या तो वह पियक्कड़ है या उसे नशाखोरी की आदत है और इसलिए उसे दण्ड देना होगा। लेकिन आप ऐसा भी नहीं करते। यह एक पहलू है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। हर वर्ष आप सैनिकों की चिकित्सा जांच करते हैं। अन्य सेवाओं की भांति सेना में यदि आप शारीरिक दृष्टि से अयोग्य पाये जाते हैं तो पदोन्नति के लिए आप पर विचार नहीं किया जायेगा लेकिन अब किसी दिन कोई 24 या 25 या 26 वर्ष का युवक कोई बीमारी पकड़ लेता है तो आप घोषण करते हैं कि वह चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य है और आप उसे सेवा से बाहर कर देते हैं।

मैंने एक और पहलू के बारे में भी रक्षा मंत्री को लिखा है। यह प्रश्न के रूप में था और मुझे बड़ा दिलचस्प उत्तर मिला है। मैं आपको उसका ब्यौरा दूंगा। पेंशन के रूप में और शरीरिक रूप से अयोग्य होने पर मिलने वाले लाभ के क्या होता है? दिल्ली के एक अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल का चिकित्सा बोर्ड कहता है कि चिकित्सा निर्योग्यता 30 प्रतिशत है। तब यह मामला सी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद को जाता है। वहां पर एक सामान्य ड्यूटी सेना चिकित्सा अधिकारी बैठा है। वह कहता है कि चिकित्सा निर्योग्यता 15 प्रतिशत है या 20 प्रतिशत से कम है। इसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति को अपनी पेंशन तथा निर्योग्यता लाभ नहीं मिलते। एक गरीब आदमी को अपने वैध लाभों से वंचित क्यों रखा जाये? इलाहाबाद में उस सी.डी.ए. कार्यालय में बैठे महानुभाव की दिल्ली में या लखनऊ में या पुणे में बैठे चिकित्सा विशेषज्ञ से कौन सी अधिक योग्यता होती है? इसका कोई उत्तर नहीं है। आप कहते हैं कि यह 1935 का आदेश है और इसी प्रकार के नियम हैं। मुझे श्री शरद पवार से इसी तरह का उत्तर मिला। क्या इस नियम को बदला नहीं जा सकता? मुझे लगता है कि इस पहलू पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

आप भूतपूर्व सैनिकों को कोई चिकित्सा सुविधायें नहीं देते हैं। लेकिन आप बातें बहुत बढ़चढ़ कर करते हैं। आप अपनी ही पीठ थपथपाते रहते हैं और यह कहते रहते हैं कि चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के मामले में आपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतना काम किया है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई दवाई या बिस्तरें नहीं हैं। निस्संदेह और भी बड़े-बड़े मसले हैं और मैं भी यहां कोई छोटे मसले नहीं उठा रहा हूं। आपको याद होगा, मैंने यह मसला एक सम्मेलन में उठाया था, जिसकी अध्यक्षता श्री शरद पवार ने की थी। जब मैं एक मेजर जनरल के रूप में रिटायर हुआ था तो मैं दिल्ली के एक आर्मी अस्पताल में गया था जो देश का सबसे बढ़िया अस्पताल है। मुझे क्या बताया गया? उन्होंने मुझे कहा, "खेद है, आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं। आपके लिए कोई दवाई नहीं है। आप बाजार से इसे खरीद लें" जब मेरी सेवा की शर्तों में ये सुविधायें शामिल हैं तो आप इन्कार कैसे कर सकते हैं? अथवा, आपमें हिम्मत है तो आप मुझे साफ-साफ बतायें कि एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मुझे इन सुविधायों का लाभ उठाने का हक नहीं है। आप केवल यह कह सकते हैं "सेवानिवृत्ति के पश्चात आप जो चाहें कर सकते हैं। आप मेरी सेवा की शर्तों में इनको शामिल करते हैं लेकिन मुझे सुविधायें नहीं देते। और फिर भी आप यह शेखी बघारते रहते हैं कि आप भूतपर्वू सैनिकों के लिए इतना कर रहे हैं। आप में मेरी देखभाल करने की हिम्मत नहीं है तो आप यह बात स्वीकार कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को चिकित्सा सुविधायें न दिये जाने के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसी चीजों का श्रेय लेने का क्या फायदा जो वास्तव में नहीं की जाती हैं।

हमें बताया जाता है कि इन सभी चीजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं कि पैसे की कमी है। लेकिन आप अपने सीमित साधनों का कितना सही खर्च करते हैं? मैं केवल दो उदाहरण दूंगा। आपको संचार मंत्रालय ने कुछ धनराशि देनी है। मैंने संसद में इसके बारे में एक प्रश्न पूछा।

आप संचार मंत्रालय से वह धनराशि वसूल नहीं कर सकते जो उसने आपके रक्षा उत्पादन मंत्रालय को देनी है। संचार मंत्रालय मूल धनराशि पर ब्याज भी नहीं देता और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपकी मशीनें खाली पड़ी हैं। सरकारी मंत्रालयों में भी आप वित्त का प्रबन्ध नहीं कर सकते। यह एक तरह की समस्या है।

एक दूसरी तरह की समस्या है। मुझे ऐसी बातें बताते हुए दुःख हो रहा है लेकिन मुझे आपनी बात बतानी चाहिये। मैंने यहां एक प्रश्न उठाया था। वायुसेना का एक विमान 12 जनवरी 1995 को दिल्ली से कोजीकोड़ गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से कोजीकोड़ जाने में विमान पर कितना ईंधन खर्च हुआ होगा। यह विमान किस लिए गया। यह एक राज्य के मुख्यमंत्री को ले गया। चूंकि मुख्यमंत्री विमान का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए रक्षा राज्यमंत्री को विमान में उनके साथ भेजा गया। जब मैंने वायुसेना के विमान के दुरुपयोग का यह प्रश्न संसद में उठाया तो मुझे बताया गया कि खेद है कि वे इसका उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन कुछ जानकारी दी गई। उस जानकारी से क्या पता चला? विमान वहां 20.05 बजे पहुंचा और 21.15 बजे वापस

आ गया–उस हवाई अड्डे पर यह जहाज एक घंटा और दस मिनट रुका। मुझे बताया गया कि रक्षा राज्यमंत्री विमान से बाहर भी नहीं निकले। आप इस प्रकार पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यदि उस महानुभाव ने किसी सांस्कृतिक समारोह में भाग लेने के लिए जाना था तो वह एक विमान किराये पर ले सकते थे। आपके पास बहुत पैसा है? सरकार का पैसा बर्बाद न करें; रक्षा प्रयोजनों के लिए दी गई धनराशि को बर्बाद न करें। आप इस तरह तो पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन आप दवाइयों के लिए पैसा नहीं दे सकते। आप जंगी इनाम की राशि 5 रुपये से बढ़ाकर एक सम्मानजनक राशि नहीं कर सकते। यह सशस्त्र सेनाओं के लोगों का अपमान है आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और फिर इस तरह पैसा बर्बाद करते हैं।

महोदय, मैं अपने अन्तिम मुद्दे पर आने से पहले मैं भी उन लोगों का साथ देना चाहता हूं जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की उपलब्धियों की बात की है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उत्कृष्ठ कार्य कर रहा है। मैं बहुत लम्बी अवधि अर्थात् 38 वर्षों तक सेवाओं में रहा हूं। मैं वैध कारणों से लगभग दो वर्ष पहले इस संगठन का एक कटु आलोचक था। प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र में बड़ी-बड़ी चीजें करने के अलावा छोटी-छोटी बातों की बिल्कुल अनदेखी की जाती थी। मैंने यह मसला उठाया। मैंने संबंधित व्यक्ति डा. कलाम से इसके बारे में बात की और अब उन्होंने एक नई पद्धति तैयार की है जिसके अन्तर्गत इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अतः मैं न केवल बड़ी चीजों के लिए, जिससे उन्होंने देश कर नाम ऊंचा किया है, बल्कि उन चीजों के लिए भी, जिनसे सशस्त्र सेनाओं की आम आवश्यकतायें पूरी होने लगी हैं। उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बड़ी चीजों की लागत पर छोटी-छोटी चीजों की जैसे पेंट, नेट आदि की उपेक्षा की जा रही थी। हर व्यक्ति प्रक्षेपास्त्रों आदि की बात करता था जिसके कारण इन्हीं पर ध्यान दिया जाता था। अतः मैं एक बार फिर डा. कलाम तथा उनके वैज्ञानिकों को एक अच्छा काम करने के लिए बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि ऐसा किया जाता रहेगा।

महोदय, मेरा अन्तिम मुद्दा सैनिकों के सम्मान के बारे में है। कल मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री जसवंत सिंह बड़े भावुक होकर इसके बारे में बोले। मैं यहां पीछे बैठा उनकी भावनाओं को समझ सकता था। हम सभी यही महसूस करते हैं जब बिना किसी कारण के दूसरे पक्ष की ओर से हमारे भूतपूर्व सैनिकों की निन्दा होती है तो हम अपमानित और अवमानित महसूस करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटिश सरकार, जिसके अधीन हम भाड़े के सैनिक थे, कोई काम करने के लिए हमें आदर देती थी लेकिन आज भूतपूर्व सैनिकों की निन्दा की जा रही है। इस तथ्य के बावजूद कि कुछ परिवर्तन होने हैं, आम चीजों का क्या होता है। उन दिनों, जो व्यक्ति लाल फीता लगाता था वह कर्नल या इससे ऊंचा अधिकारी होता था और जिला मजिस्ट्रेट तथा कलेक्टर उसका आदर करते थे। एक दिन पहले मुझे बताया गया कि एक कर्नल, जो वर्दी में था, एक समस्या के समाधान के लिए एक जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में गया। जिला मजिस्ट्रेट अपनी सीट से भी नहीं उठा; कर्नल वहां खड़ा रहा; जिला मजिस्ट्रेट ने कर्नल को समय नहीं दिया और उसने एक घंटे तक कर्नल को बाहर बैठाया। यह कर्नल अपनी किसी वास्तविक समस्या के सिलसिले में छुट्टी पर आया था। यह हालत वरिष्ठ अधिकारियों की है। भगवान जानता है और हम भी जानते हैं लेकिन आप लोग नहीं जानते कि निचले स्तर के अधिकारियों के साथ क्या होता है। यह अपमानजनक है। लोग परेशान हो जाते हैं। सशस्त्र सेनाओं के लोगों को बड़ी मुश्किल से दो महीने की छुट्टी मिलती है; अधिकांश को तो यह भी नहीं लेते। एक व्यक्ति सियाचीन या नेफा या किसी अन्य कठिन क्षेत्र से अपनी समस्या के समाधान के लिए आता है लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। आप ऐसा वातावरण तैयार करने में असफल रहे हैं जिसमें असैनिक प्रशासन सशस्त्र सेनाओं के लोगों की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान दे। आपके स्तर पर भी यही होता है।

महोदय, मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछले तीन रेलवे बजटों के दौरान मैं यहां इस सभा में यह प्रश्न उठाता रहा हूं कि वीरता पुरस्कार विजेताओं को कोई रेल यात्रा सुविधा उपलब्ध नहीं है। परम विशिष्ट चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र विजेता कितने होंगे?

मैंने तीन वर्षों तक रेल मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार किया। मेरा विचार था कि वे यह सुविधा प्रदान करेंगे। जब मैं व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री को मिला तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते, धनराशि की व्यवस्था रक्षा मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिये। मैंने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। आज उन्हें ऐसी रियायतें मिल रही हैं जो ऐसे वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए अपमान हैं। एक व्यक्ति को जिसे परम विशिष्ट चक्र पुरस्कार मिला है, दूसरे दर्जे का साधारण किराया गिलता है। वे स्वाधीनता सेनानी भी हैं। रेल यात्रा सुविधायें देने के मामले में इन वीरता पुरस्कार विजेताओं को स्वाधीनता सेनानियों के बराबर क्यों नहीं माना जाता है? क्या वे स्वाधीनता सेनानियों से कम हैं? लेकिन आप नहीं देते। मैं इस बारे में लिखता रहा हूं और यहां इसके लिए अनुरोध करता रहा हूं और भीख मांगता रहा हूं लेकिन सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया है। क्या आप इस पर थोड़ी-सी राशि खर्च नहीं कर सकते हैं? इसके लिए आपको कितने धन की जरूरत होगी? सरकार देना ही नहीं चाहती, सरकार की मनोवृति देने की नहीं है। आपको उनके कल्याण में वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है।

इसी कारण मैं कहता हूं कि रक्षा मंत्रालय राष्ट्र और सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल लाने का काम नहीं कर रहा है। रक्षा मंत्रालय बाधायें पैदा करने का काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय को अपनी इस मनोवृति को त्यागना होगा। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया यह देखें कि यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। वह आदमी अपना जीवन देने के लिए तैयार है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे वीरता पुरस्कार प्राप्त करना मजाक नहीं है। आप कहते हैं कि स्वाधीनता सेनानियों की संख्या काफी है और उनमें से कुछ पात्र भी नहीं हैं लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र मिल गये हैं। आपको परम विशिष्ट चक्र या महावीर चक्र प्रमाणपत्र इस तरह नहीं मिल जाते। फिर आप ऐसी छोटी-छोटी सुविधायें उन्हें क्यों नहीं देते? आप राष्ट्र को इस तरह का संदेश दे रहे हैं। यह निस्संदेह बहुत खेदजनक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की मनोवृति राष्ट्र के लिए बहुत खराब है। मैं एक उद्धरण देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं :

> "भगवान और सिपाहियों को संकट और खतरे के समय याद किया जाता है। संकट दूर हो जाने पर और खतरा टल जाने पर भगवान भूल जाता है और सिपाहियों का अपमान होता है।"

इस प्रकार की मनोवृत्ति हो तो कोई राष्ट्र फल-फूल नहीं सकता। अतः सरकार ने जो यह बजट पेश किया मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। इस सरकार ने जिसने पांच वर्ष बर्बाद किए हैं।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : तब आपको अपनी पेंशन नहीं मिलेगी।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, इस तरीके से पेंशन लेने की बजाय पेंशन न लेना और परिणाम भुगतना बेहतर है।

सरकार की कोई नई दिशा नहीं रही है और इस प्रकार सरकार ने पांच मूल्यवान बजट बर्बाद किये हैं। मैं कामना करता हूं कि इस सरकार ने अल्पसंख्यक सरकार से कपटी बहुमत सरकार बनने के लिए जो थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया उसका प्रयोग यह रक्षा मंत्रालय की दिशा बदलने में करती। अतः मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा बजट पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है उनका मैं बहुत आभारी हूं। निस्संदेह, कल प्रधानमंत्री इस भव्य सभा की संतुष्टि के लिए वाद-विवाद का उत्तर देंगे। माननीय सदस्यों ने नाजुक तथा अन्य किस्मों के कई मुद्दे उठाये हैं। चर्चा आरम्भ करते हुए श्री जसवंत सिंह ने वास्तव में अच्छी बातें कहीं। मैं चाहता था कि मैं उस क्रम में प्रश्नों के उत्तर न दूं जिस क्रम में माननीय सदस्य बोले हैं और पहले श्री जार्ज फर्नांडीज के प्रश्नों का उत्तर दूं लेकिन वह सभा में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं वह घर चले गये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : वह गये नहीं है। वह आते होंगे क्योंकि उनका ब्रीफकेस यहां पड़ा है।

श्री मल्लिकार्जुन : दोनों पक्षों के सदस्यों ने सभा के समक्ष कुछ वास्तविकताएं रखी हैं। मैं श्री जार्ज फर्नांडीज ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उससे अपना उत्तर आरम्भ करना चाहता था लेकिन चूंकि वह इस समय सभा में नहीं हैं, मैं जिस क्रम में सदस्य बोले हैं उसी क्रम में पहले की भांति उत्तर दूंगा।

श्री जसवंत सिंह जी ने नीति, जनशक्ति, रक्षा व्यय आदि के बारे में पांच बहुत अच्छी बातें कही हैं। श्री जार्ज फर्नांडीज जी आ गये हैं। अतः मैं श्री जसवंत सिंह की अनुमति से पहले श्री जार्ज फर्नांडीज द्वारा उठाये गये मुद्दों को लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि श्री जार्ज फर्नांडीज आप के लिए प्रेरणा-स्रोत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : वह प्रेरणा-स्रोत ही नहीं पीड़ा के भी स्रोत हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : उन्होंने भावुक होकर कुछ बातें कही हैं इसलिए मैं पहले उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता था। हम सभी उनकी चिन्ता में शरीक हैं। वह रक्षा के बारे में अधिक नहीं बोले अपितु भूतपूर्व सैनिकों की कुछ कठिनाइयों के बारे में बोले। उन्होंने सेना कल्याण आवास संगठन का उल्लेख किया है। मुझे याद है वह मुझसे मिले थे और मैं यह समझने का प्रयास कर रहा था कि वास्तव में क्या स्थिति है। चण्डीगढ़ में एक उपभोक्ता मंच में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, एक ठेकेदार ने लगभग 2,25,000 रुपये अथवा जो भी हो, के बारे में एक वक्तव्य दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह राशि इमारत की लागत की एवज में दी गई है जिसके लिए ठेकेदार हकदार था। दूसरी ओर, मैं नहीं जानता चण्डीगढ़ जैसी जगह पर सैक्टर 47 जैसे इलाके में जमीन की क्या लागत है। हम सामान्यता जमीन की लागत की भी गिनती करते हैं। जमीन की लागत के अलावा, सेना कल्याण आवास संगठन को, जिसने यह काम लिया है, पानी की सप्लाई, बिजली, मल निकासी आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। अतः जब सेना कल्याण आवास संगठन द्वारा ये सभी भुगतान करने के बाद अन्त में जो लागत आयी वह अनुमान से 20,000 रुपये कम थी। अतः संविदा में दिखाई गई केवल उस राशि की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि अन्य आवश्यकताओं को भी पूरी किया जाना है जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने अन्त में किया है। उन्होंने प्रत्येक सदस्य से रख-रखाव तथा अन्य चीजों के लिए

1000/- एकत्र किये हैं। लेकिन हुआ यह कि इस महानुभाव, जो मुझे मिले और जिनकी श्री फर्नांडीज ने उल्लेख किया है, ले. कर्नल अजित सिंह ने एक सहकारी समिति बना ली। यह अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपने आप को इसका प्रेजीडेन्ट घोषित कर दिया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : वह वाइस-प्रेजीडेन्ट हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : वाइस-प्रेजीडेन्ट या जो कुछ भी वह हैं। संगठन ने उन्हें एक निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है ताकि इन सभी चीजों का सही हिसाब रखा जा सके। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, वह चार निर्मित गराजों का भी कब्जा लेना चाहते थे। लेकिन प्रबन्धकों, इस संगठन तथा नवगठित सहकारी समिति के बीच कुछ बातचीत चल रही है। बहरहाल, माननीय सदस्य में बड़ी भावुकता से यह मामला उठाया है और इस की जांच करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने पिछले चार वर्षों में ऊपर से नीचे तक जो कुछ हुआ है उसका ब्यौरा दिया है, इसलिए यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो मैं इसकी जांच के आदेश दे सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आप जांच करवा सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : हम यह फैसला करेंगे कि किस तरह की जांच करवाई जाये क्योंकि तर्कसंगति की दृष्टि से इसमें केवल दो या तीन बातें हैं जो तर्कसंगत हो भी सकती हैं और नहीं भी। उदाहरण के तौर पर ठेकेदार ने उपभोक्ता मंच के समक्ष कहा है कि उसे 2,35,000/- दिये गये हैं। प्रत्येक सदस्य से चार लाख रुपये एकत्र किये गये हैं। अन्त में, सेना कल्याण आवास संगठन का कहना है कि यह राशि पहले के अनुमान से 20,000/- रुपये कम होगी। सहकारी समिति के गठन और अन्य बातों की जांच की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या मैं मंत्री जी से कुछ कह सकता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : हां, आपके लिये ही तो मैंने डेवियेशन किया है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मेरा इतना ही कहना है कि 1991 से यह मामला चल रहा है और चार साल बाद केवल इतनी जानकारी आ रही है। मैं आपसे कहता हूं कि इस मामले में तत्काल जांच बिठाई जाये क्योंकि मंत्री जी को यह समूचा रक्षा विभाग गुमराह कर रहा है, इसे हम सिद्ध करेंगे। आज भी मंत्री जी को यह लोग गुमराह करने में लगे हुये हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अब कौन किसे गुमराह कर रहा है, यह मैं कैसे बता सकता हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : लेकिन अभी तक जो स्थिति है, सारी चीजों को आपके पास तक आने से रोका गया है।

श्री मल्लिकार्जुन : कोई नहीं रोकता है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : लेकिन इस मामले में रोका गया।

श्री मल्लिकार्जुन : आप मेरे पास आये थे, इस मामले में।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। यह मामला 1991 से पड़ा है। अखबारों में कितना लिखकर आया है, अखबारों में क्या-क्या हैड-लाइन्स आयी हैं-करप्शन, चिटिंग, लूटिंग एक्स-सर्विसमैन ऑफ देयर मनी-लेकिन आपने एक शब्द का जवाब भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अगर जमीन का मामला था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। आर्मी की इज्जत आपने क्यों नहीं बचाई। आज मंत्री के जरिये ये लोग अपनी चमड़ी बचा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : पार्लियामेंट में जैसी बात कही जा रही हैं, मंत्री जी के द्वारा उसी का जवाब दिया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : लेकिन आपको ये लोग गुमराह कर रहे हैं, इसे हम अनुभव कर चुके हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : गुमराह करने के जवाब में ही पता लगाने की बात मैं कहा रहा हूं और अगर यह सिद्ध हो जाता है- तो कार्यवाही होगी।

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं भी यही चाहता हूं कि इस मामले की जांच हो, तत्काल जांच हो, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : इस वास्ते कि आज एस.डब्ल्यू.एच.ओ. का जो. एम.डी. है, वह एक सर्विंग ऑफिसर है और कल रिटायर होकर वह एक्स-सर्विसमैन बनेगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : आपके गृह मंत्री जी ने उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया, मामला यहा तक आ पहुंचा है।

श्री मल्लिकार्जुन : अगर इंक्वायरी में इतना डीपली जाना है, तो इंक्वायरी करेंगे कि किस कारण प्रोटेक्शन दिया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : बगैर किसी इंक्वायरी के गृह मंत्री जी हमें पत्र नहीं लिखते या प्रोटेक्शन देते। इंक्वायरी करके ही चार महीने बाद उन्होंने पंजाब सरकार को लिखा कि इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे दो।

श्री मल्लिकार्जुन : सब इंक्वायरी होगी।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज : मुझे खेद है, मेरा मतलब मंत्री को नाराज करना नहीं है। मैं उनकी सेहत की हालत के बारे में

जानता हूं। मैं इसे एक उपहास का मामला नहीं बना रहा हूं। यह उपहास का मामला नहीं है। मैं कठोर नहीं होना चाहता। मैं जानता हूं सारा क्या मामला है।

श्री मल्लिकार्जुन : आप जांच समिति के समक्ष अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं।

जार्ज फर्नांडीज : मैं अपने विचार रखूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन : आप अपने विचार जांच समिति के समक्ष रखिये। यही कारण है कि मैं इस भव्य सभा में घोषणा कर रहा हूं कि जिन बातों को लेकर आप उत्तेजित हैं उन पर मुझे भी बराबर चिन्ता है। मुझे भी भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की चिन्ता है। यदि संगठन में कोई धोखेबाजी चल रही है तो उसे प्रकाश में लाना होगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज : धन्यवाद।

श्री चव्हाण के बारे में आपने क्या कहना है?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसा कि आपने ठीक ही कहा है, श्री चव्हाण का मामला कुछ भिन्न है। हम मिलकर अलग से उस मामले पर विचार करेंगे।

श्री जार्ज फर्नांडीज : ठीक है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, श्री जसवन्त सिंह को, जिन्होंने वाद-विवाद आरम्भ किया, सशस्त्र सेनाओं के बारे में काफी जानकारी है। उन्होंने नीति, जनशक्ति, व्यय आदि के बारे में कुछ बातें कही हैं। जहां तक नीति का संबंध है, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि नीति के बिना कुछ नहीं हो सकता। जहां तक व्यय का संबंध है, मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं और मैं इस बात पर बल देता हूं कि वित्तीय प्रबन्ध अधिक प्रासंगिक है और तभी हम अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति तथा समृद्धि प्राप्त करने हेतु किसी भी विकासशील देश के लिए वित्तीय अनुशासन आज बहुत आवश्यक है और मुझे भी इस वित्तीय प्रबन्ध में निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक बजट का संबंध है, जो भी वृद्धि हो, हमें मुद्रास्फीति का ध्यान रखना चाहिये। हम देखते हैं कि वित्तीय प्रबन्ध में प्रायः कुछ खर्च बेकार का होता है। अतः अपव्यय और सामान सूची को निमन्त्रण में रखा जाये और अपनी अस्तियों का बेहतर प्रयोग करें तो हमारी लागत सार्थक होगी। हम धनराशि बचा सकते हैं जिसका सदुपयोग किया जा सकता है।

हमने अभी हाल ही में रक्षा लेखाओं के मामले में समेकित वित्तीय प्रणाली आरम्भ की है। अब हमने तीनों सेनाओं में उच्चकोटि के लेखा अधिकारी और नियंत्रक नियुक्त किये हैं ताकि वे अपनी वित्तीय प्रणाली तैयार करने में सहायता कर सकें। इस संबंध में मैं कुछ और कहना चाहता हूं। हमने सेवा मुख्यालयों में इसका नाम समेकित वित्तीय परामर्श रखा है। सेवाओं को वित्तीय प्रबन्ध के बारे में परामर्श देने के लिए प्रत्येक सेवा मुख्यालय में रक्षा लेखा विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ पहचाने हुए प्रतिष्ठानों को अब काफी अधिक और प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां तथा एक समर्पित वित्त संगठन दिया गया है। इस नई प्रबन्ध रणनीति से सेवा अधिकारियों को अपने संसाधन तथा कार्यकलाप रष्टतम तरीके से चलाने का अवसर मिलता है। बजट नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं में भी गहरे परिवर्तन किये जा रहे हैं और अब छोटे तथा उप-शीर्षों की ओर ध्यान न देकर आवंटन के विस्तृत शीर्षों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अतः इस प्रकार ...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, क्या वित्तीय परामर्शदाता पूर्णतया सेवा मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन होगा या उसे वित्त मंत्रालय अथवा रक्षा मंत्रालय या दोनों से आदेश लेने होंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या गोपनीय रिपोर्ट लिखने का काम तथा अन्य कार्य पूर्णातया सेवा मुख्यायल के नियन्त्रणाधीन होंगे?

श्री मल्लिकार्जुन : यह व्यवस्था सेवा मुख्यालयों की वित्तीय प्रबन्ध में सहायता करने के लिए की जा रही है। लेकिन वित्तीय परामर्शदाता सेवा मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन नहीं हो सकता...**(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, यह समेकित वित्तीय प्रणालो नहीं है। समेकित वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत वित्तीय परामर्शदाता केवल परामर्श देने के लिए ही उत्तरदायी नहीं होता। अपितु, कोई गलती हो जाये तो उसके लिए भी वह जवाबदेह होता है। अतः वह पूर्णतया सेवा मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन होना चाहिये। यही कारण है कि यह समेकित वित्तीय प्रणाली सभी प्राइवेट फर्मों द्वारा अपनाई जा रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं समझता हूं, आप जो बता रहे हैं वह ठीक है। ऐसा ही किया जा रहा है।

महोदय, अब मैं आधुनिकीकरण की ओर आता हूं। मैं कुछ अलग तरीके से बता रहा हूं। मैं आधुनिकीकरण पर आऊंगा।

महोदय, आधुनिकीकरण अनिवार्य हो गया है और हमें चरणबद्ध तरीके से इसका आधुनिकीकरण करना है। हमें तीनों सेवाओं के अधिग्रहण कार्यक्रमों का भी ध्यान रखना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि कब युद्ध छिड़ जाये और वह कितनी देर चले और इस कारण गोलाबारूद तथा हथियारों के काफी सुरक्षित भंडार रखना आवश्यक हो जाता है। हमारे पास कुछ मदों की कमी हो गई है। जिसे हम प्राथमिकता के

आधार पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि 70 प्रतिशत कमी को इसी वर्ष पूरा कर लिया जायेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : हथियारों और गोलाबारूद के निर्माण के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? हमें पता चला है कि आबादी में कुछ आधुनिक मशीनें लाई गईं और उन्हें वहां लगाया गया लेकिन वे काम नहीं कर रही हैं। क्या आपने एक नये दृष्टिकोण तथा एक नई नीति के आधार पर रक्षा उत्पादन की कोई योजना बनाई है? ...**(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : रक्षा उत्पादन कारखानें हथियारों और गोलाबारूद के उत्पादन में पूरी तरह लगे हुए हैं और आप जानते हैं हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि. जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी हैं जिन पर मैं बाद में आऊंगा...**(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप ने कोई नया कार्यक्रम बनाया है या समूची प्रणाली का नवीकरण करने का जो काम चल रहा था वह चल रहा है और क्या आप इस मामले में कोई नया दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। जहां तक हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स का संबंध है, मैं जानता हूं कि इसका बैरकपुर में जो एक कारखाना है उसे तबाह किया जा रहा है। उसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। क्या आप उसे गिराने जा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : विद्यमान स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के पश्चात ही हम इसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में सोचेंगे।

अब मैं सेवाओं पर आता हूं। श्री जसवंत सिंह तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने नौसेना के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है क्योंकि नौसेना को पिछले तीन वर्षों में अपेक्षित बजट समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ष प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की कृपा कि नौसेना को बजट में काफी राशि मिले। वास्तव में इस वर्ष नौसेना के लिए जितनी राशि निर्धारित की गई है वह पिछले वर्ष से 34 प्रतिशत अधिक है।

इस समय नौसेना के मामले में वास्तव में यह स्थिति है हमारे रक्षा शिपयार्डों में जहाज बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। तीन प्रक्षेपास्त्र फ्रिगेट, चार कारबेट तथा तीन गोदावरी की किस्म के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। अन्य छोटी प्रक्षेपास्त्र किश्तियों का निर्माण गोआ शिपयार्ड और मझगांव डाक में किया जा रहा है। इसके अलावा हमने टारपीडो डिकॉय सिस्टम वैरी लो फ्रीकवैन्सी कम्युनीकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रोनिक सपोर्ट मेयर अपगरेडेशन लागू करके 877 ई के एम पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण करने की योजना बनाई है। इसी प्रकार 1980 के सी हैरियर विमानों में नया राडार, बेहतर एवयानिक, इलेक्ट्रानिक युद्ध उपकरण तथा उन्नत प्रक्षेपास्त्र लगाकर उनका दर्जा बढ़ाने का विचार है।

हम टी-यू 142 और आई.एल. 38 विमानों में कुछ और परिवर्तन कर रहे हैं और उनमें आकाश-से-पृथ्वी प्रक्षेपास्त्रों लगा रहे हैं। इन तीन फोर्स मल्टीप्लायरों के लगाने से नौसेना की समाघात क्षमता में काफी सुधार होगा। हमने नया सामान खरीदने का कार्यक्रम बनाया है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा 10 डोरनियर विमान बनाये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने वाला है। रूस से छः फ्रिगेट खरीदने और अपने सरकारी उपक्रमों में तीन फ्रिगेटों का निर्माण करने पर भी विचार किया जा रहा है। बदलाई कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ ब्रिटेन से एक फ्रिगेट खरीदा है। रूप से फलीट टैंकर की खरीद अग्रिम चरण में है। हाल ही में चार तेज युद्ध विमानों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। हमारे सरकारी उपक्रमों में वायु रक्षा पोत, पनडुब्बी फ्रिगेटों और चार मध्यम अवतरण तोप टैंकों के निर्माण की भी योजना बनाई गई है।

सभा के माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार ने कर्नाटक में धारवाड़ में एक समेकित और उन्नत नौसेना अड्डे की स्थापना करने के लिए 'सी-कैट, परियोजना की मंजूरी दी है। इस अड्डे पर नौसैनिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को परिचालन संबंधी, तकनीकी तथा लाजिस्टिक सहायता देने के लिए अत्यन्त आधुनिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। सभा के माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कन्नानोर जिले में इजीमाला में एक स्थायी नौसेना अकादमी की स्थापना करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : मैं केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं। वास्तव में यह खुशी की बात है कि आपने पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं आई.एन.एस. विक्रांत कुछ ही वर्ष और चलेगा, वास्तव में इस शताब्दी के अन्त से काफी पहले ही इसकी अवधि समाप्त हो जायेगी। अब इसकी मियाद जल्दी खत्म होने वाली है। यदि आप इस तरह का जहाज बनाना चाहते हैं तो आप को 15 से 20 वर्ष लगेंगे। क्या आपने इस बात की ओर ध्यान दिया है?

श्री मल्लिकार्जुन : आपने जैसा कि कहा है, हमें आई.एन.एस विक्रांत और विराट का भी पूरा ध्यान है। उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा और हम उनको बदलने की योजना बना रहे हैं।

श्री तरित वरण तोपदार : जहां तक युद्ध सामग्री के उत्पादन का संबंध है, हमें इनका निर्माण अपने देश में करना चाहिये। हमारे पास पर्याप्त बुनियादी सुविधायें हैं। हमारे पास अच्छी प्रयोगशालायें हैं, जनशक्ति है और अन्य चीजें भी हैं। ईचापुर राइफल कारखाने, धातु और इस्पात कारखाने तथा अन्य कारखानों में उपलब्ध

उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने के लिए आधुनिकीकरण की क्या योजना है?

श्री मल्लिकार्जुन : इस बारे में हमने अभी योजना बनानी है।

श्री तरित बरण तोपदार : इसमें 15 या 20 वर्ष लगेंगे और हम अभी योजना बना रहे हैं।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : हम केवल जानना चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपको बताऊंगा। धैर्य रखिये। अब मैं सेना के बारे में बताऊंगा। मुझे सेना के बारे में अधिक नहीं कहना है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वे कितने समर्पित हैं। तीन सेवाओं के प्रमुखों के योग्य नेतृत्व में सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से कितने सक्षम हैं, वे कितने समर्पित हैं और उनमें अनुशासन की भावना कितनी है।

महोदय, मैं टैंकों के आधुनिकीकरण पर आता हूं। आप जानते हैं हमार पास टी-72 टैंक हैं जिनका हम उत्पादन कर रहे हैं और हमारे पास टी-55 टैंक हैं। अब हम इसका दर्जा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें हम स्वचालित 155 एम.एम. कैलीबर की तोपें लगायेंगे जो टी-72 के चैसिस की बुर्ज (तरेट) पर रखी होंगी। यह काम चल रहा है और इसे जल्दी पूरा किया जायेगा।

जहां तक पैदल सेना का संबंध है, हम यह सोच रहे हैं कि उन्हें हल्के शस्त्र कैसे दिए जायें। श्री जसवंत सिंह तथा अन्य सदस्यों ने 5.56 एम.एम. राइफलों का प्रयोग करने की बात कही। उनका प्रयोग किया जायेगा और हम इन्हें पैदल सेना को देने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक सेना का संबंध है, मेर लिए एम.वी.टी. के बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से इस पर कार्य कर रहे हैं। देश में इसका उत्पादन सफल रहा है और ग्रीष्मकालीन परीक्षण अन्ततः उपयोग परीक्षण होंगे। तथापि सेना एम.वी.टी. का देश में उत्पादन करने के लिए सहमत हो गई है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही इसका उत्पादन शुरू हो जायेगा।

सेना कई अन्य योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है? और सभा की जानकारी के लिए मैं संक्षेप में उनका उल्लेख करूंगा। हम प्रक्षेपास्त्र प्लेटफार्म तथा तोपों से लैस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली अधिग्रहीत कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रानिकी युद्ध क्षमता और सेना की निगरानी क्षमता में सुधार कर रहे हैं।

विकास का एक अन्य बड़ा क्षेत्र यह है कि जब तक हम देश में हल्के प्रहार हैलीकाप्टर का विकास नहीं कर लेते तब तक हम एक अन्तरिम समाधन के रूप में पट्टे पर अथवा बिक्री के आधार पर एक प्रहार हेलीकाप्टर लेने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक वायुसेना का संबंध है, सभी माननीय सदस्यों ने उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान का उल्लेख किया है। निस्संदेह, इसमें काफी समय लग गया है लेकिन अब तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है। चूंकि केवल दो कम्पनियां ऐसे विमान बनाती हैं, उनकी सूची तैयार कर ली गई है और उनके साथ वाणिज्यिक बातचीत आरम्भ की जायेगी।

श्री अमल दत्ता का कहना था कि हम रूसी जेट प्रशिक्षक विमान क्यों नहीं खरीदते। याक-130 और मिग ए.टी. प्रशिक्षक विमानों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी उनके डिजाइन तैयार किये गये हैं। उनके प्रतिरूप तैयार किये जाने हैं और उनकी क्षमता की जांच भी की जानी है। उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान के बारे में अभी यही स्थिति है।

जहां तक रक्षा सेवाओं का संबंध है, उनको तैयारी की स्थिति में रखने के लिए हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण तथा अन्य चीजें हैं। हम कुछ चीजों का उत्पादन देश में कर रहे हैं और कुछ चीजें बाहर से खरीद रहे हैं ताकि हमारी रक्षा तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

7.00 म.प.

जहां तक आत्म-निर्भरता का संबंध है, हमें रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में करना होगा। दस-वर्षीय आत्म-निर्भरता योजना तैयार की गई है और 2005 ई. तक हम 70 प्रतिशत रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में कर सकेंगे।

अब मैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर आता हूं। यह संगठन वास्तव में सशस्त्र सेनाओं की सहायता करने में महत्वपूर्ण भमिका अदा कर रहा है। यह संगठन अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसकी अनुसंधान के परिणामस्वरूप ही हल्के उन्नत हेलीकाप्टर और हल्के समाघात हवाई जहाजों, आदि का अविष्कार हो पाया है। इस संगठन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि विशेष रूप से प्रक्षेपास्त्र प्रोद्योगिकी है।

जहां तक प्रक्षेपास्त्रों तथा अन्य मामलों का संबंध है, कल प्रधानमंत्री जी अपने उत्तर में इन पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। लेकिन मैं पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के बारे में एक या दो वाक्य कहना चाहता हूं जो कि चिन्ता का बड़ा विषय है। श्री जसवंत सिंह तथा दोनों पक्षों के अन्य सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मेरा नाम भी लिया है। महोदय, कृपया ये देखिये कि इस चरण में पहुंचने से पूर्व, जबकि पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र ने सफलतापूर्वक प्रयोक्ता परीक्षण पूरे कर लिये हैं, इसके अनुसंधान में कितने वर्ष लगे हैं। मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इसकी अनुसंधान में केवल छः महीने नहीं लगे हैं। हम विश्व के किसी कोने से किसी दबाव में नहीं आयेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा भी दोनों सभाओं को इसके बारे में बार-बार बताया

गया है। पता नहीं लोगों के मन में यह आशंका या भ्रांति क्यों है कि भारत अमरीका अथवा किसी अन्य देश के दबाव में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त के अनुसार श्री जोसेफ नाई ने संयुक्त राज्य अमरीका में कहा है कि पृथ्वी का उत्पादन खटाई में पड़ गया है और अग्नि का उत्पादन निलम्बित कर दिया गया है तथा श्री मल्लिकार्जुन का कहना है कि हमने अभी निर्णय लेना है। अभी क्या निर्णय लिया जाना है? सफल परीक्षणों के पश्चात मैंने समाचार पत्रों को कुछ नहीं बताया है। मैंने आबूधाबी में समाचार पत्रों के अपने कुछ अपने मित्रों को केवल कुछ तथ्य बताये जब उन्होंने पृथ्वी के बारे में पूछा। मैंने यह नहीं बताया कि हम पृथ्वी का उत्पादन बन्द कर रहे हैं; मैंने यह नही बताया कि हम निरन्तर उत्पादन कर रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों ने लिखा है और मैंने बहुत धैर्य और सहनशक्ति से काम लिया है क्योंकि यह पृथ्वी के बारे में है। मैंने बाहर प्रेस से बात नहीं की क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस भव्य सभा में एक दिन जवाब देना होगा। यदि प्रेस के हमारे मित्र अब मेरे कथनों को सही परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो ठीक हैं नहीं तो एक और लेख आयेगा और हमें इसे सहन करना होगा क्योंकि पृथ्वी को लेकर सभी व्यक्ति उत्तेजित हैं। वे पूछ रहे थे कि पृथ्वी का क्या हुआ और हम इसे कब प्रयोग में लायेंगे? आखिरकार अब यह किस स्थिति में है? प्रयोक्ता परीक्षणों के पूरा होने के पश्चात अब आगे की गतिविधियां चल रही हैं। 'पृथ्वी' केवल कुछ अक्षरों का जमघट नहीं है अपितु इसके अन्दर तरह-तरह के अंकीय तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण तथा अन्य चीजें लगी हैं। हमें उन सभी की व्यवस्था करनी है। मैं नहीं समझता कि अभी भी मेरे वरिष्ठ मित्र श्री जसवंत सिंह जी सहमत होंगे अथवा नहीं लेकिन हम पृथ्वी का उत्पादन बन्द नहीं कर रहे हैं। दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक देश की सुरक्षा का संबंध है, इस पर कभी भी कोई समझौता नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जब हमारे सैनिक अपने जीवन की बलि दे रहे हैं, जब इस देश के लोग रक्षा सेनाओं के पीछे हैं, जब विपक्ष के सदस्य भी सहयोग देते हैं और यह मांग करते हैं कि रक्षा के लिए बजट में अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाये, जब हम संसद से कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती और विपक्ष के नेता तथा प्रेस इससे सहमत हो जाती है, जब हमें इतना समर्थन मिल रहा है तो मैं यह कैसे कह सकता हूं कि 'पृथ्वी' का उत्पादन बन्द कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने लंदन में कहीं लिखा है और यदि किसी समाचार पत्र ने यहां उसका उल्लेख किया है तो ऐसा लगता है कि वे काफी चतुर हैं और हम चतुर नहीं है। ऐसी बात नहीं है। प्रेस को भी राष्ट्रीय हित में रचनात्मक भूमिका निभानी है। मैं प्रेस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें जो चाहें लिखने की छूट है। लेकिन 'पृथ्वी' का उत्पादन बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। **...(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : निलम्बन !

श्री मल्लिकार्जुन : नहीं, 'हाइबरनेशन' (उत्पादन बन्द करने) को कोई प्रश्न नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है उसे जानना चाहिये कि हाइबरनेशन के बाद भी उत्पादन होता है केंचुआ जैसे कुछ ऐसे जानवर हैं जो हाईबरनेशन में चले जाते हैं लेकिन बाद में वे बाहर आ जाते हैं। अतः यदि अभी उत्पादन नहीं हो रहा है तो होने लगेगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अतः यह 'हाइबरनेशन' में है।

श्री मल्लिकार्जुन : यह 'हाईबरनेशन' में नहीं है। इसके 'हाइबरनेशन' में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे जो कार्यकलाप होने चाहिए वे चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस शब्द को ध्यान में रख सकता है और इसका विश्लेषण कर सकता है। बस मैंने इतना ही 'पृथ्वी' के बारे में कहना है।

'नाग', 'त्रिशूल' और 'आकाश' जैसे अन्य प्रक्षेपास्त्रों पर काम करने के लिए भी हम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों तथा डा. अब्दुल कलाम को बधाई देते हैं। जहां तक 'अग्नि' का संबंध है, अब तक की उपलब्धि यह है कि डी.एन.टी. का हथियारों और विभिन्न अन्य चीजों में प्रौद्योगिकी निरूपण हुआ है। अतः हमें इसे एक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, यदि माननीय सदस्य मेजर जनरल खण्डूरी को युद्ध में जाना हो तो मुझे विश्वास है कि वह यह नहीं दिखायेंगे उनके मन में क्या है, इसे वह गुप्त रखेंगे। यदि वह अपना राज जनता के सामने खोल भी देंगे तो जनता इसे पसन्द नहीं करेगी। युद्धनीति का भी यही उसूल है। रणनीति के आधार पर हम युद्ध जीत सकते हैं। यही प्रक्षेपास्त्रों के बारे में स्थिति है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : संदेह तभी होता है जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि यह तो केवल प्रोद्योगिकी निरूपण था।

श्री मल्लिकार्जुन : इस मामले में हमारे में आत्मविश्वास होना चाहिये। आत्म-विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त करना कठिन है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : हमें इस स्थिति से आगे बढ़ना चाहिये और केवल प्रयोग करके दिखाने वाला ही बनकर नहीं रह जाना चाहिये।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि इसे बन्द करना था तो इतनी शक्ति और समय इस पर बरबाद करने की क्या आवश्यकता थी? अतः समुचित योजना बनाने में समय लगता है। इस समय इसकी यही स्थिति है जिसकी सूचना हम इस भव्य सभा को दे रहे हैं।

जहां तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का संबंध है, मैं सुपर कम्प्यूटर के क्षेत्र में इसकी जो उपलब्धि रही है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। इस संगठन ने 'फालकान', 'पिनाका'

और 'लक्ष्य' जैसे कम्प्यूटरों का विकास किया है। 'लक्ष्य' के वायु सेना और नौसेना द्वारा प्रयोक्ता परीक्षण किये गये हैं और उन्हें पूरा कर लिया गया है। अब इसका थल सेना द्वारा प्रयोक्ता परीक्षण किया जा रहा है। ये पायलट के बिना चलने वाले लक्ष्य वायुयान हैं।

पिछले महीने 23 अप्रैल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैदराबाद गये थे और उन्होंने इस संगठन द्वारा विकसित 'पेस प्लस' शक्तिशाली समानान्तर प्रोसेसिंग कम्प्यूटर प्रणाली का अनावरण किया था। यह अपनी किस्म का सबसे तेज कम्प्यूटर है। इसके निर्माण की जानकारी भी हमारे उद्योग को दी गई है। दूसरे देशों में बने ऐसे कम्प्यूटरों से तुलना की दृष्टि से मैं सदस्यों को इसकी कुछ विशिष्टताएं बताना चाहता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि विमानों में प्रयोग की दृष्टि से 'पेस प्लस' कम्प्यूटर 'सीआरएवाई-वाईएमपीसी 90' कम्प्यूटर 2 से 2.5 गुणा, सीआरएवाई-एक्सएमपी-14-216 कम्प्यूटर से 9.5 गुणा और सीआरएवाईएक्सएमपी-1416 से 8 गुणा तेज है। यूनिट लागत की दृष्टि से हमारे 'पेस प्लस' कम्प्यूटर पर प्रति मेगाफ्लाप 20,000 रुपये लागत आती है, सीआरएवाई कम्प्यूटर पर एक लाख रुपये प्रति मेगाफ्लाप से अधिक लागत आती है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर देश को गर्व होना चाहिए।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की बहुत सी उपलब्धियां हैं। आप सब ने उनकी सराहना की है और उन सबका उल्लेख करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है।

अब मैं अपनी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में दो-तीन बातों पर प्रकाश डालूंगा। हमारे सैनिक सोमालिया में हों या मोजाम्बिक में हों या अब रवांडा अथवा अंगोला में हों, बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने उनकी प्रशंसा की है। हमारे सैनिक प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने हमारे देश की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया है। उन्होंने उन्हें जहां कहीं भी भेजा गया अनुशासन और समर्पण की भावना से काम किया।

विद्रोह को दबाने के लिए विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में सेना की तैनाती जैसे अन्य नाजुक मसलों को मैं वास्तव में नहीं छेड़ रहा हूं।

इसके बाद अब मैं मानव अधिकारों पर आता हूं। पाकिस्तान राष्ट्र के स्तर पर यह मामला नहीं उठाता रहा है, अपितु वह स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने का प्रयास कर रहा है। सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारी सेना ने मानव अधिकारों के पहलू को ध्यान में रखते हुए बड़ी सावधानी से और नियंत्रण में रहते हुए काम किया है। सेना मुख्यालय, कमांड मुख्यालय और कोर मुख्यालय के स्तर पर हमारे मानव अधिकार प्रकोष्ठ हैं और हम मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के मामलों से निपटने में काफी सख्ती बरतते हैं। सेना का कोई भी कार्मिक, जो मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसके साथ सख्त कार्यवाही की जाती है। अतः भारत के खिलाफ यह प्रचार कि यहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल गलत है। बहरहाल, हम इस मामले में सतर्क हैं।

अब मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं और वह कल्याण के बारे में है। कल्याण अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण बात है, जिसमें सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार की सदैव यह मंशा रही है कि सैनिकों को स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा और आवास के रूप में वे सभी सुविधाएं दी जाएं जो हम दे सकते हैं। यह सही है कि संसाधनों की कमी के कारण हम सदैव उतना नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं। हमारे सैनिक हमारी इस मजबूरी को समझते हैं और इसे खुशी से मान लेते हैं। यहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण मसला आवास की समस्या और रिहाइश के बारे में है। इस वर्ष हमने सामान्य राशि के अलावा 136 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी है, ताकि हम 38 स्टेशनों पर विवाहितों के लिए आवास प्रदान कर सकें। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तीनों सेवाओं के सेवारत और भूतपर्व सैनिकों के लिए दिल्ली में एक कैंसर अस्पताल बनाने की योजना बना रहे हैं। हम सेना के कमान मुख्यालय केन्द्रों तथा बम्बई और मद्रास में भी चरणों में अगले कुछ वर्षों में इस सुविधा का विस्तार करने की आशा करते हैं।

सेना में कप्तान और मेजर के स्तर पर अधिकारियों की कमी है। यह कोई नई बात नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, स्थायी और शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की अधिक भर्ती, महिला अधिकारियों आदि की भर्ती, आदि जैसे उपाय किये गये हैं। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।

महोदय, कुछ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित कुछ समाचारों के बावजूद काफी युवक सशस्त्र सेनाओं में चयन के लिए आगे आ रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन तथा भत्ते सरकार की असैनिक सेवाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्तों के बराबर हैं। इसके अलावा सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को कुछ ऐसे विशेषाधिकार और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो असैनिक सेवाओं के बराबर के कार्मिकों को उपलब्ध नहीं हैं। रक्षा सेवाओं के कार्मिकों की सेवा की शर्तों की समीक्षा एक निस्संदेह एक निरंतर प्रक्रिया है और जो सुधार आवश्यक तथा संभाव्य समझे जाते हैं, वे समय-समय पर किये जाते हैं।

महोदय, रक्षा सेवाओं ने शांति और युद्ध दोनों के दौरान जो योगदान किया है, उस पर हमें गर्व है और हम, उन्होंने जो सराहनीय काम किया है, उसकी सराहना करते हैं। सेवाओं के लिए समाधान कुशलता का उच्च स्तर तथा युवा स्वरूप बनाये

रखने की आवश्यकता हमें बड़ी संख्या में सेवा कार्मिकों को छोटी उम्र में सेवानिवृत करने के लिए बाध्य करती है। उनकी समस्याओं के प्रति सजग होने के कारण सरकार हमेशा उनके पुनर्वास और कल्याण में उन्हें हर संभव सहायता देती रही है। उनके रोजगार के लिए नौकरियों में आरक्षण के अलावा कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके अंतर्गत उनको स्वनियोजन के लिए सहायता दी जाती है। लड़कियों के विवाह, मकान की मरम्मत, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए विवेकाधीन निधि से जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसकी राशि बढ़ा दी गई है। स्वाधीनता के पश्चात् दिये गये वीरता पुरस्कारों जैसे परमवीर चक्र के लिए दी जाने वाली राशि में वृद्धि कर दी गई है, जबकि स्वाधीनता से पूर्व दिये गये वीरता पुरस्कारों के बारे में इसी तरह की मांग भी स्वीकार कर ली गई है।

सेवानिवृत होने पर केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के मामले में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक की सहायता के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन सेवानिवृत होने वाले कार्मिक के अधिक से अधिक 2 बच्चों को एक बार प्रवेश की सुविधा देने के लिए सहमत हो गया है, बशर्ते कि एक कक्षा में बच्चों की संख्या 45 से कम हो।

भूतपूर्व सैनिकों के उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। जहां भूतपूर्व सैनिकों की आबादी अधिक है, वहां चौबीस चिकित्सा जांच कमरों और 12 दंत चिकित्सा केन्द्रों की उन क्षेत्रों में स्थापना की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बाई-पास सर्जरी, एंजीओग्राफी, गुर्दा बदलने, कैंसर जैसे कुछ महंगे उपचारों पर भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों द्वारा खर्च की गई राशि का 60 प्रतिशत तक सेना ध्वज दिवस निधि से वित्तीय सहायता दी जाये। सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष से 33 करोड़ की मांग की गई है।

पेंशन में एक बार वृद्धि का लाभ जो पहले 1986 से पूर्व के कुछ वर्गों के पेंशनभोगियों को पहुंचाया गया था, अब कई अन्य वर्गों जैसे राज्य बल पेंशनभोगियों, प्रादेशिक सेना के कार्मिकों युद्ध में घायल हुए पेंशनभोगियों और केसीआईओ पेंशनभोगियों को भी प्रदान किया गया है। इससे लगभग 2 लाख अतिरिक्त पेंशनभोगी लाभांवित होंगे और इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होंगे।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : भारत के सभी क्षेत्रों के सभी भूतपूर्व सैनिक निरंतर यह मांग करते रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में असंगतियों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया जाये। आपने इसमें एक बार वृद्धि की। उसके पश्चात् आपने इस समिति का गठन किया। उसके बावजूद भी बहुत–सी असंगतियां रह गई हैं। वे इस मसले के बारे में पत्र लिखते रहते हैं। मैंने रह गई असंगतियों की जांच करने लिए नौकरशाहों की नहीं, अपितु अन्य लोगों की एक समि बनाने का इस सभा में सुझाव दिया है। आप एक सलाहकार समिति या संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को समझते है। आप अन्य लोगों को भी इस समिति में शामिल कर सकते हैं। केवल नौकरशाहों की समिति भूतपूर्व सैनिकों को कोई लाभ नहीं होने देगी। अतः भूतपूर्व सैनिकों में यह भावना व्याप्त है कि सरकार उनके दृष्टिकोण को नहीं समझ रही है। उनकी पेंशन में जो असंगतियां हैं, वे वास्तविक हैं। अतः मैं यह सुझाव देता हूं कि इसके बारे में कुछ किया जाये।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपकी बात समझता हूं। जैसा कि आपको मालूम है ! जब असंगतियों का पता चला तो पेंशन में एक बार वृद्धि के प्रश्न पर विचार करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया। अब अपर सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। कुछ वर्गों के मामले में पेंशन में एक बार वृद्धि की मांग स्वीकार कर ली गई है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडरी : यह ठीक है। यह सही दिशा में एक कदम है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी कुछ और करने की आवश्यकता है।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि किसी वर्ग के मामले में आवश्यक हुआ तो हम इसकी जांच करेंगे।

महोदय, मैंने वास्तव में सुरक्षा पर्यावरण के बारे में अधिक नहीं कहा। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में भारत बाहरी आक्रमण सहन नहीं करेगा। भारत एक शांति प्रिय देश है। हमारी कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारी सशस्त्र सेनाएं और उनकी तैयारी ऐसी है कि वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकती हैं। अतः एक शांति प्रिय देश होने के नाते हम शांति बनाये रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रेसीडेण्ट के बीच बातचीत हुई थी। भारत शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय बातचीत द्वारा विवादों को निपटाना चाहता है। भारत आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से किसी प्रकार के आक्रमण, हिंसा आदि में विश्वास नहीं रखता है और इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, एक शांति प्रिय देश होने के नाते भारत विवाद को आपसी बातचीत द्वारा निपटाना चाहता है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। पूरा भारत जानता है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहा है, आई.एस.आई. हमारे देश को अस्थिर करने का कैसे प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं इस तथ्य पर बल

कहना चाहता हूं कि भारत देश की सुरक्षा के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा; भारत राष्ट्रीय एकता और सार्वभौमिकता के मामले में कभी समझौता नहीं करेगा। हम पंचशील में विश्वास रखते हैं। मुझे इसका हवाला देने की आवश्यकता नहीं है। 1955 में बंडुंग सम्मेलन के पश्चात् जब श्री चाऊ-एन-लाई चीन जा रहे थे तो उन्होंने पंचशील का, जिसका प्रतिपादन पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया, समर्थन किया था। एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का आपसी सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्व सह-अस्तित्व, आपसी लाभ तथा अपने पड़ोसी देशों तथा अन्य देशों के साथ भारत की नीति इन सिद्धांतों के आधार पर बनी रहेगी। हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर अपने विवादों को निपटाना चाहेंगे। मुझे आशा है कि पाकिस्तान भारतीय राष्ट्र की भावनाओं को समझेगा और भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गा।

महोदय, आप का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं संसद के उन सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और उन सभी सदस्यों का भी, जिन्होंने मुझे सुना है, जिन्होंने वाद विवाद में सहयोग दिया है, धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रमथेश मुखर्जी, आप केवल तीन या चार मिनट के लिए बोल सकते हैं। यदि आप इससे सहमत हैं, तो आप बोल सकते हैं।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बरहामपुर) : 7.30 म.प. हो चुके हैं। अतः मुझे कल बोलने का अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे आज पूरा कर सकते हैं? मैं आपको बाध्य नहीं करना चाहता। मैं इसे आप पर छोड़ता हूं।

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते क्यों नहीं? आपको कितना समय चाहिये?

श्री प्रमथेश मुखर्जी : मुझे केवल पांच मिनट चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आप बहुत उदार हैं।

श्री प्रमथेश मुखर्जी : मुझे अपनी पार्टी आर.एस.पी. की ओर से इस महत्वपूर्ण मामले पर अपने विचार व्यक्त करने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। इसका कारण यह है कि यह सरकार पिछले 47 वर्षों के दौरान देश की रक्षा की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है। सरकार इस बात का ध्यान नहीं रख सकी कि रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका देश की प्रभुसत्ता से निकट संबंध है। अतः मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

मेरा विचार है कि अच्छी अर्थव्यवस्था एक अच्छी रक्षा व्यवस्था का लक्षण है। देश की अच्छी और स्थायी अर्थव्यवस्था से देश को अच्छी और स्थायी रक्षा का संकेत मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी और स्थायी न हो तो देश की अच्छी और स्थायी रक्षा की आशा नहीं की जा सकती। यह सरकार एक आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकी। यह सरकार एक अच्छी और स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकी। इस सरकार ने यूरोपीय और अमरीकी साम्राज्यवाद के दबाव में 'गेट' समझौते पर हस्ताक्षर करके देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को पहले ही बेच दिया है। स्वाभाविक है कि यह सरकार देश की एक अच्छी और स्थायी रक्षा व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकी है और समूची रक्षा व्यवस्था यूरोपीय और अमरीकी साम्राज्यवाद की कठपुतली बन कर रह गई है। यही कारण है कि मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

अब हम वर्तमान विश्व दृश्य तथा वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा पर्यावरण की ओर ध्यान दें तो हम क्या देखते हैं? हमने पिछले पांच या दस वर्षों में देखा है कि रूस में सोवियत प्रणाली किस तरह अस्थायी रूप से विफल हो गई। रूस में सोवियत प्रणाली की अस्थायी विफलता और पूर्व यूरोपीय देशों में समाजवादी प्रणाली की अस्थायी विफलता के पश्चात् द्विध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व बनकर रह गया है। इस एक-ध्रुवीय विश्व में भी शांति और चैन नहीं है। हम देखते हैं कि तनाव और संघर्ष अभी जारी है। हमने देखा है कि अभी भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में तनाव और संघर्ष जारी है, साम्राज्यवादी शक्तियों में तनाव और संघर्ष बना हुआ है। यही कारण है कि वे युद्ध को निमंत्रण दे रहे हैं और तीसरे विश्व के देशों, विकासशील देशों पर युद्ध थोप रहे हैं। इसी कारण खाड़ी युद्ध हुआ है, इराक के लोगों पर खाड़ी युद्ध थोपा गया है। हमने संयुक्त राष्ट्र संगठन की भूमिका भी देखी है। हमने खाड़ी युद्ध में यूरोप और अमरीकी देशों की भूमिका भी देखी है। इन घटनाओं को देखते हुए हमें तैयार रहना होगा। तनाव खत्म नहीं हुआ है; संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। तनाव और संघर्ष की अवधि अभी जारी है। अतः हमें स्थायी तौर पर रक्षा का प्रबंध करना होगा। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर पाई। यह सरकार इस प्रयोजनार्थ लोगों में उत्साह पैदा नहीं कर सकी। अतः मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

एक और बात आधुनिकीकरण का प्रश्न है। इस सभा के कई माननीय सदस्यों ने आधुनिकीकरण का सुझाव दिया है। पुनर्गठन और आधुनिकीकरण समय की मांग है। अतः बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा तंत्र का पुनर्गठन आवश्यक है। रक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण किये बिना हम स्थायी

रक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते। इस प्रयोजनार्थ मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमें रचनात्मक प्रयास करने चाहिये और जनता में उत्साह पैदा करना चाहिये, ताकि हम नई पीढ़ी में और रक्षा के नये संवर्गों में विश्वास, दृढ निश्चय और दृढता का संचार कर सकें। मैं सुझाव दूंगा कि इस प्रयोजनार्थ हमें एक अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिये, ताकि उन में देश के प्रति प्यार, त्याग और देशभक्ति की भावना पैदा हो। हमें देश की रक्षा के लिए उनमें इन सभी गुणों का संचार करना चाहिये। लेकिन यह सरकार, यह तंत्र ऐसा नहीं कर सकता। अंत में, मैं सभा का अधिक समय न लेते हुए और सभा के मिजाज का ध्यान रखते हुए यह कहूंगा कि भर्ती के लिए सही नीति बनाई जानी चाहिये। अच्छी रक्षा व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि भर्ती नीति अच्छी हो लेकिन अभी तक जो हमारी भर्ती नीति रही है, वह यथेष्ट और वैज्ञानिक नहीं है और न ही यह यथार्थवादी नीति है। हमें रक्षा के संवर्गों की भर्ती के लिए एक अच्छी वैज्ञानिक नीति बनाने का प्रयास करना चाहिये। जब तक ऐसी नीति नहीं बनाई जाती, हम रक्षा संवर्गों से एक अच्छे, सफल और वांछनीय परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाये गये समय में सभा की कार्यवाही का संचालन करने में माननीय सदस्यों का पीठासीन अधिकारी के प्रति जो शिष्ट और उदार रवैया रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अब सभा कल, 10 मई, 1995 को 11.00 बजे म.पू. पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.37 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 10 मई, 1995/20 बैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.-48/29/25/95 (एन.)

250

© 1995 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, मौजपुर, दिल्ली-53 द्वारा मुद्रित